राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 23वां दिवस [संख्या 16

मंगलवार

दिनांक 20 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 388 श्री मदनसिंह दांता ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

बांसवाड़ा में उपनिदेशक द्वारा आदिवासी लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार

389. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी योजना जिला बांसवाड़ा में विभाग के उपनिदेशक श्री विश्वेन्द्र नाथ गुप्ता व अन्य ने दि० 5-10-77 को वहां काम करने वाली आदिवासी लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जिसकी शिकायत लिखित में 25 लड़कियों द्वारा विभाग के मंत्री को दी गई थी ? यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना के लिए जो सामान खरीदा गया है उसमें भारी अनियमितता व घोटाले की शिकायत विभाग में की गई है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का क्यों क्या सामान खरीदा गया और उसमें कितना गबन किया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाटक) : (1) जी नहीं । दिनांक 5-10-77 को आदिवासी लड़कियों के साथ विभाग के भूतपूर्व उप-निदेशक श्री विश्वेन्द्र नाथ गुप्ता व अन्य द्वारा अमानवीय व्यवहार किये जाने की 25 लड़कियों द्वारा विभाग के मंत्री को कोई शिकायत नहीं की गई थी । केवल एक सुश्री कान्ता चौहान,

2

(श्री मति विद्या पाठक)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ओर से मुख्य मंत्री महोदय को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करवाने पर शिकायत की पुष्टि नहीं हुई। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) समन्वित बाल विकास सेवा योजना गढ़ी के लिए जो सामान खरीदा गया उसके बारे में जिलाधीश बांसवाड़ा ने 22–4–78 के पत्र द्वारा अनियमितता की शंका प्रकट की थी। तत्पश्चात् गढ़ी परियोजना के लेखे व खरीद के मामलों का विस्तृत आडिट विभाग के लेखाधिकारी द्वारा करवाया गया। वर्ष 77–78 में जो कुल सामान क्रय किया गया उसकी सूची संलग्न है। गबन कोई हुआ है या नहीं, इस संदर्भ में आडिट रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा घोटाले के सम्बन्ध में, दूसरा है लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार का प्रश्न। उसका आपने कुछ नहीं किया। एक कापी है मेरे पास, यह उस टाइम के समाज कल्याण मंत्री को लिखा है। उसकी फोटोस्टेट कापी है। उन्होंने आर्डर इश्यू किये हैं। आप कहती हैं कि कोई शिकायत समाज कल्याण मंत्रीजी को नहीं दी। इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : जानकारी हो तो दे दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इनके पास फोटो स्टेट कापी है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शिकायत मुख्य मंत्रीजी को ....

श्री जयनारायण सालोदिया ; यह प्रार्थना पत्र समाज कल्याण मंत्रीजी को दिया है उसके लिए कह रहा हूं। उस पर उनके दस्तखत हैं। आपको जानकारी न हो तो जबाब न दें। मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि वह समाज कल्याण मंत्रीजी को दी है मुख्य मंत्रीजी को नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : शिकायत मुख्य मंत्रीजी को भेजी गयी थी। वह शिकायत मुख्य मंत्रीजी ने माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी को भेजी और उन्होंने विभाग को भेजी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरे पास फोटो स्टेट कापी है। उस पर उनके दस्तखत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी इसका जवाब नहीं दे रही हैं और इस प्रश्न को टाल रही हैं। बिल्कुल झूठा जवाब है आपका। मैं इसको चैलेन्ज करता हूं। बिल्कुल झूठा जवाब है। विभाग के अधिकारियों ने जो जवाब भेजा है वही पढ़ रही हैं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय जब 25 लड़कियों ने शिकायत की है, यह इसमें लिखा है प्रश्न

(श्री अब्दुल अजीज)

में कि एक ही शिकायत कर्ता नहीं है 25 लड़कियां है। जब 25 लड़कियों ने एक राय होकर शिकायत की है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : आप यह बतायें कि मुख्य मंत्रीजी को जो प्रार्थना पत्र भेजा था उसमें क्या शिकायत थी और वह प्रार्थना पत्र आपके पास कब आया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : और उस पर कोई कार्यवाही की गई यां नहीं ?

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : क्या उन 25 लड़कियों के हस्ताक्षर मिलते हैं ? वह किसको एड्रेस्ड है ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) : आदिवासियों का मामला है इसलिए आप घोटाले में डालना चाहती हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मंत्रीजी को जानकारी के लिए यह बता रहा हूं। मुझे इसमें से कुछ पढ़ने की इजाजत दें। यह प्रार्थना पत्र समाज कल्याण मंत्री को 25 लड़कियों ने लिख कर दिया है। 25 लड़कियों के इस पर साइन हैं। इसकी मेरे पास फोटोस्टेट कापी है कोई डुप्लीकेट कापी नहीं है। उस पर स्थानीय विधायक नाथूरामजी ने भी लिखा है :–

"श्रीमान मंत्री महोदय, मूल प्रार्थना पत्र महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास योजना गढ़ी सेवार्पित कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में अंकित विषय सही है। अतः किसी ईमानदार अधिकारी को भिजवा कर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करावें और परिणाम से मुझे सूचित करने का कष्ट करें।"

यह तो वहां के विधायक ने लिखा है। इस पर 25 लड़कियों के साइन हैं। इसमें जो लिखा है उसको पढ़ कर सुनाऊं क्यां ? कोई लड़की, आप भी एक महिला हैं, इस तरह का लिख कर दे सकती है अपने बारे में ? मैं उसको पढ़ कर सुनाता हूं।

"अपने इस विभाग में उदयपुर में डिप्टी डायरेक्टर विश्वेन्द्र गुप्ता इन पांच छः महीने में लगातार यहां आते रहते है और खूब खूब दिन तक डाक बंगले गढ़ी में रहते हैं और मुझे बार-बार बुलाते रहते हैं।"

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्री जयनारायण सालोदिया : अभी तो शेम का नहीं हुआ है।

"सेन्टर पर आकर पांच छः लड़कियों को जीप में बैठाकर डाक बंगले पर ले जाते हैं और इनसे बुरी-बुरी बातें करते रहते थे...."

दूसरी पढ़ती हूं।

एक माननीय सदस्य : पढ़ती हूं या पढ़ता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूं इसलिए यह असर

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है। अगर इस सरकार में कुछ गैरत है तो इनको डूब मरना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो तो आप क्या करेंगी ? हमारी 25 लड़कियों से आपके डिपार्टमेंट का आदमी इस तरह की बात करता है तो आपका कर्त्तव्य हो जाता है........

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को महिला मंत्रीजी से इस तरह से कहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक सवाल का जवाब दे दें।

माननीय मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि आज से एक दो साल पहले ही इन लड़कियों ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय या किसी मन्त्री महोदय के पास यह शिकायत भेजी है, उस पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मूलचन्द डागा : कार्यवाही का सवाल ही नहीं है। क्या लड़कियों के बयान लिये गये ? उनकी कोई जांच की गई ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कार्यवाही क्या हुई ?

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये दो बातें रखता हूं। दिनांक 5–10–77 को वह डिप्टी डायरेक्टर....

श्री मूलचन्द डागा : यह जवान आदमी है, या बूढ़ा है ?

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : समाज कल्याण विभाग ...

(व्यवधान)

लड़कियों ने साफ कहा है, हमारे से ये नाजायज फायदा उठा रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सदन की महिला सदस्यों की एक कमेटी बना दें।

श्री मूलचन्द डागा : जवाब आना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई जवाब नहीं आयेगा।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि जांच करवाई और जांच

(मेजर श्री फतहसिंह)

करवाने पर साबित नहीं हुआ। तो किससे जांच करवाई ? कौन अधिकारी था ? लड़कियों के बयान लिये या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभाग के अधिकारी के खिलाफ मामला है। विभाग के अधिकारी अपने अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं करेंगे। यह सारा मामला होम डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आगे दें। माननीय मन्त्री महोदया।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब आने दें।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हाउस की एक कमेटी बना दें जो इस मामले की जांच कर ले।

एक माननीय सदस्य : महिला सदस्यों की कमेटी होनी चाहिए।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत माननीय मुख्य मन्त्री जी या मन्त्री के लिए बता रहे हैं जैसे कि माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगी कि इस प्रकार की शिकायत विभाग में नहीं है। एक महिला कान्ता कुमारी चौहान की शिकायत थी। तीन अन्य थीं, जिनमें निर्मलाकुमारी, पार्वती कुमारी और विमला कुमारी, इनकी शिकायत प्राप्त हुई। इस पर एक अन्य अधिकारी को, जो कि विभाग के अधिकारी नहीं थे, जांच के लिए भेजा गया। उस समय एक भी लड़की गवाही में नहीं आई। 18 लड़कियां शिकायतकर्ता थीं जिनमें से एक भी नहीं आई। एक ने भी उत्तर नहीं दिया। बाकी कान्ताकुमारी के लिए, उस अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश की गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसको कोई कलर देना चाहें तो अलग बात है। मैं आपके सामने यह कागज पढ़ता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप पढ़िये धीरे धीरे। आपका तो गला भी बैठा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह आंगनवाड़ी स्कीम है, जैसा कि लादूराम जी ने कहा है। वह आदिवासी क्षेत्र है। वहां जो सुपरवाइजर हैं, समाज कल्याण में....

(व्यवधान)

एक आदमी आप वहां बता दें जो यू.डी. सी. हो। ऐसे आदमी को हटा दिया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संजीदा मामला है। इस हाउस की महिला सदस्यों की एक कमेटी बना दें।

मेजर श्री फतहसिंह : यह कान्ताकुमारी चौहान का पत्र है, जैसा कि मन्त्री महोदया ने उत्तर दिया है, यह प्रार्थना पत्र कैलाश मेघवाल को एड्रेस किया गया है जो कि उस समय मंत्री थे। उनको एड्रेस किया

(मेजर श्री फतहसिंह)

गया है। इस पर 20-11-77 के श्री कैलाश मेघवाल के हस्ताक्षर हैं। इसलिए मंत्री महोदय का यह कहना कि विभाग को प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तथ्यों से परे है। मंत्री महोदय को प्राप्त हो जाने का मतलब विभाग को प्राप्त हो जाने के बराबर है। इसलिए यह प्राप्त हुआ है। इस कारण किसी दबाव की बात कहें, यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं, जैसा कि माननीय रामनारायण चौधरी ने कहा है, यह केस रजिस्टर होना चाहिए फिर इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : यह लड़कियों का प्रार्थना पत्र है।

मेजर श्री फतहसिंह : यह विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है। इसलिए विभाग के अधिकारी तो संरक्षण देंगे ही। इसका केस रजिस्टर करायें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जवाब आना चाहिए। नहीं तो हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इसकी जांच बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री जीथिंग।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : पहले उनको भी सुन लीजिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : इसकी जांच कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

मेजर श्री फतहसिंह : यह प्रार्थना पत्र है, जो कि सदन की मेज पर रखना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 लड़कियों का प्रार्थना पत्र एक माननीय विधायक रखें तो मैं समझता हूं जैसा कि माननीय रामनारायणजी का सुझाव है, जो केस बनता है वह पुलिस में रजिस्टर होगा। वह केस बनेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जो डिप्टी डायरेक्टर वहां बार-बार दौरा करता था, वह किस कारण करता था ?

श्री अध्यक्ष : श्री पदमसिंह।

श्री पदमसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में भी आंगनवाड़ी खुली हुई है। यहां पर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल जुड़ा हुआ है। वहां पर 100 बाइयां हैं जिनसे वह आंगनबाड़ी सम्भाली जाती है। जिनके साथ में छेड़खानी हुई है, वह केवल आदिवासी ही नहीं हैं हर जाति की लड़कियां हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई और उन बाइयों के साथ में छेड़खानी की स्थिति रही तो यह स्कीम फेल हो सकती है। मैं इसकी जांच के लिए मना नहीं करता हूं। जांच होनी चाहिए। अगर यह स्कीम एक जगह फेल हुई तो अनेक जगह फेल हो सकती है। लेकिन यह भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि

(श्री रामकरणसिंह)

केवल आदिवासी लड़कियां ही हैं। यह नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई भी हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्सट क्वेश्चन। श्री माणक लाल ठाकोर।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल के बाद यह मामला प्रश्न के रूप में उठाया गया है। इससे पहले सरकार उदासीन थी। सरकार में बैठे हुए उन अधिकारियों को रंगरेलियां करने दी है। सरकारी अधिकारी इस प्रकार से रंगरेलियां करते हैं। दो सालों तक इसकी जांच नहीं हुई। अगर यह ध्यान में नहीं लाते तो बुरी हालत होती। तो मैं चाहूंगा, माननीय महारावल साहब, आपके पास अगर यह शिकायत जाती तो आप क्या आदेश देते? उसी प्रकार का आदेश आप इस बारे में दें।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत नाजुक मसला है और अभी समाचार पत्रों में बिहार में भी नर्सेज वगैरह का इन्सीडेंट देखते हुए ..

श्री मूलचन्द डागा : यू० पी० में हुआ है।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मन्त्री) : यू० पी० का कांट्रेडिक्शन आ गया।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है, उस पर अपने विश्वास करें कोई न कोई व्यवस्था होगी। लीपापोती नहीं होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : इन्क्वायरी कब तक कर देंगे? There should be some time limit.

श्री अध्यक्ष : मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अगर दो, तीन, चार माह में कुछ नहीं होगा तो माननीय सदस्यों को मौका दूंगा आधे घंटे की चर्चा उठाने के लिये।

श्री मूलचन्द डागा : दो चार माह में?

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत और मैं क्या कर सकता हूं?

श्री मूलचन्द डागा : दो तीन दिन में होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री महोदय इसके बारे में इसी सत्र में सदन को अवगत करायें।

एक माननीय सदस्य : सदन के अन्दर आपने विश्वास दिलाया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मसलों पर आधे घण्टे की चर्चा का अवसर दिया जायेगा, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकारी पक्ष यह चाहता है कि आप आधे घण्टे की चर्चा नहीं लें।

श्री अध्यक्ष : उस बात को आप फिर उठायें। यह आपके पास अस्त्र है सरकार से व्यवस्था कराने का।

आधे घण्टे की चर्चा के लिये मैं विश्वास

(श्री अध्यक्ष)

प्रकट करता हूं कि यदि सरकार ने कोई इस सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं की तो मैं आपको समय दूंगा।

नेक्स्ट। श्री माणकलाल ठाकोर।

जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव

390. **श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव कब तक कराए जा रहे हैं ?

(2) क्या पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के ढांचों में तथा इनकी चुनाव पद्धति में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

पंचायत मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा ही प्रश्न कुछ दिन पहले आ चुका है और मुख्य मन्त्री जी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। यह सारा मामला अभी एन. डी. सी. की मीटिंग में भी आने वाला है जहां चीफ मिनिस्टर्स मिलेंगे और सारे देश में एक ही प्रकार का पैटर्न हो, इस पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर : जो उत्तर माननीय पंचायत मंत्री ने दिया है, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय पंचायत मंत्री पंचायत मंत्री न होकर विचाराधीन मंत्री हैं। मैं यह प्रश्न करता हूं कि यह जो विषय है, यह लोकतंत्र को बचाने से सम्बन्धित है, लोकतन्त्र की रक्षा से सम्बन्धित है, विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित है। इसको इस तरह से टालना नहीं चाहिये। कम से कम मन्त्री महोदय यह तो बताने का कष्ट करें कि यह सरकार कब तक इस पर विचार कर लेगी और कब तक निर्णय ले लेगी ? आज तक विचाराधीन रहा है, तो इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है ? अगर आप निश्चित रूप से कोई तारीख नहीं बता सकते, तो कम से कम इतना तो बता दें कि कब तक इन चुनावों के हो जाने की सम्भावना है ? दो-तीन साल में या इस वर्षा ऋतु से पहले करा लेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जनता में यह धारणा बनती जा रही है कि जो कांग्रेस सरकार की टालमटोल की नीति थी इन संस्थाओं के चुनावों के बारे में, वही की वही नीति जनता सरकार भी अपनाने जा रही है क्या ? अगर इस धारणा को आप निर्मूल साबित करना चाहते हैं, तो आप स्पष्ट बता दें कि कब तक यह चुनाव करा लेंगे, दो महीने में, चार महीने में अथवा छः महीने में....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय

(श्री कौशलकिशोर जैन)

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या यह बात सत्य है कि पिछले सत्र के अन्दर पंचायत राज मंत्री ने घोषणा की थी कि दिसम्बर, 1978 तक पंचायतों के चुनाव करा लिये जायेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : पंचायतों के तो हो गये ।

श्री कौशल किशोर जैन : पंचायत समितियों और जिला परिषदों के ?

श्री हजारीलाल सारण (सरदार शहर): पंचायत राज संस्थाओं में एक लम्बे समय से चुनाव नहीं हुए हैं । तो क्या मन्त्री मंडल ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार रखता है जिससे जन प्रतिनिधि इनमें शामिल हो सकें ?

श्री माणक लाल ठाकोर : पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव सरकार बारह वर्ष तक विचाराधीन रखते हुए टालती रही है, हमेशा यही कहा गया कि सरकार के विचाराधीन हैं। क्या जनता सरकार भी ठीक उसी प्रकार की नीति चलायेगी ? हमेशा विचाराधीन ही रहेगा ? सरकार यह स्पष्ट घोषणा करें कि यह कब तक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करा लेंगे ?

श्री बालकृष्ण थानवी (**फलोदी**) : पंचायत राज मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानों व जिला प्रमुखों के चुनाव विचाराधीन हैं । मंत्रिमंडल की इतनी बैठकें होती रहती हैं, और उक्त प्रश्न अब तक यह कई बार विचाराधीन हो चुका होगा । और इसके बाद कितनी ही बैठकें मंत्रिमंडल की और हुई होंगी । ऐसी सूरत में यह प्रश्न अब कब तक विचाराधीन रखा जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं भी एक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ।

क्या सरकार इस मसले को विचाराधीन रखने का निर्णय ले रही है, वह अदूरदर्शी नहीं हैं ? क्या इस तरह पंचायतों के चुनाव अधूरे नहीं हैं ? क्या जनता जनार्दन के दिल और दिमाग में यह बात धीरे-धीरे घर नहीं कर रही है कि पंचायतों के चुनाव अधूरे रहने के कारण, भूतपूर्व शासन ने जो पंचायतों के सम्बन्ध में व्यवस्था की थी, उसी आदर्श को यह सरकार भी कुछ हद तक अपनाने जा रही है ? अगर इन बातों में कुछ तथ्य है, तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि कम से कम इस साल की आखिर तक यूनिफार्म बेसेज पर, या जो कुछ भी आपकी धारणा हो, इन पंचायतों के चुनाव करा दिये जायें ? सरकार क्या यह अनुभव नहीं करती कि यह अधूरी व्यवस्था, पोंगू व्यवस्था, त्रिशंकु व्यवस्था, लालफीताशाही के हाथों में खेलने की व्यवस्था से सरकार की छवि धूमिल हो रही है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फर्माया और माननीय सदस्यों ने भी जो भावनाएं व्यक्त कीं, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जनतन्त्र प्रणाली में जो पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे, वह जनता पार्टी ने ही करवाये हैं। जनता सरकार जनतन्त्र को स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील है ।

(श्री दिग्विजय सिंह)

जहां तक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव का सवाल है, इस संबंध में सदन में भी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हुआ है। सेमीनार भी हुए हैं इस विषय पर। प्रधान मन्त्री यह चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर एक ही तरीका अपनाया जाये तो उचित रहेगा। इस सम्बन्ध में एन. डी. सी. की मीटिंग होने वाली है, वहां पर सारे देश के लिये एक पैटर्न बनाने के बारे में विचार किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हम अभी कोई घोषणा कर दें, और नेशनल लेवल पर कोई दूसरा निर्णय लिया जाये, तो हमारी घोषणा ठीक नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि एन. डी. सी. की मीटिंग होने के बाद जो भी पैटर्न डिसाइड होता है उसके अनुसार चुनाव कराये जायेंगे।

(व्यवधान)

हमने पंचायतों के चुनाव कराये हैं और उसमें आपकी जीत नहीं हुई उसका हम क्या करें ?

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सस्ती पब्लिसिटी।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका पंचायतों में सफाया हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नवरंगसिंह।

मन्त्रियों के राजस्थान के बाहर के दौरे

391. **श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) जनता सरकार के गठन के बाद राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों (मुख्य मंन्त्री सहित) ने कितने दौरे अब तक राज्य में व राज्य से बाहर किए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त दौरों में कितना यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता विभिन्न मन्त्रियों द्वारा उठाया गया है ? मन्त्री-वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। किन कारणों से दौरे किये गये उनका भी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर मन्त्री बाहर दौरे पर रहते हैं, मुख्य मन्त्रीजी दिल्ली रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे याद है, इसको पहले भी पूछा था, लेकिन फिर आपने इस बात को दोहराया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान्, मैं

रूल 43 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। विथड्राअल और पोस्टपोनमेन्ट कब होता है ?

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि पंचायत मन्त्री ने किन-किन स्थानों का दौरा किया, कहां-कहां पर उनको नोटों की मालाएं पहनाई गईं और उस पैसे को किस खाते में जमा कराया गया ? क्या उस पैसे को निजी खाते में जमा कराया गया ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : रूल 43 यह है कि "A Member may, by notice given at any time before the sitting for which his question has been placed on the list, withdraw his question or postpone it to a later day to be specified in the notice and on such later day the question shall, subject to the provisions of rule 34 be placed on the list after all questions which have not been so postponed :"

मैं प्रश्न करने वाला हूं। आप प्रश्न के पोस्टपोनमेन्ट के लिए दरख्वास्त नहीं कर सकते। इस पर मन्त्री महोदय का जवाब तैयार होना चाहिए। रूल 43 में यह है कि मैं सदन में उपस्थित नहीं रह सकूंगा तो पोस्टपोनमेन्ट के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने कृपा करके इस प्रश्न को सूची में ले लिया। यह प्रश्न 25 दिन पहले मैंने दिया है सरकार के पास सारे आंकड़े होते हैं और रिकार्ड होता है फिर इसका जवाब नहीं देने का कारण क्या है ? अध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री महोदय से 4 5 दिनों के अन्दर ही या इस महीने के अन्त तक जवाब दिलाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसके लिए अभी व्यवस्था देना पसन्द नहीं करता।

You can press, You can agitate. You can call for an answer.

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यह सही है कि इसका जवाब नहीं आने........

(व्यवधान)

जितना जवाब आपके पास है वह तो रखिये।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय सदस्य, चेअर की तरफ से कोई बात कही जा रही है, वह हमारे कानों में नहीं पड़ी।

May I request you, Sir, to repeat that again ?

श्री अध्यक्ष : In the circumstances the whole episode has been raised I don't want to call the Minister to answer the question if he does not want to answer. I can't

compel him. It is matter of discretion of the Minister and the Government.

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, हमको यह आपत्ति है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ट्रेजरी बैंचेज से पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि जवाब नहीं दे रहे हैं इससे सदन को यह शंका होती है कि दौरों के सम्बन्ध में अनियमितताएँ हुई हैं, घोटाले हुए हैं और भ्रष्टाचार हुए हैं । इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, अनगिनत यात्राएँ की हैं जिनका लेखा-जोखा रखना मुश्किल हो गया है सचिवालय के लिए ।

श्री मूलचन्द डागा : 26 फरवरी को मैंने प्रश्न दिया है और आज 20 मार्च है । 15 दिन में जवाब आ जाना चाहिए ।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : जिन-जिन मन्त्रियों ने जिन-जिन जिलों में यात्राएँ की हैं क्या वहाँ के विधायकों को सूचना देकर दौरा किया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मनोहरसिंहजी मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि हर महीने जितने मन्त्री दौरे पर गए, उनका टेलीफोन पर खर्चा होता है, उसका रिकार्ड क्यों नहीं रखते हैं ? पूरा हिसाब अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए रखना जरूरी है । इसका हिसाब प्रस्तुत किया जाय । बार-बार स्थगित कराने से शंका उत्पन्न होती है । आप लोगों का चरित्र तो शंकाओं से परे होना चाहिए ।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : पहले ईश्वरचन्द्रजी ने भी पूछा था, उस समय भी स्थगित कर दिया ।

श्री एच. एन. शर्मा : मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे मन्त्री स्थगित मन्त्री हैं ।

मेजर श्री फतहसिंह : एक ही समय एक दिन में कितने मन्त्री दौरे पर जयपुर से बाहर रह सकते हैं ? क्या सेन्ट पर्सेन्ट मन्त्री रह सकते हैं ? कितने मन्त्री एक साथ दौरे पर रह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे एक महीने का प्रोग्राम बनाकर अखबारों में छपाया किया जाय ताकि बाहर से, दूर दूर से जो लोग आते हैं वे गोता नहीं खायें और उनको चक्कर नहीं पड़े ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन मन्त्रियों ने दौरे किए और उनको नोटों की मालाएँ पहनाई गईं, या थैली जो उनको भेंट की गई, उस धनराशि को सरकारी खजाने में जमा किया गया या नहीं ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया ?

श्री एच. एन. शर्मा : यह वर्मा जी, निवेदन नहीं आदेश है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह आदेश ही समझ लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा....

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि साधारणतया यह माननीय सदस्य एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ न कुछ तो आपके पास विवरण और आंकड़े होंगे। तो जो भी है, सुना दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्नकर्त्ता तो हम हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा। मैं 5 मिनट में स्थगित प्रश्न पूछूंगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में यातायात मंत्री श्री हरिसिंह जी ने दौरा किया और लगभग 25 हजार रुपयों की माला उन्हें प्राप्त हुई। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्राइवेट बस आपरेटर्स ने माला डाली और इससे प्राप्त धनराशि किस खाते में जमा हुई ?

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अनुरूप क्योंकि पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी, यह प्रश्न सदन में आने के बाद सारे सदन का विषय हो जाता है और मैं यह चाहता था कि ऐसा जवाब पूरी तरह से तैयार करके दिया जाये जिससे किसी तरह की कोई शंका नहीं उठे। मेरे पास अधूरी सामग्री है। मैं चाहता हूं कि पूरी सामग्री हो तभी सदन को दी जाये लेकिन आप चाहते हैं तो सदन को बता देना चाहता हूं। मंत्री वाइज पढ़ देना चाहता हूं :

श्री भैरोंसिंह, 1-4-78 से 3-4-78, दिल्ली, दो दिन, सरकारी कार्य हेतु....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जानकारी सारी अपूर्ण है....

श्री मूलचन्द डागा : एक-एक मंत्री कितने दिन रहा, यह बता दें।

(14)

श्री एच० एन० शर्मा : मंत्री महोदय, आप अपनी ही जानकारी दे दें।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल पूरी जानकारी करके जवाब दिला दें।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर ! क्या सदन में कोई मंत्री अधूरा जवाब दे सकता है ?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरी अपनी जानकारी है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदनसिंह दांता : सदन में अधूरा जवाब नहीं दे सकते।

श्री कैलाश मेघवाल : दे रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय। अधूरी जानकारी से सदन सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर चर्चा का कोई पार ही नहीं बैठता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रश्नकर्त्ता के जो भी तीन प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखित रूप से भिजवा दें।

स्थगित प्रश्न.

(व्यवधान)

एक ही निवेदन है आप मुझे सहयोग दें स्थगित प्रश्न पर जाने में।

श्री मूलचन्द डागा : 30 तारीख को जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : I will take personal interest and see to it that the required information is reached to you.

जो ट्रेजरी बैन्चेज के पास इनफार्मेशन है वह तो है। आप चाहें, अप-टू-डेट इनफार्मेशन मिले, ऐसे प्रश्न पर अप-टू-डेट इनफार्मेशन एक हफ्ते में नहीं मिल सकती।

श्री मूलचन्द डागा : एक महीना हो गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार को कंम्पेल नहीं कर सकता। जो भी सरकार के पास जानकारी है और देना उचित समझती है, देगी।

श्री बजरंग लाल शर्मा।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 30 में यह लिखा है कि 15 दिन का समय है....

(व्यवधान)

नियम 30 में लिखा है कि 15 दिन के अन्दर जवाब देंगे। 15 दिन के बजाय एक महीने का समय दिया गया और एक महीने के बाद भी उन्होंने जवाब अधूरा दिया। आपने 7 दिन का समय और दिया, मैं

(श्री मूलचन्द डागा)

आपकी इस आज्ञा को मानता हूं और मैं समझता हूं कि 7 दिन में जवाब आ जायेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न एक ही है और वह यह है कि क्या इस सूचना को एकत्रित करने में किन्हीं क्वार्टर से कोई बाधा डाली गई जिसके कारण से यह सूचना एकत्रित नहीं हो पाई ? कृपया मंत्री महोदय बाधासूत्रों का नाम बता दें ताकि सदन इस कार्यवाही को आगे देख सके कि यहां के पूछे हुए प्रश्नों में बाधा डालने वालों के साथ कैसे व्यवहार किया जाये। सूचना एकत्रित करने में कहीं कोई बाधा आई ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न किया है उसके ऊपर मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि किसी भी तरह से किसी भी कोने से किसी तरह का कोई दबाव यह सूचना एकत्रित करने में नहीं आया है।

श्री मदनसिंह दांता : फिर क्या कारण था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। श्री हरजीराम बुरडक।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरीसिंह, यातायात मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

यातायात मंत्री (श्री हरी सिंह) : आन ए पाइन्ट आफ पर्सनल क्लेरीफिकेशन, सर। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर कि 25 हजार रुपये की माला मैं बस आपरेटर्स से पहन कर आया हूं सूरतगढ़ के दौरे के दौरान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मंत्री की हैसियत में जहां जहां भी जाते हैं और जो भी आदमी माला, फूलमाला, नोटों की माला आदि पेश करते हैं, हम वहीं उनको कह देते हैं कि जो भी व्यवस्था करें, कर लीजिए। क्योंकि न तो हम कहते हैं उसे क्या करना है और न हम किसी आदमी के पास इसलिए जाते हैं। वह फूलमाला पेश करता है तो हम कैसे मना करें और नोटों की माला पहनाते हैं तो कैसे मना करें लेकिन लेते नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : What about chapples ?

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य साबित कर दें कि मैं और कालवी साहब आलूदा गये और हमें माला पहनाई वह हमने नहीं दी। मैं डूंगरगढ़ गया। गांवों में पेयजल की समस्या के लिये गया था। तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, माला पहनाई। हमने वापस वहीं दे दिया और कहा कि इसको गांव के यूज के लिए ही रख लें। तो मैं माननीय सदस्य को चैलेन्ज देता हूं कि वह साबित कर दें कि मैंने उस पैसे में से एक भी पैसा पर्सनल यूज में लिया हो

(श्री हरिसिंह)

तो। मुझे तो यह भी मालूम नहीं, कितना पैसा था किस जगह।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न....

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अब्दुल अजीज : यह घटक के रगड़े हैं और कुछ नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आर० एस० एस० और बी० एल० डी० के झगड़े हैं। इसका इस हाउस से कोई लेना देना नहीं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातों में सदन का समय नहीं गंवायें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री सुभाषचन्द आर्य (सूरजगढ़) : जनता पार्टी की तरफ आये........

(व्यवधान)

माननीय मंत्री रहे हैं। आपने 30 साल राज किया है। 30 साल का दोष....

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मैं पूछना चाहूंगा, यह माला............ ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

× × ×

स्थगित प्रश्न।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस सदन के अन्दर रोज जवाबी इल्जाम लगाये जाते हैं। कोई भी सदस्य इल्जाम लगाना चाहता है तो बाकायदा लिख कर दे। यह प्रोसीजर है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। आप व्यर्थ की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

माननीय श्री श्योपतसिंह, स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कोई माननीय सदस्य आसन की अवहेलना करके कृपया खड़े न हों। श्री श्योपतसिंह, आपस में कृपया बात न करें।

स्थगित प्रश्न। श्री हरजीराम बुरडक।

स्थगित प्रश्न।

(दिनांक 28–2–79)

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य के कर्मचारी, अधिकारियों को गृह जिलों में नहीं लगाये जाने का निर्णय

39. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कोई ऐसा निर्णय ले रखा है कि कुछ श्रेणी के राज्य कर्मचारी व अधिकारी अपने गृह जिलों में नहीं लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो किस किस विभाग के कौन कौन अधिकारी व कर्मचारी अपने गृह जिले में नहीं लगाये जायेंगे ? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने उक्त निर्णय किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कब कब लिए और उक्त उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हुई है ?

(3) भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

सहकारिता मन्त्री : (श्री कैलाश मेघवाल) (1) जी हां, विभागवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह निर्णय इस उद्देश्य से लिये थे कि फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी, जिनका जनता से भी सम्पर्क पड़ता रहता है, बिना अपने परिचितों एवं सम्बन्धियों आदि के अनुचित प्रभाव में आये निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। कतिपय श्रेणी के अधिकारियों को उनके गृह जिले में न पदस्थापना किये जाने का निर्णय सबसे पहले 25 जून 1958 को लिया गया था। बाद में समय समय पर अर्थात् दिनांक 22-8-61, 31-5-65, 21-5-76 को यह निर्णय कुछ अन्य श्रेणियों के अधिकारियों पर भी लागू किया गया। जिस उद्देश्य से यह निर्णय लागू किया गया उसकी काफी सीमा तक पूर्ति हुई है।

(3) स्थानान्तरण की नीति के विषय पर सुझाव देने के लिये राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो आदेश दिये हैं, उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देखने के लिये क्या व्यवस्था कर रखी है ? अभी आपने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उस समिति में कौन कौन से मसले विचाराधीन हैं ; कब तक रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या यह सही है कि पटवारियों को गृह तहसीलों में लगाने के आदेश दिये हैं और उसके फलस्वरूप राजस्व विभाग खत्म में पड़ा हुआ है और काश्तकारों का दमन हो रहा है। वहां पर लोकल पटवारी हैं.......

श्री रघुनन्दन व्यास : गृह जिले में ही नहीं, गृह ग्राम में लगा कर भ्रष्टाचार को पनपाया गया है।

श्री अब्दुल अजीज : पटवारियों को,

(श्री अब्दुल अज़ीज़)

एल. डी. सीज. को, छोटे कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके स्थानान्तरण अपने जिले से बाहर किस नियम से किये गये हैं ? मैं आपको सूची बताऊं, कितने ही लोगों का जिले से बाहर ट्रांसफर किया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय विधायक ने जो पूरक प्रश्न किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, सारे स्थानान्तरणों की नीति तय करने, राज्य अधिकारी कौन कहां पर काम करे, इस सब का उद्देश्य होता है कि प्रशासन में क्षमता बनी रहे। ऐसा उद्देश्य पूरा हुआ या नही, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि राज्य सरकार यह मानती है कि उद्देश्यों की पूर्ति काफी सीमा तक हुई है।

जो माननीय श्री ईश्वरचन्द्र जी ने कहा है उस बारे में सच है कि कर्मचारियों को असुविधा न हो, उन्हें अपने निवास स्थान के पास रहने से उनके परिवार को, सम्बन्धियों को राहत मिले, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने निर्णय लिया था लेकिन कुछ शिकायतें आईं कि उसकी वजह से प्रशासनिक जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी राजस्व मंत्री महोदय ने भी इस पर पुनर्विचार........

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : अभी नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह हाउस है, घर की चौपाल नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं, मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की प्रतिष्ठा के लिए आप मंत्रियों को ताड़ना दें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आपके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट चल रही है........

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : राजस्व मन्त्रीजी का नाम लेकर सदन को गुमराह कर रहे थे।

राजस्व मन्त्री ने नाड़ हिला दी....

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपकी मार्फत मंत्रि महोदय से पूछना चाहूंगा, यह मंत्रिमण्डल संगतरों का बण्डल है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न की कुंजी है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कोई ऐसा निर्णय ले रखा है कि कुछ श्रेणी के राज्य कर्मचारी व अधिकारी अपने गृह जिलों में नहीं लगाये जायेंगे ? यह सरकार के विचार करने का प्रश्न है। ऐसा निर्णय नहीं ले रखा है।

श्री कैलाश मेघवाल : ले रखा है। राज्य सरकार का आदेश है।

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व सरकार का ?

श्री कैलाश मेघवाल : भूतपूर्व सरकार का आदेश है। मैंने सदन के सामने रख दिया है। उस आदेश का सर्कुलर है Appointment and posting of Govt. Servents in the home districts. Appointment Deptt. का आर्डर है 25 जून 1959 का।

यह राजकीय आदेश अपाइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट से 25-6-58 को निकला। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। वर्तमान राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। वह इस बारे में प्रतिवेदन देगी। उस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं या स्थानान्तरण करते हैं वे सक्रिय होकर कार्य करते हैं या निष्क्रिय होकर कार्य करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र: अध्यक्ष महोदय, यह जो पटवारियों का सवाल उठाया है। पटवार संघ के दबाव में सरकार उन पटवारियों को गृह तहसील में लगाने को मजबूर हो रही है और उधर काश्तकार पर दमन और अत्याचार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा: और इस तरह की कार्यवाही से वहां के काश्तकारों का दमन किया है....

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र: कोई काम वे नहीं कर रहे हैं। सारी मशीनरी पैरेलाइज हो रही है।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा: सारे के सारे काश्तकार परेशान हो रहे हैं इसलिए राजस्व मंत्री जी को स्पष्टीकरण करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगित प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर में उन किसानों के बच्चों ने क्या कसूर किया है कि उनको जिले से दूर लगाया गया है ? ऐसा भेदभाव क्यों है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : क्या माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी यह जानते नहीं हैं कि ऊपर सरकार और नीचे पटवार। ये दोनों ही किसी को जमीन

(श्री गोपालसिंह)

में गाड़ सकते हैं और चाहें तो आसमान में ले जा सकते हैं। क्या राजस्व मंत्री जी यह उचित समझेंगे कि उनको गांव में ही रहने दिया जाय। आपने यह कहा भी है कि पटवारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में जाय, इस पर विचार करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगित प्रश्न है, उत्तर दिलवाया जाय।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोतम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मैं जवाब दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारियों के बारे में, उसकी इन्स्टीट्यूशन के बारे में, गृह तहसील के बारे में माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि पहले यह निर्णय लिया गया था कि गृह तहसील में रखा जाए किन्तु बाद में इस निर्णय में यह संशोधन किया गया कि जहां तक मुमकिन हो गृह तहसील में रखा जाय। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गंगानगर के लोगों को दूसरी जगह रखा जाता है....

श्री पुरुषोतम मंत्री : बोलने तो दीजिए, श्रीमन्, मेरी बात तो सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकारी उत्तर पूरा होने के पहले ही पांच–पांच आदमी एक साथ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या हम सरकारी उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं? फिर यह प्रश्नकाल क्यों है? मंत्री महोदय को सुनने की क्षमता और कृपा करें।

श्री लाल चन्द (भादरा) : मंत्री महोदय का मामला कुछ ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, उसे सुनने से फायदा नहीं है। न तो वे किसी बात को जानते हैं और न समझते हैं।

श्री पुरुषोतम मंत्री : पहले सुन तो लीजिये।

श्री खेत सिंह राठौड़ : बोलिये रेवेन्यू मिनिस्टर साहब।

श्री पुरुषोतम मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उसमें संशोधन किया गया कि जहां तक मुमकिन हो, इनको गृह तहसील में रखा जाय। फिर पटवारियों की संख्या बढ़ गई। 1500 पटवारी भर्ती किये गये और दो हजार आइन्दा भर्ती किये जायेंगे, क्योंकि पटवारी कहते थे कि हमारे हल्के ज्यादा बड़े हैं और खातों की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब जितने पटवारी भर्ती होते हैं, उस जिले में पटवारियों को देखते हुए, जो संख्या मुकर्रर हुई है उसको देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि गृह तहसील में लगाया जाय या उसी जिले में रखा जाय। यह सम्भव नहीं है इसलिये यह सही है कि ऐसे आदेश हैं कि अपनी गृह तहसीलमें रखा जाय लेकिन ज्यों ज्यों संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

हुये गृह तहसील में रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(व्यवधान)

श्री ग्रचलाराम (देसूरी) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, गृह तहसील से पटवारियों को निकालने का जो निर्णय लिया जा रहा है, यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा (बेगू) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे ग्रासन सन्तुष्ट है क्या ? ग्रगर ग्रासन सन्तुष्ट हो जाय तो हम भी सन्तुष्ट हैं। ग्रगर ग्रासन को सन्तुष्टि नहीं हुई है तो हमें भी सन्तुष्टि नहीं हुई है।

श्री ग्रध्यक्ष : मेरा तो यह ग्रनुरोध है कि प्रश्न काल समाप्त हुग्रा।

श्री हीरा लाल ग्रार्य : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगित प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : प्रश्नकर्त्ता की बात ग्रौर मन्त्री महोदय की बात एक ही है, फिर यह क्या हो रहा है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

ग्रनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति दांतारामगढ़ के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

388. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता-रामगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि काम के बदले ग्रनाज की योजना में पं० स० दांतारामगढ़ क्षेत्र से कई सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई ? ग्रगर हां, तो किन किन की ग्रौर उन पर क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। काम के बदले ग्रनाज योजना के ग्रन्तर्गत पंचायत समिति दांतारामगढ़ क्षेत्र के सरपंच, ग्राम पंचायत, मेई, डूकिया, रेवासा, मारीजा, खण्डेलसर एवं रलावता के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से सरपंच, ग्राम पंचायत डूकिया की शिकायत का निराकरण हो चुका है जिसके लिए शिकायत कर्त्ता भी लिख कर दे चुके हैं। बाकी प्राप्त शिकायतों पर उप जिलाधीश, सीकर द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्यवाही की जावेगी।

ग्रतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की कृषि उपज मण्डियां

399. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़) :

(श्री करतारसिंह).

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्तमान में राज्य में कुल कितनी मण्डी समितियां है ? कृपया मण्डी समितियों की सूची मय गौण मण्डी यार्ड के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) वर्तमान में उपरोक्त मण्डी समितियों में से कितनी मण्डी समितियों में प्रशासक हैं तथा कितनी मण्डी समितियों में चुने हुए अध्यक्ष हैं ? कृपया उपरोक्त मण्डी समितियों के सचिवों, प्रशासकों एवं अध्यक्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान में कुल 111 कृषि उपज मण्डी समितियां हैं। मंडी समिति तथा गौण मण्डियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में केवल दो मनोनीत मंडी समितियों में चुने हुए अध्यक्ष हैं तथा शेष 109 मंडी समितियों में प्रशासक हैं। इन मंडी समितियों के अध्यक्ष, प्रशासक तथा सचिवों की सूची प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम रावतभाटा में कृषि उपज मण्डी

400. **श्री एच० एन०, शर्मा (बेगूं)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रावतभाटा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में अलग से कृषि उपज मंडी बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ?

(2) इस कृषि उपज मंडी के मनोनीत सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इनके नामों की घोषणा राज-पत्र में किन कारणों से नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि उपज मंडी समिति के मनोनीत सदस्यों के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही निर्णय हो जायेगा इनका प्रकाशन राजपत्र में कर दिया जावेगा।

कृषि उपज मण्डी भीनमाल का निर्माण कार्य

401. **श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी, भीनमाल के निर्माण कार्य पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और कुल योजना कितने धनराशि की है ?

(2) क्या कृषि मंडी की मूल प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे :—बिजली, पानी, सीवर लाइन आदि का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या बिजली, पानी एवं सीवर लाइन के पूर्ण किये बगैर मंडी कार्य प्रारम्भ हो सकता

(श्री सूरजपालसिंह)

है और अब तक व्यय की गई राशि का क्या प्रयोजन होगा ?

(3) पिछले छः माह में कृषि उपज मंडी के निर्माण कार्य पर कितना व्यय किया गया ? मंडी के कार्य की प्रगति क्या संतोषप्रद है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(2) कृषि उपज मंडी समिति, भीनमाल के निर्माण कार्य पर माह फरवरी, 79 तक कुल 17.65 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। कुल योजना 3?.21 लाख रुपयों की स्वीकृत है।

(1) जी हां। यह कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। इसका कारण यह है कि बिजली के कार्य विद्युत मंडल के माध्यम से कराये जाने हैं एवं पानी व सीवर लाइन आदि का कार्य जल प्रदाय विभाग द्वारा किया जायेगा। इन दोनों विभागों को बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता, जोधपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। इन विभागों द्वारा इन कार्यों पर खर्चे सम्बन्धी अनुमान उपलब्ध कराये जाने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। मंडी प्रांगण में निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। अब तक व्यय की गई राशि से योजना के कुछ कार्य सम्पन्न हो चुके हैं और कार्य निर्माणाधीन हैं।

(3) पिछले छः माह में मंडी समिति ने निर्माण कार्य पर कुल 4 लाख रुपये खर्च किये हैं। परिस्थितियों को देखते हुए कार्य की प्रगति सन्तोषप्रद है।

विजय नगर से मसूदा तक की सड़क का कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण

402. **श्री नूरा (मसूदा)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विजयनगर जिला अजमेर से लोहारडी होते हुए मसूदा तक की सड़क अभी भी कच्ची पड़ी हुई है ? यदि हां, तो कच्ची सड़क की लम्बाई कितने किलोमीटर है ?

(2) क्या यह सही है कि आवागमन की दृष्टि से यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और जनता की ओर से इसे पक्की बनाने की बहुत प्रबल मांग है ?

(3) क्या राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इस सड़क का निर्माण करने के कार्य को इस वर्ष के अपने योजना कार्यक्रम में शामिल किया है ? यदि हां, तो क्या इस कार्य का अनुमान बना कर ठेका दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हाँ, यह सही है कि सड़क कच्ची बनी हुई है। कच्ची सड़क की लम्बाई 22 (बाईस) किलोमीटर है।

(2) जी हां, इस सड़क को पक्का बनाने हेतु स्थानीय जनता की मांग है।

(3) जी नहीं। यह सड़क मास्टर प्लान की दूसरी वरीयता सूची में होने के कारण इस वर्ष स्वीकृत नहीं की जा सकी है। मंडी समिति की आर्थिक स्थिति को

(24)

(कृषि मन्त्री)

देखते हुए अभी प्रथम वरीयता वाली सड़क भी इस वर्ष स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

खींवपुरा तिबारा में दुग्ध संग्रह केन्द्र

403. **श्री नूरा (मसूदा)** : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से मसूदा आते हुए नवें मील पर खींवपुरा तिबारा पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में आसपास पशुपालक बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, जो दूध बेचने का धंधा करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दुग्ध संग्रह केन्द्र नहीं है जहां पर यहां के पशुपालक अपना दूध सप्लाई कर सकें ?

(4) क्या सरकार खींवपुरा तिबारा पर अपना दुग्ध केन्द्र स्थापित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सर्वे नहीं हुआ है।

(3) जी हां।

(4) मिल्क रूट से 8 किलोमीटर अन्दर को यह गांव है अतः वाहन के आने जाने का खर्च अधिक पड़ जाता है। फिर भी सर्वे कराने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकेगा। सर्वे करने की व्यवस्था शीघ्र ही करवा दी जावेगी।

तहसील नादोती के पशु चिकित्सालय

404. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नादोती के अन्दर पशुचिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है तथा जो ड्रेसर तहसील हैडक्वार्टर पर बैठता है उसके पास भी पशुओं की चिकित्सा की उचित राय देने का कोई साधन नहीं ? क्या राज्य सरकार ऐसे पशुपालन क्षेत्र तहसील हैडक्वार्टर पर कोई चिकित्सालय खोलने का या ड्रेसर वाले सबसे सीनियर चिकित्सालय नादोती को क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि इस तहसील के हजारों पशु प्रति वर्ष महामारियों के कारण अकाल मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं ? क्या राज्य सरकार संपूर्ण तहसील के 84 ग्रामों के लिए एक ड्रेसर की व्यवस्था उचित समझती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं,

नादोती तहसील मुख्यालय पर पशु औषधालय है जिसका संचालन पंचायत समिति बामनवास द्वारा किया जाता है। इस औषधालय में 2 पशुधन सहायक, एक ड्रेसर, एक जलधारी एवं हरिजन के पद हैं। पंचायत समिति द्वारा संचालित औषधालयों में दवाइयों आदि की व्यवस्था पंचायत

(पशुपालन मंत्री)

समिति द्वारा की जाती थी, यह व्यवस्था उपयुक्त न होने के कारण इस वर्ष विभाग के आदेश दिनांक 17–2–79 से 2 हजार रुपये तक की दवाइयों की व्यवस्था जिला पशु पालन अधिकारी के माध्यम से कर दी है।

तहसील मुख्यालय नादोती पर पशु औषधालय कार्यरत है, अतः अन्य चिकित्सालय खोले जाने का प्रश्न हो नहीं उठता। पंचायत समितियों द्वारा संचालित औषधालयों को जब क्रमोन्नत करने पर विचार किया जावेगा, तब नादोती के संबंध में भी विचार सम्भव हो सकेगा। छठी पंचवर्षीय योजना में तो कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

इस क्षेत्र से महामारी फैलने की जब भी सूचना प्राप्त हुई है, तुरन्त निदान की व्यवस्था की गई है। इस हेतु पशु औषधालय नादोती के अलावा पशु चिकित्सालय बामनवास तथा चल पशु चिकित्सा इकाई सवाई माधोपुर भी महामारी नियन्त्रण हेतु सहयोग करते हैं। समय-समय पर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार पशु औषधालय/चिकित्सालय खोले जाने की व्यवस्था करती रहेगी।

अन्त्योदय योजना में दी गयी सहायता

405. **श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)** : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष में कितने नागरिकों को राजस्थान में पैन्शन दी गई ?

(2) इसमें स्त्री, पुरुष तथा अपंगों की संख्या कितनी थी ? अलग अलग बताने की कृपा करें।

(3) गत 30 वर्षों में कितने लोगों को पैन्शन दी जाती रही है तथा कुल राशि कितनी है ?

(4) 22 जून, 1977 के बाद कितनी पेन्शन राशि कितने लोगों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित परिवारों में से 24013 को व द्वितीय चरण में चयनित परिवारों में से 13041 इस प्रकार कुल 37054 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दिनांक 28–2–79 तक दी गई है।

(2) इसमें स्त्रियों की सं० 11564, अपंगों की सं० 2635 और शेष 23855 पुरुषों की है।

(3) राज्य के 23 जिलों के अलावा बूंदी व कोटा से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पेंशन दिनांक 28–2–79 तक 62015 व्यक्तियों को 440.60 लाख रु० दी गई है।

(4) दिनांक 22–6–77 के बाद राज्य

(26)

(मुख्य मन्त्री)

के 22 जिलों में कोटा, जयपुर, चित्तोड़गढ़ व जालौर के अतिरिक्त 35353 व्यक्तियों को 159.35 धन राशि वितरित की गई है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

झुन्झुनूं जिले में काम के बदले अनाज योजना कार्य

406. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झुंझुनू जिले में काम के बदले अनाज योजना में कुल कितने कार्य चल रहे हैं?

(2) अब तक कुल कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कितने अधूरे हैं?

(3) क्या काम के बदले अनाज योजना के बारे में अभी राज्य सरकार ने कोई नया आदेश प्रसारित किया है? यदि नहीं, तो फिर अब पंचायतों को केवल तीन कार्यों के प्रारम्भ करने तक ही कैसे सीमित कर दिया गया है?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 373 कार्य चल रहे हैं।

(2) अब तक 2,577 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 197 कार्य अधूरे हैं।

(3) जी हां।

पंचायत समिति दांता रामगढ़ में काम के बदले अनाज योजना में चल रहे कार्य

407. श्री मदनसिंह दांता(दांता रामगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पं. स. दांता-रामगढ़ (सीकर) में काम के बदले अनाज योजना का कार्य चल रहा है? अगर हां, तो किन किन पंचायतों में तथा किन ग्राम पंचायतों को कितना गेहूं का अलाटमेंट किया गया है? पूर्ण सूची मय अलाटमेंट व कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति दांता रामगढ़ के नई पंचायतों में अनुदान के रुपये दिये गये हैं? अगर हां, तो किन किन पंचायतों को कितना रुपया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीनमाल पंचायत समिति के पशुपालन विकास अधिकारी का पद

408. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

(श्री सूरजपाल सिंह)
क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल पंचायत समिति का ब्लाक, कृषि ब्लाक है ?

(2) अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि कृषि ब्लाक की पंचायत समिति में कृषि का ही विकास अधिकारी होता है ? अगर हां, तो भीनमाल पंचायत समिति में पशु पालन का विकास अधिकारी लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

ग्राम मेठून मनोहर थाना का कृषि फार्म

410. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मनोहरथाना पंचायत समिति का ग्राम मेठून का कृषि फार्म किस वर्ष में बनाया था और उस पर कितनी राशि व्यय हुई थी ?

(2) उक्त फार्म को पंचायत समिति ने कितने वर्ष अपने पास रखा और उसे कितनी हानि लाभ हुआ ? प्रत्येक वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त फार्म को अब राजस्व विभाग को दे दिया गया है ? यदि हां, तो विकास विभाग ने कब निर्णय लिया ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मनोहरथाना ग्राम मेठून में कृषि फार्म वर्ष 1967-68 में बनाया गया था और उस पर वर्ष 1977-78 तक 53, 296, 63 पैसे की राशि व्यय हुई है।

(2) उक्त फार्म को पंचायत समिति ने 10 वर्ष तक अपने पास रखा और उससे 1033)—रुपयों की कुल हानि हुई। वर्षवार ब्यौरा संलग्न है।

(3) उक्त फार्म दिनांक 21-11-77 को राजस्व विभाग को विकास विभाग के आदेश क्रमांक 951(6) ऋण वसूली/लेखा/ 14054 दिनांक 30-7-74 के द्वारा वापस लौटा दिया है (आदेश की प्रति संलग्न है)।

(ब्यौरे व आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

पंचायत समिति सराड़ा के एनीकट

411. श्री गंभीर लाल मीणा (सराड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सराड़ा में 1964 से 1977 तक कुल कितने एनीकट बनाये गये एवं प्रत्येक पर कितना धन खर्च किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गंभीर लाल मीणा)

(2) क्या राज्य सरकार उन पर किये खर्चे एवं कार्य का मूल्यांकन कराने को तैयार है ? यदि हां, तो अपराधी अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति 'सराड़ा में सन् 1964 से 1977 तक कुल 15 एनीकट बनाये गये एवं 3, 90, 444.49 रुपये खर्च किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जायेगी एवं दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम पंचायत छोटी उदेई गंगापुर सिटी के सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

412. वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत छोटी उदेई पंचायत स. गंगापुर सिटी के सरपंच ने 26 बोरी गेहूं का गबन व दुरुपयोग किया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम के लोगों ने रिपोर्ट विकास अधिकारी के पास की थी ?

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी गंगापुर द्वारा जांच रिपोर्ट 1-1-79 को एस० डी० एम० गंगापुर को दी है ?

(4) क्या यह सही है कि एस० डी० एम० गंगापुर ने मय टिप्पणी के रिपोर्ट जिलाधीश सवाई माधोपुर को दी ?

(5) क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा आज तक सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस तरह के गलत कार्य करने वाले सरपंचों को प्रोत्साहन देने वाले उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) इस मामले में शिकायत प्राप्त होने पर विस्तृत जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में शिकायत उप जिलाधीश गंगापुर को गांव के कुछ लोगों द्वारा की गई थी।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा पुनः विकास अधिकारी को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिये हैं तथा

(पंचायत मंत्री)

शिकायत सही पाये जाने पर मामला पुलिस में दर्ज कराने के निर्देश भी दिये गये हैं।

(6) अभिलेख से यह पाया जाता है कि इस मामले में अधिकारियों द्वारा गलत कार्य करने वाले सरपंच को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत देवारी द्वारा भूमि का बेचान

414. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की गिर्वा पंचायत समिति में ग्राम पंचायत देवारी द्वारा आपातकाल में देवारी दरवाजे के बाहर उदयपुर-चित्तौड़ राष्ट्रीय मार्ग के समीप भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान जिंक स्मेलटर के निकट लाखों रुपये की महत्त्वपूर्ण भूमि निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड के रूप में आवंटित की गई है? यदि हां, तो क्या इन सभी भू-खण्डों का उपयोग आवासीय योजनाओं में हो रहा है या वाणिज्य कम आवास में ?

(2) क्या उक्त महत्त्वपूर्ण भू-खण्डों का आवंटन ऐसे व्यक्तियों को किया गया है जो देवारी ग्राम के निवासी नहीं हैं ?

(3) क्या उक्त महत्त्वपूर्ण प्लाट्स का व्यापारियों, ठेकेदारों, राजकीय एवं गैर राजकीय कर्मचारियों के या इनके सम्बन्धियों के नाम से आवंटन हुआ है? यदि हुआ है, तो किनको और क्यों ?

(4) क्या उक्त महत्त्वपूर्ण भू-खण्डों को आवंटित कर सार्वजनिक भूमि का आपातकाल में दुरुपयोग कर सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य किया गया ?

(5) क्या उक्त महत्त्वपूर्ण भू-खण्डों पर निर्माण कार्य करा कर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किराये से धनोपार्जन किया जा रहा है तथा ऐसा किन-किन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जब कि उक्त भू-खण्ड उनके निजी प्रयोग हेतु आवंटित किये गये हैं। यदि ऐसा है तो क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(6) क्या आवंटन न्यायोचित ढंग से हुआ है और इस आवंटन में पंचायत के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं पटवारी के या इनके सम्बन्धियों के नाम से कोई आवंटन हुए हैं? यदि हुए हैं तो किन्हें एवं उनका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन भू-खण्डों का उपयोग आवासीय एवं व्यावसायिक रूप में हो रहा है।

(2) जिन व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं वे देवारी ग्राम में रह रहे हैं।

(3) सूचना सूची में अंकित कर दी गई है।

(4) आवंटन राज्य सरकार के प्रसारित आदेशों के अनुसार किया गया है या नहीं, इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है।

(30)

(पंचायत मन्त्री)

(5) सदन की मेज पर रखी गई सूची में ऐसे व्यक्तियों का विवरण अंकित कर दिया गया है। जहां तक आवासीय भूमि पर आवासीय भवन निर्माण कर किराये का प्रश्न है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) न्यायोचित आवंटन प्रतीत नहीं होता। अतः इस आवंटन की विस्तृत जांच कराई जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

काम के बदले अनाज योजना में अजमेर जिले को आवंटित अनाज

415. **श्री करतारसिंह (किशनगढ़)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) काम के बदले अनाज योजना राज्य में कब से लागू की गई? इसमें 31 जनवरी 1979 तक कितने मजदूर कार्यरत थे? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के विभिन्न जिलों को कितना कितना अनाज आवंटित किया जा चुका है? कृपया सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) विभिन्न जिलों को अनाज आवंटन करने का आधार क्या है? क्या अनाज मजदूरों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है या जिले को इकाई मान कर?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर जिले को मजदूरों की संख्या के अनुपात में बहुत ही कम अनाज आवंटित किया गया है जिसमें मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अजमेर जिले के कार्यरत मजदूरों को संख्या के अनुपात में शीघ्र अनाज आवंटन करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्राम पंचायतों में माह सितम्बर 1978 के अन्तिम सप्ताह में लागू की गई थी। मजदूरों की संख्या प्रतिदिन परिवर्तनशील है। माह जनवरी, 1979 में कार्यरत औसतन मजदूरों की संख्या की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए अनाज को प्रत्येक जिले में चल रहे कार्यों एवं उन पर कार्यरत मजदूरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही अनाज का आवंटन किया जाता है। जिले को इकाई मान कर नहीं। अनाज आवंटन करने से पूर्व यह भी ध्यान में रखा जाता है कि पूर्व आवंटित अनाज का कितना उपयोग किया गया है।

(4) जी नहीं। भारत सरकार से प्राप्त अनाज की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अजमेर जिले को गेहूं का आवंटन किया गया गया है एवं भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

तहसील केशवराय पाटन के अकाल ग्रस्त घोषित गांव

416. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला आयोजना समिति बून्दी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र केशवराय पाटन के 32 गांवों में अकाल घोषित करने की सिफारिश भेजी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि जिलाधीश द्वारा निर्वाचन क्षेत्र केशोराय पाटन के 32 गांवों में अभाव घोषित करने की सिफारिश जिला अकाल सहायता परामर्श-दात्री समिति की बैठक में विचार करने के उपरान्त भेजी है। अभाव स्थिति की घोषणा करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति सांचौर में काम के बदले अनाज योजना

417. **श्री रघुनाथ विवश्नोई (सांचोर)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में सब पंचायत में काम के बदले अनाज योजना के तहत अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ? अगर हां, तो कहां कहां तथा क्यों ? ऐसी पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

अब इन पंचायतों में उक्त योजना के तहत कब तक क्या क्या कार्य हाथ में लिए जावेंगे ?

(2) उक्त योजना के तहत सांचोर क्षेत्र में कहां कहां कार्य चल रहे हैं तथा वे कार्य क्या क्या हैं, एवं उनमें अब तक कितना खर्चा हो चुका है एवं कितने कार्य शेष हैं ? ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें उक्त योजना के तहत कार्य खतम हो चुके हैं, एवं वे कार्य क्या क्या थे एवं उनमे कुल कितना खर्चा हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत कुछ पंचायतों में जो कार्य किए गए हैं, उनका भुगतान करना शेष है ? अगर हां, तो ऐसी कितनी पंचायतें हैं, जहां कार्य हो चुके हैं, परन्तु मजदूरों के भुगतान शेष हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। बकाया मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में कब तक कर दिया जावेगा ? अब तक भुगतान शेष रहने के कारण क्या थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य काम के बदले अनाज योजना के तहत अभी तक हाथ में नहीं लिए गए हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस किस विभाग ने क्या क्या निर्माण कार्य कितनी कितनी लागत के उक्त योजना के तहत मंजूर करवा के कब कब क्या क्या

(श्री रघुनाथ विशनोई)

कार्य, कहां कहां शुरू करवाए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि अब निकट भविष्य में राज्य सरकार विभागों द्वारा काम के बदले अनाज योजना के तहत निर्माण कार्य पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में मंजूर करवा कर हाथ में लेने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक कितनी लागत के क्या क्या निर्माण कार्य कहां कहां पर हाथ में लिए जावेंगे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, सांचोर की निम्न पंचायतों में अभी तक काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं :—

(1) हाडेतर (2) डबाल (3) गोलासन (4) पांचला (5) नेनोल (6) बोरोल (7) घमाणा (8) पुर (9) अरणाय (10) चौरा (11) देवड़ा (12) निम्बाउ (13) मडबल (14) डाबल (15) हाडेचा (16) वावरला (17) होती गांव (18) गुडा हेमा (19) आकोली (20) परावा।

इस योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति सांचौर के समस्त सरपंचों को कार्य प्रारम्भ करने हेतु मौखिक एवं लिखित में निवेदन किया जा चुका है एवं पांच हजार रुपये तक की लागत के कार्य पंचायत स्वयं कराने के लिए सक्षम है लेकिन फिर भी उपरोक्त पंचायतों के संरपचों द्वारा कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं करने के कारण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सके।

(2) इस योजना के तहत पंचायत समिति सांचौर में वर्तमान में कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। पूर्व में जो जो कार्य शुरू किये गये वे दिनांक 28–2–1979 तक तक पूर्ण हो चुके हैं। कुल 24 ग्राम पंचायतों में 55 कार्य करवाये गये है जिसकी सूची संलग्न है। इन कार्यों पर रुपये 1,77,500) व्यय हो चुके हैं। मजदूरी का भुगतान गेहूं के रूप में 160 मैट्रिक टन का किया जा चुका है।

(3) पंचायत समिति, सांचौर को निम्नलिखित 11 पंचायतों को भुगतान करना शेष है :—

(1) जानकी (2) डूंगरी (3) खांरा (4) वोछावाड़ी (5) कोटियां (6) खेजडियाला सूंभाडी (8) सटनाऊ (9) सांकड (10) सुरावा (11) सरवग्ना।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से शीघ्र ही गेहूं उठाया जाकर भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

(4) पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य नहीं कराये जा रहे है। केवल शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत तीस तीस हजार रुपये के निम्नलिखित दो विद्यालयों के शेष रहे कमरों के निर्माण कार्य दिनांक 17-2-1979 से शुरू करवाये गये हैं :—

पंचायत मंत्री

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांचौर,

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचौर।

(5) जी नहीं। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्य कराये जाते हैं वे उन्हीं के द्वारा ही कराये जावेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

प्रदेश में सड़क निर्माण में समानता लाने हेतु विचार

418. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान की सम्पूर्ण तहसीलों में कुल मिला कर कितने किलोमीटर डामर एवं ग्रेवल सड़कें बनी हुई हैं? तहसीलवार अलग अलग विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) फलोदी तहसील क्षेत्र में 1971 से 1979 की 25 फरवरी तक कितने किलोमीटर डामर एवं ग्रेवल सड़कें कहां से कहां तक बनाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) प्रदेश की सम्पूर्ण तहसील में सड़क निमार्ण कार्य की दृष्टि से समानता लाने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(4) नूतन सड़क योजना बनाने से पूर्व भविष्य में क्या राज्य सरकार सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक से उस क्षेत्र की सड़कों बावत सलाह मशिवरा करके उसे मूर्त रूप देने की बात सोच रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की पांच तहसीलों में अभी तक जो डामर हुआ, ग्रेवल की सड़कें बनी हुई हैं उनका विवरण सूची क में संलग्न है।

(2) फलोदी तहसील में सन् 1971 से 25 फरवरी 1979 तक 141.2 कि०मी० डामर की सड़कें तथा 354 कि०मी० ग्रेवल की सड़के बनी हैं इसका विवरण तालिका ख में संलग्न हैं।

(3) सड़क बनाने के लिये निर्धारित नीति के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों व वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की स्वीकृति में प्राथमिकता समान रूप से दी जा रही है।

(4) नई सड़कों के लिये जिला स्तर समिति, जिसमें माननीय विधायक मेम्बर हैं, से प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर विचार किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

दांता रामगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कें

419 श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़):

(श्री मदनसिंह दांता)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बास से खाटू श्यामजी की रोड बनाने के प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता सीकर द्वारा भिजवाये गये हैं ? अगर हां, तो कब तक उस रोड का कार्य शुरू कर दिया जावेगा ?

(2) जिला आयोजना समिति, सीकर द्वारा विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में किन किन रोडों के बनाने के प्रस्ताव किये हैं तथा विभाग ने किनकी स्वीकृति प्रदान की है तथा वर्तमान में कहां पर रोड का कार्य चल रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सड़क वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त सड़कों की सूची जो दांतारामगढ़ क्षेत्र में है वह इस प्रकार है:–

1) वास से खाटू श्यामजी
2) खाटू श्यामजी से गाजियाबाद
3) पाचोर से खाचिरावास
4) रानोली से खाचोर
5) पलसाना से खाचीरावास
6) खाचोर से टूला
7) खोड़ से मनेला

इन प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

जैतारण क्षेत्र के ग्रामों को अभाव ग्रस्त घोषित करना

420. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की अकाल राहत कमेटी की जिस बैठक में सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारियों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया गया उसमें जैतारण क्षेत्र में कोई भी गांव अकाल से प्रभावित नहीं होने की उप खण्ड अधिकारी की रिपोर्ट को सही नहीं बताते हुए जैतारण में सरपंच व पटवारियों की बैठक जिलाधीश व विधायक की उपस्थिति में बुलाने की मांग की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश द्वारा इस प्रकार की बैठक का कोई आयोजन नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि गिरदावरी करते वक्त सरपंचों व मुखियान को साथ रख कर गिरदावरी करने व उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के सरकारी आदेश हैं जिस गिरदावरी के आधार पर अकालग्रस्त क्षेत्र होने अथवा न होने का निर्णय लिया जाता है और इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई अथवा नहीं उसका सही निष्कर्ष गिरदावरी रिकार्ड देखकर सरपंचों व गिरदावरों की बैठक में लगाया जा सकता है ? क्या सरकार इस प्रकार की बैठक आयोजित कर सही निष्कर्ष निकालने के आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार की मांग जैतारण क्षेत्र के विधायक द्वारा की गई थी।

(2) जी हां। किन्तु उन्होंने इस बैठक के बाद जैतारण तहसील के 213 गांवों की पुनः जांच कराई किन्तु किसी भी ग्राम में अभाव की स्थिति नहीं पाई गई।

(3) जी हां। निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा पंचायत को नोटिस जारी किए गए थे व पुनः जांच भी कराई गई थी किन्तु विधायक महोदय द्वारा प्रस्तावित बैठक की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई थी। अब विधायक महोदय द्वारा प्रस्तावित बैठक आयोजित करने का सरकार का विचार नहीं है।

डेगाना तहसील में किये गये अकाल राहत कार्य

422. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह की बताने कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में राज्य सरकार ने 1972–73 से लेकर आज तक कितने ग्रामों को सूखे या अतिवृष्टि के कारण अकालग्रस्त घोषित किया? तहसीलवार प्रति वर्ष कितने कितने गांवों की घोषणा की गयी? डेगाना तहसील में प्रतिवर्ष कितने कौन-कौन से गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये?

(2) डेगाना तहसील के गांवों की सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। तथा यह बतावें कि कौन कौन से गांव में किस किस वर्ष में क्या क्या अकाल कार्य करवाए गये?

(3) डेगाना तहसील के गांवों में से किन किन गांवों में किस किस वर्ष पीने के पानी के कुएं खुदने हेतु या गहरा करने हेतु पियाई (पीने के पानी निकालने हेतु) हेतु दी गयी अनुदान की धन राशि किस किस तारीख को कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई स्वीकृत राशि के अनुसार किन किन कुओं पर कितना कितना कार्य हुआ? किन किन कुओं वालों को भुगतान कर दिया और किन किन कुओं वालों का भुगतान अभी बाकी है? सम्पूर्ण विवरण या सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन् 72–73 से 77–78 तक कुल 2,659 ग्राम नागौर जिले में अभावग्रस्त घोषित किये गये थे। तहसीलवार एवं वर्षवार गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। डेगाना तहसील में वर्ष 72–73 में 92 गांव, 74–75 में 74 गांव और 77–78 में 65 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे।

(2) वर्षवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राहत कार्यों के विवरण से सम्बन्धित सूची भी सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पीने के पानी के कुएं गहरे कराने एवं पियाई की राशि से सम्बन्धित गांव

(अकाल राहत मंत्री)

वार सूचना का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।

टोड़ा जयसिंहपुरा तथा कालवाड़ क्षेत्र में विनियमन की गयी भूमि

423. **श्री शिवनारायण** (थानागाजी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या टोड़ा जयसिंहपुरा एवं कालवाड़ तहत ग्राम पंचायत खोह दरीबा तहसील राजगढ़ (अलवर) की जमा बन्दी सं. 2031 के अनुसार दिग्दर्शित आराजी ख.नं. 695, 730, 784, 785, 787, 795, 786, व 805 ग्राम टोडा जयसिंहपुरा एवं ख. नं. 2, 3, 8 ग्राम कालवाड़, जो विनियमन हुई, जाहिर की गई है ? क्या इसका कोई रिकार्ड अथवा कोई पत्रावली उपलब्ध है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो क्या फर्जी कार्यवाही में सम्मिलित कर्मचारी व अधिकारी दंडित किये जा सकेंगे ?

उत्तर

यह सही है कि ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहत ग्राम पचायत खोह दरीबा तहसील राजगढ़ जिला अलवर की आराजी ख. नं. 695, 730, 784, 785, 787, 795, 786, व 805, व कालवाड़ की आराजी ख. नं. 2, 3, व 8 विनियमन की गई जाहिर की गई है । सूची संलग्न है ।

आवंटन सलाहकार समिति के कार्यवाही रजिस्टर के अलावा इस विनियमन का कोई रिकार्ड तहसील अथवा उपखंड अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । वह नियमन संदेहास्पद प्रतीत होता है । इस कारण इसकी जांच कराई जा रही है । तथा विनियमन को निरस्त करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत जिलाधीश कार्यवाही कर रहे हैं । यदि जांच के पश्चात विनियमन की कार्यवाही फर्जी पाई गई तो फर्जी कार्यवाही करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बेगूं तहसील के अनाज आन्दोलन से सम्बन्धित मुकदमे

428. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या बेगूं तहसील की जनता के विरुद्ध सन् 1973 के अनाज आन्दोलन के फलस्वरूप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन हैं ? अगर हां, तो इनमें कितने कितने व्यक्ति मुजरिमान हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार ने आन्दोलानात्मक मुकदमों को उठाने का निर्णय लिया है ? अगर हां, तो इन मुकदमों को राज्य सरकार द्वारा अभी तक किन कारणों से नहीं उठाया गया है ?

(श्री एच. एन शर्मा)

(3) क्या राज्य सरकार कोई निश्चित आश्वासन दे सकती है कि मुकदमे कब तक उठा लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। एक केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के यहां विचाराधीन है जिसमें 41 व्यक्ति अभियुक्त हैं। अभियुक्तगण की सूची संलग्न है।

(2) प्रत्येक मामले को उठाने का निर्णय उसके गुणागुण के आधार पर लिया जाता है।

(3) मामले को वापस लेने हेतु राज्य सरकार का आदेश हो चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)।

वित्त निगम द्वारा उद्योग लगाने हेतु दिया गया ऋण

429. श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य वित्त निगम द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार इन्जीनियरों को अब तक कितनी ऋण-राशि वितरित की गई है ?

(2) ऋण भुगतान का रिपेमेन्ट प्रोग्राम किस प्रकार का है ? क्या यह सही नहीं है कि अधिकांश आर. एफ. सी. से लिए गये ऋण से स्थापित यूनिटें बीमार हैं ?

(3) इन बीमार यूनिटों को सरकार किस प्रकार सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योग संस्थापित करने हेतु 1 जनवरी, 1972 से तकनीशियनों के लिए ऋण सहायता योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत तकनीकी ज्ञान सम्पन्न बेरोजगार व्यक्तियों को 2.00 लाख रुपये तक रियायती शर्तों पर ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने की व्यवस्था है। निगम की अन्य ऋण सहायता योजनाओं में भी उन्हें ऋण दिया जाता है। तकनीशियनों एवं बेरोजगार इन्जीनियरों को जनवरी, 1979 तक 207.07 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है।

(2) रिपेमेंट की अनुसूची प्रत्येक प्रकरण में लाभार्जन क्षमता की दृष्टि में रख कर की जाती है। आम तौर पर ऋण वापसी की अवधि दस बारह वर्ष तक की है जिसके प्रारम्भिक दो तीन वर्ष गेस्टेशन पीरियड के होते हैं जिसमें किश्तों की वापसी नहीं की जाती है।

यह कहना सही नहीं है कि आर.एफ.सी. से लिए गए ऋण से स्थापित अधिकांश यूनिटें बीमार हैं। 31 जनवरी, 1979 तक ऐसे केवल 16 उद्यमियों के कारखाने बीमार थे जिनमें उत्पादन शुरू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(उद्योग मंत्री)

(3) राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में सिक यूनिटों को पुनः स्थापित करने हेतु कई प्रकार के कदम उठाने को घोषणा की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो इन्हें पुनः स्थापित करने हेतु सुझाव देगी। औद्योगिक नीति की प्रति संलग्न है।

(नीति की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी देने की योजना

430. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 78-79 में कितने शिक्षित बेरोजगारों को कहां कहां, किस किस काम के लिये मार्जिन मनी कितना कितना दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इसके पहले साल कितनी कितनी धनराशि किस किस कार्य के लिये दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस प्रकार की योजना को क्या राज्य सरकार चालू रखेगी या उसमें कोई संशोधन करेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 77-78 में कोई मार्जिन मनी ऋण नहीं दिया गया।

(3) जी हां। यह योजना चालू रहेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पिछड़े जिलों को उद्योग में विशेष छूट

431. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) राज्य में कितने जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित कर रखे हैं?

(2) पिछड़े जिलों को अन्य जिलों से क्या विशेष छूट दी जाती है?

(3) क्या राज्य सरकार कुछ अन्य जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करना चाहती है? यदि हां, तो किन किन को? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में भारत सरकार ने 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है।

(2) पिछड़े जिलों में अन्य जिलों की अपेक्षा जो विशेष छूट दी जाती है उसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अन्य जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के सम्बन्ध में

(उद्योग मंत्री)

भारत सरकार के योजना आयोग एवं उच्च स्तर पर वार्ता एवं पत्र व्यवहार किया गया है क्योंकि पिछड़े जिले योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा घोषित किये जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार के योजना आयोग ने नवम्बर, 1978 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस सम्पूर्ण विषय पर अपना प्रतिवेदन देगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

किशनगंज तहसील में लघु उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वे

432. **श्रीमती नारंगीदेवी** (किशनगंज) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार किशनगंज तहसील में लघु उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक सम्भव हो सकेगा ?

उत्तर

केवल किशनगंज तहसील का पृथक से सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण कोटा जिले का सर्वेक्षण किया जायेगा जिसमें किशनगंज तहसील भी सम्मिलित है। यह सर्वेक्षण वर्ष 1979–80 के अन्त तक सम्भव हो सकेगा।

अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने की योजना

434. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (मांडल) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के कारण बहुत से ऐसे कार्य प्रारम्भ किये जिनका कोई उपयोग नहीं था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य केवल चुनाव के समय प्रारम्भ कर वोट लेने की दृष्टि से किया था ? यदि हां, तो क्या अब ऐसे कार्यों को, जिस पर काफी पैसा लग चुका है, राज्य सरकार पूरा कर लेगी या नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार की यह नीति है कि निर्धारित नार्म्स के अनुसार जो अधूरे कार्य पूरे किये जाने योग्य हैं उन्हें प्रावधान की उपलब्धि एवं राज्य स्तरीय प्राथमिकता को दृष्टि में रखते हुए पूर्ण कराया जायेगा।

किशनगंज/शाहबाद तहसीलों के ग्रामों का विद्युतीकरण

435. **श्रीमती नारंगीदेवी** (किशनगंज): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने ग्राम विद्युतीकृत हैं ?

(2) राज्य में वर्ष 1977–78 व वर्ष 1978–1979 में कितने ग्राम विद्युतीकृत हुए हैं तथा वर्ष 1979–1980 में कितने ग्राम विद्युतीकृत होंगे ?

(श्रीमती नारंगीदेवी)

(3) किशनगंज/शाहबादविधान-सभाई क्षेत्र के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण चालू वर्ष में किया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार कुल 33462 ग्राम एवं नगर हैं जिनमें से माह फरवरी, 1979 के अन्त तक 11373 ग्रामों एवं नगरों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) राज्य में वर्ष 1977-78 के दौरान 1648 ग्राम विद्युतीकृत किये गये एवं वर्ष 1978-79 के दौरान माह फरवरी 1979 के अन्त तक 1207 ग्राम विद्युतीकृत किये गये हैं। वर्ष 1979-80 के लिये अभी 2000 ग्रामों के विद्युतीकरण का अस्थाई लक्ष्य रखा गया है।

(3) ग्राम जलवाड़ा तहसील शाहबाद का इस वर्ष विद्युतीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई ग्राम विद्युतीकरण के लिये चालू वित्त वर्ष में प्रस्तावित नहीं है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण करना

436. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 22 जून, 77 से 9-2-79 तक विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (जिला झालावाड़) के कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अवधि में बिजली से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की विद्युतीकरण के मामलों में जान बूझकर उपेक्षा की जा रही है।

उत्तर

(1)22 जून, 77 से 9-2-1979 तक विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा जिला झालावाड़ में एक ग्राम नूरपुरा (छीतर खेड़ा) को विद्युतिकृत ग्रामों में नियमित किया गया है।

(2) उक्त अवधि में उपरोक्त ग्राम के अतिरिक्त किसी और ग्राम को विद्युतीकृत नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं, बिजली की उच्च प्रसारण लाइनों के अभाव तथा उपयुक्त भूजल उपलब्धि के अभाव के कारण पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के लिए विद्युतीकरण की योजना बनाना सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी वर्ष 1978-79 में मण्डल के सामान्य विद्युतिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की अधूरी पड़ी एनीकट व लघु सिंचाई योजनाएं

437. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री ईश्वरचन्द्र)

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में कितनी एनीकट व लघु सिंचाई योजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त छोटी सिंचाई योजनाओं, एनीकट्स व इस प्रकार की लघु व मध्यम सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने की नीति बदल दी है एवं इस कारण ये सभी योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं ? यदि हां तो कारण बतायें ? यदि नहीं, तो इन योजनाओं के बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

(3) क्या सिंचाई विभाग व विकास विभाग में इस सम्बन्ध में कोई तालमेल नहीं है एवं इस कारण भी उक्त योजनाएं कागजों में है एवं धूल चाट रही हैं ?

उत्तर

(1) इस विभाग के अधीन पिड़ावा क्षेत्र में कोई भी योजना अपूर्ण नहीं है।

(2) विभाग द्वारा 50 एकड़ से अधिक सिंचाई क्षमता वाली सिंचाई योजनाएं ही क्रियान्वित की जाती हैं।

(3) जिला स्तर पर दोनों विभागों का तालमेल रहता है।

नहरों से होने वाली सिंचाई

438. श्री बहादुरसिंह (नौहर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार नहरों की सिंचाई को सुनिश्चित करने की कोई योजना बना रही है ? अगर हां, तो कब तथा कैसे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार नहरी पानी की अनिश्चितता से खेती में किसानों को होने वाले नुकसान की क्षति पूर्ति करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कितना तथा कैसे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार भाखरा नहर की जसाना अमरसिंह ब्रांचों में पानी तथा सिंचाई की घनता बढ़ाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) भाखड़ा क्षेत्र की नहरों में पानी हरियाणा एवं पंजाब राज्य से प्राप्त होता है। इस पानी को प्रयोग में लाने हेतु निश्चित रोटेशन प्रोग्राम के अनुसार ही नहरों में पानी छोड़ा जाता है।

(2) जैसा कि उपरोक्त उत्तर में वर्णित किया गया है। हरियाणा एवं पंजाब राज्य से प्राप्त पानी को रोटेशन के अनुसार ही सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। इसलिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जसाना एवं अमरसिंह ब्रांचों में सिंचाई सघनता को बढ़ाने के लिये नहरों एवं नालों को पक्का करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(42)

पश्चिमी वृत वन विभाग, उदयपुर के मृत कर्मचारी के पुत्र की नियुक्ति का मामला

439. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी वृत वन विभाग, उदयपुर में वर्ष 1975 में किसी कर्मचारी की सेवा अवधि में मृत्यु हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी ? यदि हां, तो उस कर्मचारी के वर्तमान में नोमिनी व्यक्ति को अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस कर्मचारी के पुत्र को आपके विभाग में कई बार सेवा के लिये प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त भी किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के ऐसे नियम हैं कि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्र अथवा पत्नी को उस विभाग में योग्यतानुसार पद पर नियुक्त किया जाय ? यदि हां, तो उक्त मृतक के पुत्र को कब तक सेवा में लिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पश्चिमी वृत में वन मंडलों में 1975 में निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा अवधि में मृत्यु हुई है:—

1. श्री कुम्भाराम	वन रक्षक	27–2–75	वन मंडल उदयपुर
2. श्री महेन्द्रसिंह झाला	क्षेत्रीय	22–7–75	वन मंडल उदयपुर
3. श्री गोकुललाल	मिस्त्री	5–8–75	वन मंडल उदयपुर
4. श्री शराफत हुसैन	वनपाल	7–8–75	वन मंडल उदयपुर
5. श्री नूर मोहम्मद	सहायक वनपाल	19–11–75	वन मंडल सिरोही
6. श्री रजाखां	उप क्षेत्रीय	13–1–75	वन मंडल भीलवाड़ा
7. श्री मांगीलाल	वन रक्षक	15–1–75	वन मंडल भीलवाड़ा
8. श्री फकीर मोहम्मद	वन रक्षक	25–5–75	वन मंडल भीलवाड़ा

(2) जी नहीं उक्त कर्मचारियों की पत्नियों की मृत्यु पूर्व में नहीं हुई। इन कर्मचारियों के वर्तमान नामिनीज को देय बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। केवल मांगीलाल वन रक्षक भीलवाड़ा के उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण कोई भुगतान नहीं हो सका है।

(वन मन्त्री)

(3) जी नहीं, उपरोक्त किसी भी कर्मचारी के पुत्र द्वारा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया अतः नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, राज्य सरकार के नियम हैं परन्तु नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-79)

रोहट पंचायत समिति क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के तहत किये गये कार्य

68. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रोहट पंचायत समिति व ग्राम पंचायत लाम्बिया, वानियावास तथा भूमादरा में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कौन कौन से गांवों में किस किस प्रकार का काम हुआ है और उसमें कितनी कीमत का अनाज खर्च हुआ तथा ग्राम पंचायत ने किस रूप में सहयोग किया? ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री परसराम मदेरणा, खेतसिंह, मथुरादास माथुर, अब्दुल अजीज, रामकृष्ण-दास, नूरा, श्योपतसिंह मकासर व शंकरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में चांद शाह के तकिये एवं वक्फ सम्पत्ति के बाबत उच्च न्यायालय से फैसला हो जाने के बावजूद भी नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा नियमों के विरुद्ध अन्य व्यक्ति-यों को जमीन आवंटन करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जान-कारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर जिले के नीमका थाना के ग्राम नयावास एवं आस-पास के कुछ लोगों द्वारा गिरोह बना कर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के कुछ ग्रामों में नकब-जनी करने के विषय में।

(3) सर्व श्री रामनारायण चौधरी, मनफूलराम व रणमलसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में विशेष रूप से अलवर तथा जयपुर जिले में एन्टी रेबिक वेक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(4) श्री हंसराम, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के थाना टोडाभीम पुलिस थाने के थानेदार द्वारा

(श्री अध्यक्ष)
अभद्र व्यवहार करने की घटनाओं के विषय में।

(5) श्रीमती सुमित्रसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले के थाना गुढ़ा के ग्राम ढाणी भींवा सोंथली में एक व्यक्ति के घर चोरी होने पर मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद मेडिकल परीक्षण व केस दर्ज नहीं करने की घटना के विषय में।

(6) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील आहोर के ग्राम सनवाड़ा में डाकुओं द्वारा लूट कर बीस हजार रुपयों का माल ले जाने और एक आदमी का कत्ल करने की घटना के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

तीन विधायकों को मारने की धमकी का पत्र

श्री एच. एन. शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी इन्फार्मेशन के लिए एक पत्र पढ़ना चाहता हूं जिसमें तीन विधायकों को जान से मारने की धमकी सहायक लेखाधिकारी अनुदान विभाग और शांता त्रिवेदी नामक महिला ने दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है। राजस्थान के सहायक लेखाधिकारी ने और एक महिला शांता त्रिवेदी, संस्थापिका एवं व्यवस्थापक सचिव, ने मिल कर एक षडयंत्र रचा है जो कि तीन विधायक—श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री गोविन्द सिंह शक्तावत और श्री कौशल किशोर जैन को जान से समाप्त करना चाहती है। इस पत्र को मैं सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे इसकी इजाजत दी जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : यह एक महिला की तरफ से हमारे तीन माननीय सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। माननीय सदस्य जो यह पत्र पढ़ रहे हैं, आप व्यवस्था दें कि क्या ऐसा पत्र सदन में पढ़ना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह शांता त्रिवेदी ने पत्र लिखा है और यह उसकी फोटो स्टेट कापी है। यह फोटो स्टेट कापी है उस पत्र की जिसको उसने एक लेखाधिकारी को लिखा है।....

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर की प्राइवेट संस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार का एक चित्र तो कल सामने आया था और आज यह दूसरा चित्र है। यह भयंकर भ्रष्टाचार उदयपुर की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में है। चाहे वह रूरल इंस्टीट्यूट हो, चाहे शान्ता त्रिवेदी की हो और चाहे और किसी की हो। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसका एक ही उपाय है कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की एक समिति बनाई जावे और उनसे उदयपुर की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में फैले हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जावे ताकि उसकी जो रिपोर्ट आवे, सब के सामने आवे।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

श्री एच एन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के अनुसार मैं यह पत्र पढ़ रहा हूं। लिखने वाली महिला है शान्ता त्रिवेदी, आनरेरी व्यवस्थापिका, सचिव एवं संचालिका राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर। उन्होंने लिखा है, श्री दूपारामजी को, जो कि सहायक अधिकारी अनुदान विभाग हैं। क्या लिखा है उन्होंने, सुनिये:—

"आदरणीय भाई दूपारामजी,
सादर वन्दे।

आपके दो पत्र मिले। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमें इतना सहयोग कर रहे हैं। शांतिलाल को वरिष्ठ लिपिक से कनिष्ठ लिपिक बनाने के लिए बधाई हो। आप तो जानते ही हैं कि किस मजबूरी में मैं जनता पार्टी में आई हूं। यदि ऐसा न करती तो बहुत बुरे परिणाम होते। जब मैं प्रधान मन्त्री जी के कार्यक्रम में भरतपुर गई तो लौटते समय जयपुर रुकी थी तथा मैंने भाई खेतसिंह जी राठौड़, माणक चन्द जी सुराणा, श्री आदित्येन्द्रजी, श्री नवनीत जी व अपने गुट के सभी नेताओं से संस्था के विषय में बात की थी। कामेश गुप्ता व शांतिलाल का पेमेंट भी रुकवाने के लिए इन सभी को कह दिया था....

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।....

(व्यवधान)

इस पत्र को नहीं सुना जाएगा। कोई नियम नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।....

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति मुझे मिल चुकी है। किसी कीमत पर मुझे रोका नहीं जा सकता। माननीय सदस्य का किसी प्रकार की आपत्ति उठाना गलत है।

(व्यवधान)

श्री गुरु शरण छाबड़ा : उस स्कूल की संचालिका द्वारा तीन तीन विधायकों की इस प्रकार से हत्या करने का षडयन्त्र किया जा रहा है। पत्र सुनाया जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री एच. एन. शर्मा : यह उस पत्र की फोटो स्टेट कापी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसे सदन की टेबल पर रख दीजिए। मैं सरकार से जानकारी कर लूंगा।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं दो लाइन और पढ़ना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है :

"तथा उनका साथ देने वाले एम. एल. ए. श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री गोविन्द सिंह शक्तावत व कौशल किशोर जैन सभी का काम तमाम करने का भी प्रबन्ध करा दिया है।"

यह मूल मुद्दा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। आगे क्या लिखा है।

(46)

श्री मूलचन्द डागा : काम करवा देंगे पूरा।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : आगे लिखा है कि कैलाश मेघवाल का तो मुंह बन्द कर दिया है। यह भी लिखा है। अन्त में यह भी लिखा है कि कैलाश मेघवाल का तो मुंह बन्द कर दिया है, आप चिन्ता न करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसके साथ साथ क्या लिखा है। जिलाधीश, उदयपुर के बारे में लिखा है :

"जिलाधीश उदयपुर को भी पकड़ा है। उन्होंने पूरा साथ देने का वचन दिया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है। जिसमें जिलाधीश उदयपुर इन्वाल्व्ड हो, जिस मामले में कैलाश मेघवाल का मुंह बन्द कर दिया गया हो, जिस मामले में शान्ता त्रिवेदी ने यहां पर आ करके माणकजी से मुलाकात की हो और फिर खेतसिंहजी से मुलाकात की हो। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर मसला है। इसको हम हंसी में नहीं टालें। तीन तीन विधायकों की जान खतरे में है, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाना बहुत जरूरी है।

श्री ईश्वरचन्द्र : तीन तीन विधायक जनता पार्टी के हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं तीनों विधायकों के प्राणों की रक्षा के लिए।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय सदस्य एक तरह से संसेशन पैदा करने के लिए, for the sake of sensction बिना पत्र को औथेंटिक किए, बिना प्रूफ लिए कि कहां से चिट्ठी लिखी गई है, किस को लिखी है, क्या सोर्स है उसके प्राप्त होने के, क्या उसकी औथेंटिसिटी है, इन सारी बातों की जानकारी किए बिना यहां पर पत्र पढ़ें.......

श्री रतनलाल वर्मा : यह मूल पत्र की फोटो स्टेट कापी है, कोई हाथ से लिखी हुई नकल नहीं है। यह शान्ता त्रिवेदी का खुद का लैटर है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कैलाश मेघवाल का मुंह कैसे बन्द किया गया है, यह बताया जावे। ये स्वयं यहां पर मौजूद हैं। आप स्वयं बतायें कि आपका मुंह कैसे बन्द किया गया ?

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार के पत्र आते रहेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरचन्द्र : जनता पार्टी में जो आर. एस. एस. के लोग हैं वे लोग ही इस तरह के सवाल को उठा रहे हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : इसमें आर. एस. एस. का कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : यह आर. एस. एस. के लोगों का फैलाया हुआ जाल है ।

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें तीन विधायकों का प्रश्न है जो इस सदन के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री एस. एन. शर्मा : आज की तारीख तक मेरा आर. एस. एस. से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई लेना देना नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि सदन के एक माननीय सदस्य, जो भूतपूर्व मंत्री हैं, के बारे में इस पत्र में जिक्र किया गया है। अच्छा हो कि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : यहां पर तीनों विधायक मौजूद हैं। उनको पूछ लिया जाए कि उनकी जान को खतरा है या नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी का घटकवाद उभर कर सामने आ रहा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह आर. एस. एस. का प्रचार है।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होगा कि षडयन्त्रकारियों का षडयन्त्र सामने आए। यह कोई आर. एस. एस. का प्रश्न नहीं है । माननीय **कौशल किशोर** जी, **गुलाब चन्द** जी विधायक हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह कोई मखौल की बात नहीं है । इसको उछाला जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। कृपा कर के मुझ को मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न इन दो माननीय सदस्यों ने उठाया है। सबसे पहले श्री बजरंगलाल शर्मा ।

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्यों को मन्त्रीगण की धमकी

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी जब सदन में माननीय सदस्य बोल रहे थे मंत्रिमंडल के सदस्य, माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदस्यों को हाथ पकड़ पकड़ कर बिठाया जा रहा था। यह काम मार्शल का है परन्तु मन्त्री गण स्वयं ही मार्शल का काम कर रहे हैं। वे मार्शल का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बात यहां पर आई है मंत्री गण सदस्यों से डरा धमका कर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। कृपया इस पर भी व्यवस्था दें।

सदस्यों, जिनको मारने की धमकी दी गई, के वक्तव्य

सदस्यों को दबा कर उनसे मन्त्रीगण द्वारा मद्य निषेध के विरोध में हस्ताक्षर करवाना

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न स्पष्ट है। वह यह है....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन यह है। यह एक प्रश्न उठाया गया है कि तीन विधायकों के विरुद्ध कोई साजिश की गई है। इन तीन विधायकों में से दो विधायक उठ कर के अपनी बात को साफ करना चाह रहे हैं। पत्र में एक बात कैलाश जी का मुंह बन्द करने को कही गयी है। इसके अलावा श्री खेतसिंह जी खड़े होकर कुछ कहना चाह रहे हैं। यह एक ऐसा मसला है जो माननीय सदस्यों से ताल्लुक रखता है, मंत्रियों से ताल्लुक रखता है। जीवनलीला समाप्त करने की बात कही गई है, मुंह बंद करने की बात कही गयी है इसमें सम्बन्धित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। यह बेहतर होगा।

इस सदन में इसी तरह का एक प्रश्न और आया है। सम्बन्धित व्यक्ति अपनी बात कहें, उनको अपनी बात को कहने का मौका दिया जाए, तो वह ज्यादा बेहतर होगा। क्या आप इस तरह की परम्परा कायम करेंगे।

दूसरी ओर माननीय रामनारायणजी ने भी एक बात की ओर इंगित किया है। कल शराबबंदी का मामला आया था। यह बताया गया कि मंत्री गण सदस्यों के पास जाकर उनको दबा कर, बहका कर शराबबंदी के विरोध में हस्ताक्षर करा रहे हैं। यह सारी हरकत आपकी आंखों के सामने की जा रही है। माननीय सदस्यों को दबा कर, धमका कर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं, जो सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। मंत्रियों का यह आचरण इस सदन की गरिमा के विपरीत है और माननीय सदस्यों के अधिकारों के प्रतिकूल है। कृपया आप इन दोनों प्रश्नों के ऊपर अपनी व्यवस्था दें तो बहुत कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बजरंगलाल शर्मा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसमें दो मुद्दे उठाये गये हैं। यह दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। यह मैं मानता हूं। लेकिन व्यवस्था के प्रश्न पर मैं व्यवस्था तभी दे सकता हूं जब सदन व्यवस्थित हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह जिम्मेदारी आसन की है।

श्री अध्यक्ष : जिन सदस्यों पर आरोप है, उस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने संक्षेप में आज सुबह मेरे चैम्बर में बात की, चर्चा की। इसलिए मैंने मौन रख कर silence is half consent के आधार पर चर्चा होने दी। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण, आन पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन जो भी कुछ माननीय सदस्य देना चाहें तो वह कर सकते हैं। यदि यह सदन इस मूड में है तो उनकी बात को सुने।

दूसरा सवाल था नशाबन्दी का। जहां तक आसन का सम्बन्ध है, मैंने तो नहीं देखा कि किसी के ऊपर जोर दिया गया हो या दस्तखत कराये गये,

(श्री अध्यक्ष)
यह आज की राजनीति पहले की, अनादि काल की तो नहीं लेकिन 15 साल की राजनीति होर्स ट्रेडिंग राजनीति रही है, इससे आसन को क्या लेना देना।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया, कौशल किशोर जैन, खेतसिंह राठौड़, नवनीत पालीवाल व माणकचंद सुराणा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी कहा था उनकी इंस्टीट्यूशन में 85 हजार का घोटाला निकला और सदन के सामने सारी आडिट रिपोर्ट पिछले सत्र में भी पेश की थी, कुछ प्रश्न भी उठे थे। तो इस प्रश्न के षडयंत्र के बारे में पता लगाया जाय और अगर है तो निश्चित रूप से आप एक्शन लें।

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल मैं आपके चैम्बर में हाजिर हुआ था और आपसे निवेदन किया था कि मेरी जानकारी में इस प्रकार का पत्र आया है पत्र क जो भाषा थी मैंने स्वयं आपके सामने निवेदन की। अध्यक्ष महोदय, जब से हम लोग विधायक बने, आपको ध्यान है उदयपुर से मेरा लम्बा संबंध रहा है। सन् 46 में मैंने वहां पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। 20 साल से ज्यादा का मेरा उदयपुर से संबंध है। राजस्थान की महिला परिषद नाम की संस्था उदयपुर में लम्बे समय से कार्यरत है जिसकी संस्थापिका और संचालिका श्रीमती शांता त्रिवेदी हैं जो कि उदयपुर जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष परसराम जी त्रिवेदी की पत्नी हैं। गत दो साल से राजस्थान महिला परिषद का मामला इस सदन में मैं, माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया और गोविन्दसिंह जी उठाते रहे हैं। यह पत्र असली है या नहीं, यह आपके द्वारा जांच का विषय है।

श्री नवरंगसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह पत्र कहां से आया? पत्र किसकी कस्टडी में है?

श्री कौशलकिशोर जैन : यह जांच का विषय है। मैं कह सकता हूं कि पत्र में शांता त्रिवेदी के हस्ताक्षर सही लगते हैं बाकी तो फोटो स्टेट कापी है। लेकिन यह जांच का विषय है। इस प्रकार की धमकी हम अनेकों बार सुनत आये हैं। मैं नहीं कह सकता कि पत्र जाली है या नहीं, यह जांच का विषय है। श्रीमान, आप जांच करायें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि ये लोग मेरे निजी जीवन की सब जालसाजियों को जानने लग गये हैं। ये लोग मेरे निजी राज को जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य गुलाब चन्द कटारिया ने अपने संक्षिप्त बयान में सभी जो कुछ कहना था वह कह दिया। अगर उसको आप दस बार दोहरायेंगे तो भी वही है और अगर एक बार दोहरायेंगे तो भी वही है। यह अब सदन की प्रापर्टी हो गया। सरकार से जानकारी प्राप्त किये बिना यहां चर्चा होना अर्थसंगत है या अर्थहीन है, निर्णय आपका है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 1974 में जब मैं शिक्षा मंत्री था, उदयपुर गया था और इस इंस्टीट्यूशन में भी गया था उन दिनों मैंने शांता त्रिवेदी को देखा था और उनके इंस्टीट्यूशन की कठिनाइयों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

के बारे में मैंने उनसे बात की थी । मुझे नहीं मालूम वह स्वयं किस विचारधारा की हैं और उनके पति कौन से दल के थे । मैंने कभी भी अपने शिक्षा मंत्रित्व काल में इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह संस्था कांग्रेस की है या जनसंघ की है । एक संस्था है, यह चलनी चाहिये और इससे शिक्षा मिलनी चाहिये सिर्फ इसी दृष्टि से...

श्री ईश्वर चन्द्र : आपने वहां एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 1974 के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि न तो वह मेरे पास आई, न देखा, न मेरे से कभी वे मिली । इस पत्र में मेरा जो नाम दिया है वह बिल्कुल शरारतपूर्ण है और मेरा यह कहना है कि यह झूठ है, सच्चा नहीं हो सकता ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह पत्र तो, श्रीमान्, फ्राड है । इसकी जांच करवाइये ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जाली पत्र है तो जिन्होंने लिखा है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिये, इस प्रकार के आरोप लगाना बिल्कुल गलत बात है, कोई तरीका नहीं होता इस प्रकार लिखने का ।

श्री नवनीत पालीवाल : इस पत्र के बारे में निश्चित रूप से गृह मंत्री जी आज्ञा प्रदान करेंगे कि इसकी जांच की जाय । जनता पार्टी और जनता पार्टी से इतर सैकड़ों लोग जयपुर आते हैं अपनी कठिनाइयां लेकर । शांता त्रिवेदी एक इंस्टीट्यूशन चलाती हैं, जनता पार्टी की सदस्या रही हैं उनका मिलना स्वाभाविक है । मैं कह सकता हूं कि ऐसे किसी षड़यंत्र की उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी कि किसी का काम तमाम करना है या नहीं करना है ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, अब नये चुनाव जल्दी हो जाने चाहिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक और बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि कैलाश मेघवाल का मुंह कैसे बन्द हो गया ? यह पता लगाना जरूरी है । उनके मुंह में क्या दिया है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बहुत संक्षेप में श्री कटारिया जी के भाषण पर टिप्पणी करके सारी स्थिति स्पष्ट कर दी । मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यह पत्र, जिसके बारे में माननीय कौशल किशोर जी और कटारिया जी स्वयं भी पशोपेश में हैं कि यह असली है या नकली, के बारे में जांच से पूर्व कुछ कहना आवश्यक नहीं । लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा, शांता त्रिवेदी को मैं 62 से जानता हूं । उनके पति समाजवादी दल के सदस्य थे, सैकड़ों लोग जानते हैं. सैकड़ों लोग मिलते हैं और जयपुर में भी पिछले दिनों वे कई बार आये हैं, कई बार मिले हैं । परन्तु इस तरह का षडयंत्र वह करेंगी इसमें मेरी अपनी धारणा है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि तीन विधायकों का काम तमाम करने की बात उनके दिमाग में आ जाय । मैं उन्हें शालीन औरत समझता हूं, महिला कार्यकर्त्री हैं

(श्री माणकचन्द सुराना)

महिलाओं के सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब तक यह पूरा सच साबित न हो, उन पर आरोप न लगाये जायं। इससे उनका हौसला टूटेगा, दूसरी महिलाओं का हौसला टूटेगा। जब तक कोई सच्चाई न आ जाय, इस पर कृपया आगे चर्चा न करें। बल्कि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगे गृह मंत्री जी इसकी जांच करा लें। जहां तक यह लिखा है कि मेरी जालसाजी की बातों के बारे में सारी जानकारी हो गई है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी कलम से यह लिख सकता है कि मेरी जालसाजी की जानकारी हो गई है। इस लैटर से तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि यह लैटर फोर्ज्ड है। गृह मंत्री जी इसकी जांच करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आप इसकी जांच करायें। अभी मैं उदयपुर में था उस दिन मैं महिला परिषद के कार्यालय में गया था शाम को ही मैंने सुना कि रामेश्वर नाम के अध्यापक द्वारा शान्ता त्रिवेदी पर हमला किया गया। माननीय गृह मंत्रीजी केवल इसकी ही जांच न करायें कि यह क्या और किस रूप का है और किन लोगों से प्रेरित होकर हमला किया गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। यह मामला राज्य सरकार की नालेज में है, कलेक्टर की नालेज में है और एस. पी. की नालेज में है। सारे नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो यह हमारी परिपाटी रही है।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फोटो स्टेट कापी है इसलिए ओरिजनल कापी मंगाई जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के सदस्यों ने इस हाउस को एक सर्कस बना दिया है। हम चाहते हैं कि इस सदन में संजीदगी से कोई बात की जाय। जब चाहा तब किसी पर इल्जाम लगा दिया। यहां पूरे XXX इकट्ठे हो रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : यह XXX यहां आ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : हम इस तरह की भाषा को सुनने को तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : x x x की यह पार्टी है।

श्री रघुनन्दन व्यास : दो सौ सदस्य हैं इस सदन के। इस तरह की बात कोई नहीं कह सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह राजस्थान का सदन है, इस सदन की गरिमा रखनी चाहिए। कोई भी इल्जाम हो तो माननीय अध्यक्ष के सामने पेश किया जाना चाहिए।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो x x x

---

· XXX शब्द अध्यक्ष म य के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुल मोहम्मद)

शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है वह संसदीय है या असंसदीय। अगर असंसदीय है तो इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करिये। चर्चा समाप्त हुई।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) : माननीय मंत्रीजी का मुख बन्द हुआ है उनको बुलाया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कल यह कहा गया था कि उदयपुर की रूरल इन्स्टीट्यूशन की हड़ताल समाप्त हो गई है और इन्स्टीट्यूशन खुल गया है तो मैंने उस समय कहा था कि यह गलत है। मेरे पास आज सवेरे ही टेलीग्राम आया है उसको मैं हाउस के सामने पढ़ कर सुना देता हूं :

"All Vidyabhawan institutions closed indefinitely. Total breakdown of administration. Request immediate intervention, "KUMAWAT SECRETARY"

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माथुर साहब बार बार उठ रहे हैं और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था ही देख रहा हूं हाउस की। माननीय सदस्य कोई भी व्यवस्था सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे तरीके की व्यवस्था करूं।

श्री रामनारायण चौधरी : कर दीजिये आप।

श्री मदनसिंह दांता : आपके पास पावर है। You ask your sergeant to take them out.

श्री अध्यक्ष : यह मैं नहीं चाहता।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, One after another you get up and something extraordinarily goes on.

हाँ, व्यवस्था का प्रश्न।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी अभी माननीय श्योपतसिंह जी ने...

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गुल मोहम्मद : आप शान्त रहिये। व्यवस्था का प्रश्न है तो अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देंगे, आप नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंहजी ने माननीय सदस्यों कोXXX कहा है, यह XXX है। तो क्या यह शब्द इस सदन की गरिमा के उपयुक्त है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह शब्द, जो उन्होंने कहा है, आज की कार्यवाही से निकाला जाय। माननीय सदस्य को इस बात को कहें कि वह इसके लिए माफी मांगें सदस्यों से।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : आप XXX हैं क्या?

श्री नूरा : हम क्यों नहीं बोलेंगे आप ही बोलते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप सुनने के मूड में हों तो आगे चलें।

माननीय गुल मोहम्मदजी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि XXX संसदीय, पार्लियामेंट्री टर्म है, वह ससदीय है या नहीं। इसके बारे में मैं गम्भीरतापूर्वक विचार करूंगा। यह बोर्डर लाइन केस है। अगर असंसदीय है तो व्यवस्था दूंगा कि इसको एक्सपंज किया जाय, अगर असंसदीय नहीं है तो आपकी आपत्ति निरस्त हो जायगी।

अगर आप इसी तरह से चलते रहे और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। आगे बढ़ने के लिए यदि कोई तैयार न हो तो।"

माननीय श्री मथुरादास माथुर।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्षजी, मैंने कोटपूतली तहसील में चोरियों और डकैतियों के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था तो आपने कहा था कि जब चोरी होगी तब रखना। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कल रात को 5 डाकू कोटेड़ा ग्राम के एक व्यक्ति के घर में घुसे और वहां पर एक औरत को मार दिया और 20 आदमियों को घायल कर दिया। एक अजीब हालत पैदा हो रही है कि इस प्रकार की बात से क्या होने वाला है। मैं एक मिनट में कह देता हूं। माननीय अध्यक्ष, वहां पर गृह मन्त्रीजी के कुछ पुराने साथी कांग्रेस में जब थे तो उस समय के इनके साथ उठने बैठने वाले अलवर के हैं और अलवर के नजदीक के वह हैं, वह चोरों और डाकुओं से मिले हुए हैं। वह उन लोगों से बातचीत करके यह काम करवाते हैं। उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है तो लोगों के घरों में ऐसे लोगों को घुसा देते हैं। पुलिस वाले भी उनको जानते हैं। गृह-मन्त्रीजी, रामनारायणजी ने कहा था कि इनकी इज्जत कहां तक बचेगी। मैं चाहता था कि गृह मन्त्रीजी अलवर के हैं, कोटपूतली के लोगों से मिल कर यहां आकर ठहरते हैं और उनके साथ ही उठते बैठते रहते हैं। वह आफिसरों को भी डराते रहते हैं और दूसरे और जो लोग हैं गरीब आदमी उनसे पैसा लेते हैं। कोई नहीं देता है तो ऐसे लोगों से मिल कर इस प्रकार की हरकत

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

54

(श्री रामकरणसिंह)

करते हैं ऐसे काम करते हैं। कल ही रात के 9 बजे 5 आदमी एक घर में घुसे और घुस कर वहां पर अकेली औरत थी उससे जेवर मांगे। उसने जेवर नहीं दिये तो उसको गोली से मार दिया। 20 आदमी घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं इसलिए इसके बारे में व्यवस्था की जाय। वहां पर व्यवस्था की बात नहीं हो पा रही है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं माननीय रामकरण सिंहजी को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं को निश्चित तौर से निभाऊंगा और उतना ही कहूंगा जितना कहने की जरूरत है। इसके आगे नहीं बढ़ूंगा और आगे बढ़ गया तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक दो आदमियों के नाम तो बता दें जो मेरे पास आते हैं जो कि असामाजिक तत्व हैं। कोई गड़बड़ नाम बता दिया और मेरा कन्डक्ट ऐसा होगा तो मैं ठीक करूंगा और दोषी होगा तो उसको पकड़ूंगा। इस बात से सन्तुष्ट न हों तो सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे जो व्यवस्था करके निकाल दें।

श्री रामकरणसिंह : इसके बारे में आपने यह बात पूछी है। वहां पर रामनिवास है और बनवारी है जो साजिश करके भूतपूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच जिसे चाहे हथकड़ियां डलवाने की कार्यवाही करते हैं और हथकड़ियां डलवाई हैं, इस प्रकार की शिकायतें हैं। उनसे पुलिस भी परेशान है। जब आप कोटपूतली जाते हैं तो या तो पहले उनको बुला लेते हैं या वे आपकी अगवानी को तैयार रहते हैं। जो भी सरकारी कार्य हो उसको छोड़ कर आप उन को लेकर घूमते हैं और सेपरेट जगह पर उनके साथ ठहरते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी एक बार आपके साथ गये थे लेकिन जिस जगह वह सब ठहरे हुए थे वहां न ठहर कर कृषि उपज मण्डी के आफिस में आपने रात बिताई। क्या यह एक होम मिनिस्टर की मर्यादा है? अपनी इज्जत खुद ही अपने हाथ में होती है। अपने हाथों ही बिगाड़ें, यह हम नहीं चाहते हैं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, श्री-राम जी को मैं जानता हूं। मेरे से परिचित हैं। जिस घर में आपके लड़के का ब्याह हुआ है, उसी घर में श्रीराम जी की लड़की ब्याही है। रिश्ता है। दूसरा पटेल शिव-करण जी की लड़की का रिश्ता है। उसके सगे भाई से बनवारी जी की लड़की का रिश्ता हुआ है, जिसके बारे में यह कहा है कि पटेल जी का लड़का मेरे साथ था। मैं 11 बजे बाद वहां से आ गया था। इस बात पर मैं माननीय सदस्य के कहने पर स्टेटमेन्ट देने को तैयार नहीं हूं। माननीय सदस्य, हम से बड़े होंगे, उम्र में भी बड़े होंगे लेकिन इसके आगे कहने की आव-श्यकता मैं समझता नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सवाल जवाब नहीं करेंगे।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 आदमी घायल हो गये हैं। इस प्रकार से कत्ल हो गया है। डाकुओं ने गोली मार दी है।

श्री सम्पतराम : मैं यह चाहता हूँ....

श्री माधोसिंह कछवाह : इनका मुँह बन्द कराया जाये।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, हमने नम्रता बरती है। जैसा कि कहा गया है, मेरे साथ चोर और डकैत रहते हैं, अगर यह प्रत्यक्ष रूप से साबित हो जाएगा तो मैं एक इन्सान हूं, एक मिनट भी होम मिनिस्टर नहीं रहूंगा। यह मैं दावे से कहता हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, सदन के सामने कहने के बावजूद मैं यह बरदाश्त नहीं करूंगा, जो गलत काम करते हैं, और जो मेरी जानकारी में हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं यह सदन में कहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, मैंने, परसराम जी ने और सभी ने मिल कर रखा था। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में सोजती गेट के पास एक जमीन है। वह जमीन कब्रिस्तान के रूप में काम में आती थी। उसके बाद आबादी बढ़ी तो वह जमीन शहर के बीच में आ गई। आज भी वह वक्फ की जमीन है। वक्फ की मिल्कियत है। वक्फ ने वहाँ की जमीन पर यू. आई. टी. को दरख्वास्त देकर दुकानों की इजाजत ले ली। यू. आई. टी. ने इजाजत दे दी। नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। इस प्रकार से वहाँ पर 16 दुकानें बनाने की इजाजत दे दी और वहाँ पर 16 दुकानें बन गईं।

अभी बम्बई के एक अच्छे आर्किटेक्चर से कन्सल्ट करके लोगों ने यू. आई. टी. के सामने प्लान पेश किया है। उसने अब दूसरा स्टेण्ड ले लिया है। यू. आई. टी. के यह स्टेण्ड ले लेने पर यह हुआ है कि इस नक्शे के हिसाब से इजाजत नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह एक लम्बी कहानी है। 1929 में जोधपुर में रेवेन्यू मिनिस्टर मि० ब्रोकमैन थे। उन्होंने यह फैसला दिया है कि यह कब्रिस्तान है। यह किसी एक मुसलमान की प्रापर्टी नहीं है। यह वक्फ की प्रापर्टी नहीं है यह सन् 29 में फैसला हुआ है। इसके बाद जोधपुर चीफ कोर्ट से 11-11-42 को फैसला हुआ जिसमें नन्हे खाँ और फतेह खां को बेचने का अधिकार नहीं था। उनको यह कहा गया कि तुम मतवल्ली हो। फैसला हुआ कि यह वक्फ की प्रापर्टी है। तुम बेच नहीं सकते हो। 24–2–71 को हाई कोर्ट जोधपुर से फैसला हुआ। इस फैसले में जोधपुर की माँ जी साहब ने बख्सीस कर दी थी उसके बारे में फैसला हुआ है। 20–5–71 को फैसला हुआ। 26–5–71 को यू. आई. टी. का यह फैसला हुआ कि दुकानें बना सकते हो। उसके बाद में ये दुकानें बनीं। दुकानें बनने के बाद कुछ और लोगों ने एन्क्रोचमेण्ट किया तो उन्होंने यह कहा कि यह मिल्कियत किसकी है। दावा किया तो यह फैसला हुआ। सिविल जज जोधपुर 13.1.69, एडिशनल मुन्सिफ नं. 1, जोधपुर 13.3.71, डिस्ट्रिक्ट जज, जोधपुर 23.3.71, एडिशनल मुन्सिफ नं. 2, जोधपुर 4.4.72, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2.5.73 फैसले हुए। इतने कोर्ट में मुकदमे चलने के बाद वक्फ की जमीन मान ली। यू. आई. टी. ने वक्फ मैनेजमेण्ट की जमीन मान कर

(श्री मथुरादास माथुर)

इजाजत दे दी। ग्राज उनका कब्जा है। ग्राज यू. ग्राई. टी. ग्रपने उन्हीं ग्रादेशों को पलटने की कोशिश कर रहा है। क्या 21–5–77 को ग्रापकी नगरपालिका भवन निर्माण कमेटी, यू. ग्राई. टी. ने ग्राब्जेक्शन किया : —

"No objection certificate for construction of shops on above site is hereby issued. Since only part lay out of front shops has been shown it is necessary to have a complete lay out prepared for the whole area and got approved by this office."

इसके बाद में पहले प्लान पास कर दिया गया। इसके बाद में इजाजत नहीं दी जा सकती है। ग्रध्यक्ष महोदय, वहाँ पर काफी कम्युनल ग्राउटलुक लिया जा रहा है। यू. ग्राई टी. के नये चैयरमेन बने हैं उनका कहना है। 1925 में कोई होगा। खालसा जमीन लिखी हुई थी। उसके बाद में कितने वर्ष हो गये हैं। 1929 में रेवेन्यू मिनिस्टर का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला हो गया कि यह कब्रिस्तान है। उन दिनों में खालसा जमीन लिख दी गई। उसके ग्राधार पर यू. ग्राई. टी. एन्क्रोचमेण्ट कर रही है। म्युनिसिपैलिटी कचरा डाल रही है। वक्फ के जो लोग हैं, उनमें काफी ग्रसन्तोष है। कई जगह दरखवास्त दी गई है। मुस्लिम यूथ के लोगों ने इस मामले को हाथ में लिया है। वह भूख हड़ताल पर सदन के सामने बैठे हैं। मैं बचपन से देख रहा हूं कि वह कब्रिस्तान है। सभी कोर्टों से फैसले हुए हैं। वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ से लाशें निकली हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर का फैसला, डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला, सभी के फैसले हैं। इसको कम्युनल कलर न दिया जाये। यह वक्फ की प्रापर्टी है। यू. ग्राई. टी. ने खुद ने इजाजत दी है। ग्रब बाद में पीछे हटना गलत चीज है। इसलिए बड़ा तनाव पैदा हो गया है ग्रौर लोग बाहर भूख हड़ताल कर रहे हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : माननीय माथुर साहब, मैं ग्रापकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी ट्रस्ट का मेम्बर हूं, यह मामला हमारे सामने नहीं ग्राया।

श्री मथुरादास माथुर : ग्रापके सामने नहीं ग्राया हो, लेकिन यू. ग्राई. टी. इजाजत नहीं दे रही है। वहां इस वजह से ही दूकानें नहीं बन रही हैं ग्रौर लोग एन्क्रोचमेंट कर रहे हैं। जो भी दावे में गए वे हार गये। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको कम्युनल कलर नहीं दिया जाए। मुसलमान भाइयों में कहीं यह भावना पैदा न हो कि सरकार इसको वक्फ की प्रोपर्टी नहीं मानती है। ग्रापको उनको इजाजत देनी चाहिए ग्रौर ग्राशा है ग्राप जल्दी ही इसका फैसला करेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बहुत ही ग्रदब के साथ ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि यह ग्रापका सदन है, विजिटिंग गैलेरी नहीं है। लाबी में बैठ कर कोई चर्चा करना चाहें तो ग्राप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन पर कोई ग्रसर होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी वक्फ की प्रापर्टी के बारे में माननीय माथुर साहब ने ग्रापके सामने निवेदन किया है। डेढ़ लाख की मुसलमान ग्राबादी जोधपुर में रहती है। उन सबके दिल ग्रौर दिमाग में यह बात समाती जा रही है कि इस सरकार का रवैया हमारे प्रति कैसा बनता जा रहा है। यह दुर्ग मुगलकालीन जमाने से चांदशाही तकिये को जमीन के बतौर इनायत फर्माया गया है। उनका पट्टा है ग्रौर इसकी सारी कहानी ग्रभी माननीय माथुर साहब ने कही। उस वक्त के चीफ कोर्ट ने 11.11.43 को फैसला दिया था कि यह वक्फ प्रोपर्टी है ग्रौर दूसरे कब्जे नाजायज हैं। उसके बाद में जो भी पार्टीज हैं उनके ग्रौर वक्फ के बीच में मुकदमे चले ग्रौर उन मुकदमों के बारे में भी ग्रभी ग्रापको बतलाया गया। उसमें वक्फ जीता ग्रौर सारी पार्टियां हारीं। इस सिलसिले में एक पार्टी ने हाई कोर्ट में ग्रपील की, वह भी वहाँ हार गई ग्रौर यह मान लिया गया कि यह वक्फ की प्रोपर्टी है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ग्रपील की गई। उसने भी वक्फ की प्रोपर्टी माना। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय इस बात को मान गया ग्रौर यह एस्टेब्लिश हो गया कि यह वक्फ की प्रोपर्टी है ग्रौर उसको पूरे ग्रधिकार हैं। इसी बात के ग्राधार पर उस वक्त की सरकार ने उनको इजाजत दी। उन्होंने 16 दुकानें भी बनवाईं ग्रौर ग्रागे इसलिए नहीं बनाई कि उनके पास पैसा नहीं था ग्रौर उनका विचार था कि जो पैसा किराये से ग्राएगा उसके बाद फिर दुकानें बनवायेंगे। कुछ ग्रादमी वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं। उनके कब्जे का फैसला भी उनके खिलाफ हो चुका है। इसलिए मैं तो यह साफ कहूंगा कि ग्रापकी पार्टी के किसी बड़े ग्रादमी का हाथ होने की वजह से पुलिस वहां कार्यवाही नहीं कर रही है। लोग वहां पर कब्जा किए बैठे हैं, पहले उनको हटाना चाहिए। दो पार्टियां वहां पर काबिज हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर ग्रायोजना मन्त्री) : ये पार्टियां कौन-कौन सी हैं ग्रौर कब से बनीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कालूसिंह ग्रौर सुखदेवसिंह। ये काफी ग्रर्से से काबिज हैं लेकिन फैसला इनके खिलाफ हो चुका है। एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर भी हार गई ग्रौर यह फैसला हुग्रा कि इनको वहां से हटाना चाहिए। इसलिए मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप एस. पी. ग्रौर कलेक्टर को कहिए जो नाजायज काबिज हैं उनको हटाकर उस प्रोपर्टी को वक्फ को दें।

दूसरा यह है कि उनका वहां पर एक मदरसा ग्रौर मस्जिद बनाने का प्लान बना हुग्रा है माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, ग्राप उसको देखें, वह ग्रप्रूव्ड प्लान है। उस वक्त यू. ग्राई. टी. ने मन्जूर किया था ग्रौर उसी के ग्राधार पर वहां पर दुकानें बनाई गईं। वक्फ वाले सोच रहे थे कि जो पैसा किराए का ग्राएगा, उस समय चीफ मिनि-

(श्री खेतसिंह राठौड़)

स्टर साहब, बरकततुल्ला साहब ने भी इसकी मदद के लिए और इस मदरसे को मुस्लिम स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए एक लाख रुपया दिया था, इसको कम्पेन्सेट करने के लिए। इसलिए यह सारा मामला साफ है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माधोसिंहजी ने कहा कि यह मामला हमारे सामने नहीं आया, लेकिन यह निश्चित बात है कि यू. आई. टी. वहां के चेयरमेन और दूसरे मेम्बर, इस बात में, इण्ट्रेस्टेड हैं कि ऐसी बढ़िया प्रोपर्टी हमारे हाथ लग जाय तो एक आलीशान होटल वहां पर बनवाया जाय जिसमें कैबरे डान्स हों। अगर ऐसा हो गया तो जोधपुर के डेढ़ लाख मुसलमान ही नहीं पूरे मारवाड़ के मुसलमानो में यह बात फैल जायेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जोधपुर के हिन्दू भी यही सोचते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। पहले जोधपुर के हिज हाईनेस और वक्फ के मुसलमानों के दरमियान भी केस चला। उनके ऊपर भी प्रेसर पड़ा। महाराजा गजसिंह जी ने एलान किया कि इस मुकदमे को विथड्रा करते हैं और इस प्रोपर्टी से कोई सरोकार नहीं है, यह वक्फ कीप्रोपर्टी है। इसलिए, शिक्षा मन्त्रीजी, आप घबराइये नहीं। आपने कह दिया कि यह कर रहा हूं और वह कर रहा हूं लेकिन करते आप कुछ भी नहीं हैं। इन तीनों मसलों को आप बिल्कुल तय कर दीजिये।

एक तो यह कि जो फैसला हो चुका है, जो लोग नाजायज़ कब्जा किए बैठे हैं उनको फौरन वहां से हटाया जाय।

दूसरा यह कि यू. आई. टी. का प्लान मन्जूर शुदा है. आज का नहीं, 23.9.65 का प्लान है। उसके बाद में दुकानें बनी हैं। उन दुकानों को मन्जूर करते हुए आप इजाजत देवें ताकि आगे कन्स्ट्रक्शन किया जा सके।

तीसरा यह कि जो भी मिल्कियत है इस पर और जो कब्जा किए बैठे हैं, छोटे-छोटे झोंपड़े खड़े कर दिये उनको साफ कर दीजिये और उसको वक्फ में लेकर अच्छी तरह से जो मन्जूरशुदा प्लान है उसके अनुसार उनको कार्यवाही करने की इजाजत देवें जिससे मुसलमान और हिन्दू भाइयों में स्टेट गवर्नमेंट के प्रति श्रद्धा जाहिर हो।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : काल अटेन्शन मोशन मेरा पहले दिया हुआ है, मुझको भी मौका दिया जाय।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगन प्रस्तावों पर पर चर्चा हो जाय, उसके बाद आप बोल लीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा नाम भी है। आपकी अनुमति हो तो बोलूं ?

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमति है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आज एक नई परम्परा इस सदन में देखने को मिली है वह यह है कि मुसलमानों के काम को जो मुसलमान नहीं हैं, वे भी उठा रहे हैं। यह इमोशनल इन्टीग्रेशन के लिए अति आवश्यक है। इस विभाग के मंत्री को पता होगा कि आज से 8-9 दिन पहले जोधपुर के यू० आई० टी० ने इस जमीन पर यूरीनल्स का निर्माण करवाया था और कुछ लोगों ने फोर्सीबली उनको तुड़वा दिया। इसलिए वहां टेन्शन हुआ और आज भी यू० आई० टी० के कार्य पर वहां लोगों में असन्तोष है। यह असंतोष की लहर कहीं व्यापक रूप से हिन्दू-मुस्लिम फूट के रूप में सामने नहीं आए इसके लिए उचित होगा कि राज्य सरकार हाइएस्ट लेवल पर इस मसले को तय करे। माननीय माथुर साहब ने इस बारे में विस्तृत रूप से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 26-2-71 को वहां के यू० आई० टी० ने इस भाषा में इस जमीन को वक्फ की प्रापर्टी माना :

"No objection certificate for construction of shops at above site is hereby issued. Since only part layout of these shops has been shown, it is necessary to have a complete layout prepared for the whole area and got approved by this office."

जब 1971 में अधिकारियों द्वारा इस डिस्प्यूटेड लैंड को वक्फ की प्रापर्टी मानकर इजाजत दी गई और सम्पूर्ण ले-आउट के लिए उनसे मांग की गई तो मैं नहीं समझता अब जो 4-7-77 को यू० आई० टी० के अधिकारी कह रहे हैं कि यह जमीन खालसा है और यू० आई० टी में वेस्ट करती है और तर्क दिया है कि 1925 रिकार्ड में इस जमीन को खालसा दिखाया गया है....

श्री माधो सिंह कछवाह : क्या ऐसा कोई यू० आई० टी ने पत्र दिया है कि यह जमीन वक्फ की है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 4-7-77 को पत्र के जरिये यह सूचना दी गई है कि यू. आई. टी ने गवर्नमेंट से जानकारी ली तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि यह जमीन खालसा है और वक्फ की प्रापर्टी नहीं है। यू० आई. टी० की प्रापर्टी है। ऐसा ही मान कर जोधपुर यू० आई० टी० ने वक्फ बोर्ड को तामीर करने से रोक दिया और यू० आई० टी० ने यूरीनल्स का निर्माण कराया जो लोगों ने तोड़े। इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1923 में जब मारवाड़ स्टेट कौंसिल के रेवेन्यू मेम्बर ने तय कर दिया कि यह कब्रिस्तान की जगह है तो मैं 1925 का हवाला दे रहा

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

हूं। 1923 में जब काम्पीटेंट ग्रथोरिटी ने तय किया तो 1925 का हवाला राज्य सरकार द्वारा जो दिया गया है, हो सकता है रेवेन्यू रिकार्ड में उस समय एन्ट्री नहीं की हो। परन्तु जब राज्य सरकार के समक्ष 1923 का फैसला है, 11-11-43 का चीफ कोर्ट का फैसला है और 24-2-70 का राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक यह मुद्दा तय हो चुका है कि यह जगह कब्रिस्तान की है, वक्फ प्रापर्टी है और सारा रिकार्ड वक्फ बोर्ड का है, अगर समय रहते आपने सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया, अगर सरकार ने सही काम नहीं किया तो जनता करवाएगी। यह वही जनता है जिसने आपको शासन में बिठाया है, यही जनता आपसे सही काम करवाएगी। चूंकि वहां के यू० आई० टी० के चेयरमैन और स्वायत्त शासन मंत्री किसी विशेष ग्रुप से सम्बन्धित हैं, दोनों आर० एस० एस० के अनुयायी हैं, तो आर० एस० एस० बुल के सामने रेड रेग की तरह काम करता है। आर० एस० एस० के विरुद्ध लोगों में गलत भावना पैदा न हो कि माइनोरिटीज के जायज हकों पर कुठाराघात हो रहा है, इसका ध्यान रखा जाए। अगर समाजवाद, कांग्रेस या सी० एफ० डी० का मंत्री होता तो यह बात इतना तूल नहीं पकड़ती पर क्योंकि आर० एस० एस० का नारा है हिन्दू राष्ट्र और अखिल भारत तो माइनोरिटीज के मन में सस्पीशन है। इसलिए मैं अदब से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सारे मामले पर हाइएस्ट लेवल पर विचार करके जल्दी से जल्दी वक्फ प्रापर्टी वक्फ बोर्ड को वापस लौटाई जाए। यह शांति व व्यवस्था के हित में भी होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर कुछ जवान लोग विधान सभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। यह झगड़ा आज का नहीं। काफी लम्बे अर्से से यह झगड़ा चल रहा है। मुझ से पहले बोलने वाले सदस्यों ने अदालतों के हवाले से सारी दलीलें आपके सामने पेश कर दीं। यह डेलीकेट मामला है और माइनोरिटी कम्युनिटी का है। हरिजनों व माइनोरिटी कम्युनिटी के सवालों को हमें बहुत ही सावधानी और संजीदगी से तय करना चाहिए। राज्य सरकार एक मां की तरह व्यवहार करे। जिस तरह से मां कमजोर बच्चे को ज्यादा घी और दूध पिलाती है ताकि वह भी दूसरे बच्चों के बराबर मजबूत हो जाए उसी तरह से सरकार को मां जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम आपकी बातों को केवल कानों से नहीं सुनना चाहते हैं, कुछ इल्जामात है, शक शुबहे हैं, उन शकों को दूर करें। आपको अपने एक्शन्स के द्वारा लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम कितने न्यायप्रिय हैं। आपको मौका मिला है, आप साबित करें, बाहर मुस्लिम नौजवान बैठे हैं। आपके प्रति धारणा अच्छी होगी। इसलिए परिवार में पहले मां का रोल अदा करें कि कमजोर बच्चों को ज्यादा प्यार, ज्यादा खुराक देकर बराबर करें। यह जोधपुर का ही सवाल नहीं है, नौजवानों ने मुख्य मंत्री से बात की थी, मुख्य मंत्री ने कहा कि इस समस्या को जल्दी तय करेंगे, आपको उन लोगों से मिलना चाहिए, उनको गिला नहीं रहेगा कि आप उनसे नहीं मिले।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

ऐसे नाजुक मसलों पर जल्दी फैसला करें। समाज में बहुत तरह के लोग हैं, ये कमजोरियां सब जगह मिलेंगी। मैं नहीं कहता कि मैं पवित्र आदमी हूं. मेरी पार्टी में सब पवित्र हैं. मेरी पार्टी में भी कमजोरियां हो सकती हैं लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मौकों पर फायदा उठाना चाहते हैं, वे आग को भड़काते हैं। जिन लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, वे ऐसी बातों के सहारे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी ऐसे एलीमेंट्स को मौका नहीं दें। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यह वक्फ की जमीन नहीं है, कहीं कमी होगी, सरकार की नजर में आया कि यह खालसा की जमीन है तो क्या आफत है? माइनोरिटीज के लोग वहां मदरसा बनाना चाहते हैं तो आपको देनी चाहिए। डिस्प्यूट इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि यह जमीन खालसा है या उनकी है। सवाल इस बात का है कि मान लिया कि खालसा है तो भी आपको उनको देनी चाहिए। यह माइनोरिटीज का मामला है। इसके साथ जोधपुर व जयपुर में इन वक्फ बोर्ड के सवालों को सरकार ने तय नहीं किया और इन सवालों को बनाये रखा। इसलिए इनको समाप्त कर दो ताकि दुबारा इनको गोटियों से कोई खेल न खेले। जितने वक्फ बोर्ड के मसले हैं इनको हल कर दो ताकि यह साबित हो जाये कि हम सेकुलेरिज्म में विश्वास करते हैं। मैं तो यही आपसे कहूंगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव है। मैं निवेदन करूंगा कि मैं स्वयं जोधपुर के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा से कालेज की शिक्षा तक पढ़ा हूं। मैं सोजती गेट के बाहर ही रहता था। यह जो जमीन है जैसी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है इसको चांदशाह का तकिया उस समय से कहते आये हैं क्योंकि जब भी हम जाते थे उधर से तो लोग यही कहते थे कि यह चांदशाह का तकिया है। यह सारी बातें वहां के रहने वालों से हमने सुनीं और मुझे स्वयं को भी जानकारी है।

दूसरी बात यह है कि जो भी कागजात हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मथुरादास जी माथुर ने और कांग्रेस (आई) के श्री खेतसिंह जी ने सदन के समक्ष रखे और जुडिशियल कोर्ट के रखे तो इस संबंध में मंत्री महोदय बतायें कि जहां जुडिशियल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उनका डिसीजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी व्यक्तिगत पार्टी गयी और उसने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ऐसी कौनसी अथारिटी है यू० आई० टी० में जो कि जुडिशियल फैसले के खिलाफ भी उसे खालसा और यू० आई० टी० की जमीन मानने के लिए चैलेन्ज कर सकती है? इसका स्पष्ट मंत्री महोदय उत्तर दें।

तीसरी बात यह है कि यू० आई टी० ने स्वयं ने सन् 1971 के अन्दर यहां पर निर्माण की इजाजत दे दी तो दूसरा यू० आई० टी० जो अब आई है और जिसके अध्यक्ष आपके जनसंघ या आर० एस० एस० की विचारधारा के बने हैं, मुझे इससे तो कोई गिला नहीं चाहे आप अपनी पार्टी के चैयरमैन सब जगह बनायें लेकिन आपकी

(श्री शंकरलाल)

पिक्चर जनता में क्या होगी ? आप बतायें कि अध्यक्ष होने से यू० आई० टी० का पहले का निर्णय और पहले की ली हुई इजाजत है तो यू० आई० टी० का चेयरमैन बदलने से दूसरी बात कह सकते हैं ? क्या वह उसको रिव्यू कर सकते हैं ? और अगर कर सकते तो हैं किस कानून के तहत ? इसलिए यह तीनों बातें हैं जुडिशियल कोर्ट का फैसला, यू० आई० टी० का पहले का फैसला और मेरी व्यक्तिगत जानकारी मैं बचपन से वहां पढ़ा सोजती गेट के बाहर। इन तीनों बातों को सामने रखते हुए स्पष्ट करें कि वह वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी है।

इसके अलावा बाहर नौजवानों ने विधान सभा के बाहर भूख हड़ताल जारी कर रखी है और अपने हकों और न्याय के लिए कर रखी है इसलिए हमने भी उस बात को विधान सभा में उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको बहुत ही मामूली मामला समझ कर नहीं टालें। जोधपुर में और पाली में भी और सारी जगह इसकी चर्चा है क्योंकि वहां जोधपुर में यू० आई० टी० के अन्दर जनसंघ और आर० एस० एस० के आदमी को चेयरमैन बनाया जो कि वक्फ की प्रोपर्टी को हड़प करना चाहते हैं। इसलिए सरकार अपने दामन को साफ करना चाहती है तो माइनोरिटी के प्रति न्याय की बात करे, मंत्री महोदय स्पष्ट घोषणा कर दें। आपके सामने हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यू० आई० टी की पहले की इजाजत है। आप कह दीजिए कि यू० आई० टी० ने जो दखलन्दाजी की है और जो खालसा की जमीन बता कर यू० आई० टी० लेना चाहती है वह गलत है और हम अभी यह आदेश प्रसारित करते हैं टेलीग्राफिकली, तब तो हम समझेंगे कि आप एक मंत्री के पद पर बने हुए भी और बिना किसी दलगत राजनीति के फैसला लेने में सक्षम हैं वरना हमें भी सन्तोष नहीं होगा। आप टालमटोल का जवाब दे देंगे तो हम सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए इसका निर्णय आज ही लें और बाहर जो नौजवान भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे भी मिल कर आप उनको सन्तोष दें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में पहले भी जनरल सवाल विधान सभा में उठा है, इस विषय में अभी चर्चा हो रही है और आज विधान सभा के सामने माइनोरिटी के लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मंत्री महोदय को और 6 अन्य सदस्यों को कापी 3–3–79 को सूचना के लिए भेजी है कि हमारे चांदशाह के तकिये पर नगर विकास न्यास ने कब्जा कर लिया, उसके बारे में उनमें असन्तोष है। 3–3–79 से शुरू होकर आज भी यह हालत है कि सुनाई नहीं होने के कारण उन लोगों ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। सरकार ने समस्या को हल करना तो दूर रहा बल्कि उनको विधान सभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जोधपुर के इस सवाल को लेकर विज्ञापन दें उसके बाद भी सरकार सुनाई नहीं करती। यह सरकार सुनती हुई भी बहरेपन का पार्ट अदा कर रही है। यह सवाल बार बार उठा और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय पीपाड़ के मुस्लिम समाज की जमीन पर

(श्री नूरा)

जबरन कब्जा किया है। यह भी मामला सामने ग्राया है। माइनोरिटी के लोग मांग-पत्र लाते हैं, विज्ञापन देते हैं ग्रौर सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है। यह क्या है? इसीलिए वह ग्राज भूख हड़ताल पर बैठे। बिना भूख हड़ताल किये यह सरकार जागे नहीं ग्रौर कुछ नहीं करे तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इसको महत्व नहीं दिया इसलिए टालमटोल करती है।

इस माइनोरिटी समाज के मंत्री श्री महबूब ग्रली जी के लिए मैं कहता हूं कि या तो उनके पास काम ज्यादा है उससे फुरसत नहीं है या फिर वह स्टेट मिनिस्टर हैं इसलिए वह पावरफुल नहीं हैं या वह खुद लापरवाह हैं। इस स्थगन प्रस्ताव के तहत मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के बारे में बार बार सवाल उठते हैं, मांग-पत्र देते हैं, ज्ञापन देते है ग्रौर विधान सभा के सामने भूख हड़ताल करते हैं, यह लोग माइनोरिटी में हैं, कम है इसीलिए सरकार ध्यान नहीं देती। इसलिए मेरा कहना है कि ज्योंही सवाल उठे समस्या का हल होना चाहिये। मैं कहता हूं कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके कारण वक्फ बोर्ड के मंत्री महोदय या तो इसे टालना चाहते हैं या फिर बीच में पड़ कर इस समस्या का हल नहीं करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह समस्या हल नहीं हुई ग्रौर भूख हड़ताल हुई तो लोग कुछ ग्रौर भी कदम उठा सकते हैं। इस मजबूरी को सरकार समझे ग्रौर समस्या का हल करे। यही कहना चाहता हूं।

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम इसी समस्या का जिक्र करने में है। मैं बहुत ग्रदब के साथ ग्रापके माध्यम से यू. ग्राई. टी. के मंत्री महोदय श्री भंवर-लाल जी शर्मा ग्रौर वक्फ बोर्ड के मंत्री जी, जो कि करीब-करीब बोगस से नजर ग्राते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर की इस जमीन के साथ-साथ वक्फ के कई ऐसे मसायल हैं, यह स्वाभाविक है, ग्रकीदत की भावना को रखते हुए। काम्युनल हारमोनी को बनाये रखने के लिये, गैर कानूनी तरीके से सरकार जमीन का कोई हिस्सा मुसलमानों को दे दे, मैं यह रहम की दरख्वास्त नहीं करता लेकिन जो जायज मतालबा है, जिसका न्यायालय ने फैसला कर दिया, जिसके लिये बार-बार रिप्रेजेन्टेशन मौजूदा सरकार को दिये गये, ग्रदालती हस्तक्षेप रहा इसलिये 16 दुकानों के बाद ग्रौर नहीं बना सका या माली हालत नहीं थी कि काम पूरा करा सके। वहां के चेयरमैन, यू. ग्राई. टी. को ग्रादेश दें कि उस मूत्रालय को मिस्मार कर दिया जाये। इस प्रकार देश की जनता में, राजस्थान की जनता में भावनायें पैदा कर देते हैं। इस विचारधारा को देखते हुए मैं ग्राप से ग्रनुरोध करूंगा कि यू. ग्राई. टी. ग्रौर उसका विभाग दखलग्रन्दाजी न करे। यू. ग्राई. टी. इतनी बड़ी संस्था ग्रगर छोटी-छोटी बातों में न जाये। शहर के बीच में जमीने हैं, बहुत कीमती हैं ग्रौर हर ग्रादमी वाइटल दिलचस्पी रखता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(64)

(श्री अब्दुल अजीज)

इसलिये इन जमीनों पर नजर हो जाना स्वभाविक है। आप संजीदगी से इन मसायल को तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसकी एक कापी सदन की मेज पर रखता हूं। 16-10-78 को फैसला हुआ है। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है

"Upon hearing the counsel, the Court dismissed the special leave petition and vacated the ex-parte stay order. The Court further directed that the High Court shall dispose of the case pending before it expeditiously."

यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इतनी बात हो जाने के बावजूद, वहां यू. आई. टी. उस पर नजर रखे, वहां की यू. आई. टी. का चैयरमैन इतना बदजन हो जाये मुस्लिम काम्युनिटी से। यू. आई. टी. हस्तक्षेप करती है तो इसके लिये मंत्रिमण्डल भी दोषी हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि कोई एक इंच भी सरकारी भूमि दी जाये, जो उनका अधिकार है वह उसको मिले। कम से कम काम्युनल हारमोनी को बनाये रखने के लिये आप हस्तक्षेप करे, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उनको आप संतोषजनक उत्तर दें। नवाब कल्लन खां की जमीन है। चैयरमैन साहब है उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। यू. आई. टी. जयपुर के अन्दर जमीन है। भूरे शाह का कब्रिस्तान है जो जयपुर यू. आई. टी. के अन्तर्गत है। इन मसलों को तय कर दिया जाना चाहिये। यह छोटे-छोटे मसले सदन में आने की जरूरत नहीं है। अगर दरियादिली से काम लिया जाये, तंग नजरिया न रखा जाये, तो मैं समझता हूं इन मसलों का यहां जिक्र करने की जरूरत नहीं। इसलिये मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि विपाड़ सिटी की जमीन है 36 × 29, जिसके बारे में उन्होंने कलेक्टर को लिखा है कि वक्फ की जमीन पर तामीर न करने दें। आप ताज्जुब करेंगे वह जमीन, जहां मुसलमान काम करना चाहते हैं, धारा लगाकर कुर्क कर ली। वे सरकार के सामने कैसे लड़ सकते हैं। इस किस्म की छोटी-छोटी बातें संजीदगी के साथ तय करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जयपुर, उदयपुर की वक्फ की प्रापर्टी के बारे में सदन में अर्ज करता रहा हूं। हमारी इस प्रेम भावना को हमेशा कायम रहने दें। कोई खतरा पैदा हुआ तो उसकी कान्सीक्वेन्सेज के लिये आपका मंत्रालय और आपकी सरकार जवाबदार होगी।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि जोधपुर से कुछ मुसलमान युवक जयपुर आकर विधान सभा के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। अव्वल तो मुस्लिम समाज के अन्दर इतनी जागृति नहीं है आज कुछ लोग जागृति करके यहां बैठे हैं, वह एक महत्वपूर्ण मसला है इसको आसानी से नहीं टाला जाये। कुछ समय पहले विधान सभा के अन्दर मैंने 5 करोड़ का मसला पेश किया था। इसी प्रकार के मसले को लेकर भूख हड़ताल पर

(श्री गुल मोहम्मद)

बैठे हुए हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था और साथ ही जो मिनिस्टर हैं विरदीमल सिंघवी उनसे बातचीत की। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की प्रापर्टी यहां की बजाय सिटी के बाहर दे दें। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आवश्यकता है उनको दूसरी जगह देने की ? 26–2–71 को नो-आब्जेक्शन दे दिया, बाकायदा दुकान बना ली गई और इसकी परमिशन वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने 21–5–71 को दे दी, ले आउट के हिसाब से तामीरात करवा ली गई। 16 दुकानें जोधपुर सोजती गेट के पास तामीर कर दीं। लेकिन कुछ समय बाद इन दुकानों के बारे में नोटिस दे दिया। यह इस प्रकार का काम है यह अशोभनीय है। यह वक्फ प्रापर्टी है इसका ताल्लुक यू. आई. टी. से

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

नहीं है। वक्फ बोर्ड अक्षम हैं इस काम के अन्दर। उसके पास कोई पावर्स नहीं है। मंत्री महोदय किसी की तरफ ध्यान देते नहीं। एक बात और कहना चाहता हूं जो यू. आई. टी. का गठन किया गया है, उसमें मुस्लिम वर्ग का कोई सदस्य नहीं है। यह भी एक खेदजनक बात है। इस प्रकार की जो भावनायें दिलों के अन्दर हैं, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भावनाओं को निकालें। जो धारणा चल रही है, इस पर चिन्तन करें, अन्यथा इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस प्रकार से यहां रखा गया, एक ऐसी बात कही कि मंत्री आर.एस.एस के हैं, अध्यक्ष आर.एस. एस के हैं और मुख्य मंत्री जनसंघ के हैं, ऐसा लगता है कि मानों उनके ख्याल में शोषण हो रहा है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था। जोधपुर के गजसिंह जी ने एलान किया कि मैं यह तय नहीं करता हूं जमीन मेरी है। अपनी मांग वापस लेता हूं और यह जमीन आपकी मानता हूं, मुसलमानों की मानता हूं। इस वक्फ की जमीन पर मूत्रालय बना रहे हैं। इस देश की कम्पोजिट संस्कृति, जिसके कारण लाखों लोगों ने बलिदान किया है, की नींव खोदने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, खास तौर से यहां बैठने वाले हमारी सरकार के महरबान दोस्तों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुसलमानों के जजबात को धक्का लगता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब बिल आया तो यहां मानकचौक की चौपड़ पर एक साहब ने आवाज मिलाई थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमान गद्दी पर बैठ गये। अगर हिन्दुस्तान में जम्हूरियत को कायम रखना है तो हम हिन्दुस्तान के मुसलमानों के जजबात को भी सामने रख कर चलें। जब महाराणा प्रताप और अकबर बादशाह की लड़ाई हुई तो महाराणा के सिपहसालार हकीम तकी ने आगे रहकर जिस तरह रहनुमाई की और जंग में बलिदान किया, उस पर आज भी हिन्दुस्तान के हिन्दू या मुसलमान सिर झुकाते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे आर.एस.एस के भाई उस बलिदान को भूल जायें, उन

(66)

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

जजबातों को भूल जायें, इससे और अधिक शर्म की बात नहीं है। इसलिये खास तौर से जब सरकार पर हमारा कब्जा है तो इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिये कि मुसलमानों के जजबातों से छेड़छाड़ न हो। आज वक्फ प्रापर्टी पर मूत्रालय बनाया जा रहा है और इसी बात पर अंगुली उठा कर कहा गया कि आर.एस.एस. के व्यक्ति जान-बूझकर छेड़छाड़ करते हैं। खास तौर से उन्होंने मुझे कहा इस बात को कि मैं आपके सामने, सदन के सामने इस मसले को रखूं कि जो मुसलमानों की वक्फ प्रापर्टी के साथ छेड़छाड़ की है उसकी ओर तवज्जह देकर ध्यान देना चाहिये। सरकार की तरफ से कहा गया कि पांच करोड़ रुपया बकाया है, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में पांच करोड़ बकाया है, सरकार उस ओर तो बेखबर है और जो जमीन है तकिये की उस पर मूत्रालय बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ मंत्री के कारण, उसकी बुलन्दी के कारण, उसके होसले से कब्रिस्तान के स्थान पर सिनेमा बन जाय तो मेरा यह भी निवेदन है कि सिनेमा में कठपुतलियां नाचेंगी तो वहां की रूहें, जो आराम फर्मा रही हैं, फड़फड़ा कर उठेंगी तो क्या उनकी कयामत आज ही करवा देंगे। आज मुसलमानों ने कहा है कि उनके अमन-चैन को भंग करने की साजिश रची जा रही है और जब वे रूहें फड़ फड़ा कर उठेंगी तो न मालूम क्या जलजला लायेंगी। इसलिये आप पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिये। 50 करोड़ की प्रापर्टी वक्फ की मुसलमानों की है और आज 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान नहीं हैं तो मैं कहता हूं मुसलमानों की तरक्की के लिये अपना वक्फ बोर्ड का रुपया ही काफी है। इसलिये मैं पुरजोर दरख्वास्त करता हूं चाहे कोई चान्द शाह का तकिया हो और चाहे कहीं कोई कब्रिस्तान का मसला हो उनके जजबातों के साथ छेड़छाड़ मत कीजिये। आप ताज्जुब करेंगे एम. एल. ए. क्वार्टर्स के सामने नवाब कल्लन की 25 बीघा जमीन है जो वक्फ बोर्ड के लिये दे रहा है। उसमें भी हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री सतीश चन्द्र जी अग्रवाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को न दी जाय जब कि आज मुसलमान भाइयों का भी हमारी सरकार को लाने में पुरजोर हाथ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि नवाब कल्लन की जमीन को खतम करके वक्फ बोर्ड को दे दें। सबसे बड़ी बात जिस पर ध्यान देना है वह है हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति की मूल भावना को बनाये रखना। चाहे चान्द शाह के तकिये पर मूत्रालय बने और चाहे यहां पर कब्रिस्तान पर सिनेमा बने, इस मिली जुली संस्कृति की एकता को कायम रखना है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान की उस वीर भूमि हल्दीघाटी, जहां से, श्रीमान्, आप तशरीफ ला रहे हैं, पर सभी तरह के लोग सिर झुकाते हैं और उस मिट्टी को माथे पर चढ़ाते हैं। उस भूमि पर हकीम खां का भी बलिदान रहा है, राजपूतों का भी बलिदान रहा है, हिन्दुओं का भी बलिदान रहा है इसलिये हिन्दू, मुस्लिम और आदिवासी सभी मिल कर उस रक्त तलाई का ध्यान कर महाराणा प्रताप के आदर्श जीवन को ग्रहण करते हैं और उचित सम्मान देते हैं।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

अब मैं दो शब्द माननीय वक्फ मंत्रीजी को भी कहूंगा जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, मुख्य मंत्री जी ने उन्हें बनाया है लेकिन जिनके नाम पर मंत्री बने हैं, उनके जजबातों की सुरक्षा के लिये बने हैं अगर वे ढिलाई करते हैं और सरकार मुसलमान भाइयों की अवहेलना करती है तो निश्चित रूप से उन्हें अपना वक्तव्य देना चाहिये। अगर इस तरह चान्दशाह के तकिये पर मूत्रालय बनाये जाते रहे, यहां पर कब्रिस्तान पर सिनेमा बनता रहा और यदि वे मुसलमानों के जजबातों का सम्मान नहीं कर पायेंगे तो उनमें एक तरह का रोष पैदा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हिम्मत से काम करिये और डटकर विरोध करिये कि न तो इस तरह तकियों पर मूत्रालय बने और न कब्रिस्तान पर पुतलिया नचाने वाला कोई सिनेमा बन सके।

धन्यवाद।

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय मैं भी जोधपुर जिले का रहने वाला हूं अतः जोधपुर की वक्फ सम्पत्ति के बारे में....

श्री अध्यक्ष : बहुत चर्चा हो गई माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी पर सिनेमा बन रहा है और उसमें जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री का हाथ है। कृपया. बजरंगलालजो, उन वरिष्ठ मंत्री का नाम बताने की कृपा करें। सबका नाम क्यों लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : मैं भी वहां के ट्रस्ट का मैम्बर हूं। न तो, अध्यक्ष महोदय, यह मसला ट्रस्ट के सामने आया है और न ही इस प्रकार की कोई दुर्भावना का विचार ही हुआ है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : माधवसिंहजी, आपको कुछ पता है नहीं....

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : बजरंगलालजी जानकारी आपको ही दें और जन्म-जन्म तक दें....

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : यू. आई. टी. के तोड़ने के आदेश हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद जहूर (कामा) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के कब्रिस्तान पर यू. आई. टी. कब्जा करना चाह रही है। 25–30 लड़के जोधपुर से आए हुए हैं जो आज विधान सभा के सामने भूख हड़ताल पर बैठे है और वे अपने हकों के लिये लड़ रहे हैं। यह हमारा हक है कि उनकी न्याय की मांग को यहां रखें। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने भी मह भूमि वक्फ बोर्ड की मानते हुए फैसला भी कर दिया है फिर यू. आई. टी. किस रूप में अपना हक जमाना चाहती

(68)

(श्री मोहम्मद जहूर)

है ? यह उनके हकों के प्रति घोर अन्याय है और ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहूंगा कि जोधपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में वक्फ बोर्ड की जमीन है जिन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। आज भी वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी का पांच करोड़ रुपया किराये का बाकी है जिसकी वजह से हमारे यहां बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये पैसा नहीं है। एक तरफ तो सरकार गरीबों को ऊंचा उठाना चाहती हैं और उनको ऊंचा उठाने की स्कीम चला रही है और दूसरी तरफ उन गरीब कर्मचारियों को गरीबी की रेखा से भी नीचे ले जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जोधपुर का मसला है उसमें हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की जमीन मान ली है और यू. आई. टी. ने भी मान ली है क्योंकि 16 दुकानें यू. आई. टी. की इजाजत से बनाई गई थीं। अब उन 16 दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दे दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ मंत्री से गुजारिश करूंगा कि अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए और मुख्य मंत्री पर जोर देकर हमारी वक्फ प्रोपर्टी पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उनसे जल्दी से जल्दी खाली कराई जावे जिससे वक्फ बोर्ड आसानी से और आगे बढ़ सके।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि अल्प संख्यकों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जावे और जो जोधपुर का मसला है उस पर आज ही फैसला करके जो लड़के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनको उठाया जावे और यह विश्वास दिलाया जावे कि जो यू. आई. टी. कब्जा कर रही है वह वक्फ बोर्ड की जायदाद है और उसको दी जाएगी। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो बजने वाले हैं, फिर जीरो आवर भी पूरा होना है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। अब इस पर चर्चा समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जिस प्रकार की सत्ता पक्ष के लोगों में होड़ लगी हुई है बोलने के लिए, जिस प्रकार से बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जीरो आवर का विरोधी पक्ष का रिजर्वेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बता दें कि जीरो आवर में केवल विपक्ष के लोग ही बोलेंगे, ऐसी व्यवस्था आ जाएगी तो हम नहीं बोलेंगे वरना हमें भी बोलने का अधिकार है।

श्री शंकरलाल : जवाब आने दीजिए साहब।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वक्फ

(श्री बालकृष्ण थानवी)

मंत्रीजी का ध्यान मुस्लिम यूथ कनंरो, जोधपुर के कार्यकर्त्ताओं द्वारा जोधपुर स्थित चांदशाह के तकिये वाले भू भाग को लेकर विधान सभा के सामने किये जा रहे क्रमिक अनशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त करें। मैं इस बारे में और चर्चा नहीं करने दूंगा।

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं दो मिनट का ही समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया है, माननीय सदस्य। आज सदन के सामने शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण मांग है।

श्री बालकृष्ण थानवी : दो मिनट के लिए आज्ञा हो जाय।

श्री अध्यक्ष : अब जाने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मांडल में खांडसारी वालों से गन्ने की बकाया के विषय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कौन से विषय पर बोल रहे हैं.....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप चुप रहिये। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि गन्ने वालों का पैसा बकाया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्योपतसिंहजी, आप सुन लीजिए, Please hear me. माननीय अध्यक्ष महोदय, चान्दशाह की तकिया खोजबीन को लेकर सदन में एक लम्बा विचार चला और इस इश्यू को माननीय सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से रखा। कुछ सदस्यों ने तो इसकी वास्तविक स्थिति के समाधान के लिए चिन्ता व्यक्त की और अपने विचार रखे। कुछ सदस्यों ने, जो राजनैतिक दृष्टि से पीड़ित हैं, राजनीति के अलावा कोई धन्धा नहीं है जिनका, उसे ऐसे ढंग से रखा है कि उसका उत्तर तो मैं अभी नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : You are not aware of the facts.

श्री भंवरलाल शर्मा : I am aware of the facts. Please hear me. Keep patience.

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर....

(व्यवधान)

70

श्री अध्यक्ष : क्या है पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर, माननीय सदस्या ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री अब अपना वक्तव्य दें तो राजनीति को बीच में न घसीटें और मात्र फैक्ट के आधार पर बात रखें। यह इनकी आदत है कि हर प्रश्न के जवाब में राजनीति को घसीट कर वातावरण को ख्वामाख्वाह बिगाड़ते हैं ।

श्री शंकरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी पॉइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ।

श्री रामनारायण चौधरी : मन्त्री महोदय, जो एलीगेशन लगा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ।

श्री शंकरलाल : अगर ग्राप अभी की कार्यवाही का मुलाहिजा करेंगे तो माननीय सदस्यों को राजनीति के अलावा कोई धन्धा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीति एक धन्धा है और राजनीति के अलावा दूसरा कोई धन्धा नहीं है। यह माननीय सदस्यों पर लांछन है। राजनीति तो आपका भी धन्धा है, तभी तो आप यहां पर बैठे हैं। अगर राजनीति में नहीं होते तो आज आप इस कुर्सी पर नहीं होते, यहां पर मिनिस्टर नहीं होते। इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय कि राजनीति के अलावा धन्धा ही क्या है ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है ।

श्री शंकरलाल : क्या राजनीति धन्धा है ? अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें कि क्या राजनीति धन्धा है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें कि क्या राजनीति कोई धन्धा है ।

श्री अध्यक्ष : राजनीति धन्धा तो नहीं है लेकिन प्रोफेशनल पोलिटिशियन भी इस देश में काफी हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मतलब यह है कि यहां पर जो माननीय सदस्य हैं उनको आप प्रोफेशनल पोलिटिशियन मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा मैं नहीं मानता हूं लेकिन मंत्री महोदय का मुंह भी बन्द नहीं कर सकता ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : लेकिन मन्त्री महोदय को शालीनता से बोलने के लिए तो कह सकते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : धन्धे से मेरा मतलब था कि हर बात में राजनीति आती है। आप करेक्ट कर लीजिए ।

श्री रघुनन्दन व्यास : आप जवाब दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनिये। अभी जो चर्चा की है उससे यह लगता है, यह स्पष्ट है कि इस मामले को लेकर विभिन्न न्यायालयों में कई अर्से तक विवाद रहे हैं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय कर दिया है कि यह जमीन वक्फ की है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई ताकत इसे नहीं छीन सकती। रहा सवाल इस बात का कि इस स्थिति से बड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, उसके बारे में यहां पर चर्चा की है और कहा कि जो अध्यक्ष हैं वे आर. एस. एस., जन संघ घटक के हैं। माननीय खेतसिंहजी ने, माननीय मथुरादासजी माथुर ने इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया, बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी, माननीय श्योपतसिंहजी ने रखी लेकिन कुछ सदस्यों ने कहा है इसके लिए। उनकी जानकारी के लिए....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : This is worthy of the Mini ter.

श्री भंवरलाल शर्मा : उनकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि 4-4-77 का जो उन्होंने फैसला पढ़ा है, रामकृष्ण दासजी सुनिये, 4-7-77 के जिस फैसले के अनुसार यू. आई. टी. ने यह फतवा दिया है कि यह जमीन सरकारी है, राज्य की है। उस समय आपको ध्यान में होगा कि ता. 4-7-77 को जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे अध्यक्ष नहीं थे इसलिए बोलने से पहले अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा यह मतलब नहीं था, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कोई अन्ताक्षरी नहीं है। Let me finish. Keep patience. Learn manners.

(व्यवधान)

तो मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कोई लम्बी चर्चा करके मामले को उलझाने का विचार नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको राजनीति का विषय न बनायें। जैसा अभी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है कि यह वक्फ की प्रोपर्टी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हुआ, इससे क्या मतलब है। आपसे मांगते हैं, मायनोरिटीज के लोग मांगते हैं, उसके लिए कहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको जानकारी होगी लेकिन बिना किसी पत्रावली को देखे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन निश्चित रूप से मानिये कि जो भी निर्णय होगा उससे आपको संतोष होगा।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मन्त्री महोदय हम आपके बड़े शुक्र गुजार हैं कि आपने बड़ी दरियादिली से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह आप मानेंगे, सभी को मानना पड़ेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। हम तो आपसे यह यह जानना चाहते हैं कि चांदशाह के तकिये की जमीन का जो नक्शा दुकानों का बना कर, मास्टर प्लान तैयार करके आपको

72

(श्री मथुरादास माथुर)

पेश किया है, उसकी इजाजत आप उनको दे देंगे ? इतना ही आश्वासन आपसे चाहते हैं। यह कब दे देंगे ? पत्रावली आपके पास में पड़ी है। आप मेहरबानी करके यह बता दीजिए कि इजाजत कब देंगे ? आप हम से क्यों नाराज होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपसे नाराज होने का सवाल नहीं है। जिस प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने इसको रखा है, उनके लिए कहा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये विरोधी पक्ष में फूट डालना चाहते हैं। समस्या का हल नहीं कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उनकी ऐसी मन्शा नहीं थी।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मथुरादासजी ने कहा, मन्त्री महोदय के पास फाइल पड़ी हुई है। उसका मास्टर प्लान पेश कर दिया गया है और इसकी इजाजत चाहिए। इतनी सी बात थी तो इस पर यह जो सारी चर्चा हुई, वह क्या सीधी राजनीति नहीं लगती?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह राजनीति की बात आप लोग कर रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह हकीकत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। सदन का समय बहुमूल्य है। इस पर चर्चा को समाप्त करें।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। चालीस विद्यार्थी हैं। यह दूसरा दिन है। इसलिए हमको दर्द है। आप आश्वासन दें तो उनकी भूख हड़ताल तुड़वा दें। आप यह आश्वासन दे दें कि मास्टर प्लान के हिसाब से इजाजत दे दी जाएगी। ऐसा कुछ तो कहें ताकि हम जाकर के उनको यह कह दें। आप भी चलिए हमारे साथ में। यह तो आप कबूल करो। इतनी बात कह दें। वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए आश्वासन दीजिए। आप कह दीजिए सरकार का यह आश्वासन है। इसके लिए दर्द है। यह एश्योरेन्स दें।

श्री गुल मोहम्मद : इस जमीन के अलावा दूसरी जगह जमीन दे दी जाएगी और यह यू. आई. टी. टी. रखना चाहती है। यह यू. आई. टी. लेना चाहती है। परन्तु यू. आई. टी. इस जमीन को न ले, यह वे लोग चाहते हैं। आप चल कर भूख हड़तालियों को कह दें। यह सीधी सी बात है। वे आपके आश्वासन पर भूख हड़ताल तोड़ देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने इस विषय में स्पष्ट बात कह दी है। जो यह बात कही गयी है कि पत्रावली मेरे पास आई है। पत्रावली मेरे पास आई है। पत्रावली मेरे पास नहीं भी होगी तो भी With in fort night I will decide the matter.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : This is the reply of the Minister.

श्री महबूब ग्रली : ग्रध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड के बारे में इस सदन में बहुत सी बातें कहीं गई हैं। कुछ बातें मेरे सम्बन्ध में यहां पर कही गई हैं....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रापको क्या ग्रधिकार है। You are a Minister without power.

श्री शंकरलाल : ग्रध्यक्ष महोदय, वक्फ मन्त्रीजी को कहने दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्रध्यक्ष महोदय, वक्फ विभाग के मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, यह कोई जोधपुर के वक्फ का सवाल नहीं हैं। राजस्थान के सारे वक्फ बोर्ड्स का सवाल है। हमको माइनोरिटी के मिनिस्टर का ख्याल रखना चाहिए। उनकी बात को सुनना चाहिए।

श्री गुल मोहम्मद : इनको कोई पावर नहीं है। यह क्या कहेंगे। ये क्यों वकालत कर रहे हैं।

श्री महबूब ग्रली : ग्रध्यक्ष महोदय, जनता सरकार बनने के बाद से जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुग्रा है तब से इस वक्फ बोर्ड ने इस बात की कोशिश की है है ग्रौर राज्य सरकार ने भी इस बात की कोशिश की है कि जो लोग इसकी प्रापर्टी पर नाजायज तरीके से काबिज हो गये हैं, उनको ग्रलग किया जाए ग्रौर ग्रलग नहीं किया जा सकता है तो किसी तरह से उसको रेगुलराइज किया जाए ताकि वक्फ बोर्ड को पूरा रेन्ट मिले। पिछले वक्फ बोर्ड में जो लोग थे, उनके पूरे इतिहास का यहां पर बयान करूं, कांग्रेस के जमाने के वक्फ का, ग्रौर उसके जो ग्रध्यक्ष थे, मेम्बरान थे, उन्होंने बोर्ड की प्रोपर्टी को किस तरह से खुर्द बुर्द किया है, किस तरह से मिसयूज किया है, उसका बयान करने लगूं तो ग्राप ग्राश्चर्य करेंगे। यहां पर इस तरह की बात कही जाती है। यह सिनेमा का एग्रीमेंट उस वक्त के वक्फ बोर्ड ने किया था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : यह ग्रापके जमाने में हुग्रा है।

श्री महबूब ग्रली : यह पहले के वक्फ बोर्ड का एग्रीमेन्ट है....

श्री रामनारायण चौधरी : यह ग्रापने किया है....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : ग्राप तो जो विषय चल रहा है उसी विषय पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस सिनेमा हाल की परमीशन किस बोर्ड ने दी है, यह ग्राप बता दीजिए? यह ग्रारोप है कि जनता सरकार के एक सीनियर मन्त्री ने सिनेमा हाल बनवाने में पूरी मदद की ग्रौर ग्राप इसको नहीं रुकवा सके। क्या यह सही है?

श्री महबूब ग्रली : इसकी हाई कोर्ट में

(74)

(श्री महबूब अली)

रिट चल रही है। यह मामला सब जुडिस है।

(व्यवधान)

वर्तमान जनता सरकार जो कुछ कोशिश कर रही है....

श्री रामनारायण चौधरी : आपके जमाने में इस पर काम चला। आप यह सिनेमा बनवा रहे हैं, क्या यह सही नहीं है, आपके प्रेडेसेसर ने इस पर स्टे आर्डर दिया था कि यहां पर सिनेमा नहीं बनाया जा सकता है और आपने इस पर सिनेमा बनवाने की इजाजत दी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह सिनेमा हाल आपकी आंखों के सामने बन रहा है। उसकी जनता पार्टी में अप्रोच है। आप सब लोगों की कनाइवेन्स है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वक्फ प्रोपर्टी की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं इस सम्बन्ध केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि आप शिक्षा मन्त्री जी से कह कर चांद शाह का तकिया की जमीन के ऊपर जो कब्जा किया जा रहा है, यू. आई. टी. ने उस पर पेशाब घर बनवा दिया है, वह जमीन वापस दे दें। 15 दिन में आप फैसला कर लें। इसमें आप शिक्षा मन्त्री जी को सहयोग देकर वह जमीन उनको दिलवा दीजिए तो हम आपके शुक्र गुजार होंगे और कहेंगे कि आप एक ताकतवर मन्त्री हैं। यह हम आपसे चाहते हैं।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जमीन मुसलमानों को दिलाई जाएगी और नहीं दिलाई गई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊंगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री टीकमचन्द : अध्यक्ष महोदय, आर. के. दास गुप्ता बोलते हैं चीख चीख कर, उनका वोल्यूम कुछ कम हो इसके लिये कुछ किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जीरो आवर की भी कोई लिमिट होती है। अब आप पांच मिनट में बोल लीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है वह कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में है। नीम का थाना में एक गांव है नया बास, जहां कुछ लोग हैं जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर जिलों में और गुजरात प्रान्त में उन्होंने बहुत नकबजनियां की हैं। मैं एक पेसिफिक उदाहरण बताता हूं। हमारे यह तख्तमल ओझा के यहां एक महीने पहले एक चोरी हुई, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया करीब डेढ़ लाख की नकबजनी की है। ये जो नकबजनी करते हैं उसमें अधिकांश गोल्ड आरनामेन्ट और नगदी की चोरी करते हैं, कोई भी कपड़े और दूसरी किसी चीज की नहीं करते।

श्री श्योपतसिंह मकासर: इतना रुपया एक ही जगह रखा था क्या ?

श्री वृद्धिचन्द जैन: इसके बारे में जांच करने के लिये जो आफिसर इनवेस्टीगेशन करते हैं हमारे जिले से जो आफिसर जाते हैं, उनको सीकर की पुलिस, नीम का थाना की पुलिस सहयोग नहीं देती है और वह गिरोह इतना मजबूत है उनके पास जीप हैं, कार हैं बन्दूकें हैं, और दूसरे शस्त्र हैं जिनसे लेस होकर चोरी करते हैं, अभी तक कोई नकवजनी का केस क्लीयर नहीं हुआ है, न कोई बरामदगी हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी गृह मन्त्रीजी से प्रश्न किया था, मन्त्री प्रो. केदार साहब थे। अब भी मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं पुलिस की पूरी मदद से, एस. पी, डी. आई.जी. के अन्तर्गत पूरी फोर्स के साथ इनका इनवेस्टीगेशन नहीं किया जाय, रेड की जाय। पहले भी मुख्य मन्त्री बरकत. साहब के जमाने में पूरी ताकत से रेड की गई थी। ये बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं, बड़े बड़े मकान हैं, पालिटिकल प्रोटेक्शन है, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेक्शन था अब जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेक्शन है। ये मीणा जाति के लोग हैं, नया बास के लोग हैं। बराबर चोरियां करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि सरकार एक्शन ले, गृह विभाग एक्शन ले और एक्शन लेकर इस गिरोह को पूरी तरह से पकड़ा जाय और इनवेस्टीगेशन करके माल की रिकवरी की जाय। मैं चाहूंगा, गृह मन्त्रीजी इस पर प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष: अभी गृह मंत्री जी को प्रकाश डालने के लिये बाध्य न करिये। माननीय सदस्य रामनारायण चौधरी, आप भी बोल लीजिये अपने प्रस्ताव पर। दूसरे माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें तो ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अवलोकन किया होगा इतना इपोर्टेंट इश्यू आज राजस्थान में है। अध्यक्ष महोदय, मैं हास्पिटल में गया था उस सेन्टर की ओर जहां एन्टी रेबिक वेक्सीन के इंजेक्शन लगते हैं तो मेरे को 50–60 लोगों ने घेर लिया। 20–30 जयपुर के और सैकड़ों आदमी बाहर के थे जिन्हें कहा गया कि एन्टी रेबिक वेक्सीन इस हास्पिटल में खतम हो गये। कई लोग कह रहे थे कि हमारे 3–4 इंजेक्शन लग चुके हैं। मैंने मालूम किया तो यह स्थिति बताई गई कि इतने ही वेक्सीन मौजूद हैं जो 1–2 के लग जायं, बाकी के हम नहीं लगा सकते। अलवर से आने वाली महिलायें, बच्चे और जवान रोने लग गये। जब डाक्टर ने कहा कि वेक्सीन है नहीं, जब यह उनको बताया गया तो वे रोने लग गये। आज से पहले भी मैं 20 फरवरी को हास्पिटल गया था उस समय भी 200 आदमी थे जो एन्टी रेबिक सेंटर में जमा हो रहे थे उस वक्त भी वेक्सीन मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने भी मुझे कहा कि स्टाक खतम हो गया है। मैं डायरेक्टर साहब से भी मिला तो उन्होंने भी कहा कि स्टाक में वेक्सीन नहीं है और पूरे राजस्थान में भी उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के अस्पतालों में भी नहीं है और न किसी मेडिकल कालेज में है, कहीं भी मौजूद नहीं हैं। मैंने डाक्टरों से प्रश्न किया और डायरेक्टर से प्रश्न

78

(श्री रामनारायण चौधरी)

किया कि जिनके 4–5 इंजेक्शन लग गये उनको आपने मना कर दिया इससे इंजेक्शन लगने का क्रम टूट जायेगा तो परिणाम क्या होगा। मुझे बताया गया कि इसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन यह होगा कि लोग मरेंगे। इसलिये मरेंगे क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया। एन्टी रैबिक वेक्सीन में ऐसा होना चाहिये कि पागल कुत्ते ने काटा है तो 10 दिन के भीतर अगर डाउटफुल केस है तो इंजेक्शन शुरू हो जाने चाहिये और कंटीन्यूअसली वेक्सीन हो जाना चाहिये तब तो सौ पर्सेन्ट स्योरिटी है। अगर बीच में ब्रेक हो गया तो कांप्लेक्श हो सकता है। 14 से ज्यादा इंजेक्शन लगें यह बात भी नहीं है। तो, मान्यवर, पूरे राजस्थान में पिछले फरवरी माह में भी यही स्थिति पैदा हुई थी। अब मार्च में फिर यही हो गया। मान्यवर, पागल कुत्ते के काटे जाने के बाद, आप परिचित हैं इस बात से कि एक बार हाइड्रोफोबिया हो जाने के बाद दुनियां के किसी भी हिस्से मे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मान्यवर, सरकार रेस्पांसिबल है। इस बात के लिये, हास्पिटल खुले या नहीं, स्कूल खुलें या नहीं, चोरियों के बारे में इन्वेस्टीगेशन हो या नहीं हो लेकिन इस प्रदेश के आदमी हजारों की तादाद में मरेंगे। मैं आपके मार्फत चुनौती दे रहा हूं, आरोप प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज के दिन कितने आदमी एन्टी रैबिक वेक्सीनेशन सैन्टर में थे और कितने आदमियों को शार्टेज की वजह से डिसकंटीन्यू हुआ इसका दो साल बाद, 12 महीने बाद क्या असर होने वाला है। अगर ऐसा हुआ, अगर हाईड्रोफोबिया से लोग मरे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मान्यवर, उसके जो कान्सीक्यूएन्सेज होंगे, उसका रिएक्शन होगा तो एक के बाद एक खतम होंगे। मान्यवर, मुझे एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है हाइड्रोफोबिया होने के बाद इन्सान की वह हालत होती है कि दूसरे आदमी का उसके हाथ लगाने का प्रश्न नहीं उठ सकता है। उसकी लार लगने से हो खतरा हो जाता है, और किस तरह की हालत में वह मरता है वह कहा नहीं जा सकता है। यह हालत राजस्थान में क्यों हुई है। वेक्सीन की शार्टेज है इसलिए। पिछली बार भी मुझे जानकारी मिली थी कि इसकी कमी हुई थी तो हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने बात करके और मोरारजी भाई प्रधान मन्त्रीजी से कहलवा-कर वह अवेलेबल करवाये थे। मेरा कहना है कि आप क्यों नहीं व्यवस्था रखते हैं? मुझे जानकारी मिली है कि किस तरह से राजस्थान के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दो साल पहले 77 में एक आडिट आब्जेक्शन हुआ। पहले स्टोर रहता था। आडिट आब्जेक्शन हुआ तो आडिट वालों ने एतराज किया कि इतने वेक्सीन क्यों रखे कि आउट आफ डेट हो गये और उसको डेस्ट्राय करना पड़ा। इस बात के लिए जो रेस्पान्सिबल थे उनको चार्जशीट हो गई। मान्यवर, लाइफ सेविंग ड्रग्स का पर्याप्त स्टाक होना उपयुक्त है चाहे जो बच जायं उनको कूड़े में ही फेंका जाय। इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार के माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे डिटेल्स इसके देखिये। यदि राजस्थान सरकार में इतनी तंगाई आ गई है—तंगाई

(श्री रामनारायण चौधरी)

मारवाड़ी में आर्थिक कमजोरी को कहते हैं, इतनी आपको कमजोरी हो गई है, फाइनेन्सयली बेन्क्रप्ट हैं तो मैं राय देता हूं, हालांकि यह आपकी सोशल रेस्पान्सिबिलिटी है, यह आपका सामाजिक दायित्व है कि सरकार इन्जेक्शन्स अवेलेबल करे, आप उनसे इन्जेक्शन्स की फीस वसूल कर लें। वह देने को तैयार हैं। यह जीवन-मरण का मामला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आदेश दें कि किसी प्रकार से वह साल भर का स्टाक रखें और वह एक्जास्ट न हो। आउट आफ डेट हो भी जायें तो 1,2,5, या 10 हजार ही बेकार जायेंगे उसका आप पर क्या असर पड़ता है। यह सरकार सक्षम है। आज, मान्यवर, हाइड्रोफोबिया से लोग मरेंगे, आप कब इसके लिए प्रयत्न करेंगे। इसलिए आप मन्त्री महोदय को आदेश दें कि इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करें, और सदन को आश्वस्त करें, क्योंकि बाहर केआोस हो रहा है। उसमें शान्ति पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

यही स्थिति सीकर में हो रही है।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं बड़ी महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : आपकी सूचना हो गई। आप कृपया स्थान गहण करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : आधा मिनट में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पिछले साल भी मैंने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप कुत्ते तो मरवा दें अगर दवाई न दें तो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कह दिया।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, यह मूल्यवान दवाई बाजार में चुपके से बेची जा रही है जिसकी शिकायत हुई है। जालौर के अस्पताल में मौतें हुई हैं। मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इन्जेक्शन नहीं लगाने के कारण वहां दो मौतें हुई हैं। कम्पाउण्डर ने इस दवा को बेचा है लेकिन उसे अभी तक नहीं हटाया गया। इन्हीं की लापरवाही के कारण यह सारी चीज पैदा होती है। इन जीवन की रक्षा सम्बन्धी दवाइयों को बाजार में बेचा जाता है और इसके बदले में पानी के इन्जेक्शन लगाये जाते हैं लोगों के और इस कारण लोग मरते हैं।

श्री रणमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बीमारी पहले भी होती थी। यह पालरा पानी पीते ही असर करती थी तो उसके लिए पहले झाड़े का रिवाज था।

जयपुर में भी यह इन्जेक्शन खतम हो गये तो दूसरे जिलों का क्या हाल होगा, इसका अन्दाजा लगा लें। यह लोगों की

(श्री रणमलसिंह)

जिन्दगी का सवाल है। श्योपतजी ने कहा इन्जेक्शन की व्यवस्था नहीं करते हैं तो कुत्ते मरवा दें, इस काम को तो यह कर सकते हैं। इन्जेक्शन वाली बात इनसे नहीं हो सकती है, दवाइयां नहीं दे सकते हैं, इन्सानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कुत्ते मरवाने की बात तो हो सकती है। इससे कम से कम लोगों की सुरक्षा तो होगी। आप लोगों की रक्षा के लिये महरबानी करके इसका इन्तजाम करें। अगर आप इन्जेक्शन नहीं मंगा सकते हैं, इतना राज्य कमजोर है तो कुत्ते ही मरवा देंगे तो बीमारी नहीं होगी। यह बहुत भयंकर बीमारी है जो हमारे एम. एल. एज. की हालत होती है उसी तरह की हालत कुत्तों से काटने से हो जाती है और लोग पागल हो जाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जालोर तहसील में....

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय रामनारायण जी ने जो मुद्दा उठाया है वह वस्तुतः सही बात है क्योंकि एन्टी रेबिक इन्जेक्शन्स हैं उनकी बहुत कमी है। गत वर्ष भी यह प्रश्न यहां पर विधान सभा में उठा था। इसका निर्माण कसौली में होता है। इसका निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है। यहां से पूरा प्रयत्न किया जाता है। आदमी भेज कर भी मंगाया जाता है। जो प्रयत्न हम कर सकते हैं यहां से पूना से इसको मंगाने के वह प्रयत्न करते हैं, लेकिन जिस मात्रा में यह चाहिए उस मात्रा में यह उपलब्ध वहां से नहीं होता है। पूरा प्रयत्न करने के बाद भी यह स्थिति है कि वेक्सीन नहीं है। वेक्सीन का उत्पादन कम है, मिल नहीं रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाट वाटर अमेरिका से मिल सकता है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : हमारे यहां उत्पादन नहीं होता है। वहां से सप्लाई होता है। भारत सरकार का जो उत्पादन सेन्टर है उससे बराबर प्रयत्न जो कुछ कर सकते हैं वह करते रहते हैं और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतना उपलब्ध नहीं होने के कारण यह बात है।

दूसरी बात यह कही गई है कि लाइफ टेकिंग ड्रग्स उपलब्ध नहीं है तो सारे अस्पतालों में लाइफ टेकिंग ड्रग्स उपलब्ध हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही है कि लाइफ टेकिंग ड्रग्स हैं।

श्री त्रिलोकन्द जैन : I am sorry लाइफ सेविंग ड्रग्स। कसौली में भी कमी है और वेक्सीन अवेलेबल नहीं है। जितना भी अवेलेबल होता है वह पूरे प्रयत्न के साथ मंगाते हैं और कमी की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। राजस्थान में इसका हम उत्पादन नहीं करते हैं इसलिए हमारा इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। माननीय रामनारायणजी बना देते हैं तो ले लेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हां वहां से इम्पोर्ट कर सकते हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : जो लोग बेच रहे हैं....

श्री त्रिलोकचन्द्र जैन : राज्य सरकार ने इसके लिए लिखा है वहां से मंगाकर व्यवस्था करेंगे ।

श्री टीकमचन्द कांत : मैंने यह कहा है कि जालौर में कम्पाण्डर ने दवाइयां बेची हैं, यह इन्जेक्शन्स बेचे हैं । वहां पर लोगों को पागल कुत्ते ने काटा, वे मर गये हैं ।

श्री त्रिलोकचन्द्र जैन : जांच रिपोर्ट आयेगी तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : सांडवा में एक डाक्टर ने पैसा लेकर इन्जेक्शन लगाये थे । आपने इसके बारे में जांच का आश्वासन दिया था लेकिन 6 महीने हो गये और आपने कुछ नहीं किया । कोई सुनने वाला नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : वेक्सीन जैसी चीज अवेलेवल नहीं है स्वयं मन्त्री महोदय इस बात को मंजूर कर रहे हैं । वह केवल लिख सकते हैं मैं समझती हूं कि चिकित्सा मन्त्री पर राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोगों के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है । यह भयंकर बीमारी है हाइड्रोफोबिया की । इससे आदमी बुरी हालत में मरता है और उसकी लार से यह बीमारी दूसरे को लग सकती है । वह यह न समझे कि उनको नहीं लग सकती है । उनको भी लग सकती है । इसलिए उनका यह जो जवाब है बड़ा लचर जवाब है । आप पर साढ़े तीन करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा करने का दायित्व है । कितनी ही धनराशि खर्च करनी पड़े, लेकिन जीवन रक्षक दवाइयों का पूरा स्टाक रखें । अनुमानित रूप से किस हिसाब से कितने वेक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी वह आप रखें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द में भी अर्ज करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्षमहोदय, जो कुछ मन्त्रीजी ने कहा और जो बात सदन में आ गई है उससे आप स्वयं सन्तुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप मन्त्रीजी को फर्मावें कि यह जो सारी कमी आ रही है उसके लिए व्यवस्था करें ।

श्री त्रिलोकचन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की बिल्कुल कमी नहीं है । पूरी तरह से आदमी भेज कर, तार देकर उसकी आवश्यकता जहां के लिए होती है हम मंगाने का प्रयत्न करते हैं । व्यवस्था की कोई कमी नहीं है । उत्पादन की कमी है ।

श्री रामनारायण चौधरी : उत्पादन की कमी है तो आज ही आदमी को भेजेंगे तो परसों लेकर आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : रामनारायण जी ने यह माना है ।

श्री रामनारायण चौधरी : परसों तक अगर आदमी लेकर नहीं आ जाये तो कहना ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मनोहरसिंह जी, समय बहुमूल्य है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों ही आदमी गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : हां है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाइड्रोफोबिया के प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उससे मुझे भी सन्तोष नहीं है। यह कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। क्या म्युनिसिपॅलिटी को चिट्ठी लिखी है कि कुत्तों की बढ़ोत्तरी रोकी जाय ? आप कृपा करके स्वास्थ्य मन्त्री जी को आदेश दें कि वह तुरन्त दिल्ली पहुंचे और जैसे भी मुमकिन हो इन्जेक्शन की तुरन्त व्यवस्था करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : यह तो सर्वोदय के आदमी हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हाइड्रोफोबिया से बढ़ कर कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद कोई बच ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : एक बात अलग से कहूंगा। अपन सब जानते हैं। पैरेलल ब्लेक मार्केट चल रहा है। समानान्तर रूप से काला बाजारी चलती है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट्स के पास दवाइयां हैं। सरकार के हाथ लम्बे हैं। इन्हें इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, तहसील आहोर के ग्राम सनवाड़ा में तीन आदमी बन्दूक लेकर गये बन्दूक के नोक पर मैनाघासी का घर लूटा, और 30 हजार का माल लूटा। वह लूटने वाले तीन आदमी थे, करणीदान, मदनदान और नाथूदान। ये तीन आदमी नामजद किये गये हैं। अहोर तहसील के पास ग्राम में डकैती बन्दूक से डराकर करना भयंकर घटना है। जनता में इससे वहां पर आतंक छा गया है। तीन जने आकर बन्दूक की नोक पर दिन दहाड़े डकैती कर धन लूट कर ले जायें यह मामूली घटना नहीं है। उन तीनों की हिमाकत हुई कैसे ? तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा, डाकुओं के प्रति वह ऐसी कार्यवाही करें जिससे कि फिर अन्य लोगों की हिम्मत नहीं हो आगे वारदातें करने की। करणीदान ने एक डाकू को लूट के माल के बटवारे के समय मार ही दिया है। माल के बटवारे में यह घटना हुई है। मदनदान को जान से मारा है। अध्यक्ष महोदय, कल मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि हमारा राज्य तो पीसफुल है और कानून व व्यवस्था साल में अच्छी रही, दूसरी ओर ऐसी दिन दहाड़े डकैती हुई है। डाकुओं की ऐसी डकैती करने की हिम्मत कैसे हुई।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे इलाके का सवाल उठाया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि सुखारा गांव में मदन दान का घर है। वह बिल्कुल आमने

(श्री रघुनन्दन व्यास)

सामने है। मैनाघासी में डकैती हुई थी, उसमें बीरवल को सजा हुई थी। जेल से सजा के बाद ये तीनों इकट्ठे हुए। पुलिस मौके पर नहीं जा सकी। जिस व्यक्ति ने डकैती की उसके सामने रहता है। दोनों के घर में 100 गज का ग्रन्तर भी नहीं है। इस प्रकार से माल के बटवारे में गोली से मार दिया। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पूरी जांच करवायें। जांच करके जो भी होने वाला है, एस० पी० की शक्ति से उस पर चैक करवायें।

एक माननीय सदस्य : ग्राप तो बोलें।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं। ऐसा मान कर चलें।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी जो घटना की जानकारी माननीय सदस्य ने दी है, मैं स्वयं उनसे मिलूंगा, ग्रौर जो कुछ कर सकता हूं, वह करूंगा। ग्रभी वृद्धिचन्द्र जी ने भी फर्माया था। ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्राज से नहीं वर्षों से हैं....

(व्यवधान)

ग्रगर कुछ पहले प्रयत्न किया गया होता। वह काफी मालदार हो गया है। देश के प्रत्येक कोने में चोरी करता है। इसलिए विधान सभा में सवाल ग्राया है। हमने बात करके इसके बारे में कोशिश की है। कुछ केसेज में पकड़ा था। मैं पूरे डिटेल देना उचित नहीं समझता हूं। यह कहा गया है कि उनको राजनैतिक संरक्षण मिलता है। मेरे ख्याल में ऐसा संरक्षण देने वाला तो ग्रब कोई रहा नहीं है। राजनैतिक संरक्षण देने वाले ग्रगर कोई हैं तो ग्रब नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

इनकी ग्रलग ग्रलग टैक्टिस हैं। कहीं साइकिल की दुकान खोलते हैं। कहीं रिक्शा चलाते हैं। उसके लिए मैं सख्त कदम उठाऊंगा। सदन के माननीय सदस्यों के सामने मैं इतना ही निवेदन करूंगा जो लूट खसोट घरों में होती है, वह मेरे तरीके से देखूंगा। जब तक वह नहीं होता है, मसला हल नहीं होगा। उद्देश्य यही है कि हमारे समाज का भला हो, यही कोशिश करूंगा। ग्रभी माननीय सदस्य ने जो ग्राहोर में घटना हुई है, उसके बारे में कहा है। मेरे सामने जो जानकारी ग्राई है, वह मैं निवेदन करूंगा।

तहसील ग्राहोर के ग्राम सनवाड़ा में मैना घासी के घर करीब 18 हजार रुपये की लूट की एक वारदात हुई। इस वारदात को करने वाले मुल्जिमान करणी दान, मदनदार, एवं नाथूराम पाये गये। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना ग्राहोर पर धारा 392 ग्राई० पी० सी० के ग्रन्तर्गत पंजीकृत ग्रभियोग की तफतीश के दौरान मुल्जिम नाथूराम को बन्दी बनाया गया ग्रौर उसकी निशादेही से 91 तोला सोना, करीब दो किलो चांदी एवं चांदी के कड़े, एक बन्दूक व ग्रन्य सामान बरामद किया गया। मुस्तगीस के कथनानुसार इस वारदात में 6 हजार रुपया नगदी भी लूटा गया था जिसके सम्बन्ध में तफतीश से यह पाया गया

(82)

(श्री सम्पतराम)

कि यह रुपये चांदी के पुराने सिक्के के थे जो अभी बरामद नहीं हो पाये हैं।

इस वारदात के मुल्जिम करणीदान ने अपने एक अन्य सहयोगी मुल्जिम मदनदान की उदयपुर में हत्या कर दी जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना घण्टाघर (उदयपुर) में धारा 302 ता० हि० के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर तफतीश की जा रही है। लूट की घटना के मुल्जिम नाथूराम से पूछताछ के लिए उसे घण्टाघर थाना पुलिस द्वारा ले जाया जाकर पूछताछ की जा रही है। श्री करणीदान द्वारा मदनदान की जिस तमन्चा से हत्या की उसकी लाश के साथ तमन्चा भी जला दिया गया था, उस तमन्चे की नाल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है।

करणीदान के विपरीत उदयपुर में एक अभियोग पहले से भी पुलिस थाना घण्टाघर में धारा 307 ता० हि० के अन्तर्गत दर्ज है जिसकी तफतीश चल रही है। करणीदान इन घटनाओं के बाद फरार हो गया है, जिसको गिरफ्तार किये जाने की पूर्ण कोशिश की जा रही है। श्री मदनदान की हत्या के अभियोग की पुलिस थाना घण्टाघर द्वारा एवं लूट के अभियोग की पुलिस थाना आहोर द्वारा तफतीश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है—

श्री अध्यक्ष : आप छोड़िए।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सनसनीखेज घटना है, इस पर बोलना बहुत ही आवश्यक है, अगर आप समय नहीं देंगे तो मेरे साथ तथा मेरे इलाके की जनता के साथ यह अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आपके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं।

कृपया दो मिनट।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी और चिकित्सा मन्त्रीजी के कानों में यह खबर डालना चाहती हूं। भीवा की ढाणी, जो सोन्थली ग्राम की सरहद में बसी है, में होली से पहले वाली रात की घटना है, श्योनारायण के घर पर 15 हजार से 20 हजार की चोरी हुई। जब उसका पता लगा तो हमारे उस इलाके में खोजी होते हैं, वे पद चिन्हों को पहचानते हैं वह उन पद चिन्हों के आधार पर चलते चलते टोडी गांव में पहुंचे और जिस घर में वे गए उस घर के अन्दर थानेदार गुढ़ा स्वयं बैठा हुआ था और बात कर रहा था उस व्यक्ति के साथ। थानेदार गुढ़ा बचन मीणा के साथ बैठे बातें कर रहा था जो फरार है। जैसे ही गाँव वालों ने बचन मीणा को ललकारा कि तुम फरार थे अब बताओ माल कहां है? तो थानेदार ने बिना किसी से कुछ पूछे ही कि क्या बात है, तुम लोग कैसे आए हो, वहां से चुपके से खिसक गया। जब चोर भागा तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे भागे और जंगल में जाकर उसको पकड़ लिया। वहां मारपीट हुई, उससे पूछा गया कि बता माल कहां है। उसने खाली बक्सा

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

जाकर जंगल में डाल दिया और चांदी और सोने के जेवर तथा नकद रुपये लेकर चला गया, कपड़े तथा खाली बक्स जंगल में वहीं छोड़ गये। बहुत से सोने चांदी के जेवर थे। वहां पर मारपीट हुई, तो ऐसा है कि कुछ लोग चोरों की मदद के लिए भी होते हैं, कुछ मीणा और राजपूत जो चोरियां करवाते हैं........

एक माननीय सदस्य : जाट भी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जाट भी होंगे, मुझे इससे क्या मतलब। अध्यक्ष महोदय, बचन की मदद करने के लिए गांव के कुछ राजपूत एवं मीणा लोग वहां पर पहुंच गय और 15-20 भीवां की ढाणी के उन खोजियों में और बचन मीणा के साथियों में जमकर संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आईं। जिसके घर चोरी हुई अर्थात् श्योनारायण इत्यादि जब थाने पहुंचे तो उसका केस भी रजिस्टर नहीं किया गया

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

श्योनारायण एवं उसके साथी लोग, जिनके चोटें आई, गुढ़ा हास्पिटल में गए। यूं क्या, अध्यक्ष महोदय, पूरी बात तो कहने दीजिये। जब वे हॉस्पिटल में पहुंचे और कहा कि हमारी मरहम पट्टी कर दो तो डाक्टर ने उनसे एक हजार रुपये मांगे और कहा कि एक हजार रुपये दो तो मरहम पट्टी की जाय वरना वे झुन्झुनूं चले जायं। इसके बाद वे झुन्झुनूं गए तो वहां के डाक्टर ने कहा कि यह तो गुढ़ा थाने का केस है, गुढा डाक्टर के पास जाओ। बेचारे वापस गुढ़ा आए तो गुढ़ा डाक्टर ने उनसे कहा-कि मेडिको लीगल मामला है, आप झुन्झुनूं जाओ, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मेडिको लीगल रिपोर्ट चाहे आप मत देना हमारे टांके लगा कर हमारा उपचार तो करो। अध्यक्ष महोदय, उनके 16 टांके आए हैं, 350 रु० लेकर उनकी मरहम पट्टी की और मेडिको लीगल रिपोर्ट देने से मना कर दिया। फिर वे लोग मेडिको लीगल रिपोर्ट लेने एवं अपना मेडिकल परीक्षण कराने झुन्झुनूं आए लेकिन वहां के डाक्टर ने भी 1000 रु० मांगे और कहा एक हजार दो तो करूं नहीं तो नहीं करता हूं। आखिर नतीजा यह हुआ कि वे बेचारे गुढ़ा और झुन्झुनूं के बीच बार बार घूमते रहे। अन्त में गुढ़ा के डाक्टर ने उनके टांके तो जरूर लगा दिये लेकिन यह कह दिया कि झुन्झुनूं चले जाइये मैं आपकी कोई देखभाल नहीं करूंगा। वे बेचारे सोन्थली के वैद्य के पास पड़े हुए कराह रहे हैं। न तो किसी ने उनकी मेडिको लीगल रिपोर्ट दी और न मरहम पट्टी की और न ही कोई समुचित इलाज किया। दूसरी तरफ उस बचन मीणा की अविलम्ब रिपोर्ट भी दर्ज कर दी, उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट भी दे दी गई। केस भी श्योनारायण इत्यादि के खिलाफ 325 एवं 107 में दर्ज कर लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय गृह मन्त्रीजी, जो व्यक्ति फरार था, थानेदार ने उसको हास्टिपल भेजा, उसकी डाक्टरी रिपोर्ट भी आ गई, उसकी मरहम पट्टी भी कर दी गई। यह लोकतन्त्र का राज है या आदि समय की आपाधापी की

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

व्यवस्था। इस जमाने में जो चोर है, फरार है उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट दे दी, उसका तो केस रजिस्टर कर दिया, दवा दारु कर दी, और जिसके घर चोरी हुई उसका पैसा भी गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट भी नहीं दी उसका आप केस रजिस्टर नहीं करा। मुन्शी को कुछ ले देकर दो दिन बाद एफ. आई. आर. दर्ज की गई वह भी दो दिन के बाद घटना के दो दिन बाद। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह की अराजकता फैली हुई है, इस तरह अव्यवस्था है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं किसी को बख्सने वाला नहीं हूं। इसके लिए अब आप क्या कार्यवाही करेंगे, इस बारे में भी फर्माने की कृपा करें।

श्री सम्पत्तराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी करता हूं, उन्होंने जरा खेंचकर कह दिया। मेडिकल डिपार्टमेन्ट में वे स्वयं भी रही हैं और मैंने भी देखा है, पैसा देने का आदान प्रदान पहले भी होता था, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूं।

(व्यवधान)

इतनी चमक भी क्या है, एक शब्द भी आप सुनना नहीं चाहते। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। पहले होता था वह भी बुरी बात है।

श्री मथुरादास माथुर : पहले होता था, सम्पत्तरामजी, आप प्रवोक क्यों करते हैं। पहले कुछ भी हुआ करता था, अब आप तो सुधार कर लो। पहले होता था इसलिए जनता पार्टी उसको चलायेगी ?

श्री सम्पतराम : अभी जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनके आधार पर मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को चाहिए था कि झुन्झुनूं पुलिस से रिपोर्ट मंगाकर सेटिस्फाई करते, वह इन्होंने नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : जो सूचना मेरे पास आ चुकी है, वह पहले भी दी है, इसलिए इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। माननीय माथुर साहब भी मिनिस्टर रहे हैं, मैं भी रहा हूं, आप जानते हैं कि एटरेण्डम तो फैक्ट्स कहां से दिये जा सकते है।

श्री मथुरादास माथुर : झुन्झुनूं कोई बहुत दूर नहीं है, आप वायरलैस से और टेलीफोन से मंगा सकते हैं।

श्री सम्पतराम : आपने पहले 6–6 दिन तक स्टेटमेन्ट नहीं दिए हैं। मैं कह सकता हूं मैंने 99% एडजोर्नमेन्ट मोशन का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल दो मिनट।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही पूछना चाहता हूं कि गुढ़ा थाने का जो थानेदार है, मैंने भी माननीय मन्त्री

(श्री नवरंगसिंह)

महोदय को लिख कर दिया है, इस एक रिपोर्ट की ही बात नहीं है, बिना पैसा लिये ही रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वारदात सही है। एक ही नहीं, अगर मन्त्री महोदय तफतीश कराने को तैयार हों तो किसी निष्पक्ष अधिकारी से इसकी जांच करवायें, जितने भी मामले दर्ज होते हैं, इसमें शक नहीं कि वे पैसा खाकर ऐसा करते हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जो गुढ़ा हास्पिटल के सम्बन्ध में बात कही गई है इसके बारे में पहले भी जानकारी आई है। झुन्झुनूं अस्पताल के बारे में भी आवश्यक जांच करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मांडल में किसानों की भूख हड़ताल चल रही है। इस सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। उसको 4–5 दिन हो गए हैं। तारीख 15 से मांडल में काश्तकारों की भूख हड़ताल चल रही है। मांडल में खंडसारी के अन्दर किसानों के लगभग 3 लाख रु० बाकी हैं। एक तरफ किसानों का पैसा खण्डसारी में बाकी है, दूसरी तरफ सरकार की वसूली चल रही है। सरकार की वसूली हो वह तो ठीक बात है मगर जहां किसानों का पैसा नहीं आ रहा है, उसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास कितनी बार कार्यवाही करने के लिए गए मगर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। मजबूर होकर वहां के काश्तकारों ने तारीख 15 से भूख हड़ताल कर रखी है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि अविलम्ब सरकार खंडसारियों से पैसा दिलाने की व्यवस्था करे ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मन्त्री) : माननीय सदस्य मुझ से कल मिले थे, पहली बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तत्काल ही मैंने निर्देश दिए, आपके सामने ही, निर्देश दिए हैं, आप सेटिस्फाई होकर गए थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्द से जल्द उनके पैसे का भुगतान करायें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, कानसिंह आयोग ने महाराजकुमार अलवर के बारे में जो फैक्ट्स एण्ड फाइंडिग्स रखे उनको सदन में रखने की बात कही थी। उसके बाद मल्हन कमेटी बैठी उसकी भी रिपोर्ट आ गई। बाद में आपकी निगरानी में निर्णय हुआ था कि उसकी रिपोर्ट सदन में आएगी लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कुछ माननीय सदस्य, जो मन्त्रिमण्डल में है, अपना प्रेशर डाल कर उस रिपोर्ट को नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए घोषणा के अनुसार रिपोर्ट आनी चाहिए कि कैसे महाराजकुमार को मजबूर होकर मरना पड़ा। आप जैसे महान् व्यक्ति ने जब व्यवस्था दे दी सदन में तो आखिर असलियत तो मालूम हो जाए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था है तो मैं देख लूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

पुरः स्थापित किये जाने वाला विधेयक राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979

श्री हरिसिंह (जन स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान राज्य में जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिसिंह : मैं राजस्थान जलप्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को पुनः स्थापित करता हूं।

आय व्ययक (बजट) 1979-80।

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24, शिक्षा कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24, शिक्षा कला एवं संस्कृति के सम्बंध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,21,22,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल)
श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क)

1. राज्य की नई शिक्षा नीति की घोषणा अभी तक नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार)
श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

2. शिक्षा के क्षेत्र में हुई गिरावट व पदोन्नति में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

3. ललित कला शिक्षा के विकास की गति में शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

4. शिक्षा के साधन शहरों और ग्रामों में एक से उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिए।

5. ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली के 100 बीघा कृषि फार्म और पुराने एस. टी. सी. भवन को शिक्षा के लिये उपयोग में लेने हेतु चर्चा के लिए।

6. कोटपूतली पंचायत समिति क्षेत्र में

(श्री रामकरण सिंह)

पिछले वर्ष एक भी हाई स्कूल व हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोला गया, शिक्षण संस्था खोलने में भी पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए।

7. अध्यापकों के वेतन व बकाया बिलों का समय पर भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

8. हिजड़ों में सरकार खासतौर से शिक्षा का प्रसार नहीं कर रही उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने पर चर्चा के लिये।

9. कल्याणपुरा कलां कोटपूतली तहसील की कन्या शाला को बिना कारण बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

10. कोटपूतली क्षेत्र में छात्रावासों की कमी पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर चर्चा के लिए।

11. कोटपूतली क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं को वर्षों में भी नहीं संभाला गया है, उस पर चर्चा के लिए।

12. गांवों के स्कूल भवनों पर शहरों की अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिए।

13. अध्यापकों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की इस पर चर्चा के लिए।

14. शिक्षा संस्थाओं में साल भर अध्यापकों की कमी रहने से छात्र और अभिभावकों में व्याप्त भयंकर असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

15. स्कूलों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

16. जिला स्तरीय पुस्तकालयों को अधिक जन उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा को लेकर उसे शिक्षा विभाग को दिया जावे। प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षा अध्यापक की नीति लागू हो इसकी चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना)

18. बीस हजार की आबादी वाले स्थान पर कालेज खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई)

19. शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

(88)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

20. जोधपुर जिले के स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति तथा स्कूल खोलने, क्रमोन्नत करने में पक्षपात पूर्ण रवैये के सम्बन्ध मे चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

21. देहाती क्षेत्र में अध्यापकों को आकर्षित करने के लिए अलग से भत्ते की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22. स्कूलों में आवश्यक सामग्री की उपलब्धी न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. स्कूलों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. डेगाना क्षेत्र में भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा खोली गई स्कूलों को बन्द कर देने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा)

25. स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिए।

26. राज्य सरकार द्वारा स्कूल भवनों के लिए आर्थिक सहयोग न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. स्कूलें खोलने में पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़)

28. जहां जहां भी स्कूल हों, मास्टरों को रात्रि को वहीं निवास करना अनिवार्य कराने बाबत चर्चा के लिए।

29. पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

30. शिक्षा संस्थाओं में सामान, अध्यापक और भवनों की कुव्यवस्था है इस पर चर्चा के लिए।

श्री मनोरहसिंह मेहता (माण्डलगढ)

31. बीगोंद तथा बिजोलिया, बरूंदनी और वड़ल्यास व आकोला सैकेण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय की कक्षा खोलने बाबत चर्चा के लिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली)

32. खर्चे के अनुपात में कालेजों में छात्रों की भारी कमी, शिक्षकों पर अनावश्यक भारी खर्चे पर चर्चा के लिए।

33. प्राइमरी स्कूल में सुयोग्य व सद्-चरित्र, विज्ञान शिक्षकों को न लगाने से राजस्थान का भविष्य खतरे में है इस पर चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम)

34. शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिए।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर)

35. शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के

(श्री बिरदमल सिंघवी)

लिए तथा शिक्षकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

36. प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार में राज्य सरकार की उदासीनता नीति पर चर्चा के लिए।

37. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर के सीमावर्ती छात्रावासों के अनुदान की राशि को राज्य से प्राप्त करने में लगातार तीन वर्षों से बहुत देर 6 माह से 8 माह तक की हो जाती है जिससे छात्रावासों का प्रबन्ध बिगड़ रहा है, अतः अनुदान की राशि को समय पर दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर के राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास के भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान न देने के कारण छात्रावास का निर्माण नहीं हो रहा है और इसके कारण छात्रावास नहीं चल रहे हैं जिसके कारण विद्यार्थियों में व्याप्त तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिए।

39. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेज के प्राध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि की राज्य सरकार द्वारा घोषणा को अमली जामा पहिनाने में विलम्ब करने के कारण प्राध्यापकों में व्याप्त असंतोष के विषय पर चर्चा के लिए।

40. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. बाड़मेर जिले के प्राइमरी. मिडिल, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों के भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं परिवर्तन कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

42. शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. नए स्कूल और कालेज खोलने व व उन्हें सहायता देने में पक्षपात किए जाने व राजनैतिक आधार अपनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

44. राज्य के विभिन्न राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता और उसको रोकने के उपाय पर चर्चा के लिए।

45. राज्य सरकार विद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में क्रीड़ा एवं खेलकूद को बढ़ावा देने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

46. नई शिक्षा प्रणाली 10 + 2 + 3 के औचित्य पर चर्चा के लिये।

47. शिक्षा विभाग द्वारा उर्दू भाषा के प्रति उपेक्षा बरतने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू)

48. गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने तथा कर्मचारियों की सुरक्षा पर चर्चा के लिए।

श्री अजीतसिंह (टोंक)

49. शिक्षा विभाग में बुक बैंक में रुचि कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

50. ग्राम स्कूलों में फार्म से आमद बढ़ाने व ग्रामीण बालकों को खेती बाड़ी की शिक्षा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. मास्टरों द्वारा ध्यान न देने से ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई का स्तर निरन्तर गिरने के कारणों पर चर्चा के लिए।

52. शिक्षा विभाग द्वारा जानबूझ कर अध्यापकों के पद रिक्त रखने पर चर्चा के लिए।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा)

53. शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष तौर पर मास्टरों की भर्ती में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर)

54. भरतपुर कालेज में अधिक विषय खोलने तथा बालिका महाविद्यालय क्षेत्र के सुधार एवं घरेलू विज्ञान विषय प्रारम्भ करने हेतु तथा खेल कूद एवं सांस्कृतिक मंत्रालय खुलाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)

55. वर्तमान शिक्षा पद्धति को रोजगार उन्मुख बनाने हेतु औद्योगिक आधारित बनाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

56. अब नए सिरे से एक भी कालेज उस समय तक न खोले जायें जब तक कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन न हो इस पर चर्चा के लिए।

57. प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से लेकर उपकुलपति तक ऐसा परिवर्तन लायें कि शिक्षा में नैतिकता, नम्रता, कर्तव्यपरायणता और श्रम के प्रति आदर प्रकट हो इसकी चर्चा के लिए।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा)

58. 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी जो गरीबी की रेखा से नीचे है उनको सुशिक्षित करने हेतु शहरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थाएं खोले जाने में प्राथमिकता दी जावे इस पर चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)

59. पिछले साल नए स्कूल खोलने में सरकार द्वारा किये गए पक्षपात पर चर्चा के लिए।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

60. वरिष्ठ अध्यापकों की वेतन शृंखला में व्याप्त असंगतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91

(श्री ईश्वरचन्द्र)

61. शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

62. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं एवं कन्या पाठशालाओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63. पब्लिक स्कूलों को प्रश्रय देने व शिक्षा पद्धति में असमानता पर चर्चा के लिए।

64. अल्पसंख्यकों को उर्दू शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज)

65. सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधा ग्राम नागरिकों के लिये उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

66. ग्रामों में रहने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

67. स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिये, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों के लिये दोपहर का भोजन व चिकित्सा सुविधा मुफ्त दिये जाने व दी जाने वाली सहायता के दुरूपयोग पर चर्चा के लिये।

78. शिक्षकों के स्थानान्तरण की एक नीति निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. वर्तमान शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने हेतु तथा कालेज शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. अध्यापक प्रशिक्षण बी. एड., एम. एड, आदि बिना स्कूल साज सज्जा के व्यर्थ अनावश्यक, खर्चीली एवं टाइम कन्जूमिंग है इस पर चर्चा के लिये।

71. जन्तरमन्तर के पास एक प्राचीन शोध कक्ष की स्थापना कर प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

72. गांवों में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव पर तथा गांव के विद्यार्थियों को शिक्षा भत्ता का प्रावधान कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़)

73. तहसील शेरगढ़ के मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी व जोधपुर जिले के हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

74. ग्राम निरादून, शेखसर और जावासर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

75. ग्राम तेतरा, चुड़ेला, सीरियासर कलां और नयासर की प्राथमिक शालाओं को

(श्री रामनारायण चौधरी)

उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

76. गांवों में निरक्षता को दूर करने में सरकार असफल रही है उस पर चर्चा के लिये।

77. राजस्थान में निरक्षता दूर करने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की है उस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

78. पोरसीम ग्राम की रा. उ. प्रा. शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

79. भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में रा. उ. प्रा. शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने बावत चर्चा के लिये।

80. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र के गांव तिलोड़ा की प्राथमिक शाला को उ. प्रा. शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

81. वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि नहीं करने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा हेतु।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

82. सिरोही बाल मंदिर की मिनी बस को बेच कर नई बस लाने के लिये चर्चा हेतु।

83. जालोर एवं सिरोही जिले में एक एक संस्कृत पाठशाला स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

84. भीनमाल, आहोर, आबुरोड में कन्याओं की सैकन्डरी स्कूल की स्थापना की जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

85. विभाग में अनुसूचित जाति जन जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रमोशन में होने वाली अनियमितता व उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

86. ब्यावर में छात्राओं के लिये कालेज, उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

87. ब्यावर सनातन धर्म मह! विद्यालय के विकास हेतु चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

88. किशनगढ़ में स्थित सरवाडी गेट प्राथमिक शाला के भवन की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

89. मदनगंज किशनगढ़ में छात्रों की अधिकांश संख्या के बावजूद कोई भी राजकीय माध्यमिक शाला के न होने के कारण विधार्थियो को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

90. किशनगढ़ में वर्वमान में चल रहे

(श्री करतारसिंह)

कन्या माध्यमिक शाला को क्रमोन्नत करने के बारे में चर्चा के लिए।

91. किशनगढ़ में राजकीय महाविद्यालय के लिये पृथक से कोई मकान उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. किशनगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा केलिये।

93. किशनगढ़ क्षेत्र के अराई उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य विषय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

94. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की पदोन्नतियों में किये गये घोर पक्षपात पर चर्चा के लिये।

95. तहसील सांचोर में प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के अभाव एवं पाठशाला भवनों का अभाव एवं प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु चर्चा के लिये।

96. तहसील सांचोर में उच्च प्राथमिक शिक्षणालयों की अव्यवस्था एवं उसके सुधार हेतु चर्चा के लिये।

97. सांकड़ माध्यमिक पाठशाला भवन की मरम्मत एवं अधूरे भवन को पूरा करने के लिये अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

98. तहसील सांचोर में उच्च प्राथमिक पाठशाला वीरोल (छोटी वीरोल) में स्टाफ भेजने एवं पाठशाला खोलने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

99. सांचोर के सार्वजनिक छात्रावासों को अनुदान देने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

100. शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

101. राजस्थान महिला परिषद्, उदयपुर में धांधलेबाजी तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

102. राजगढ़ महाविद्यालय को पोस्ट ग्रेज्युएट विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

103. नीमला (जिला अलवर) में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

104. ढेकड़ी, लादया तहसील राजगढ़ (अलवर) में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

105. म.विद्यालय के प्रवक्ताओं को यू० जी० सी० ग्रेड न देने पर चर्चा के लिये।

106. परवेणी तहसील राजगढ़ में

94

(श्री समरथलाल)

उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

107. उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ में कामर्स विषय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

108. श्री माधोपुर जिला सीकर के आस पास डिग्री कालेज नहीं होने से गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महरूम रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) :

109. राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद में इसी सत्र से संस्कृत विषय प्रारम्भ करने तथा विज्ञान कक्षाएं प्रारम्भ किए जाने हेतु चर्चा के लिये।

110. नसीराबाद क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानी खेड़ा को मध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

111. नसीरा बाद नगर की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था बालिका हित कारिणी उच्च माध्यमिक विद्यालय को इस वर्ष सरकाराधीन होने हेतु चर्चा के लिये।

112. नसीराबाद नगर में एक बालिका महाविद्यालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरि सिंह (फुलेरा) :

113. विश्वविद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर के कारण सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

114. जोधपुर विश्वविद्यालय की असंतोषपूर्ण स्थिति के कारण इसको दिये जाने वाले अनुदान औचित्य पर चर्चा के लिये।

115. दस जमा दो की शिक्षा नीति को समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

116. सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार व धन के दुरुपयोग व होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

117. प्राथमिक व अन्य विद्यालयोंके स्थानों पर अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिए।

118. श्रमयुक्त शिक्षा पर विचार हेतु चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

119. गत वर्ष बड़े पैमाने पर अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

120. पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़) :

121. क्षेत्र जमवा रामगढ़ शिक्षा की

(श्री रामेश्वर प्रसाद)

दृष्टि से पिछड़ा हुआ है इसके उत्थान पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

122. रामगंज मण्डी में महाविद्यालय तथा निर्वाचन क्षेत्र में सैकेन्ड्री, मिडिल, प्राथमिक विद्यालयों की खराब स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री एच. एन शर्मा (वेगू) :

123. नये स्कूलों को खोलने से पूर्व भवन की व्यवस्था तथा स्कूल खुलने के पश्चात अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

124. आपातकाल में सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये गये विद्यालयों के कर्मचारियों के अन्धकारमय भविष्य पर चर्चा के लिये।

125. वर्ष 1956 में सृजित वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की न्यूनतम राशि में आज तक कोई परिवर्तन नहीं किये जाने व वेतमान में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. प्रयोगशाला सहायकों को पदोन्नति के कोई अवसर नहीं होने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

127. एस. टी. सी. स्कूलों में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षा और उद्योग अध्यापकों के ग्रेड में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. अध्यापकों की पदोन्नतियों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व)

129. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं तकनीकी शिक्षा कर्मचारियों तथा अन्य शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा के लिए।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा)

130. नैनवा में हायर सैकेन्डरी स्कूल अथवा कालेज खोलने एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

131. अध्यापकों के स्थानान्तरण, आवास की समस्या तथा शिक्षकों के वेतनमान में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (सांचोर)

132. जोधपुर जिले में पिछले वर्ष नये स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करने में भेद भाव बरतने पर चर्चा के लिए।

133. ग्राम डडूसन पंचायत समिति सांचोर में पुरानी पाठशाला बन्द कर नई पाठशाला में शिक्षक भेजने के बारे में चर्चा के लिए।

134. ललित कला एकेडमी का पुनर्गठन करने एवं पुरानी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

135. मण्डोर देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियों में जाम्भोजी महाराज की मूर्ति में रद्दोबदल कर दूसरी मूर्ति बनाने पर चर्चा के लिए।

136. प्राथमिक पाठशाला से सावा नं० 2 पंचायत समिति सांचोर में एक साल से शिक्षक न भेजने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)

137. शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर को बुनियादी तौर पर सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

138. शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं शिक्षा के विस्तार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (पीपलखूंट)

139. शिक्षा के निरन्तर गिरते हुए स्तर से बढ़ती हुई अराजकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (जालौर)

140. बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भीनमाल, उच्च प्राथमिक विद्यालय सांथू, उच्च प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय रानीवाड़ा को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओंकार लाल चौहान (अलवर)

141. शिक्षा के लिये महिलाओं को प्राथकिमता देने तथा रोजगार युक्त शिक्षा पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

142. स्कूलों की कमी वर्तमान स्कूल भवन में विधार्थियों को बैठने तक का स्थान नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

143. बून्दी की शैली सम्पूर्ण भारत में एक विशेष स्थान रखती है, फिर भी वहां की कला के विकास की ओर कोई ध्यान नही दिया गया है, इस पर चर्चा के लिये।

144. बून्दी में पुरातत्व संग्रहालय बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

145. बून्दी के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है तथा जो अध्यापक हैं, वे ठीक समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू)

146. गांवों के स्कूलो में अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

147. पुस्तकालयों को दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

148. चूरू में नारी शिक्षा प्रणाली को वढ़ावा देने हेतु एक गर्ल्स कालेज खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

149. लोहिया कालेज चूरू में ला कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. चूरू तहसील क्षेत्र में खोले जाने वाले मिडिल स्कूलों में बरती जाने वाली पक्षपातपूर्ण नीति के सम्बन्ध में चर्चा हेतु।

151. चूरू जिले के मूल निवासी अल्प वेतन भोगी अध्यापक जो इमर्जेन्सी के समय जैसलमेर और इससे पूर्व अपने घरों से बहुत दूर जालोर तथा बाड़मेर जिले में तब्दील किये गये थे, को पुनः उनके गृह जिलों में नियुक्त किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :

152. ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

153. सूरसागर क्षेत्र में पाठशालायें खोलने व क्रमोन्नत करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रावत राम (सुजानगढ़) :

154. गांव शोभासर-चाड़वास,भीमसर, गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ में सैकण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. कस्बा छापर जिला चूरू में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. सुजानगढ़ तहसील में प्राइमरी एवं मिडिल तथा सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. चूरू जिले के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों के गलत स्थानान्तरण तथा धांधलेबाजी से छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

158. लोहिया कालेज चूरू में लॉ क्लासेज चालू करने के बारे में चर्चा के लिये।

159. डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग का कार्यालय चूरू में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

160. पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार द्वारा ग्राम बुड़ानियां जिला झुंझुनूं में सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जाने एवं जनता पार्टी सरकार द्वारा उस आदेश को निरस्त करने पर चर्चा के लिये।

161. झुंझुनूं जिले में एक भी राजकीय महाविद्यालय न होने पर चर्चा के लिये।

162. शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के पिछड़ेपन पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

163. 10+2+3 की योजना राजस्थान में लागू करने पर चर्चा के लिये।

164. अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार हेतु चर्चा के लिये।

(श्री नवरंग सिंह) :

165. शिक्षा विभाग में भारी मात्रा में किये गये स्थानान्तरण से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

166. शिक्षा विभाग अध्यापकों के रिक्त स्थान पर अध्यापक पदस्थापित करने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

167. राजस्थान महिला परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

168. राजस्थान के विश्वविद्यालयों में फैली अव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये इन संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

169. प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में लेवे तथा माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

170. राजमहलों तथा बड़ी-बड़ी हवेलियों को शिक्षा के कार्य हेतु काम में लेने के लिए विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

171. ऐसे क्षेत्रों में जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे प्राइमरी स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था शुरू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल):

172. राज्य की शिक्षा नीति पर चर्चा के लिये।

मेजर फतह सिंह (भीम) :

173. भीम क्षेत्र के देवगढ़ कस्बे में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भीम को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की माँग पर चर्चा के लिये।

175. कुआथल, दवेर और कूकड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा हेतु।

176. बरसी (तहसील देवगढ़) के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

177. डी० पी० सी० द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों के चयन की सूची बनाने एवं उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

178. वरिष्ठ अध्यापकों को वरिष्ठता एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची बनाने में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति की चर्चा के लिये।

179. शिक्षकों की सुविधाओं एवं

(श्री रघुनाथ विश्नोई) :

उनके वेतन फिक्सेशन एवं बकाया भुगतान शीघ्र करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

180. विद्यार्थियों एवं शिक्षको में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण एवं उनके निराकरण के बारे में चर्चा के लिये।

181. आपातकाल में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों को वापस सेवा में शीघ्र लेने के बारे में चर्चा के लिये।

182. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का शोषण रोकने एवं उनको सरकारी शिक्षकों के समान सब सुविधाएं दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्ती लाल मीणा (टोडाभीम) :

183. टोडा भीम और नादोती क्षेत्र में स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर) :

184. कोहिना ग्राम के मिडिल स्कूल में अब तक हेड मास्टर के अलावा कोई दूसरा अध्यापक पूरे सेशन में न लगाये जाने सम्बन्धी चर्चा हेतु।

185. ग्रामीण पाठशालाओं में छात्रों के अनुपात से मास्टर न रखे जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

186. कुम्हेर क्षेत्र में प्राथमिक शालायें खोलने एवं अन्य शालाओं को क्रमोन्नत करने तथा कुम्हेर के हायर सैकण्ड्री तथा सेवर के सैकण्ड्री स्कूलों में वाणिज्य कक्षायें बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) :

187. शिक्षकों के वेतन मान पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. पीपल्दा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. इन्द्रगढ़ इटावा, खातोली तथा मांगरोल में नये संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के सम्बन्ध में चर्चा हेतु।

191. संस्कृत शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. कोटा में हाड़ौती विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. उप जिला शिक्षा अधिकारियों के दफ्तर जिला केन्द्र पर नहीं होकर अपने अधिकार क्षेत्र में ही रखे जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(100)

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

194. बांसवाड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव से छात्रों के पढ़ाई में होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

195. बांसवाड़ा जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयों का ध्यान रखे बिना शिक्षकों के तबादले होने पर चर्चा के लिये।

196. बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार के आदेश के विपरीत 15 सितम्बर, 1977 के पश्चात् किये गये स्थानान्तरणों से छात्रों का नुकसान एवं राज्य कोष के धन के दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये।

197. बांसवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितता एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) :

198. पंचायत समिति दांता रामगढ़ प्राइमरी स्कूल खुलवाने बाबत तथा टाडरी ढाणी एवं अहीर का बास में प्राथमिक शालाओं को पूर्ण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

199. धौलपुर में बी० एस० सी० एग्रीकल्चर व पी० जी० क्लासेज खोली जावें, बाकी जगह भी हाई स्कूल व दीगर प्राइमरी स्कूल भी खोले जावें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

200. आपातकाल के दौरान लिखी गई पुस्तकों का प्रकाशन रोका जावे। इस पर चर्चा के लिये।

201. पोलीटेक्निक शिक्षा देने वाले प्राध्यापकों को भी यू० जी० सी० वेतन मान न देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) :

202. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रंगजी (सपोटरा) :

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ)

203. सपोटरा के मुख्य ग्राम करणपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल स्कूल खोलने में सरकार द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

204. राजस्थान में साक्षरता के लिए कोई योजना बनाये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

205. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) निर्वाचन क्षेत्र में माध्यमिक और मिडिल स्कूल नहीं खोलने के प्रश्न पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराज सिंह (बस्सी) :

206. स्कूलों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति करवाने व नये स्कूल खोले जाने व स्कूल भवनों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

श्री बत्ती लाल मीणा (टोडाभीम) :

207. बौली, बामनवास एवं टोडाभीम पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम श्रोला (पिलानी) :

208. जिला झुंझुनूं में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था कराने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

209. शिक्षा विभाग की शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. आपातकाल के दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत स्कूलों एवं उनके कर्मचारी वर्ग की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

211. प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्व विद्यालय शिक्षा तक सभी स्तरों में आमूल चूल परिवर्तन एवं रोजगार प्रधान शिक्षा जो राज्यहित एवं लोकहित के अनुरूप हो, इसे प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) :

212. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ) :

श्री रंगजी (सपोटरा) :

213. महुआ निर्वाचन क्षेत्र के अनेकों स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने में शिक्षा विभाग द्वारा शिथिलता एवं उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल शर्मा (डूंगरगढ़) :

214. शिक्षा को ग्रामोन्मुख करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अचला राम (देसूरी) :

215. संस्कृत शिक्षकों के वेतन की अन्य शिक्षकों के वेतनमानों की असमानता से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

216. राजस्थान साहित्य अकादमी को भंग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. राजस्थानी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

218. रतनगढ़ में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

219. संस्कृत के अध्यापकों व अन्य अध्यापकों के वेतनमान में असमानता है, अतः समुचित व्यवस्था कर एक समान वेतन स्तर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नी लाल जेलिया (खण्डार) :

220. सवाई माधोपुर जिले में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ बालकों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं है तथा मास्टरों का अभाव तथा चौथ का वखाड़ा तथा खण्डार स्कूलों में विज्ञान कक्षायें खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

221. क्योंकि सवाई माधोपुर नगर में जहाँ पहाड़ पर उच्च माध्यमिक स्कूल हैं उनके भवनों की छत व दीवारों को पहाड़ से बह कर जो पानी आता है बरबाद कर रहा है तथा बालकों का जीवन एक दिन कभी भी आमेर की तरह संकटमय हो सकता है, अतः इस महान भवन को तत्काल ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

222. प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर कन्याओं की सैकण्डरी स्कूल खोलने तथा पोलीटेक्निक अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की भांति यू. जी. जी. ग्रेड देने के औचित्य के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

श्री अयूब खां (तिजारा) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

223. संस्कृत शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग के अन्य शिक्षकों के समान करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) :

224. गांवों में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क) :

225. शिक्षा वर्धन एवं संरक्षण की समुचित योजना व परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

226. शिक्षा एवं पुरातत्व विभाग में व्याप्त अनियमिततायें, पक्षपात, धांधली व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

227. सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का संस्था के प्रबन्धकों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

228. फलौदी में डिग्री कालेज एवं अन्य विद्यालयों की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती श्यामाकुमारी सँगर (कपासन) :

229. ग्रामीण संस्कृति की सुरक्षा तथा प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करने में पुरातत्व विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

230. अध्यापकों द्वारा शालाओं में बीड़ी सिगरेट का प्रयोग करने से छात्रों पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

231. शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

232. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राइमरी शाला भवन, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन और कालेज भवन आदि निर्माण की नीति में शहरों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो अन्तर है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) :

233. चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कला एवं संस्कृति की दृष्टि से पूरा महत्व दिये जाने हेतु पुरातत्व विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री अचलाराम (देसूरी) :

234. शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायकों को पदोन्नति के अवसरों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

235. आयुर्वेद शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षा के शिक्षकों के वेतनमानों के समकक्ष वेतनमान संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों के करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

236. शिक्षा प्रणाली में सुधार करने एवं भ्रष्टाचार रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

237. शिक्षा के सामाजिक मूल्य के अभाव में शिक्षा की अधोगति से शिक्षा प्रसार में आने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरगढ़) :

238. शिक्षा की वर्तमान पद्धति को सुव्यवस्थित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

239. नाथद्वारा पेन्टिंग व मीनाकारी कला को संरक्षण एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान की सुव्यवस्थित नीति निर्धारण किये जाने पर चर्चा के लिये।

241. शिक्षा नीति के पुनरावलोकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(104)

(श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी) :

242. कन्या शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भेरूलाल बैरवा (शाहपुरा) :

243. खामोर में सैकण्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

244. शाहपुरा में एक और कन्या सैकण्डरी स्कूल खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

245. कनेघन कलां पंचायत समिति शाहपुरा में स्कूल की व्यवस्था बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

246. उच्च शिक्षा के स्थानों पर छात्रावासों की सुविधा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. पंचायत समिति मांडल में पंचायत क्षेत्र में लागू शिक्षा कर को केवल प्राइमरी स्कूलों में ही दिया जाता है मिडिल स्कूलों व सैकण्डरी स्कूलों मे नहीं जब कि पैसा वहीं का होता, इस पर भेदभाव पर चर्चा के लिये।

248. ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली स्कूलों के लिये सरकारी सहायता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. आदर्श शिक्षा समिति मांडल द्वारा संचालित बाल विद्या मन्दिर मांडल को आर्थिक कठिनाई में रहने के कारण अधिक अनुदान एवं एडहाक अनुदान दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

250. निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा, वेतन आदि की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करने बाबत चर्चा के लिये।

251. शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति केवल जातिगत पिछड़ेपन के आधार पर न दी जाकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. स्कूली शिक्षा में आवश्यक रूप से प्रतिदिन दो घण्टे श्रम कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. शिक्षा का पैसा मिडिल स्कूलों में दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

254. हर अध्यापक के लिये हैडक्वार्टर पर टिकना अनिवार्य करके रात्रिशाला चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. प्राथमिक शिक्षा में प्राण फूंकने हेतु पंचायत समितियों से तुरन्त प्राथमिक शिक्षा हटाने हेतु चर्चा के लिये।

256. आने वाले दो वर्षों तक कोई भी नया विश्वविद्यालय कालेज न खोलने तथा न किसी कालेज को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

257. टहला में गर्ल्स स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

258. स्नातकोत्तर कालेज दौसा में वाणिज्य व विज्ञान विषयों के अभावों पर चर्चा के लिये।

259. शिक्षा को रोजगार योग्य न बनाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. बेरोजगार उत्पादक शिक्षा में आवश्यक सुधार करने पर चर्चा के लिये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

261. अजमेर में गर्ल्स कालेज की एवं पीसांगन में कालेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) :

262. जयपुर जिले के देहात के विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव होने एवं जयपुर शहर में अध्यापकों की अधिकता होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

263. ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में भवनों की कमी होने से छात्रों को बैठने की असुविधा के क्रम में चर्चा के लिये।

264. देहात क्षेत्र में चल रहे सहायता प्राप्त विद्यालयों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की तुलना में सहायता कम होने से ग्रामीण जनता में भारी असन्तोष होने के क्रम में चर्चा के लिये।

265. राजस्थान के शिक्षा मद में संस्कृत शिक्षा मद पर व्यय की कमी होने से संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत अध्यापकों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

266. वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन असमानता संबंधी असन्तोष एवं उसके सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना):

267. उर्दू अकादमी बनाने और उर्दू भाषा को संरक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. डीडवाना में कालेज कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :

269 स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के काम आने वाली पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराये जाने में विभाग की ढीलाई पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चौमू) :

270. शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

271. स्कूलों में सालभर अध्यापकों की कमी रहने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

272. गांवों में अध्यापकों को आवास

(१०८)

(श्री मेघराज पंवार) :

सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा कोई कार्यक्रम न बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

273. 200 छात्रों से ऊपर संख्या वाले गांवों में सैकण्डरी स्कूल खोलने के बाबत चर्चा के लिये ।

274. शिक्षा विभाग में मुअत्तिल किये गये अध्यापकों का फैसला लम्बे समय तक न किये जाने के बाबत चर्चा के लिये ।

275. शालाओं में अध्यापकों की अत्यधिक कमी और ट्रेण्ड अध्यापकों की तादात में बेकारी के संबंध में चर्चा के लिये ।

276. चूरू तहसील के गांव खण्डवा खासोली तथा भामासी की मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल बनाये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

सैयद श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

277. सवाई माधोपुर में जिला आर्ट एण्ड कल्चर का स्कूल खोले जाने बाबत चर्चा के लिये ।

278. मलारना डूंगर में गर्ल्स मिडिल स्कूल खोले जाने बाबत चर्चा के लिये ।

279. सवाई माधोपुर कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट किए जाने एवं साईन्स का विषय बढ़ाए जाने बाबत चर्चा के लिए ।

श्री नूरा (मसूदा) :

280. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री लालशंकर डूंगेर (सागवाड़ा) :

281. पाठ्यपुस्तक केन्द्र सागवाड़ा जिला डूंगरपुर को स्थाई करने के बाबत चर्चा लिये ।

श्रीमती मदन कौर (पंचपदरा) :

282. संस्कृत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार और उसमें पर्याप्त रुचि पैदा नहीं कर पाने संबन्धी सरकारी प्रयास के अभाव पर चर्चा के लिये ।

283. विभाग में तबादलों एवं स्कूल खोलने में बरती गई पक्षपात पूर्ण नीति से विभाग में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

284. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

285. शिक्षा की दोषपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये ।

286. संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों के वेतनमान दूसरे अध्यापकों के समकक्ष नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

श्री सुभाष चन्द (सूरजगढ़) :

श्री हरीकृष्ण (नदवई) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

287. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार की ओर पूरा ध्यान दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

श्री हरिकृष्ण (नदवई) :

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली) :

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) :

288. राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में अनुपात के अनुसार शिक्षक न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) :

289. जैसलमेर के महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

289 A. गंगानगर जिले में कृषि विद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

390. शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु चर्चा के लिये ।

291. सिकराय तहसील में शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये ।

292. राज्य सरकार द्वारा नए स्कूल खोलते वक्त सरकार द्वारा ही भवनों की व्यवस्था कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

293. सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की कन्या शालाओं में अध्यापिकाओं की अत्यधिक चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा) :

294. उदयपुर विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट में व्याप्त अव्यवस्था व भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :

295. बून्दी जिले के नमाना, डाबी, बड़ौधण, सुवासा, तालेड़ा में स्कूल भवनों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री लालूदास (फलासिया) :

296. फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये ।

108

श्री आलम अली (फतहपुर) :

297. बड़े गांवों के मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल बनाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

298. ग्रामों की प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूलों में परिवर्तन किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

299. देहाती स्कूलों में अध्यापकों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा) :

300. सागवाड़ा कस्बे में कालेज खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

301. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में कन्या विद्यालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

302. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर की छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त व निःशुल्क शिक्षा दिलाने में प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये।

303. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के ग्रामों में भील जन जाति प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

304. प्राथमिक शाला, गड़ाबाहर आदर्श गांव व मोरमउबड़ी (मेहता का पारडा) नई आबादी सालेड़ा, पारड़ा, माताजी में विद्यालय के अभाव पर चर्चा के लये।

305. आदर्श गड़ाबाहर-धनगांव मेहतों का पाड़ा चिखली, कुभां, भोबटी में प्राथमिक कन्या विद्यालय प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

206. पीपल्दा क्षेत्र में माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) :

307. ग्राम कुशालपुरा एवं बर में हाई स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

308. पंचायत समिति रायपुर के ग्राम रेलडा चान्द में मिडिल स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

309. सरकार द्वारा राजनैतिक आधार पर किए गए तबादलों पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ) :

310. स्वयं सेवी संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार को रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :

311. बीकानेर में यूनिवर्सिटी खोलने हेतु चर्चा के लिये।

312. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के तनाव पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

313. राजस्थान में शिक्षा स्तर में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने हेतु अध्यापकों का विलेज व सिटी कैडर अलग अलग करने हेतु चर्चा के लिये।

314. राजस्थान के लेखकों व कलाकारों को प्रोत्साहन करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डोली) :

315. बूंदी जिले की शालाओं की स्थिति सुधारी जाय, नये स्कूल खोले जायें, हिण्डोली क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर शालाएं क्रमोन्नत की जायं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

316. दासपा तहसील भीनमाल की राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला को उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीरतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) :

317. शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता एवं स्कूलों में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर) :

318. स्कूलों में मास्टर नहीं भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) :

319. बाड़मेर जिले म औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

320. शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. शिक्षा को राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

322. लोककला मण्डल और ग्रामीण राजस्थानी संगीत व कला को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई) :

323. शिक्षा विभाग के कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

324. प्राथमिक शिक्षणालय में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

325. प्राथमिक पाठशालाओं के अनुपयुक्त भवनों पर चर्चा के लिये।

326. राजस्थानी भाषा को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य नहीं घोषित कर भारत सरकार की लोक भाषा में शिक्षा देने की नीति विषयक चर्चा के लिये।

110

(श्री विजयसिंह नदेरा)

327. राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थानी भाषा साहित्य संगम बीकानेर में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्था के बारे चर्चा के लिये।

328. शिक्षा को व्यावहारिक, उपयोगी और वैज्ञानिक बनाने हेतु चर्चा के लिये।

329. अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिये निश्चित नीति निर्धारित करने हेतु चर्चा के लिये।

330. शिक्षा के क्षेत्र में फैल रही विसंगतियों पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

331. उदयपुर विश्वविद्यालय के व्याख्याता को यू० जी० सी० ग्रेड 700-1600 लागू करने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

332. कला एवं संस्कृति का प्रतीक तीसरी शताब्दी का मन्दिर चारचौमा में शीघ्र खुदवाई करवा कर पुरातन संस्कृति को उजागर करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री लालूदास (फलासिया) :

333. तहसील फलासिया के हायर सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा (आमेर) :

334. आमेर निर्वाचन क्षेत्र में खोले गये स्कूलों में आज तक कोई अध्यापक व सहायक कर्मचारी नहीं लगाने व बच्चों के के लिये पेय जल के अभाव के पर चर्चा के लिये।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

335. गंगापुर सिटी के उच्च विद्यालय में भवन के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

336. कामां तहसील में अधिक विद्यालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)

337. तहसील श्री माधोपुर (सीकर) क्षेत्र की सैकन्डरी व हायर सैकन्डरी स्कूलों में वाणिज्य व अन्य विषय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिदनाड़ा)

338. शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) :

339. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर की राजकीय अनुदानित एवं सहायता प्राप्त संस्था बाल मन्दिर की शिक्षा विभाग की ओर से सन् 1977–78 के निर्धारित अनुदान दिलाने में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

340. सुजला कालेज में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

341. श्री सेठ मोतीलाल बैंग्गानी साइन्स कालेज लाडनूं में बन रहे पुस्तकालय भवन को पूरा कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

342. पंचायत समितियों को दिए गए स्कूलों में अध्यापकों के पद नहीं बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

343. जिला शिक्षा अधिकारी नागौर द्वारा पंचायत समितियों के अध्यापकों की शिक्षा विभाग में लेने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये।

344. रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल जनता कालोनी जयपुर को संस्कृत विभाग द्वारा दी जा रही सहायता राशि को अकारण बन्द कर देने पर चर्चा के लिये।

345. जिला शिक्षा अधिकारी नागौर के खिलाफ भयंकर शिकायतें होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

346. तहसील लाडनूं में नई खोली गई मिडिल स्कूलों में अध्यापक नहीं भेजने पर चर्चा के लिये।

347. ग्राम मीठड़ी तहसील लाडनूं में कन्या मिडिल स्कूल में स्टाफ नहीं भेजने पर चर्चा के लिये।

348. जिला शिक्षा अधिकारी नागौर द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण में की गई धान्धली व मनमानी पर चर्चा के लिये।

349. जिला शिक्षा अधिकारी नागौर द्वारा अपने निवास स्थान सुजानगढ़ में हर हफ्ता कैम्प लगाकर अध्यापकों का शोषण करने पर चर्चा के लिये।

350. जिला शिक्षा अधिकारी नागौर द्वारा सरकारी नीति के खिलाफ किये गये अध्यापकों के स्थानान्तरण पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

351. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को मानते हुए राज्य सरकार ने महाविद्यालयों के लेक्चरारों के वेतनमानों की वृद्धि को मान्यता देने के उपरान्त भी उन्हें अमली जामा नहीं पहिनाने के कारण लेक्चरारों में तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये।

श्री हारू भाई मीणा (प्रतापगढ़)

352. सालमगढ़, खैरोट, अणगोरा, लाहोरिया, पालरैणा, गामदा, जालोर, भणेज, मालिया, बीलडी, टिमखों, आदि गांवों में प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शालाएं बालक व बालिकाओं के लिये खुलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल (घाटोल)

353. घन्टाली में सैकेन्डरी स्कूल, चन्यूजी का गढ़ घाटोल में गर्ल्स सैकेन्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू)

354. राजकीय सैकेन्डरी स्कूल दूधवाखारा में साइन्स की कक्षा चालू करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

355. राजकीय सैकेन्डरी स्कूल दूतवाखारा को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर डंडोर (सागवाड़ा)

356. जसेला, घाटा का गांव, डूंगर-सारण दीवड़ा घोटा, गामड़ाकामनिया में में माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

357. गड़ाबादर (मेरतिया) मेहतों का पारड़ा, धनगांव, सेपलिया घाटा नई आबादी सालेड़ा पियोला, सागवाड़ा नं. 2 व डूंगर-शारण नई आबादी में उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

358. चिसली, ओबरी, चितरी कुआं सैकेन्डरी स्कूल को उच्च-माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

359. पाही कडाणा पुर्नवास नई आबादी, डूगर-सरण खण्ड, पांचकूड़ी पियोला (नेनसावा) (सालेड़ा), डालाहा खण्ड, काठल खण्ड में प्राथमिक विद्यालय खुलवान हेतु चर्चा के लिये।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़)

360. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का समुचित विकास नहीं होने बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

361. नये प्राथमिक विद्यालय खोलने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

362. शिक्षा की वर्तमान पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

363. तहसील सोजत में ग्राम बगड़ी में बेरा आखण्डी में फीडर स्कूल को स्थाई बनाने हेतु चर्चा के लिये।

364. प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समिति से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली)

365. विश्वविद्यालय की शिक्षा में समय की आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

366. गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर तथा इन संस्थाओं में नियुक्त शिक्षण अध्यापकों व कर्मचारी वर्ग को मैनेजमेन्ट का शिकार होने व शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वेतन व मंहगाई भत्ता आदि नहीं देने पर चर्चा के लिये।

367. वर्तमान समाज में अध्यापकों की गिरती हुई प्रतिष्ठा को कायम रखने में शिक्षा विभाग के योगदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

368. प्राच्य शिक्षा प्रतिष्ठान जोध-

(श्री मूलचन्द डागा)

पुर के निदेशक द्वारा की गई अनियमतिताओं एवं उनकी अवैध नियुक्ति से व्याप्त असन्तोष व आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

369. गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अधिनियम बनाने का शीघ्र पालन कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)

370. पब्लिक स्कूल व्यवस्था, समता व समानता की नीति के विरुद्ध होने व तुलनात्मक मंहगा होने के कारण समाप्त करने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)

371. बीकानेर में स्थिति स्पोर्टस् स्कूल की दुर्व्यवस्था के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली)

372. पोलिटेक्निक शिक्षक सत्याग्रह पर हैं उन्होंने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं परन्तु अभी तक सरकार की अनिश्चित नीति के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री अयूब खां (तिजारा)

373. शिक्षा एवं शिक्षक की हालत बहुत खराब है इस पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय में शिक्षा का प्रचार गांव-गांव तक हो सके, इसका पूरा प्रयास किया है। गुणात्मक शिक्षा विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए और प्राइमरी शिक्षा राजस्थान में निःशुल्क छात्रों को मिले, इसकी आप व्यवस्था करें और जैसे मुख्य मंत्री ने अन्त्योदय योजना ली है, उसी प्रकार से एक स्कूल में अन्त्योदय के नाम पर ऐसे छात्रों को छांटें जिनके पास न शुल्क है न पुस्तकें हैं। अन्त्योदय का काम शिक्षा के क्षेत्र में भी ले जाना चाहिए। औद्योगिक शिक्षा अनिवार्य करें। राजस्थान आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों को दिखा सकता है किस प्रकार हम सुन्दर ढंग से शिक्षा का प्रचार व प्रसार गांवों तक औद्योगिक शिक्षा के आधार पर किया गया है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में खेल स्कूल बनाने की बात कही है। स्कूलों में खेलों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। मेरी मांग है कि यदि खेल मंत्रालय अलग से बनाया जाए तो बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि खेलकूल परिषद् अभी भी पंगु है, ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही है। मेरा सुझाव है कि अफसरशाही पर काम न छोड़ें। जयपुर में रवीन्द्र मंच एक मात्र रंग मंच है देश विदेश के लोग यहां पर आते हैं, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है पर रवीन्द्र मंच आज जैसा बना हुआ है जैसे किराया कमाने का साधन हो। जयपुर में रवीन्द्र मंच के अलावा दूसरा भवन नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है । पहले रवीन्द्र मंच घसक गया था, आज भी मैनेजर का कमरा घसकता जा रहा है, एयर कन्डीशन की व्यवस्था नहीं है, लाइट माइक्रोफोन की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टाइल्स खराब हो रहे हैं आपने शिक्षा आयुक्त नीचे रवीन्द्र मंच को सौंप दिया । आप को अफसरशाही के स्थान पर स्वायतशासी संस्था बनाकर इस संस्था की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए । आपने पिछली बार विधान सभा में कहा था कि जयपुर का राजघराना जयपुर कत्थक के नाते विख्यात है लखनऊ के लोग रहते हैं, जयपुर में कत्थक केन्द्र की स्थापना की बात आपने कही थी पर अभी तक यह विधेयक कागज़ों तक सीमीत है । आपने इस दिशा में क्या प्रगति की है ।

(2.59 म. प.)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष पदासीन)

रविन्द्र मंच के पीछे एक ओपन थियेटर बनाने की योजना सरकार ने हाथ में ली है । उसका काम धीमी गति से चल रहा है । वह थियेटर कब तक बनकर पूरा हो जाएगा ? आपने बजट में क्या प्रावधान रखा है. वह बात स्पष्ट करनी चाहिए ।

राम प्रकाश जयपुर शहर के नाटक घर के नाम से प्रसिद्ध था । हसन शाह व्यक्ति विशेष इस पर कब्जा किए हुए बैठा है । इस सिनेमा हाल को खाली कराकर इसको नाटक घर के रूप में काम में लेना चाहिए । यहां यह भी घोषणा हुई थी कि हवा महल में एक पुरातत्व संग्रहालय बनाया जायेगा । हवा महल के अन्दर राजघराने से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको वहां पर रखा जायेगा । इस हवामहल में पुरातत्व संग्रहालय बनाने का क्या हुआ ? नाहरगढ़ भी पुरातत्व का खाना बना हुआ है उसके अन्दर नाहरगढ़ भी आता है और म्युजियम भी आता है और गलता का विकास भी आता है । यह जयपुर शहर को सजाने और संवारने के लिए आपने इस बजट में कोई प्रावधान किया हो तो उसका भी आप उल्लेख करें ।

राज्य में आदमियों की हालत ठीक नहीं है । व्यभिचार के मामले, गबन के मामले जो कांग्रेस शासन में दबे पड़े थे उनका भी आपने कोई उल्लेख नहीं किया और दोषी व्यक्ति आज भी संस्थाओं में जमे पड़े हैं और यही अव्यवस्था का कारण है । दूसरी अव्यवस्था का कारण यह है कि आपने राज्य के शिक्षा मंत्रालय को सारी की सारी जिम्मेदारी दे दी । हर जगह चाहे रवीन्द्र मंच हो, चाहे कत्थक केन्द्र हो या अकादमियों की व्यवस्था हो इनको स्वायत्तशासी संस्थाओं में बनाकर अलग अलग लोगों को काम सौंपते तो बहुत अच्छा होता । दुर्भाग्य से वह सारा का सारा काम शिक्षा आयुक्त के पास केन्द्रित हो गया है । आपको अलग-अलग डाइरेक्टर्स बनाने चाहिए । केवल शिक्षा कमिश्नर ही सारी व्यवस्था नहीं कर सकते । उनके पास तो केवल प्रशासनिक काम होना चाहिए और उनकी व्यवस्था करने के लिए अलग-अलग अध्यक्षों की नियुक्तियां करनी चाहिए ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृति और मनोरंजन में अन्तर है । हमारी संस्कृति क्या है; आज हम संस्कृति के नाम पर मनोरंजन के कामों को आमंत्रित करते

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं। भारतीय संस्कृति की छाप संस्कृति के आधार पर लोगों की भावनाओं को जगा सकती है और पुनर्स्थापित कर सकती है लेकिन संस्कृति और मनोरंजन को एक ही कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संस्थायें हमारे प्रदेश की हैं चाहे कत्थक केन्द्र हो, रविन्द्र मंच हो या ललित कला अकादमी संस्था हो, मेरा निवेदन यह है कि सबको मिलाकर एक डाइरेक्टोरेट बनाकर एक आदमी का कन्ट्रोल हो और वह डाइरेक्टोरेट जयपुर शहर में कायम होना चाहिए। वरना हर आदमी कहीं जोधपुर का प्रश्न आता है, जयपुर का प्रश्न आता है और उदयपुर का प्रश्न आता है तो सम्पूर्ण राजस्थान की बहबूदी के लिए जब सारी अकादमी बनी हुई हैं इनका केन्द्रीयकरण होकर एक डाइरेक्टोरेट की व्यवस्था हो और जहां रवीन्द्र मंच है, ओपन एयर थियेटर बना हुआ है उसी काम्पलेक्स में डाइरेक्टोरेट की स्थापना हो जाती है तो सीधा संस्थाओं पर कन्ट्रोल होगा, यह मैंने आपसे निवेदन किया है।

अगर हम स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं तो हमारी संस्कृति को उजागर करना बहुत आवश्यक है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि जयपुर शहर में एक सभागार बनाने के लिए 50 लाख रुपये नगर विकास न्यास में डाल रखे हैं और अगर यह सभागार बन गया तो उसमें पांच हजार व्यक्तियों के बैठने का स्थान होगा और संस्कृति का विकास हो सकेगा। इसलिए शिक्षा विभाग को भी उसमें रूचि लेनी चाहिए और मेरी प्रार्थना है कि आज सौभाग्य से दोनों मंत्रालय आपके पास ही हैं—शिक्षा विभाग भी है और नगर विकास न्यास भी आपके पास ही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वह सभागार बनाने के लिए जो राज्य सरकार की उदासीनता है 50 लाख रुपये सरकार नगर विकास न्यास को और दे दे और उस पर पैसा मिलने से काम प्रारम्भ हो जायेगा तो जैसा दिल्ली में विज्ञान भवन है उसी प्रकार से हमारे यहां जयपुर में भी विज्ञान भवन जैसी चीज बन जायेगी। फिर दिल्ली में जाने की आवश्यकता नहीं है और राजस्थान की संस्कृति को उजागर करने में यह सभागार काम आ सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आंकड़ों के बजाय इसको परिणाममयी शिक्षा बनायें। आप कहते हैं कि हमारे लोग शिक्षित होंगे, उससे काम नहीं चलेगा। प्रौढ़ शिक्षा का काम केवल दस्तखत करना ही सिखाना नहीं है बल्कि चिट्ठी पढ़, लिख सकें और इस आधार पर यह प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। किसानों में साक्षरता अभियान चलाने का कार्यक्रम आपने अपने हाथ में लिया है इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि गांवों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के शिक्षकों का सहयोग लिया जाये, विधायकों का सहयोग लिया जाये और जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये और किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा का काम चलाना है, यदि विधायक को इन्चार्ज बना दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह काम भली प्रकार से चल सकेगा।

(श्री गिरधारलाल भार्गव)

उपाध्यक्ष महोदय, अब में उच्च शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि यहां कालेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है। प्राध्यापक राजनीति में लिप्त हैं, लड़के आन्दोलन करते हैं। इस प्रकार से यूनीवर्सिटीज की हालत बहुत खराब हो रही है। मेरी मांग है कि जो प्राचार्य नहीं पढ़ाते उनको आप नहीं रखें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का राजनीति में भाग लेना और अशांति फैलाना ठीक नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इन क्षेत्रों की, विधायकों की और जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनायें और वह सुझाव दें और प्राध्यापकों का क्या कर्त्तव्य है, पढ़ाई किस प्रकार से की जानी चाहिए इसकी जांच करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कालेजों को विश्वविद्यालय से अलग करने की नीति बनाई है मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार से वहां जो लाइब्रेरियन के ग्रेड हैं वह भी ठीक नहीं हैं और उनके प्रमोशन के भी मौके नहीं हैं—इसकी तरफ भी आपका ध्यान चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि संगीत के जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टें नहीं होतीं। आपका जो बेरोजगारी का महकमा है वहां से उनके नाम नहीं मंगाये जाते। यदि आपको संगीत को प्रोत्साहन देना है तो संगीत के अध्यापकों के लिये भी जगह रखनी पड़ेगी और एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से नाम मंगवाने पड़ेंगे।

पुरातत्व विभाग के लिये कहूंगा कि यह भवन काफी उपेक्षित पड़ा हुआ है और बेकार पड़ा हुआ है। जयपुर शहर में जयगढ़ को भी लेने का प्रयास सरकार करे और इसके लिये भवानी सिंह जी से बात की जाये तो जयपुर की जनता को लाभ होगा। पुरातत्व के सामान वहां पड़े हुए हैं और वह सामग्री धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है इसलिये इस पर भी गंभीरता से विचार करें। इसके लिये आप भी एक कोष बनायें और भारत सरकार भी कोष में योगदान देना चाहती है यदि वह प्रयास करें तो बहुत अनोखा काम होगा।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब इतने दिनों की कमी आज ही पूरी करेंगे ? जल्दी ही समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनट का समय चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अरबी और फारसी के शोध संस्थान जो हमारी राजस्थान सरकार ने कायम किये हैं वह प्रशंसनीय काम है लेकिन हवामहल के बारे में जो मैंने निवेदन किया है कि उसमें पुरातत्व विभाग की सामग्री हो हस्तलिखित पुस्तकें हों और जयपुर का इतिहास हो उसकी भी माननीय मन्त्री महोदय घोषणा करें।

एन. सी. सी. को स्कूलों में अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। उससे राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है। यह स्वरूप चाहे कहीं भी हो, चाहे विधान सभा में हो या लोकसभा में हो, या बाहर हो राष्ट्रीयता की भावना आती है। मैं समझता हूं कि वर्दी को पहनकर राष्ट्रीयता की भावना जागेगी।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

और आदमी समझेगा कि मैं देश का नागरिक हूं, देश के लिए कुछ करना है। यह भावना एन. सी. सी. को अनिवार्य करने से होगी। आपने उर्दू और सिंधी अकादमी के लिए जो प्रयास किये हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा परन्तु साहित्य अकादमी में शोध कार्य करना समाप्त हो गया है उस साहित्य अकादमी को भी गति देना आवश्यक है। आई. टी. आई. के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बजट का प्रावधान करते हैं और वहां के लोग जो सामान बनाते हैं वह बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है वह राज्य सरकार के खजाने में जाता है। मेरा निवेदन है कि वह पैसा आई. टी. आई. को ही जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा सेकिण्ड का टाइम और लूंगा।

राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल के बारे में चर्चा की गई। मैं निवेदन करूंगा कि इस मण्डल के सारे घोटालों को भी आप सदन की पटल पर रखें........

दूसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, भाषा विभाग का बहुत प्रचार है। सचिवालय में भी बोर्ड लगे हुए हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। हमें हिन्दी में काम करना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार हिन्दी का उपयोग राजस्थान सचिवालय में किस हद तक हो रहा है, आप स्वयं विचार कर लीजिये। कथनी और करनी में किसी प्रकार का फर्क न रखिये। राजस्थान में हिन्दी की उन्नति हो। जिस प्रकार से आपने हिन्दुस्तान में अन्त्योदय में नाम कमाया, राजस्व अभियान में नाम कमाया, हिन्दी के बारे में भी पहल करें....

श्री मूलचन्द डागा : आप उद्घाटन करने गये थे। अंग्रेजी में निमंत्रण पत्र आया था.... Shri Bhargava will preside. यहां पर यह कह रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निमंत्रण पत्र नहीं था। नगर विकास न्यास का कोई निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में दिखा दें। डागा साहब, आप पार्लियामेंट के मेम्बर रहे होंगे।

मेरा निवेदन है हिन्दी में भी पहल करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की डिमाण्ड पर जब मैं बोल रहा हूं, तो शिक्षा मंत्री जी से शुरू में कह देना चाहता हूं जो मेरी मंशा है, वह आपके विभाग को क्रिटिसाइज करने की नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में असंतोष, यूनिवर्सिटी की आटोनामी, यूनिवर्सिटी के अन्दर मिसमैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी के अन्दर पालिटिक्स यह सब बातें हैं, उन पर चर्चा करूंगा। आज हम राजस्थान की जनता, टैक्स पेयर्स का 5 करोड़ 62 लाख रुपया इन तीन यूनिवर्सि-

(श्री मथुरादास माथुर)

टीज में खर्च करते हैं। आज हम अपने आप से पूछें क्या यह जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं उसका डिविडेंड पाजटिव या क्वालिटेटिव मिलता है। आज बहुत बड़ा प्रश्न विधायकों के सामने आया है, नेताओं के सामने आया है क्योंकि मैं बराबर काफी अर्से से देख रहा हूं। यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। यूनिवर्सिटी में 12 महीने में पांच या 4½ महीने औसत तौर पर काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज में स्टाफ दिन प्रति दिन बढ़ाया जा रहा है। आज तीनों यूनिवर्सिटीज मे मिलाकर करीब 1500 स्टाफ लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स, हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं। हम लोग सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य तीनों यूनिवर्सिटीज के एक्ट बनाने के भागीदार हैं, जो एमेंडमेंट हैं, उनके भागीदार हैं। 5, 6 करोड़ रुपया जनता का अगर हम यूनिवर्सिटीज के 50 हजार विद्यार्थियों पर खर्च करते हैं तो औसत एक विद्यार्थी पर 3 हजार रुपया खर्च करते हैं। शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान सरकार और यह सदन जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के बजाये जो कुछ भी आज हो रहा है, वायलेंस, इनडिसिप्लिन या और जो काम होते हैं उन सब के लिये इस सदन में बैठ कर जो डिमाण्ड मन्जूर कर रहे हैं, विचार करना जस्टीफाइड है क्या? यह प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूं. आप सभी अपने आप से पूछें। विद्यार्थियों के अन्दर यह फ्रस्ट्रेशन, डीमोरलाइजेशन क्यों है? शिक्षा मंत्री जी हम अपने पदों पर बैठकर, चाहे सदन के माननीय सदस्य हों, चाहे मंत्री हों, आज के युवक जो असंतुष्ट हैं हम उनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते। उनकी भी समस्याएँ हैं। आपके सामने कुछ समस्याएँ जो यूनिवर्सिटी के युवकों की सामने आई, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आज सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन समस्याओं पर चिन्तन करें। इन के ऊपर मानवीय दृष्टि कोण से एक साइकोलिजिस्ट की दृष्टि से विचार करें। उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटी 12 महीने में 4½ महीने चलती है, हड़तालें होती हैं, आपस में छुरेबाजी होती है। कोई वाइस चांसलर टिक नहीं सकता। प्रोफेसर्स के अन्दर, सब बातें जो हम देखते हैं, क्या करते हैं? इन सब समस्याओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ सुझाव दूंगा कैसे हल करें। कुछ ऐसी कमेटी बनाकर जिसमें यूथ रिप्रजन्टेशन हो। ला एण्ड आर्डर की समस्या है। होम मिनिस्टर साहब, यूनिवर्सिटी के अन्दर इनडिसिप्लिन है, अनरेस्ट है, उसको हल नहीं कर सकते। पुलिस को बैठाकर सुधार करना चाहें, हो नहीं सकता। कुछ दिन के लिये आप लड़कों को प्रोवोक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी बन्द कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिये पुलिस तैनात कर सकते हैं, लेकिन समस्या हल नहीं होगी। इसलिये बहुत सी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर राज्य सरकार चिन्तन करे।

पहला यह है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो इनडिसिप्लिन आया है उसके लिये मेरा पहला सुझाव है कि डिसिप्लिन लाने के लिये पहले की तरह कम्पलसरी एन. सी. सी. कर देनी चाहिये ताकि जब लड़के यूनिफार्म

(श्री मथुरादास माथुर)

पहनेंगे तो यूनिवर्सिटी के अन्दर ज्यादा डिसिप्लिन मैन्टेन करेंगे। यूनिवर्सिटी के अन्दर डिसिप्लिन के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के साथ चीन और पाकिस्तान की सीमायें हैं, देश की रक्षा के लिये यूनिवर्सिटी के अन्दर मिलिट्री एजूकेशन, एन. सी. सी. की एजूकेशन मिले तो लड़के डिसिप्लिड होंगे, देश को फायदा होगा।

श्री मदन सिंह दांता : जैसे आर. एस. एस. में करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एन. सी. सी. और चीज है, प्रोवोक हो जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप जरूर हो गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एन. सी. सी. पहले यहां पर कम्पलसरी थी। अब यूनिवर्सिटी में कम्पलसरी कर देना चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यूनिवर्सिटीज के केम्पस के अन्दर, यूनिवर्सिटी में जितने स्टाफ के मेम्बर हैं हाइली इंटलेक्चुअल पर्सनेलिटीज हैं, जो रीडर्स और प्रोफेसर्स हैं, अपने-अपने एकेडेमिक में बड़े काबिल समझे जाते हैं। मगर हमने उन लोगों को पोलिटिकल पार्टीज में जाने की छूट दे रखी है। आज कोई लेक्चरार किसी भी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर बन सकता है, कुछ आर. एस. एस. के सदस्य हैं, उसके आफिस बीयरर्स हैं। इतना ही नहीं है चुनाव लड़ने तक के लिये पूरी आजादी है। चुनाव लड़ना चाहें, चुनाव लड़ सकते हैं। पोलिटिक्स को शिक्षा से दूर करें। आप यह बतायें तो समझ में आ सकता है कि मार्क्सिज्म क्या है, आर. एस. एस. की फिलासफी क्या है, नेशनल मूवमेंट क्या है, लड़कों को समझायें। हम पोलिटीशियन्स को तो यह उपदेश दिया जाता है कि Keep your hands away from the university affairs. यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन्स में पोलिटीशियन्स को भाग नहीं लेना चाहिये मगर यूनिवर्सिटीज का स्टाफ खुद पालिटिकल पार्टीज के मेम्बर हैं। इलेक्शन लड़ने की छूट है और पार्टी – पालिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और खुलकर हिस्सा लेते हैं। जब स्टूडेन्ट्स में पालिटिक्स आ जाती है तो पढ़ाई एक तरफ रह जाती है। उधर किसी युनिवर्सिटी का कोई हैड या डीन किसी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से वहां के स्टूडेन्ट्स में आयेगा। पालिटिक्स में पार्ट ले इलेक्शन लड़े यह कोई अच्छी बात नहीं है। जोधपुर युनिवर्सिटी में एक स्टूडेन्ट और एक लेक्चरार इलेक्शन के लिये खड़े हो गये और लड़का जीत गया, लेक्चरार हार गया तो फिर उसे स्टूडेन्ट्स को पढ़ाने की हैसियत कहां रहेगी? इसलिये आप इस पर चिन्तन कीजिये कि युनिवर्सिटी केम्पस में जो स्टाफ है जो तनख्वाह लेते हैं वे किसी भी पार्टी पालिटिक्स में भाग नहीं लें। हम जो असेम्बली के मेम्बर हैं उनको भी भत्ता मिलता है बाकी तनख्वाह नहीं मिलती है। वे तनख्वाहें लेते हैं फिर पोलिटिक्स में भाग लें इसलिये इसको रोकना पड़ेगा।

तीसरी बात, श्रीमन्, आज यूनिवर्सिटी के

(श्री मथुरादास माथुर)

अन्दर क्या डिसिप्लिन बिगड़ गया है और उसका एक कारण यह भी है कि अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी में 78 प्रतिशत लड़के फेल हुये। 10 हजार स्टूडेन्ट्स में से चार, साढ़े चार हजार लड़के फेल हुये थे एक्चुअल फिगर तो मुझे अभी याद नहीं है। उसमें से तीन हजार लड़कों ने रिवेल्यूएशन के लिए दरख्वास्त दी और उसमें 85 प्रतिशत लड़के पास हो गये। अब आप याद कीजिये हमारे टाइम तो रि-वेल्यूएशन होता ही नहीं था–रि-टोटलिंग जरूर होता था चाहे वह किसी प्रोफेसर ने कापी देखी हो। अब क्या हो रहा है किसी एक प्रोफेसर ने कापी देखी तो उसके लिये रि-वेल्यूएशन के लिये दरख्वास्त दे दी तो दूसरे के पास कापी जायगी और श्रीमन् दूसरे के पास कापी जाने में इतना डिफरेन्स आया कि जिसने 35 नम्बर दिये थे तो दूसरे एग्जामिनर ने उसको 70 नम्बर दे दिये। लड़के जो फेल हो गये थे वे पास हो गये। अब बताइये– एग्जामिनेशन में किसकी आस्था रहेगी इसलिये स्टूडेन्ट्स में असन्तोष बढ़ा और यह हुआ कि जिन लड़कों ने रिवेल्यूएशन की दरख्वास्त नहीं दी थी वे भी यह कहने लगे कि हम भी दरख्वास्त देते तो पास हो जाते। इसलिये मेरा सुझाव है राजस्थान में तीन यूनिवर्सिटियां हैं— जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो जयपुर में जो राजस्थान की बड़ी यूनिवर्सिटी है और जितने कालेजेज हैं सब मातहत हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैम्पस में हड़ताल होती है और किसी प्रकार यहां के स्टूडेन्ट्स मिलकर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करवा लें तो कोटा में रहने वाले विद्यार्थी का इसमें क्या कसूर है और उसको क्यों नुक्सान हो लेकिन यहां रहने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात को मनवा लेते हैं और नतीजा यह होता है कि एग्जामिनेशन देर से होते हैं और फिर उनका रिजल्ट भी देर से निकलता है और राजस्थान के रहने वाले सारे विद्यार्थियों का केरियर बिगड़ जाता है। इसलिये हम महसूस करते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को बाइफरकेट कर दीजिये और केवल पोस्ट ग्रेजूएशन के लिये या रिसर्च वर्क के लिये रख दीजिये ताकि यहां से लड़के रिसर्च करके निकलें और रिसर्च के नाम पर, इस देश में ऐसा रिसर्च करें कि हमारे देश की गरीबी को मिटाने में कामयाब रहें और यदि वे ही स्टूडेन्ट्स हंगामा करके निकलते हैं तो देश का भी बन्टाढ़ार करते हैं और हमारे लिये भी सिर दर्द हो जाते हैं। इसलिये राजस्थान यूनिवर्सिटी में केवल पोस्ट ग्रेजूएशन में एग्जामिनेशन रख दीजिये। राजस्थान यूनिवर्सिटी को एग्जामिनेशन लेने का काम रहे बाकी न रहे— बाकी के पोस्ट ग्रेजूएशन के एग्जामिनेशन कीजिये और उसके लिये एक स्टेण्डर्ड तय कीजिये।

आज तो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च यह होता है कि चाकू कैसे मारा जाय, रिसर्च यह होता है कि सिर कैसे फोड़ा जाय, डीन और वाइस चान्सलर की इज्जत कैसे बिगाड़ी जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, आज जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं इसमें आप चिन्तन करके तब्दीली कीजिये ताकि जो कालेज दूर दूर हैं— पाली में, सिरोही में, कोटा में, आबू में वहां स्ट्राइक नहीं होती है, पढ़ाई

(श्री मथुरादास माथुर)

होती है तो वे भी बर्बाद होते हैं और यहां वाले तो बरबाद होते ही होते हैं, चन्द सौ लड़कों से सारी जगह अशान्ति हो जाती है। इसलिये यूनिवर्सिटी का मिस मैनेजमेन्ट स्टूडेन्ट्स के लिये बहुत बड़ा फेक्टर है। मिस मैनेजमेंट के लिये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं किसी रेसपान्सिबिलिटी से कह रहा हूं वहां का स्टाफ है। उनमें ग्रुप बाजियां हैं और ग्रुप इसलिये हैं कि किसका सलेक्शन हो, किसका प्रमोशन इन बातों के लिये वहां ग्रूप बने हुए है। मैंने सुझाव दिया था कि तीनों यूनिवर्सिटीज के लिये एक सर्विस कमीशन मुकर्रर कर दीजिये ताकि वह कमीशन कहे कि यह रीडर होगा, यह प्रोफेसर होगा और यह डीन होगा और तीनों यूनीवर्सिटीज में वह मान्य हो। कल उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी कि पांच करोड़ 62 लाख का फन्ड है और हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं तो मेरा निवेदन है फाइनेन्शियल मैटर्स में आपको कोई न कोई कानून के जरिये से यूनीवर्सिटी कमीशन बन जाना चाहिये। जैसे बिहार में है — जितना सलेक्शन वहां पर हो और जितनी जितनी यूनिवर्सिटीज में वेकेन्सी हो उनका पोस्टिंग हो जाय ताकि ग्रुप आदि जो होते हैं सलेक्शन को लेकर वह न हो।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते कास्ट बेसिस पर बोर्डिग को खत्म कर दीजिये और यूनीवर्सिटीज में ही नहीं जहां जहां कास्ट बेसिस पर बोर्डिग चले, उनकी कम्पलीट ग्रान्ट पर रोक लगा दीजिये। हम बहुत भुगत-भोगी हैं। हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक हाथ दूसरे हाथ को काटने के लिये तैयार रहता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के आज इस हद तक उतर जाते है कि एक हाथ दूसरे हाथ को काटता है और छोटी छोटी बातों को लेकर। इसलिये मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटीज को ब्राड माइन्डेड होना चाहिये। हम कोई बात अन्तर्राष्ट्रीय तरीके से सोचने की करते हैं और वहाँ एक कास्ट दूसरी कास्ट पर झगड़े कर ले, बुरी तरह के दंगे-फिसाद खड़े कर ले तो यह हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं है। मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा कि हमारे मन्त्री भी किसी को कास्ट बेसिस पर आशीर्वाद न दें। जब वोट के लिये, चीप पापूलेरिटी के लिये यदि इनका आशीर्वाद कहीं जाता है तो वह सरकार के प्रति गुनाह कर रहा है। इसलिये इन कास्ट बेसिस पर जो बोर्डिग हाउसेज हैं उनको खतम कर दीजिये और यह कास्ट सिस्टम किसी भी प्रकार यूनिवर्सिटीज में नहीं होना चाहिये। यूनिवर्सिटीज में एक कतार में 20 कमरे हों जिनमें हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान ईसाई सब साथ रहें और पालिटिक्स दूर रहे तो अपने आप में अच्छे होकर होनहार नागरिक बनेंगे। अब मेरा एक और, सुझाव है श्रीमान्। मेरा सुझाव यह है कि इस वाइस चांसलर के अपोइन्टमेंट की पद्धति को बदलिए। हमने बनाई थी, आप यही कहेंगे लेकिन उस वक्त बनाई थी, वह अजीब पद्धति है। सरकार का कहीं हाथ बहुत ज्यादा नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन एक को भेज देता है, तीन को मिला कर एक पैनल बनाया जाता है और उसके लिए कोई प्रावीजन नहीं है कि वाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन क्या होनी

(122)

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहिए। वाइस चांसलर के लिए एकेडेमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। इस सदन में मैं माननीय सदस्यों की इज्जत हासिल नहीं कर सकता अगर मैं अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं रख सकता। अगर मैं तैयार होकर नहीं आता हूं और यहां पर बोलता हूं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होंगे। अगर वाइस चांसलर एकेडेमिशियन नहीं है तो वह स्टूडेंट्स से इज्जत हासिल नहीं कर सकता। अगर यही करना है तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक डी. आई. जी. को क्यों नहीं मुकर्रर कर देते। आपने प्राइमरी एजूकेशन के लिए डायरेक्टर आई. ए. एस. आफिसर को लगा दिया, ठीक है वहाँ पर ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है परन्तु यूनिवर्सिटी में रिसर्च होता है, वहां पर हायली इन्टलेक्चुअल एकेडेमिशियन को वाइस चांसलर नहीं बनायेंगे तो वह स्टूडेंट्स की रेस्पेक्ट को कमाण्ड नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से वह डिसिप्लिन नहीं रख सकता। डिसिप्लिन मेन्टेन करने के लिए वाइस चांसलर की इन्टेग्रिटी होनी चाहिए। वाइस चांसलर को अनबायस्ड होना चाहिए, वाइस चांसलर हायली एकेडेमिशियन होना चाहिए ताकि वह रेस्पेक्ट कमाण्ड कर सके। वाइस चांसलर को जो भी तनख्वाह देनी पड़े दे दीजिए, चाहे पांच हजार देनी पड़े तो दे दीजिए क्योंकि राजस्थान का फ्यूचर, राजस्थान का भविष्य पैदा कर रहे हैं उस आदमी के जरिये। इसलिए वाइस चांसलर अगर इस तरह के ऐरे गेरे को लगायेंगे तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं कि यह आपका सही अप्रोच नहीं होगा····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I have tried my best.

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिहजी ने कहा कि मैंने कोशिश की है लेकिन लोग आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं, श्रीमान्, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना गन्दा हो गया है कि कोई भी इज्जतदार आदमी आकर अपनी इज्जत नहीं बिगड़वाना चाहेगा। अगर भैरोंसिहजी मुझे कहें, आप मुझे कुछ भी काम के लिए कह दें मैं तैयार हो जाऊंगा लेकिन वाइस चांसलर बनने के लिए कहें तो मैं आपको हाथ जोड़ दूंगा·······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यही आफर आपको देने ही वाला था।

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ रहा था कि आप यही कहने वाले हैं, आप मेरी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कोई भी रेस्पेक्टेबल आदमी इसके लिए तैयार नहीं होगा कि एक लड़का उसके पास जाकर यह कहे कि मैं तेरे मुँह पर थूकता हूं। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकता कि उसका लड़का उसके मुँह पर थूक दे। इसके अलावा मैं आपको कहता हूं कि यह जो रिटायर्ड आदमी लगाने की परिपाटी है, जो टूटे फूटे हो गए हैं, जिनकी इनर्जी खतम हो चुकी है, जो बीस दिन तक अस्पताल में पड़े रहते हैं, फिर उनको वाइस चांसलर बना दें तो काम चलने वाला नहीं है। आप इस तरह के झगड़े में नहीं पड़ें। A university is known by its Vice-Chancellor. A university is known by its libra-

(श्री मथुरादास माथुर)

rics and, a university is known by its discipline.

इसलिए यूनिवर्सिटी को अच्छा बनाने के लिए अच्छे ट्रेंड, एकेडेमिशियन लोगों को वाइस चांसलर बनाइये। आज आप शिक्षा विभाग के लिए, इन यूनिवर्सिटीज के लिए जो 5 करोड़ 62 लाख की मांग कर रहे हैं, उसके लिए तो और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं। श्रीमान, मैं तो इसी सब्जेक्ट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. मैं और कोई सब्जेक्ट टच नहीं करूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत अहम समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, इसके लिए चिंतन कीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप समय रहते कार्यवाही करना चाहते हैं, एक्ट में क्या प्रोवीजन है, समय नहीं है वरना मैं आपको बताता कि क्या अमेंडमेंट जरूरी है। इसके लिए आप हाउस की कमेटी बिठाइये। यूनिवर्सिटी एक्ट तीनों मौजूद हैं। आपने पहले बड़ी इमर्जेंसी की वजह से, मैं उस समाजवादी इमर्जेंसी की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जिस समय जल्दबाजी में आपने तीन अमेंडमेंट हमसे पास करवाये थे, उस वक्त भी हमने आपके सामने सुझाव दिये थे, फिर गवर्नर साहब ने वापस भेज दिया। ट्रांसफर के बारे में, और दूसरे मसलों के बारे में विचार करिये, इस हाउस की कमेटी बनाइये जो एक महीने में अपनी रिकमण्डेशन दे। उसके अन्दर अपोजीशन की तरफ से भी पूरा सहयोग देंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उन रिकमण्डेशनस को एन्फोर्स करवाइये। उसमें विद्यार्थियों के नुमायन्दे भी ले लें, आज के विद्यार्थी पुराने विद्यार्थियों की तरह से नहीं हैं, आज का विद्यार्थी समझता है, आज के विद्यार्थी में पोलिटिकल कोंसियसनेस है, आज के विद्यार्थी के अन्दर सिविल कोंसियसनेस है, उनके दिल में दर्द है, वह मन में समझता है कि मैंने एम. ए. पास कर लिया सैकिंड डिवीजन में तो उसके बाद मुझे कोई जगह नहीं मिलने वाली है, मुझे तो यों ही जूते फाड़ने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के केम्पस के अन्दर आप एम्पलायमेंट एक्सचेंज खोलिये जो यह देखे कि एक लड़का एम. ए, एम. एस सी. फाइनल करके निकले तो उसको किस तरह से कहां पर फिट किया जाय ताकि एम्पलायमेंट मिल सके। एजूकेशन को एम्पलायमेंट ओरियेंटेड एजूकेशन बनाने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि आपको इसमें पूरी कामयाबी नहीं मिल सकती क्योंकि डिमाण्ड बहुत ज्यादा है। जो आज एम. ए, एम. एस सी, पी एच.डी बनते हैं उनमें से 60% को एम्पलायमेंट दे सकें, 70% को एम्पलायमेंट दे सकें तो भी आज जो स्टूडेंट्स के अन्दर फ्रस्ट्रेशन है, जो आज विद्यार्थियों में डिसकण्टेंटमेंट है, आज जो विद्यार्थियों में डीमोरेलाइजेशन है, वह कम हो जाएगा। आप इनके ऊपर इतना खर्चा करते हैं, तीन हजार पर केपिटा पर स्टूडेंट खर्च करते हैं और इतना ही रुपया उनके माता पिता का खर्च होता है, इतना खर्चा करने के बाद भी इस तरह के काण्ड हो जाते हैं जिनकी वजह से वह लाफुल एक्टीविटीज को छोड़

(124)

(श्री मथुरादास माथुर)

कर अनलाफुल एक्टीविटीज करने चला जाता है। इसलिए यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से चैंज कीजिए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपके विभाग के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, और भी बहुत से माननीय सदस्य कहेंगे लेकिन मुझे इसकी बहुत चिन्ता है, इस बात का बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दर्द है, मेरी भी औलादें पढ़ती हैं, आपके बेटे भी पढ़ते हैं। आज आप पर आने वाले भविष्य की जवाबदारी है, हम इसको ऐसी संस्था बनायें कि जिसकी वजह से इसमें सुधार हो जावे और यूथ रिप्रेजेण्टेशन हो, लाफुल एक्टीविटीज में लगें, रात दिन काम में लगे रहें और आज जो स्थिति है वैसी स्थिति नहीं रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर आप चिंतन करेंगे और जो सुझाव दिए हैं उन पर गौर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा विभाग पर चर्चा हो रही है, मैं इसका पूरी तौर पर समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने पिछले तीस सालों में इस प्रकार का इतना बड़ा बजट कभी पेश नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जनता सरकार की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इतना बड़ा बजट पेश करके राजस्थान के बालकों की शिक्षा में वृद्धि करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।

मैं आशा करता हूं कि शिक्षा विभाग की जिस प्रकार से नीति पेश की गई हैं, उन नीतियों का मैं समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन संख्या का जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उस जन संख्या के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर बिखरी हुई आबादी है, वे छोटे-छोटे गांव जन संख्या में कम पड़ते हैं, ऐसे गांवों में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जा सकेंगे। जो खास महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं उन दिक्कतों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें फर्क करना पड़े तो उस क्राइटेरिया को छोड़ कर छोटे छोटे गांवों को मिला करके वहां के जन प्रतिनिधियों की सलाह से बच्चों की शिक्षा का जो एरिया पड़ता हो वहां पर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल खोलने चाहिए। गत साल में जो जन संख्या के आधार पर आप लोगों ने बांसवाड़ा में तीन सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, वे वहीं पर खोले गए हैं जहां कि नजदीक-नजदीक में ही पहले से सैकण्डरी स्कूल हैं। वह कुल उधर की जन संख्या के आधार पर खोले गए हैं। पास के जिन गांवों में पहले से पास-पास में दो-दो तीन-तीन किलोमीटर की दूरी पर पहले से सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल थे, उनके पास में ही नए सैकण्डरी स्कूल खोले गए हैं, उनको ही फायदा हुआ है जिनको पहले से ही था। लेकिन जहां पर 15–20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले विद्यार्थी हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, न वे होस्टल में प्रवेश ले सकते

(श्री बहादुरसिंह)

हैं, न उसके पास में साइकिल का साधन है, न मोटर से जाने का सवाल है, न सड़क है, ऐसे विद्यार्थियों को सैकण्डरी स्कूल में, हायर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने में कठिनाई होती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए वहीं पास में कोई भी जहां पर ग्राम पंचायतों के बीच में गांव आते हैं, पांच प्राइमरी स्कूल के बीच में एक मिडिल स्कूल या तीन मिडिल स्कूलों के बीच में एक सैकण्डरी स्कूल, इस हिसाब से नए स्कूल खोले जावें तो बांसवाडा जो कि आदिवासी क्षेत्र है, बिखरी हुई आबादी वाला क्षेत्र है, उसको काफी फायदा हो सकता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में गत साल मैंने आपको कई दरख्वास्तें दे करके निवेदन किया था परन्तु उस क्राइटेरिया के नाते आपने उस गांव में सैकण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल नहीं खोले। खैर, कोई बात नहीं। मैं आशा करता हूं कि इस साल आप सैकण्डरी स्कूल खोलते समय मेरे क्षेत्र के गांव नयागांव में, गुरजी में और सुलवानिया में, जो ऐसे स्थान हैं कि जहां पर मिडिल स्कूल चालू हैं, भवन बने हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं और जहां दस-दस किलोमीटर की दूरी पर बिखरे हुए गांव हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जनसंख्या भी अच्छी है वहां पर सैकण्डरी स्कूल खोलने चाहिए जिससे उन लोगों की, वहां की जनता की आशा पूरी हो सके।

मिडिल स्कूलों का जहां तक सवाल है, मेरे क्षेत्र में एक गांव ऐसा है जो मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ हिमाड़े का गांव है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां के लोग शिक्षा के बारे में जानते नहीं हैं, वहां पर प्राइमरी स्कूल हैं, वहां आज जन संख्या भी बहुत ज्यादा है, ऐसे पांच गांव हैं जहां पर मिडिल स्कूल खोलने लायक हैं। वे हैं जलानिया, वीरपुरा, काण्डा ये ऐसे गांव हैं जहां आज भी प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। ....

प्राइमरी स्कूलों के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं। जो आपने नियम बनाये हैं कि 250-300 की जन संख्या के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे तो इस नियम में हमारे तमाम गांव आ जाएंगे। इसमें आप धीरे-धीरे स्कूल खोलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

आदिवासी क्षेत्रों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर मिडिल स्कूल पहले से खुले हुए हैं, वहां पर भवन नहीं है। गत साल शिक्षा विभाग की तरफ से जिला बांसवाड़ा को आपने 1,80,000 रुपये जन जाति विकास विभाग की तरफ से दिये थे। इस रकम के बारे में न तो जन प्रतिनिधियों की राय ली गई, न कलेक्टर साहब से राय ली गई, और न किसी कमेटी की राय ली गई, किसी की राय लिए बिना ही इस रकम का उपयोग किया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने शिक्षा अधिकारी को सारा बजट दे दिया। उन्होंने बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी जो पहले से ही सक्षम है, कांग्रेसी राज में उसको बहुत सा पैसा मिला है, वहां पर सारी सुविधा होने के बावजूद वहां पर खर्च किया गया। इस साल भी शिक्षा विभाग की तरफ से पैसा दिया गया है, काम के बदले अनाज योजना में अनाज उनको दिया गया। वह सारा अनाज गढ़ी तहसील में दिया गया है।

(श्री बहादुरसिंह)

आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवन नहीं हैं। लड़के पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं जो मिडिल स्कूल, सैकन्डरी स्कूल खोले हैं, वहां पर भवन बनाना जरूरी है। आदिवासी एरिया है, वे चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और न वे और जगह से पैसा ला सकते हैं। ऐसी जगह पर सैकन्डरी, मिडिल स्कूल भवन बनाना जरूरी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले बजट दिया गया था, वह गलत ढंग से खर्च कर दिया गया था। यह सारा बजट गढ़ी पंचायत समिति में खर्च किया गया, यह खबर मैं मंत्री महोदय को देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां से लोगों की दरख्वास्तें हैं उस आधार पर स्कूल भवन बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बजट जाए, इस ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में काम हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का भला हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की माननीय सदस्या पुष्पा जी बिल्कुल काले कपड़े पहिन कर आई हैं। आज शिक्षा की महत्वपूर्ण मांग है। यह बात क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कल से भगवा कपड़े पहिन कर आवें।

श्रीमती नारंगी देवी : उपाध्यक्ष महोदय, महिला के प्रति ऐसा कटाक्ष अमान्य किया जाए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने बहुत बढ़िया चुटकी ली है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी रूलिंग के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष, आज हम शिक्षा विभाग की मांगों पर विचार करने के लिए बैठे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले में निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने शिक्षा के मद में पैसा अधिक आरक्षित किया है, योजना बनाई है। मेरा कहना यह है कि कुछ अन्य चीजों पर भी पैसा आरक्षित किया जाना चाहिए था, योजना बनाई जानी चाहिए थी, तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार की शिक्षा की जो नीति है उसको वे और अधिक स्पष्ट करें। गुमानपुरा, कोटा में शिक्षा अधिकारियों का 14वां सम्मेलन हुआ था। वहां पर कई निर्णय लिये गये थे। उसमें माननीय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, श्री भंवरलाल शर्मा, शिक्षा मन्त्री और माननीय महबूब अली, शिक्षा राज्य मन्त्री, ये तीनों ही उसमें सम्मिलित हुए थे। मेरा निवेदन है कि वहां पर लिये गये निर्णयों को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। दोनों मन्त्री महोदय उसमें शामिल थे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो वेतन की असंगतियां हैं, और तृतीय वेतन श्रृंखला है, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने इस वर्ष गांवों में स्कूल खोले जाने के लिए योजना बनाई है। कहीं यह योजना भी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गत वर्ष की तरह न रह जाए। हम लोगों से प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए नाम मांगे गये थे। हम लोगों ने नाम भी दिए परन्तु आज तक वहां पर स्कूल नहीं खुले हैं और न कोई योजना बनी है, जिलाधीश की मार्फत रिकमन्डेशन भी भेजी गई थी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस वर्ष जो भी योजना हो, वह निश्चित रूप से इम्पलीमेन्ट करें।

साथ ही आपने जो यह प्रौढ़ शिक्षा के लि ए निदेशालय की घोषणा की है, मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें महिलाओं को भी अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही जो अनुभवी बन्धु हैं उनका भी लाभ इस योजना को मिल सके....

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो गैर शिक्षण संस्थाओं के अनुभवी लोग हैं, जो मिशनरी टाइप से काम करते हैं, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाना बहुत जरूरी है। इसमें दो तरह से विचार करना होगा—एक प्रशासनिक और दूसरा शैक्षणिक।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग की जो स्थानान्तरण की नीति है, वह दोषपूर्ण है। इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। शहरों में पति-पत्नी एक स्थान पर रहते हैं। गांवों के बारे में भी इसी प्रकार से विचार करना होगा। दूसरी नीति गृह जिला की है। वे दूसरे जिले में जाने को तैयार नहीं होते हैं। तीसरी बात है, ऐसी अवस्था है, कोई बीमार है तो उसका स्थानान्तरण किया जाए। इन आधारों पर स्थानान्तरण किए जाते हैं और हमारे गांव शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वहां पर शिक्षक नहीं जाते हैं। स्कूल रह जाते हैं। मेरे क्षेत्र भानपुरा में जो मिडिल स्कूल है, वहां पर एक ही महिला अध्यापिका है। वही सारा काम करती है। कोई सहायक वहां पर आज तक उपलब्ध नहीं किया गया है। मैं इस आधार पर यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपको गांवों के स्कूलों में पूरी व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही आप सारे आंकड़े मंगवा लें ताकि शिक्षा सत्र के प्रारंभ होते ही सब अपने-अपने स्थान पर चले जायें। बीच में एडमीशन का टाइम हो जाता है। अमूमन यह देखा गया है कि शिक्षा सत्र के बीच में तबादला किया जाता है। ऐसा नियम बना दें कि बीच सत्र में तबादला न हो और किस किस का तबादला करना है वह मई, जून में निश्चित कर दें।

शिक्षा मन्त्री को मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, जो उसके डाइरेक्टर हैं, वे नये नये आये हैं। वे काम संभालेंगे। इसके लिए मैं यह चाहूंगी कि जो सैकण्डरी स्कूल हैं, उनके बारे में आपको एक फैसला लेना है। अभी तक जो निर्णय है, हायर सैकण्डरी का, परन्तु हमारी स्कीम में कई जगह सैकण्डरी स्कूल्स हैं वहां के जो बच्चे पढते हैं उनको हायर सैण्कडरी में एडमिशन लेने के अन्दर कठिनाई होती है। मन्त्री महोदय को यह पता लगाना चाहिए। ये बच्चे एडमिशन के लिए भटकते हैं। उनको एडमिशन नहीं मिलता है। इस कारण सैकन्डरी तक एजूकेशन लेकर उनको

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

शिक्षा बन्द कर देनी पड़ती है । इसलिए सैकन्डरी स्कूल न रख कर सभी जगह हायर सैकन्डरी स्कूल रखना बहुत जरूरी है। यह निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा मन्त्री जी इस सम्बन्ध में उत्तर दें कि उनकी क्या नीति है ? क्या वे सैकन्डरी स्कूल को हायर सैकन्डरी बनाएंगे ? क्या यह हमारी नीति नहीं है ? सैकन्डरी को हायर सैकन्डरी में परिवर्तित करेंगे, यह विचारणीय प्रश्न है ?

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से हायर सैकण्डरी स्कूलों में पाठ्यक्रम लगा हुआ है, लहरों के राजहंस–इस प्रकार की पुस्तकें हमको नहीं पढ़ानी चाहिये । हमें गुण-दोष देख कर पाठ्य पुस्तक मंडल से अच्छी पुस्तकों का सवमीशन करके पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये । लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है । गत वर्ष भी पाठ्य पुस्तक मण्डल पर आधे घन्टे की चर्चा की गई थी सदन में, कुछ पाठ निकाले गये, इस तरह के पाठ जोड़े गये बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने के लिये, गुणों को बढ़ाने के लिये, उनका चरित्र निर्माण करने के लिये, इस प्रकार के पाठों को शामिल किया जाये । निश्चित रूप से हमारा समाज संस्कारी बने । हमारे मानदण्डों को सामने रख कर ऐसे पाठों का सवमीशन करायेंगे । माननीय

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और मुझे सुझाव देने हैं । हर विषय पर तो मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा । आज थोड़ा टाइम मिला है। मुझे थोड़ा टाइम और देंगे । उपाध्यक्ष महोदय············

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया दो मिनट में चर्चा समाप्त करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिभा संपन्न महिलायें मैरिट में आती हैं । अनेक स्थानों पर जो छात्राएं प्रथम स्थान प्राप्त करती है लड़कों के मुकाबले में, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमारी कोई योजना महिला शिक्षा के बारे में निर्णय लेने की नहीं है । इस वर्ष उन्होंने निश्चित रूप से कोई योजना बनाई होगी । मुझे पुस्तिका में तो मिली नहीं । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी अगर हमारे देश की पचास प्रतिशत आबादी के लिये कोई योजना नहीं बनती है तो शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें, महिला पोलीटेक्नीक एक भी राजस्थान में नहीं है । आप निश्चित रूप से विचार करें । महिलाओं के लिये ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । और छात्राओं के लिये पंचायत समिति स्तर पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने चाहियें । मेरे क्षेत्र में ऐसा कहीं भी कोई स्कूल लड़कियों के लिये गांवों में नहीं है । लड़कियों के स्कूलों के बारे में आप निर्णय लें । यह मेरा आपको सुझाव है । माननीय शिक्षा मन्त्री जी औद्योगिक संस्थानों के बारे में भी, आपने खोले हैं, 4 और नये खोलने जा रहे हैं, मेरा निवेदन है आप उनके सामान सैल के काउन्टर खोलें और मेटीरियल उपलब्ध करायें । आज ऐसी व्यवस्था नहीं है । बच्चे नमूने की चीजें बना कर रख देते हैं । अगर बिक जाती हैं तो फिर मेटीरियल नहीं मिलता । इस बारे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में निश्चित रूप से निर्णय लेवें। मैं आपसे निवेदन करूंगी, गत वर्ष में एल. एल. बी. की परीक्षाएं हुई थीं, यदि ऐसा ही होता रहा विश्वविद्यालय सेवाओं पर आप नियंत्रण नहीं रख सकते तो मैं निवेदन करूंगी कि विधान सभा में उनकी परीक्षाओं की तिथि तय कर दी जानी चाहिये। एक अगस्त तक परीक्षाओं की, अनेक परीक्षाओं की तिथि बढ़ती रहती है। यह गलत तरीका है। मैं परीक्षाओं की तिथियों के बारे में कहूंगी, मार्च, अप्रैल के माह परीक्षाओं के लिये उपयुक्त हैं। अगस्त के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी उमस पड़ती है कि लड़के इन दिनों में परीक्षाएं दे नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप स्थान ग्रहण करें। कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल दो मिनट का टाइम, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी विशेष अनुकम्पा होगी, कृपया दो मिनट का टाइम दें।

एक 'सीखो कमाओ' की जो योजना चलाई है, स्कूलों में बनने वाला सामान चौड़ा रास्ते में जहां सीखो कमाओ की दूकान खुली है। वहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। मैंने पिछली बार भी कहा था इस सीखो कमाओ का स्थानान्तरण किया जाना बहुत आवश्यक है। एक बात और निश्चित रूप से कहना चाहूंगी। यह बाल वर्ष है। इसके बारे में आपने कोई योजना बाल कल्याण के बारे में कोई योजना नहीं बनाई केवल सामान्य विवरण दिया है। बाल कोष की स्थापना की जानी चाहिये थी। बाल वर्ष में आप क्या कार्य करेंगे। ऐसे बच्चे जो अपराध करके जेल चल गये हैं वे भी, अगर उनका आचरण अच्छा है, चरित्रवान् हैं, उनको भी आपको मुक्त कर देना चाहिये ऐसा भी निर्णय लिया जाना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

साथ ही अच्छे और योग्य बच्चों के विकास के लिये केन्द्र सरकार को भी सहायता के लिये लिखा जाना चाहिये। ध्रुव, प्रहलाद आदि के डाक टिकट निकालें तो मैं समझती हूं इससे बच्चों को उत्साह मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी आज्ञा है तो बैठ जाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। कृपा करके चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री कल्याण सिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़ा धैर्य रखें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के भूतपूर्व शिक्षा

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री में गठजोड़ है। जो प्रशासन में अव्यवस्था पहले पैसे के कारण थी वह अब हाफ-पैंट के कारण आ गई है। और वर्तमान शिक्षा मंत्री पर और शिक्षा विभाग पर मेरा आरोप है कि शिक्षा विभाग को आर. एस. एस. के यहां गिरवी रख दिया गया है और हाफ-पैंट, और वो भी खाकी रंग की छोटे बच्चों की तो बात नहीं लेकिन जिन अध्यापकों ने भी हाफ-पैंट पहन ली है, उन्हें पिछले लगातार दो साल से अन्य अध्यापकों की तुलना में अच्छी सुविधाएं दी गईं, पोस्टें दी गईं और उनका कार्य पहले किया गया। जितने कर्मचारी संगठनों में हाफ-पैंट का जोर है उनकी बात पहले सुनेंगे और शिक्षा मंत्री जी पर आरोप इसलिये लगा रहा हूं, आज शिक्षा विभाग के 90 हजार लोगों में बड़ा भारी रोष है कि जिन लोगों के पास में अच्छा अध्यापन कार्य है, जिन्होंने अच्छी सेवायें की हैं, अच्छा आचरण है उनकी उपेक्षा करें। श्री भंवरलाल जी शर्मा, कोटा से आने वाले अजीबोगरीब माननीय विधायक उनका कार्य पहले किया जायेगा। शिक्षा मंत्री जी ने आज जो नई नीति अपनाई है ट्रांसफर की उस नीति की पालना, जब भी मैंने किसी दुःखी का केस, किसी पीड़ित का मामला बताया तो शिक्षा नीति सामने आ गई परन्तु टेलीफोन के माध्यम से उन्होंने और उनके निजी सचिव ने मेरे सामने कई बार फोन किये हैं और अपने समर्थकों की अच्छी पोस्टिंग करके सारे शिक्षा जगत में आपने पाकिस्तान और भारत बना दिया।

एक तरफ तो आपका आर० एस० एस० और दूसरी तरफ नान आर० एस० एस०। यहां तक, श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि चूरू जिले के शिक्षाधिकारी, मैं नहीं कहता कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया, ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है 12 लोगों के खिलाफ, उसमें यह लिखाया है कि मैंने फलां शिक्षा मंत्री के कहने से उनकी बदली कर दी थी इस कारण से इन लोगों ने मेरे साथ मार-पीट की है। यह चूरू जिले के शिक्षाधिकारी ने लिखवाया है। आज वह चूरू के एम० एल० ए० हैं नहीं, नहीं तो वह कहते। चूरू के अन्दर जो डिप्टी डाइरेक्टर हैं, श्री मालीराम शर्मा जिनको राज्य सरकार ने बेस्ट टीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है और उनको डिप्टी डाइरेक्टर बनाया है उनकी अभी दो हफ्ते पहले ही बदली इसलिए की गई है सादूल पब्लिक स्कूल में क्योंकि उन्होंने अग्रवाल नाम के आर० एस० एस० के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता के खिलाफ इन्क्वायरी में इनका साथ देने से इन्कार कर दिया। आज अगर शिक्षा मंत्री जी में हिम्मत हो तो खड़े होकर कहें जिस टीचर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसको डिप्टी डाइरेक्टर बनाया उसको इस सेशन के अन्तिम दिनों में दो हफ्ते पहले किन कारणों से ट्रांसफर कर दिया सादूल पब्लिक स्कूल में, बतायेंगे? यह महज इसलिए कि आर० एस० एस० के मंत्री के कहने से और उनके निजी सचिव के कहने से इनकी हां में हां मिलाकर उनके आदेश का पालन नहीं किया तो इस अध्यापक को कर्त्तव्यपरायणता के लिए दण्डित किया गया। इस घटना से सारे शिक्षा संगठन में आपके प्रति आक्रोश है, रोष है, और जनता

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

में तुम्हारा मुंह, तुम्हारा नहीं आपका मुंह काला हो रहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : कोई रोष नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप तो इनके मातहत इनके सिपहसालार हैं।

लेकिन मैंने जो आरोप लगाया है....

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम बुद्धिजीवी लोग शिक्षा पर विचार कर रहे हैं, जिनसे शिक्षा की उन्नति में हमारा योगदान होगा, लेकिन यह शिक्षा में काला-काला क्या बोल रहे है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जोधपुर से आने वाले माननीय विधायक, यदि किसी रोगी को बढ़िया कपड़े पहना दें मगर उसको टी. वी. है तो वह मरेगा आज कितने ही स्कूल खोल दें, कितने ही कालेज खोल दें, कितनी ही पोस्ट क्रियेट कर दें....

श्री मदन सिंह दांता : एक बात ध्यान रखिये कि मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से आंका जाता है। अब आप जैसे जंचे बोलें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे आप जैसे लोगों के उपदेश नहीं लेना है।

आप आर० एस० एस० की नीति, शाखा, और प्रार्थना को शिक्षा मंत्री शिक्षा से दूर रखें, वर्ना आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी, जैसे कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी को, अरे, खेत सिंह जी आप, तो जा रहे हैं, कहते हैं कि यह करके आप कानून तोड़ते हैं, वह आपको भी कहेंगे।

दूसरा उपाध्यक्ष, महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहता हूं जो अध्यापक हैं लेखक हैं, जो कवि हैं, जो शायर हैं या जो अध्यापक नहीं हैं लेकिन लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं और जिनको साहित्य एकेडेमी से पुरस्कार मिला है उनकी किताबें आपका शिक्षा विभाग नहीं लेता है, लेकिन ऐसे वैसे लोगों की किताबें लेगा। बीकानेर जिले के उदरामसर के अन्नारामजी जो राजस्थानी के लेखक हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके सुझाव बड़े कीमती आ रहे हैं लेकिन आप इतने जोर से बोलते हैं कि सुनाई नहीं देता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सरकार बहरी, गूंगी, लूली और लंगड़ी है इसलिए जोर से बोलना पड़ता है ताकि उनके कानों का मेल निकल जाय।

श्री मदनसिंह दांता : आप सुखी रहेंगे, यह कहें उसको आपने सुना नहीं तो। इनकी बातों का कोई जवाब नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्री अन्नारामजी जो राजस्थानी के लेखक हैं जिनको भारतीय साहित्य एकेडेमी से इस साल पुरस्कार मिला है उनकी आपके शिक्षा विभाग द्वारा एक भी किताब मोल नहीं ली गई है। Not a single book was purchased of that author. आपके शिक्षा विभाग के द्वारा लाखों रुपयों की परचेजेज की गई हैं किताबों की, मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत की है, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों की किताबों की हैं जो राजसत्ता में बैठे हुए

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

हैं, जिनकी राज्य तक पहुंच है। गरीब लेखकों या कवियों की, शायरों की जिनको साहित्य एकेडेमी द्वारा पुरस्कार दिया गया है, उनकी किताबें नहीं खरीदी जाती हैं। ऐसे लेखकों की जो आर्थिक कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको पुरस्कार देकर उनका हौंसला बढ़ायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात शिक्षा मन्त्री जी को यह कहना चाहता हूं कि सन् 1939 में जयपुर यूनिवर्सिटी बनी। और 1964 में जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटीज बनीं, लेकिन उसके बाद 14 साल में कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। आज जयपुर, जोधपुर और उदयपुर....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको जितना टाइम दिया है उसको काउन्ट करके ही मैंने घंटी बजाई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अनुशासन को मानने वाला व्यक्ति हूं। यदि आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा।

मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप यूनिवर्सिटीज में अनुशासन बनाये रखना चाहते हैं तो वहां पर जो छात्रों की संख्या बढ़ गई है उसको कम करें आप बीकानेर, कोटा और, और जगहों पर यूनिवर्सिटियां खोलें और मुझे बताया गया है कि 12।। लाख रुपया खर्च करने पर बीकानेर में यूनिवर्सिटी खुल सकती है। 12।। लाख रुपया खर्च करने पर कोटा में यूनिवर्सिटी खुल सकती है। आज जो भीड़ लगी हुई है इन यूनिवर्सिटीज में उनमें स्टूडेन्ट्स को कम करें।

लेकिन, मैं यह कहूंगा कि शिक्षा-जगत में हाई-कोर्ट के रिटायर्ड जजेज को लिया जा रहा है। रिटायरमेंट इसीलिए किया जाता है कि यह मान लिया जाता है कि उनकी बुद्धि अब काम नहीं करती है। ऐसे हाई-कोर्ट के जजेज को यूनिवर्सिटी में रखा गया है। एजूकेशन के डाइरेक्टर भी ऐसे व्यक्ति को बना रखा है जो आई. ए एस. है जो शिक्षा के बारे में नहीं जानता है। उसके नीचे के जो बाबू लिख देते हैं उन पर साइन कर देता है। कोई शिक्षाविद् प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन के डाइरेक्टर्स के लिए आपको नहीं मिलता है? जयपुर यूनिवर्सिटी में त्यागीजी हैं और जोधपुर में कानसिंहजी को भेजा है तो उदयपुर में कौन से लगा रहे हैं आप जज साहब? तो माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, हाई-कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेज हैं अगर उनमें योग्यता होती तो जो आज हाईकोर्ट में न्याय कम और अन्याय अधिक हो रहा है वह नहीं होता। Why do you corrupt them? शिक्षण संस्थाओं में हाई कोर्ट के जजेज को नियुक्ति दे देने से हाईकोर्ट के जजेज को करप्ट किया जाता है। वाइस चान्सलरी लेने के लिए अपने अन्तिम दिनों में वह सरकार का पक्षपात करते हैं लेकिन रिटायर्ड हो जाने के बाद वे शिक्षा जगत को खराब करते हैं।

अन्त में मैं यह पूछना चाहूंगा कि रवीन्द्र रंगमंच की शाखा जयपुर में आ गई। अभी थोड़े दिनों पहले जयपुर में 10

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

लाख रुपया लगाकर आपने आडीटोरियम और स्वीमिंग पूल बनाया है। बीकानेर मेडिकल कालेज और जयपुर मेडिकल कालेज मे 2–2 लाख के स्वीमिंग पूल बनाते हैं। तो बीकानेर डूंगर कालेज में ढाई हजार स्टूडेन्ट्स रहते हैं। उन्होंने क्या अपराध किया है ? क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक नहीं की है, वहां पर हिंसा नहीं की गई है। आज उस डूंगर कालेज की बिल्डिंग बने हुए 15–16 साल हो गये लेकिन कोई होस्टल्स नहीं हैं, उनके लिए प्ले ग्राउण्ड नहीं है, उनके लिए स्वीमिंग पूल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी मन्शा क्या है ? जहां के स्टूडेन्ट्स शान्ति प्रिय हैं, अनुशासन का पालन करते हैं वहां पर नहीं किया जाता है। जयपुर में कत्थक डान्स का मंच बन रहा है, खुला स्वीमिंग पूल बन रहा है, न मालूम क्या क्या बन रहे हैं, लेकिन यदि बीकानेर के हित को आपने इस तरह से अनदेखा किया तो निश्चित तौर से शिक्षा मन्त्री जी बीकानेर के छात्र आपको बख्शेंगे नहीं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यह बीकानेर की बात मैंने कह दी, लेकिन राजस्थान प्रान्त को पूर्ण रूप से एक रूप में देखता हूं राजस्थान की स्थिति यही है कि एक तो मुख्य मन्त्री जी आपके पास से शिक्षा मन्त्रालय ले लें। ताकि आप शिक्षा के क्राइटेरिया को खराब नही करें। नहीं तो आंधी आयेगी, भूचाल आयेगा। यह दुनियां उलट जायेगी।

श्री मदनसिंह दांता : हम दो ही हैं। हमको भी पांच पांच मिनट मिल जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता साहब, आपको समय मिल जायेगा।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सबसे कम समय लेता हूं बड़े-बड़े लोग हैं, वह टाइम ले लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री मदनसिंह दांता : हम किसी पार्टी पालिटिक्स में भी नहीं हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि किस किस के नाम हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह बताना मैं ठीक नहीं समझता हूं।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर-पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा का बजट पेश हुआ है, उससे बड़ी निराशा हुई है। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश मे सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यहां बैठने के लिए स्कूलों में टाट पट्टी भी नहीं हैं। सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। जिन्दगी सुरक्षित नहीं है इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। आज उच्च शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। इस बात को शिक्षा मन्त्री जी ध्यान में रखें। आजकल जो हुड़दंगबाजी चल रही है, उसके लिए भी अपने सुझाव रखना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जितनी भी ये रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए। एकेमेडिक यूनिवर्सिटीज को रखना चाहिए। एकेमेड़िक यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट वाइज खोलकर रखना चाहिए।

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

इससे इस प्रकार की हुड़दंगबाजी समाज में पैदा नहीं होगी। आज यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है जितने छात्र आन्दोलन करते है, उसमें छात्रों की कोई मांग नहीं है। यूनिवर्सिटीज में पार्टी बाजी है। वही लोग ऐसा कराया करते हैं। क्या यह करोड़ों रुपया जो शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, जिससे इस प्रदेश का सारा वातावरण गन्दा हो गया है। इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज गांवों में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। आप जितने स्कूल खोलना चाहते हैं, खोलें। रिकार्ड उठाकर देखें। आपके पास 50% स्टाफ नहीं है। क्या आपके पास स्टाफ नहीं है? आज भी जिसका गांवो में ट्रांसफर होता है, वह गांवों में रहने को तैयार नहीं है। कारण यह है कि गांवों में रहने की सुविधा नहीं मिलती है। जातिवाद का बोलबाला ऐसा है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई आदमी है तो रहने को किराये पर मकान नहीं मिलता है। इसलिए जो सुविधाएं शहरों में दे रखी हैं, वह सुविधाएं गांवों में भी दें। जब वहां भी सुविधाएं होंगी तो लोग वहां भी जायेंगे। शिक्षा मन्त्री जी बेसिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। इस सारे राजस्थान में गैर सहकारी संस्थाओं ने राजस्थान का आधा शिक्षा का काम अपने कन्धों पर ले रखा है। सरकार की अपेक्षा वह ज्यादा अच्छे ढंग से चल रही हैं। परन्तु आज उनकी स्थिति क्या है? बहुत से कर्मचारी हैं, जिनकी सर्विसेज की सुरक्षा नहीं है जितना खर्चा होता है वह सरकार की ओर से होता है। 50% अनुदान प्राइमरी स्कूलों में दिये जायेंगे। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो पैसा पैदा नहीं कर सकती। मेरा निवेदन है कि कण्टेन्जेंसी को पैसा दें लेकिन मेरा निवेदन है कि शत प्रतिशत पैसा सरकार को देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य इसकी घोषणा करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो राजस्थान के संस्थाओं के लोग हैं, वह अर्से से इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या विडम्बना है? क्या वह अन्य लोगों की तरह से मैदान में आ जाए? तब आप सुनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूलों में काम करने वाले लोग हैं। वह वैधानिक तरीके से काम करते हैं। आपके एडेड स्कूलों में क्या व्यवस्था है?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एडेड कालेजों में यू.जी. सी. की ग्राण्ट क्यों नहीं देते हैं? किस प्रकार से वहां पर कोई अच्छा प्रिंसीपल आयेगा? आप से ज्यादा अच्छा काम वहां के प्रिंसीपल करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो अच्छा व्यक्ति किस प्रकार से आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री कल्याणसिंह सांखला : मैं उदाहरण भी दूंगा कि मिल नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री काशीनाथ गुप्त।

श्री मदनसिंह दांता: ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

मुझे आपने गुप्ता जी के साथ जोड़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दांता साहब, आप विराजें।

श्री काशीनाथ गुप्ता।

श्री मदनसिंह दांता: अभी मथुरादासजी बोलकर चले गये हैं। मैं समझता हूं कि सभी कांग्रेस के लोग बोल गये हैं। जिनकी पार्टी नहीं है, वह सुझाव देंगे।

श्री माधोसिंह कछवाह: अलग-अलग सुझाव देते हैं।

श्री काशीनाथ गुप्ता: माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री माधोसिंह कछवाह: हम सूची देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। आपसे सूची का क्रम पूछा है तो आप भी नहीं बताते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दे दी है, मांगों के सम्बन्ध में....

श्री माधोसिंह कछवाह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर या तो सूची भेजना बन्द कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर लें।

श्री नाथूराम: सभापतीजी हमने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। आप व्यवस्था नहीं देते हैं। आप सबको टाइम नहीं देते हैं। हमने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनका क्या होगा ?

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ): उपाध्यक्ष महोदय, यह कल की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अन्तर आ गया है, मेरा निवेदन यह है कि....

(व्यवधान)

श्री माधो सिंह कछवाह: मेरे विशेषाधिकारों की रक्षा नहीं की जाती इसलिए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री काशीनाथ गुप्त।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति और प्रसार हुआ है वह सराहनीय है। अभी गत वर्ष ही कई गांवों में प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं इसलिए यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि जो नार्म्स बनाये गये थे उनके अनुसार राजस्थान भर में सभी जगह पर शिक्षण संस्थाएं कायम हुई हैं लेकिन इस वर्ष जो बजट भाषण में घोषणा की गई है कि 330 की जनसंख्या वाले ग्राम में एक प्राथमिक शाला खोली जायगी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि 330 के स्थान पर 300 की आबादी पर एक प्राथमिक-शाला खोली जावें और इसी प्रकार आपने

136

(श्री काशीनाथ गुप्त)

जो दो हजार की जन संख्या पर एक उच्च-प्राथमिक शाला खोलने का निश्चय किया है उसके स्थान पर 1700 की आबादी पर एक उच्च प्राथमिक शाला खोली जाय। माध्यमिक शाला भी 3 हजार की आबादी के स्थान पर ढाई हजार की आबादी पर खोली जाय। साथ ही मेरा निवेदन यह है कि जहां ब्रांच शाला है जिन ग्रामों में शाला के निजी भवन बना लिए गए हैं और उनको दो-तीन साल हो चुके हैं और वहां पाठ-शालाएं दो-तीन मील की दूरी पर हैं वहां पर भी, और जहां 40 से अधिक छात्र हैं उस स्थान पर भी प्राथमिक शाला कायम की जानी चाहिए। नार्म्स के आधार पर गत वर्ष जो स्कूल खोले गये उनमें बहुत ही सख्ती बरती गई। मेरे क्षेत्र में ताखा ग्राम है जिसकी आबादी 1971 के सेन्सस के आधार पर 1985 है। आपने घोषणा की थी कि दो हजार की आबादी पर एक उच्च प्राथमिक शाला खोली जायेगी, मैंने निवेदन किया कि केवल 15 की कमी है, इसलिए वहां विशेष तौर से उच्च माध्य-शाला खोली जाय। इसी प्रकार उवार व सोगर ग्राम है जो सड़क के दूसरे किनारे पर हैं उवार की आबादी 2010 एवं सोगर की 1830 थी। दोनों गांवों में से एक में ही उच्च प्राथमिक शाला मौजूद है, मैंने कहा कि वहां पर भी एक माध्यमिक शाला खोली जाय, लेकिन नहीं खोली गई। वहाँ पर एक ही स्कूल और औषधालय है। क्यों नहीं इस तरह का प्रावधान रखा गया? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के ग्रामों में जहां की आबादी तीन चार हजार है वहां पर आपको माध्यमिक शाला खोलनी चाहिए। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं वहां पर विषय खोलते समय आपको पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि वहां के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से भागकर शहरों की तरफ नहीं जायें और उनको रोका जा सके। इससे जो शहरों में भार बढ़ता है वह भी कम होगा। अतः विषय खोलने के समय सावधानी बरती जाय। मेरे क्षेत्र में दस बारह माध्यमिक स्कूल हैं लेकिन उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं है, लड़कों को भरतपुर और कुम्हेर आना पड़ता है। जो कि 15-20 मील की दूरी पर पड़ता है जब कि सरकार यह चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा आसानी से और सुलभ तरीके से दी जाय इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जहां पर पांच, छः और सात सालों से बाढ़ आती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उन क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रावधान रखा जाय। वहां पर भवन गिर गये हैं, दो ढाई मील दूर जाना पड़ता है, इसलिए वहां पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुम्हेर के अन्दर जो कन्या माध्यमिक स्कूल है, गत वर्ष बर्षा की बहुतायत के कारण स्कूल का एक हिस्सा पूरा गिर गया, केवल तीन चार कमरे रह गए हैं उसमें एक स्कूल नहीं चल सकता। बरसात और जाड़े के दिनों में छात्राओं की छुट्टी कर दी जाती है और मुश्किल से साल भर में 6 महीने पढ़ पाते हैं इसलिए जो भवन रियासत के जमाने का है, जो 50-60 साल पहले का बना हुआ

(श्री काशीनाथ गुप्त)

है उसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए जिससे आपकी जो शिक्षा की योजना है, वह सफल हो सके और छात्राएं अपनी पढ़ाई कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो सूची करीब करीब सभी सचेतक महोदयों ने दी वह काफी लम्बी है, जो भी माननीय सदस्य भाग लेना चाहें वे पांच या सात मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें। पहली घण्टी मैं पांच मिनट पर बजाऊंगा और दूसरी सात मिनट पर। इसके बाद मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि वे अपनी चर्चा समाप्त कर दें।

माननीय सदस्या, श्रीमती श्यामाकुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगों के सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने गत वर्ष 113.49 करोड़ का और आने वाले वर्ष के लिए बढ़ाकर 125.54 करोड़ का प्रावधान शिक्षा के लिए रखा है। इस प्रकार, श्रीमान, जनता पार्टी का शासन आने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ विकास हुआ है और नये नये कीर्तिमान इस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं और ग्रामों में भी समुचित व्यवस्था हो पाई है। हमारी पार्टी के आने के बाद से 3000 की जनसंख्या पर माध्यमिक स्कूल, 2 हजार पर मिडिल स्कूल तथा 400 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, श्रीमान्, पिछड़ी जाति और आदिवासी एरिया में जनसंख्या में छूट भी दी गई है। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो चपरासी काम करते थे उनको गांवों में 70/- रु. दिये जाते थे उसको बढ़ाकर 150/- रु. कर दिये हैं, यह सराहनीय कदम है और पहले उन्हें पार्ट टाइम समझा जाता था जिनको अब पूरा टाइम कर दिया गया है। इसके साथ ही इस वर्ष 1050 नयी प्राथमिक शालाएं 100 उच्च प्राथमिक शालाएं और 70 माध्यमिक शालाएं खोली जायेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए, मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि गत वर्ष मैंने अपने क्षेत्र के लिए शिक्षा मन्त्री से निवेदन किया था कि यह जो तीन हजार की जनसंख्या पर माध्यमिक स्कूल खोलने का सोचा है उसमें यदि 20-25 की कमी है तो उसको नजर अन्दाज न करें। लेकिन वह जनसंख्या पर अड़े रहे और माध्यमिक स्कूल नहीं खुले। अब की बार मैं यही कहूंगी कि जनसंख्या जो रखी है उसको लक्ष्मण रेखा मानकर न चलें। मेरा निवेदन है कि कांकरवा घमाना में जहां करीब 3 हजार की आबादी है, पांडोली तथा भट्टों का बामण्या में भी 3 हजार की आबादी है वहां भी सैकण्डरी स्कूल खोलें। राणावतों की सादड़ी में कन्या उच्च प्राथमिक शाला

(138)

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

खोलें। गत वर्ष भी मांग आई थी जो शायद किसी कारण आप नहीं खोल सके। राणावतों की सादड़ी का मतलब वह राजपूतों का क्षेत्र है। हमारी राजपूत जाति इस मामले में अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इन लोगों में कन्याओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी लेकिन अब जो पढ़ने की इच्छुक हैं उनके लिए गर्ल्स स्कूल नहीं खोलते तो यह दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह मावली में फतहनगर में भी कन्या सैकण्डरी स्कूल खोलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ती है।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : गांवों की लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। अब मैं शिक्षा नीति के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। अंग्रेजों ने अपने ढंग से शिक्षा की नीति बनाई थी और पिछले शासन में जो शिक्षा नीति थी वह वर्ग विशेष के लिए थी। पैसे वाले लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। हमारी जनता पार्टी ने जो काम शुरू किए हैं वे ग्रामोन्मुख शुरू किए हैं, ग्रामीण बच्चों को भी शिक्षा सुलभ हो गई। मैंने पिछले दिनों एक प्रश्न भी शिक्षा मन्त्री से पूछा था। प्राइवेट

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के बारे में, प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापक हैं उनकी हालत अत्यन्त खराब है, उनको दिया कुछ जाता है और साइन कुछ कराया जाता है, सारा दिन बेगार ली जाती है। आप शिक्षा मन्त्री हैं, आपका फर्ज हो जाता है कि आप उनको न्याय दिलायें, उनको वेतन, भत्ते, आवास सुविधा, मेडिकल सुविधा जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को मिलती हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करें।

पिछले दिनों बार-बार यह बात सुनी थी कि फलां जगह पर विद्यालय भवन उपयुक्त व मजबूत न होने से छत गिर गई, इतने बच्चे मर गए तो कम से कम हमारा फर्ज है कि जितने विद्यालय चलते हैं उनमें जो बच्चे बैठते हैं, वे सुरक्षित हैं या नहीं। शहरों में जगह की तंगी हो सकती है लेकिन गांवों में जो नए स्कूल बना रहे हैं उनमें खेल के मैदान हों तो बच्चों का शारीरिक विकास होता रहे।

मेरे क्षेत्र कपासन में कुछ अध्यापक हैं डेली अप एण्ड डाउन करना पड़ता है। आधा घण्टा तो बस पकड़ने में लग जाता है, उनका तो आने-जाने में ही मन लगा रहता है, इसलिए वे स्कूल में मन लगाकर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के अध्यापकों को उसी गांव में निवास के लिए बाध्य किया जाय जहां वे पढ़ाते हैं तो अच्छा होगा। गांव के अध्यापक को केवल अध्यापक की भूमिका ही नहीं निभानी पड़ती बल्कि और भी काम होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। 7 मिनट हो गए।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

महोदय, शिक्षा के विषय में मैंने पहले भी कटौती प्रस्ताव रखा है। जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कुछ सुझाव कांग्रेस के लीडर ने दिए। मैं समझता हूं जब तक यह चुनाव प्रणाली इन स्कूलों व कालेजों में यूनियन की चलती रहेगी तब तक हिंसा चलती रहेगी, अनुशासनहीनता चलती रहेगी और इसका उपाय यह है कि ये इन्डाइरेक्ट चुनाव होने चाहिएं नहीं तो मैरिट के आधार पर। हमारे समय में जो सबसे प्रथम नम्बर आता था उसको हैड बनाया जाता था, खेलकूद में जो प्रथम आता था उसको कैप्टन बनाया जाता था। वही तरीका आज अपनाना चाहिए। नहीं तो चुनावों में राजनीति होगी और राजनैतिक पार्टियां भी उसमें प्रवेश करेंगी, वे हिस्सा लेंगी और विद्यार्थियों को प्रभावित करेंगी। इसलिए इस सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता है।

दूसरी समस्या रेगिस्तानी क्षेत्र के जिलों की है जिनमें गांव 50-50 वर्ग मील, 25-25 वर्ग मील क्षेत्र के हैं। उसके अन्दर स्कूलों के खोलने के बारे में आपको दूरी के दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा, केवल जनसंख्या का दृष्टिकोण नहीं। अब ऐसा है कि बाड़मेर जिले में 300 से ऊपर की आबादी के जो गांव हैं वे सभी कवर हो गए हैं, एक भी नहीं रहा परन्तु यह बात है कि जिन गांवों की आबादी 2,000 है तो उन दो हजार की आबादी में एक ही प्राइमरी स्कूल है। तो मैं चाहता हूं कि उन गांवों में जिनकी आबादी एक हजार से 8 हजार या 10 हजार तक है उनमें भी आपको 400 की ढाणियों का समूह बनाकर प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, यदि 30 लड़के आ जाते हैं तो। यह नीति जैसलमेर, बाड़मेर, व जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील जैसे एरियाज के लिए अपनानी चाहिए।

तीसरी बात है, प्रौढ़ शिक्षा की। मैं जिला प्रमुख भी रहा हूं और उसके लिए मैंने भी कोशिश की। परन्तु उसका परिणाम क्या रहा ? मैंने पूरी तरह से मूल्यांकन किया और पाया कि प्रौढ़ शिक्षा की तरफ पढ़ने वालों की रुचि नहीं। वे इतना अपने कामों में बिजी रहते हैं कि उनको रात को समय ही नहीं मिलता। थक जाते हैं! अगर हम कोशिश करके लाए तो 5 दिन उपस्थित होंगे बाद में नहीं। दूसरे आदमी लायेंगे वे भी 5 दिन उपस्थित होंगे फिर नहीं।

तो प्रौढ़ शिक्षा पर जो आप पैसा खर्च करेंगे यह रुपया प्राइमरी शिक्षा पर खर्च कर दें। आप इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे और इसके कोई परिणाम नहीं आयेंगे। हां, यह परिणाम जरूर आयेगा कि आर. एस. एस. गांव-गांव में प्रविष्ट हो जायेगा। यह सफलता जरूर प्राप्त हो जायेगी और दूसरी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है।

अब मैं दो तीन बातें अपने क्षेत्र की रखना चाहूंगा। वहां की समस्याओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सीमावर्ती बोर्डिंग हाउसेज बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और

(140)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

गंगानगर में चल रहे हैं और इसलिए वह सीमावर्ती बोर्डिंग हाउसेज चल रहे हैं क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित किया जाये। सीमावर्ती क्षेत्र में गरीब आदमियों को प्रोत्साहित किया जाये इसलिए यह सीमावर्ती बोर्डिंग हाउसेज खोले गये हैं लेकिन इन सीमावर्ती बोर्डिंग हाउसेज को अनुदान देने में उदासीनता की नीति आपकी गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग ने अपनाई है। जिसके कारण, मैं बाड़मेर की हालत बता रहा हूं कि बाड़मेर का बोर्डिंग हाउस और कन्या सीमावर्ती बोर्डिंग हाउस का पौने दो लाख रुपये का खर्चा है लेकिन इस साल एक भी पैसा नहीं मिला। वैसी ही स्थिति जैसलमेर और बीकानेर की है। तो जो सरकार सीमावर्ती बोर्डिंग हाउसेज को चला रही हैं उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। किस प्रकार वह सामान लाकर बच्चों को खिला रहे हैं और अब परीक्षा का भी समय आ रहा है, उसका आडिट भी कर दिया है। आप जल्दी से जल्दी पूरी मदद दिलाइये और उसको कर्जे से मुक्त कीजिए।

चौथी समस्या यह है कि राजकीय कालेज में होस्टल के बारे में मैं बराबर जब भी एजूकेशन की डिमाण्ड आती है और कोई शिक्षा का मसला आता है तो, शिक्षा मन्त्री जी, मैं उसको रखता हूं और पहले जब खेतसिंह जी एजूकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था। हमारे वहां राजकीय कालेज में होस्टल नहीं चल रहा है। हमारे कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ मदद दे और यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन भी कुछ मदद दे, इस आधार पर हमारे राजकीय कालेज में होस्टल खोलने में भी मदद मिलेगी। इस प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर गम्भीरता से लेने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक बात और कहूंगा।

एन. सी. सी. और स्काउटिंग दोनों ही कम्पलसरी होनी चाहिए और एन. सी. सी. को कालेज में कम्पलसरी करने का माथुर साहब ने सुझाव रखा, लेकिन मैं कहता हूं कि स्काउटिंग को भी कम्पलसरी रख दीजिए। वह निःस्वार्थ सेवा की भावना से काम करते हैं और अच्छे वर्कर्स तैयार होते हैं, अच्छे विद्यार्थी तैयार होते हैं और चरित्रवान् विद्यार्थी तैयार होते हैं। फिर आपके ऊपर जो बराबर दोषारोपण आता है आर. एस. एस. के बारे में वह भी समाप्त हो जायेगा। विद्यार्थी स्काउटिंग के लिए जायेंगे तो उनके खेलकूद की भी व्यवस्था हो जायेगी तो वे आर. एस. एस. में भी नहीं जायेंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। और आपको सेवा करनी है तो इन दोनों को कम्पलसरी बना दीजिए और आपके ऊपर कलंक है....

एक माननीय सदस्य : कलंक है क्या ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : कलंक तो है ही, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों में स्कूलों में यह सक्रिय भाग लेते हैं और शाखायें चलाते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : वह एन. सी. सी. में घुस जायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कोई नहीं घुसने वाले हैं। इसलिए स्काउटिंग और एन. सी. सी. को कम्पलसरी बनाकर विद्यार्थियों के चरित्र को उन्नतिशील बनाने में आप सहयोग दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण।

श्री नूरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारे दल को भी समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि सारा समय विरोधी पक्ष को ही दिया जाये। कृपया विराजें।

श्री नूरा : आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हम विरोधी पक्ष के हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या यह चाहते हैं कि सभी समय आपको ही दे दूं ?

श्री नूरा : मुझे जो चाहिए वह समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके वृद्धिचन्द जी जैन बोले हैं।

श्री नूरा : अपने अधिकार के लिए मांग करना कोई जुल्म तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जुल्म तो नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरों के अधिकारों पर कुठाराघात कर दूं।

श्री हरिकृष्ण

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जनता सरकार ने दो वर्ष में अत्यधिक स्कूल खोलकर कीर्तिमान स्थापित किया है उसके लिए तो जनता सरकार धन्यवाद की पात्र है और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग ने क्राइटेरिया बनाया उससे भी पूरी पूरी ख्याति प्राप्त की है और अब न 3 हजार की जनसंख्या वाला स्थान हाईस्कूल के बिना रहेगा और न 2 हजार की जनसंख्या वाला स्थान मिडिल स्कूल के बिना रहेगा और न चार सौ की जनसंख्या वाला स्थान प्राइमरी स्कूल के बिना रहेगा। यह जनता सरकार की ख्याति है। लेकिन जहां यह उपलब्धियां प्राप्त की हैं और इससे जितना लाभ हो रहा है उसके साथ ही साथ कुछ हानियां भी हैं। हानि यह है कि जहां स्कूल खुले वहां स्कूल नहीं खुलना चाहिए था, क्राइटेरिया में आ कर वहां स्कूल खोले गये। न उन शालाओं में छात्र हैं और न भवनों का इन्तजाम है। बिना भवन के शालायें चल रही हैं। मेरे अपने क्षेत्र भरतपुर जिले के अन्दर तीन हजार की आबादी के गांव ही नहीं हैं, निवेदन करने पर वहां के लिए नार्म्स बनाये। जो दो हजार की आबादी पर हाई स्कूल खोलने के नार्म्स बने हैं वह ऐसे बने हैं जो कि बहुत ही अचम्भे के हैं। मेरे यहां कटारा ईशापुर एक ही गांव है लेकिन ईशापुर में स्कूल खोला गया और इसी तरह गाठौली हसनपुर गांव हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में गांव

(श्री हरिकृष्ण)

अलग अलग हैं, एक ही गांव होने पर हसनपुर में स्कूल खुला है। मंत्री महोदय को दरख्वास्त भी पेश की कि यहां स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है, यहां तो पहले ही मिडिल स्कूल और प्राइमरी कन्या स्कूल मौजूद है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है लेकिन क्राइटेरिया दिमाग में बसा हुआ था। विधायकों की सलाह को नहीं मानते हुए वहां स्कूल खोला गया। नगला सोगरिया, नगला बल्ला आधी फर्लांग की दूर पर हैं वहां पर स्कूल कायम कर दिया गया। इस तरह यह क्राइटेरिया बहुत ही दुखदायी रहा। विधायक अपनी बुद्धि के अनुसार और जनता की मांग के अनुसार जहां स्कूल खुलवाना चाहते थे वहां स्कूल नहीं खुला, उनकी बात नहीं मानी गयी और जहां स्कूल चाहिए वह स्थान स्कूलों से महरूम रह गये। मैंने एक दरख्वास्त पेश की थी कि महरसर गांव है, वहां पर एक कन्या मिडिल स्कूल है जहां 40-50 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मैंने कहा था कि इस स्कूल को लड़कों के स्कूल में बदल दिया जायेगा तो उपयोगी होगा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस तरह से बहुत शालायें हैं जो बिना छात्रों के चल रही हैं और बहुत सी शालाओं में सौ छात्र हैं और उन पर एक अध्यापक है। मान्यवर, जो 1979-80 का बजट का लेखा जोखा शिक्षा विभाग की तरफ से पेश हुआ है उसको देखने से ऐसा लगता है कि 6970 शालायें ऐसी हैं कि जिनमें अध्यापक ही नहीं हैं। उन्होंने अपने इस लेखे जोखे में 21811 प्राइमरी स्कूलें बताई हैं और 14841 उनमें अध्यापक बताये हैं, अगर यह लेखा जोखा सही है तो इसका मतलब यह है कि 6970 शालाओं में अध्यापक ही नहीं हैं। ऐसी हालत तो मैंने देखी है कि जहां सौ छात्र पढ़ते हैं लेकिन एक अध्यापक है और वह अध्यापक उनको बैठा भी नहीं सकता तो पढ़ायेगा क्या।

मान्यवर, प्राथमिक शालाओं में चौथी कक्षाओं के बालक बिना परीक्षा के उत्तीर्ण कर दिये जायें यह जायज बात नहीं है और यह प्रणाली दोषयुक्त रहेगी। और इस तरह से बिना परीक्षा लिये ही उत्तीर्ण कर दिये जायेंगे तो शिक्षक लापरवाह हो जायेंगे और बालक क्या अपनी पढ़ाई कर पायेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो शिक्षा चल रही है, वह कोई धन्धा, रोजगार मिलने वाली शिक्षा नहीं है। अगर इस तरह की शिक्षा को चलाया गया तो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जायेगी। मेरा निवेदन है कि जहां गांवों में शालायें चलती हैं, जो माध्यमिक शालायें हैं, वहां कृषि की शिक्षा दी जाये, जिससे वे काम सीख कर अपने धन्धे में लग सकें। विद्यार्थियों में दिन-प्रतिदिन अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। अगर यही हालत रही तो देश के लिये बड़ा हानिकर होगा। इस बात की ओर हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज किस तरह हम स्कूलों में अनुशासन कायम करें, बालकों का जीवन किस तरह से बनायें, यह हमें देखना होगा।

मान्यवर, गांवों में माध्यमिक शालायें हैं, वहां ट्यूशन की बड़ी गलत परम्परायें पड़ी हैं। 40, 50 और 60 रुपया घंटे की

(श्री हरिकृष्ण)

ट्यूशन ली जाती है और उस ट्यूशन के लालच में अध्यापक स्कूल के अन्दर पढ़ा नहीं पाते। अगर ट्यूशन बन्द नहीं की गई, इसकी देखरेख नहीं की गई तो जितने भी छात्र हैं वे स्कूल में न शिक्षा पा सकेंगे न घर पर पढ़ सकेंगे।

नदबई के अन्दर एक अनुसूचित जाति का होस्टल है। उस होस्टल की बड़ी दुर्दशा है जब से वह होस्टल खुला है तब से इस समय तक उसका कोई वृद्धिकरण नहीं हुआ है इसलिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस होस्टल का वृद्धिकरण करें।

दो मिनट और दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय विचाराधीन मांगों के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय 8 बजे तक का रखें जैसा पूर्व में होता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 8 बजे तक का तय हुआ है।

श्री नवनीत पालीवाल : फैसला यह भी हुआ था कि जीरो आवर ठीक 2 बजे समाप्त कर देंगे।

श्री नूरा : हम काफी कन्ट्रोल में रहते हैं। आपकी पार्टी टाइम बरबाद करती है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय 8 बजे तक का बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय रात के 8 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

श्री गणेश लाल।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के शासन में आने के बाद राजस्थान में शिक्षा का प्रसार हुआ है, इस बात को तो सदन स्वीकार करता है। यह बात दूसरी है कि बूंदी जिले का एक मात्र कालेज जिसमें कक्षायें गत वर्ष खुलनी चाहिये थीं, नहीं खुलीं, हिण्डोली का हायर सैकण्डरी स्कूल, जिसमें साइन्स, बायलोजी की कक्षायें खुलनी चाहिये थीं, नहीं खुलीं। इसके साथ-साथ हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जिनमें मिडिल स्कूल खुलने चाहिये थे नहीं खुले, सावतगढ़, टोकड़ा, मंगल सेहण। इसके साथ साथ कुछ ऐसे गांव हैं

(श्री गणेश लाल बैरागी)

जहां सैकण्डरी स्कूल खुलने चाहियें थे पेचकी बावड़ी, बड़ा, नया गांव। किशन गंज और खजूर का नला में प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिये थे जिनकी उपेक्षा की गई। इस सत्र में नहीं खुलेंगे, ऐसी कल्पना नहीं कर सकता।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सारा का सारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नगर-पालिका नहीं है और यातायात के साधन न होते हुए भी आज यह स्थिति है कि सारे के सारे अध्यापक शहरों से आते जाते हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाये कि गांवों में ही अध्यापक रहें। यह बात दूसरी है कि आपकी सरकार ने शायद कुछ निर्णय लिये हैं कि शहर में रहने वाले कर्मचारी को शहरी भत्ता दिया जायेगा। गांव में रहने वाले को भी इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिये।

मान्यवर, आज सारे देश में एक वातावरण बना हुआ है, छात्र अनुशासनहीन हो रहे हैं, युवक मार्गविहीन हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह स्थिति राजस्थान में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में क्यों आई। उपाध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान एक ऐसा देश रहा है कि वह दुनियां के जगत गुरू के पद पर स्थापित रहा है। एक गुरू के इशारे पर हिन्दुस्तान के छात्र एकलव्य ने गुरू दक्षिणा के रूप में अंगूठा काट कर दिया था। एक पिता के इशारे पर 14 वर्ष का वनवास लिया था। उस स्थिति को बिगड़ते-बिगड़ते आखिर हिन्दुस्तान में यह स्थिति क्यों आई? यह बात दूसरी है कि कई वर्षों तक हम गुलाम रहे और इस वजह से स्थिति बिगड़ गई। लेकिन आजादी के बाद एक-एक व्यक्ति हिन्दुस्तान का यह चाहता था कि शिक्षा में सुधार होगा और हमारे जो युवक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें चरित्र का निर्माण होगा। आजादी के 30 साल बाद भी यह बात कही जाये कि देश का छात्र अनुशासनहीन होता जा रहा है। इस पर गम्भीरता से विचार करें तो किस का दोष है। कोई अगर स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदार नहीं है तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा यह शिक्षा पद्धति का दोष है। कभी भी यह प्रयास नहीं किया गया छात्रों में चरित्र का निर्माण हो, राष्ट्रीय भावना जागे। अगर ऐसी स्थिति स्वतंत्रता के आरम्भ से की जाती तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। कथनी और करनी में अन्तर रहा है इसलिए देश की स्थिति बिगड़ी है, शिक्षा की स्थिति बिगड़ी है। मैं आज निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को विरोधी पक्ष के सदस्यों ने माना है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एन. सी. सी. होनी चाहिये और जब एन सी. सी, और स्काउटिंग में जाने बाद छात्रों का चरित्र निर्माण होगा, और वे आर. एस. एस. की शाखा में नहीं जायेंगे। इसका मतलब आर. एस. एस की शाखा में चरित्र का निर्माण होता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दूसरी बात, यह कहना चाहूंगा कि

(श्री गणेशलाल बैरागी)

शिक्षा के माध्यम से चाहे कोई सामाजिक संस्था हो, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो यहां के छात्रों में, यहां के युवकों में चरित्र निर्माण करना होगा। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा अन्यथा कथनी और करनी में अन्तर चलता रहेगा और देश में राष्ट्रीय चरित्र की कमी रहेगी। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा विरोधी पक्ष से स्पष्ट रूप से रामकृष्णदासजी में अगर चरित्र होता, उनका चरित्र सुदृढ़ होता तो श्रीमान, इस पक्ष में आकर नहीं बैठते।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सत्ता पक्ष को छोड़कर आना बहादुरी की बात है, सत्ता पक्ष में जाना कायरता है।

श्री गणेशीलाल बैरागी : मैं यह निवेदन कर रहा था आज शासन में रहने वाले लोगों का चरित्र भी नहीं रहा। जिस पार्टी के संविधान में विश्वास किया, जिस पार्टी के झण्डे के नीचे चुनाव जीता, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इधर आकर बैठ गये। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिये। आशा है शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से पांच साल पहले जब मैं शिक्षा मंत्री था, उन दिनों में शिक्षा विभाग का बजट एक अरब तीन करोड़ का था और अब आपने एक अरब 20 करोड़ का बजट पेश किया है। 17 करोड़ की शिक्षा विभाग में वृद्धि की है-पांच वर्ष मे 17 करोड़ रुपये बढ़े हैं। मेरे बाद श्रीमान, छंगानी साहब आये, उसके बाद ललित किशोरजी आये और उसके बाद आप आये हैं। शिक्षा विभाग ने कोई तरक्की नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन दिनों 19,600 प्राइमरी स्कूल थे, 4881 मिडिल स्कूल, थे, 24 हजार हाई स्कूल थे, 237 कालेज थे और तीन यूनीवर्सिटी थीं। अब आपने उससे कितना आगे बढ़कर किया है, यह बता दें।

मैं इस मौके पर प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पर अपने सुझाव दूंगा क्योंकि कालेज शिक्षा और यूनिवर्सिटी के बारे में तो मेरे से पूर्व वक्ता श्रीमान माथुर साहब ने प्रकाश डाल दिया है। सर्व प्रथम मैं प्राइमरी स्कूलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान में 19 हजार या 20 हजार प्राइमरी स्कूल हैं। मै समझता हूं दो-ढ़ाई हजार स्कूल को छोड़ कर 17 हजार के करीब प्राइमरी स्कूल पंचायतों के क्षेत्र में आए हैं और इस तरह सारी प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों के पास हैं. लेकिन उनके पास जाने के बाद में कुछ हानि भी हुई है क्योंकि प्राइमरी टीचर्स के सरपंचों ने अपने सेक्रेटरी की तरह प्रयोग किया है और अब सेक्रेटरी की तरह प्रयोग किया है तो उसकी हैसियत से वे मीटिंगों में भी बैठे हैं और मीटिंगों में बैठने के कारण राजनिति में किसी प्रकार लिप्त हो गये और धीरे-धीरे उन्होंने अपने मकान बना लिये, नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई के बजाय वे दूसरी तरफ चले गये। पंचायत समितियों में जिस तरह

146

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पढ़ाई होनी चाहिये थी, वह नहीं हो रही है। गांवों में छात्रों की संख्या 60 तक पहुंच गई तब भी एक अध्यापक और 80 तक छात्रों की संख्या पहुंच गई तो भी एक अध्यापक। इस तरह आपने उन छात्रों की नींव कमजोर कर दी और इतनी कमजोर कर दी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपको शिक्षा के लिए अभी एक मौका मिला है। पंचायत समितियों के चुनावों से पूर्व जिन अध्यापकों ने एक स्थान पर चाहे वे 10–12 वर्ष रहे हों अगर उन्होंने किसी तरह स्कूल भवन बनाने में सहयोग दिया है, स्कूल के स्टेण्डर्ड को ऊंचा करने में सहयोग दिया है, रिजल्ट्स अच्छा करने में कोई काम किया है, उनको तो वहां निश्चित रूप से रखिये, लेकिन ऐसे बहुत से टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने न तो छात्रों की संख्या बढ़ाई है, न स्कूल का भवन बनाया है और न किसी और प्रकार की तरक्की है, कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं पढ़ाने में और अपने ही काम में मशगूल रहते हैं। तो एक मौका है जिनको पांच साल से ज्यादा हो गये हैं उनका ट्रान्सफर कर दीजिये और इतनी दूर कर दीजिये जिससे वे रात दिन आ न सकें और दखलन्दाजी न कर सकें जिससे निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार आयेगा।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपकी अशोक मेहता कमेटी में यह सिफारिश है कि मिडिल स्कूलों को भी पंचायत राज संस्थाओं के नीचे देना चाहिए। यह निर्णय आपको करना पड़ेगा और यदि आप यह नहीं करना चाहते हैं तो फिर प्राइमरी स्कूलों को भी उनसे हटा लीजिए और पूरी की पूरी शिक्षा को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दे दीजिए और यदि नहीं करना चाहते हैं तो फिर मिडिल स्कूलें भी उनको अवश्य दे दीजिये। इसके साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि ब्लाक लेवल पर डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल की एक हैसियत का व्यक्ति वहां रखना चाहिए ताकि वह इन्सपेक्शन कर सके और समय पर चैकिंग हो सके और शिक्षा प्रसार अधिकारी को भी भेजिये ताकि सही मायने में इन्सपेक्शन हो। वह बराबर यह देखें कि कोई अध्यापक काम करता है या नहीं करता है और नहीं करता है तो समय पर उचित कार्यवाही हो हो सके। आज हालत बिगड़ी हुई है, न तो शिक्षा प्रसार अधिकारी ही दौरे पर जाते हैं और यदि कहीं चला भी जाता है तो बी० डी० ओ० की वजह से कोई कार्यवाही नहीं होती है। पंचायत समितियों में जो अध्यापक लगे हुए हैं उनकी दुर्दशा इतनी भयकर है कि जितनी किसी और स्कूलों की नहीं हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो कालेज एजूकेशन की बात करते हैं वह कभी सार्थक नहीं होगी लिहाजा इन सुझावों पर आप गौर कीजिए।

तीसरी बात मैं कहना चहता हूं, आज बड़े गर्व से यह कहा गया कि दान से स्कूल भवन बना देंगे। हकीकत यह है कि उस काम के लिए जो दान दे रहे हैं पांच हजार का वह बहुत ही कम है और आप चाहते हैं कि इसमें वह 20–25 हजार की इमारत अपने कन्ट्रीब्यूशन से बना लें, यह नामुमकिन बात है इसलिये आपको चाहिए कि शिक्षा विभाग से, पंचायत विभाग से उसको वन–थर्ड कैश दीजिये। कुछ पंचायतों ने प्रोग्राम

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दिया है, उनको आप पांच हजार का दान दे दीजिये, पांच हजार का कैश कन्ट्रीब्यूशन कर दीजिए बाकी कहिये कि पंचायतों के फण्ड से या किसी और प्रकार कन्ट्रीब्यूशन से उस भवन को पूरा करें तब तो आपके भवन बन जायेंगे वरना एक भी भवन पूरा नहीं होगा और बहुत सारे स्कूल भवन अधूरे रह जायेंगे और फिर मिस यूटिलाईजेशन होगा इसलिए भवनों के बारे में मेरा यह खास निवेदन है।

चौथी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने पिछले सत्र में कई हाई स्कूल खोले लेकिन डेजर्ट ऐरिया में आपके अध्यापक पहुचे नहीं हैं। आज हालत यह है कि हायर सेकन्डरी में सबजेक्ट टीचर्स नहीं पहुचे हैं, एग्रीकल्चर के टीचर्स नहीं पहुचे हैं, कामर्स के अध्यापक नहीं पहुचे हैं, साइन्स के टीचर्स नहीं पहुचे हैं तो क्या छात्र एग्जामिनेशन देंगे? जबकि मार्च, अप्रैल में एग्जामिनेशन आ रहे हैं। यह उन लड़कों के साथ बहुत बड़ी धोखा धड़ी होगी और सारा केरियर खराब हो जायगा, क्योंकि टीचर्स आने वाले नहीं हैं और दूसरे टीचर्स पढ़ा नहीं सकते हैं फिर आप सोचिये किस तरह लड़के पास होंगे? यह समस्या हैं, स्कूल खोलना एक बात है लेकिन स्टाफ की पूर्ति नहीं करते हैं तो स्कूल खोलना व्यर्थ है और कोई मायने नहीं रखता है। लड़कों का केरियर और खराब कर रहे हैं। इसलिए निवेदन करूंगा पिछले साल यह निर्णय लिया था कि जहां तीन हजार या तीन हजार से ऊपर की आबादी के गांव हैं मिडिल स्कूल खोल देंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि कई जगह छात्रों की संख्या पूरी नहीं है, भवन बने हुए नहीं हैं, टीचर्स के रहने के लिये मकान नहीं हैं, स्कूल के भवन में ही रहते हैं, रात को उसमें रहते हैं और सवेरे बच्चों को पढ़ा देते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

10 मिनट तो देंगे या नहीं, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : करीब-करीब 10 मिनट तो हो गये।

श्री खेतसिंह राठौड : तो मैं यह निवेदन कर था और सुझाव दे रहा था कि आज आप मिडिल स्कूल से हाई स्कूल खोलते हैं तो चार लाख का एक्सपेन्डिचर बढ़ता है

(5-10 म. प.)

[(श्रीमति सुमित्रासिंह, सभापति, पदासीन)

तो मेहरबानी करके ऐसा कीजिए वहां एक होस्टल बना दीजिए जहां इमारत है, और लड़कों की तादाद अच्छी है तो एक बस लगा दीजिए जो उनको लाने ले जाने का काम करे और इन चार लाख को वेस्ट न करके बस की व्यवस्था कर दीजिए जिससे आपको बचत भी होगी और आपका काम भी हो जायगा। लड़कों की तादाद पूरी होगी तो इन चार लाख में क्वार्टर्स भी बन सकते हैं और निश्चित रूप से आपके स्कूल कामयाब होंगे और जगह जगह खोलने से न तो स्कूल कामयाब होंगे और न छात्रों की पढ़ाई ही ठीक होगी और आपका सारा का सारा प्रोग्राम फेल हो जायगा।

एक बात अन्त में और निवेदन करना चाहता हूं जहां जहां आर. एस. एस. की शाखायें खोलने के लिये, उसको ग्रांट का

(M8)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

प्रोत्साहन देते हैं और दूसरों को नहीं देते हैं तो इससे बड़ी भयंकर समस्या आपके सामने आ जायेगी। और यह निश्चित मानते हुए भी हम आपको कह रहे हैं।

श्री माणक चन्द सुराणा : आर. एस. एस. का तो आपको फोबिया हो गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो जो यू. पी. में हुआ है, कल वही राजस्थान के अन्दर भी होगा। आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यह कोई तरीका नहीं है कि स्कूलों के अन्दर शाखायें खोलें और टीचर्स को पाबन्द करें कि अगर आप इस गुट में आओगे तभी जाकर शिक्षा मंत्री जी की मेहरबानी में आ सकोगे। यह बिल्कुल गलत तरीका होगा। मेहरबानी करके इस परम्परा को दूर कीजिए और टीचर्स में इस तरह की गुट बाजी नहीं हो इसको रोकिए। आज दो संघ है, जिसका बहुमत है उसको रिकोगनाईजेशन कर दीजिए। इस तरह से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आप वाइण्ड अप कर लीजिए, मैंने तो आपको संकेत किया है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी शिक्षा की नीति क्या है? शिक्षा की नीति के बारे में पहले हमने 10 बटा 2 की बात की, हमने मल्टी पर्पज स्कूल खोले लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ स्कूल कामयाब हुए लेकिन ज्यादातर कामयाब नहीं हुए। फिर कहा कि हम वोकेशनल एजूकेशन की प्रणाली को बढ़ाना चाहेंगे ताकि मैन स्ट्रीम से चला जाय, वह स्कूल से निकलने के बाद अपने काम पर चला जाय लेकिन वह 10 बटा दो का मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है। आज आपकी योजना क्या है, आगे शिक्षा की नीति क्या लाना चाहते हैं इसके बारे में बैठ कर सोच विचार करके विचार करना चाहिए। हम निश्चित तौर पर यह मानते हैं कि यह खिलवाड़ नहीं है, यह लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं खास तौर पर निवेदन करता हूं कि शिक्षा की नीति क्या हो और उसके अन्दर, दूसरी स्टेटों के अन्दर इसमें कुछ भिन्नता तो निश्चत तौर पर आएगी। आप अगर यह चाहें कि कर्णाटक की नीति यहां पर अपनायें तो यह नहीं चल सकेगा। यह करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर भी विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से कुछ न कुछ विचार करना चाहिए और आपस में बैठ कर इस पर विचार विमर्श होना चाहिए।

और भी मेरे पास काफी सुझाव थे लेकिन समय नहीं होने से मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन जो सुझाव मैंने दिए हैं मेहरबानी करके उन पर विचार विमर्श करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदया, विरोधी दल के सदस्यों को भी समय मिलेगा या नहीं? या तो यह इंगित कर दें कि आज समय नहीं दिया जाएगा तो हम चले जायं।

श्री नूरा : मैने भी बहुत पहले नाम दिया था।

श्री सभापति : आसन सब का ध्यान रखेगा, चाहे विरोधी दल के माननीय सदस्य हों और चाहे सत्ता दल के माननीय सदस्य हों। मौका आप को भी मिलेगा जब समय आएगा।

श्री बजरंगलाल।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया ...

श्री मूलचन्द डागा : आप अपनी जगह पर आकर बोलिए।

श्री बजरंग लाल शर्मा : कई बार कहा है, माननीय डागा जी सुनने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा : ये रूल्स हैं, आप जब तक अपनी सीट पर नहीं जाते आप नहीं बोल सकते। You must syeak from your seat.

श्री बजरंग लाल शर्मा : यहां से बोलूं या वहां से बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां, उधर आ जाऊंगा तो जरूर फर्क पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सभापति जी, चाहे माथुर साहब फर्मा रहे हों, चाहे खेतसिंह जी फर्मा रहे हों और चाहे डागा जी फर्मा रहे हों, जैसे हर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप नाम न लें, उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम याद रखने की कोशिश करें। किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया जाता है। यह संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो बात आपने कही है मैं भी उसको स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरी भावना भी आपकी भावना की तरह ही है कि इनके नाम इतिहास में याद नहीं रखे जाने चाहियें। ये जो सदा से सत्ता का दुरुपयोग करते रहे हैं इनके नाम याद ही नहीं रखने चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल सात मिनट मिलेंगे। आप ऐसे ही करते रहे तो आपकी मुद्दे की बातें रह जायेंगी।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आपकी मेरी आपस की बातचीत की बात छोड़िये लेकिन यह जो बीच में गड़बड़ में टाइम जा रहा है, इस गड़बड़ के टाइम को एडजस्ट करने की महरबानी कर दें।

श्री सभापति : आप गड़बड़ी की बात छोड़ कर अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीया सभापति जी, हर दस्तावेज कानून में एक फुटनोट लिखा रहता है लिखित में ताकि वक्त जरूरत काम आए और सनद रहे। माननीय सदस्य उधर बोलने के लिए जब भी खड़े होते हैं, जब भी बोलते हैं तो सारी बातें कह कर अन्त में फुटनोट लगाते हैं कि

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

महरबानी करके आर. एस. एस. की शाखायें मत खोलिए। जब ये कहने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि अब पापड़ आ गया, भोजन समाप्त।

श्री नूरा : हमें विश्वास है कि आप यह नहीं करेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं निश्चित तौर पर आपकी भाषा में नहीं बोलूंगा, अपनी भाषा में बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उसको तो शिक्षा मंत्री जी डिफेंड कर लेंगे, आप तो अपने कटौती प्रस्तावों पर आइये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं आ रहा हूं माननीय सभापतिजी। एक दिक्कत क्या है कि वे भाई गड़बड़ करना चाहते हैं तो मेरा ध्यान चूक जाता है। मेरा निवेदन करना यह है कि मैं सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ज्ञान की रोशनी फैलाने में, सरस्वती की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में जो भगीरथ प्रयत्न, अभूतपूर्व प्रयत्न माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है उसका आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में दूसरा कोई सानी नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। स्वयं विरोधी दल के....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज तो मक्खन लगाने में हद कर दी, सब कलमें तोड़ दीं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि मेरी दुकान में कांटे ही कांटे हैं, मक्खन नहीं है।

सभापतिजी, आपके आसन पर आने से यह अपेक्षा लोगों के मन में रहती है कि सदन व्यवस्थित रहेगा लेकिन जिस तरीके से इसमें शिथिलता हो रही है उससे लगता है कि आपके रिकार्ड में कुछ थोड़ी बहुत गडबड़ चल रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन में गड़बड़ नहीं होने दूंगी। कभी कभी प्रोसीडिंग्स को रोचक बनाने के लिए भले ही कुछ हो जाय लेकिन हाउस को डिसआर्डर नहीं होने दूंगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशु पक्षियों में एक जीव होता है सूर्य निकलता है, रोशनी फैलती है तो उसको ऐसा लगता है कि अन्धेरा ही है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का भी ध्यान रखें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : जनता सरकार के आने के पहले बीस वर्षों से जो सरकार थी, जिस सरकार ने इस प्रदेश में शिक्षा की रोशनी फैलाई है उसकी तरफ से आंख बन्द करके उस चरित्र, पक्षी के रिश्तेदार होने का परिचय दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

हूं कि यह सब जो कुछ करना चाहिए था, वह हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं कुछ मुद्दों की ओर माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं और मैं महसूस करता हूं कि जैसी निष्ठा और जैसी लगन उनमें है अपने विषय में, अपने मंत्रालय के विषय में, निश्चित तौर पर वे उसकी तरफ ध्यान देंगे और उसकी व्यवस्था पूरी करेंगे।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, तीनों विश्वविद्यालयों के कार्य कलापों के बारे में। जनता सरकार की स्थापना के बाद आयोग स्थापित किए गए। उनकी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? यह मेरा पहला बिन्दू है। उनकी रिपोर्ट में क्या परिणाम सामने आए और उनके अन्दर किनको दोषी पाया गया, उनके विरुद्ध मुकम्मिल क्या कार्यवाही की गई, क्या उसके अन्दर सुझाव आए हैं? उस पर विस्तार से विचार विमर्श हो तो एक साथ तीनों विश्वविद्यालयों के सारे कार्यकलापों के बारे में उन सब की भीतर की अन्दरूनी बातों को जान कर, उस पर विचार विमर्श करके सही रास्ते पर चलाने का मौका मिलेगा। एक बिन्दू तो यह है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा दूसरा बिन्दू है कि हमारे प्रदेश में बहुत सी एकेडमियां है। ग्रंथ एकेडमी, हिन्दी साहित्य एकेडमी, अब सिंधी साहित्य एकेडमी भी हो गई है, उर्दू साहित्य एकेडमी है और अब अरबी एकेडमी भी आने वाली होगी। अनेकों प्रकार की एकेडमियां हैं, ललितकला एकेडमी, नाटक एकेडमी है, शायद कत्थक स्कूल भी खोल दिया गया है, कई तरह की एकेडमियां हैं, जिनके बारे में न तो सदन के सदस्यों को कोईविशेष जानकारी है कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं, न शायद जनता को ही जानकारी है कि इतना बड़ा बजट इन पर खर्च क्यों किया जाता है। दूसरी बात माननीय शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान में मैं यह लाना चाहता हूं और वह इसलिए भी कि जब जनता सरकार का गठन हुआ था तो निश्चित तौर पर यह घोषणा की गई थी कि इन एकेडमियों में हमारे मुख्य मन्त्रीजी अपने सहायकों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इनको उपयोगी बनायेंगे और इनको उपयोगिता की ओर अग्रसर करेंगे लेकिन जहां तक मुझे याद है, मेरी जानकारी हो सकता है कि गलत हो लेकिन निश्चित रूप से इन एकेडमियों के बारे में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जनता सरकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति में एक कदम भी आगे बढ़ सकी हो।

तीसरा बिन्दू यह है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम अपने आपको प्रगतिशील नहीं कहते, लेकिन प्रगतिशीलता की छाया, अभिशप्त छाया का हमारे पर बहुत असर हुआ है। जब रूस में क्रांति हुई, लेनिन द्वारा या और दूसरे मुल्कों में क्रांति हुई तो किसी ने इतिहास को नकारा नहीं, उससे इन्कार नहीं किया जैसा शायद आज हम कर रहे हैं। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए, अपने कला वैभव के लिए और अपने इतिहास के लिए जिस तरह से भारत वर्ष में ही

152

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

नहीं वरन् विश्व में, मानवता में, मानव जाति के इतिहास में मशहूर है और जिसकी बहुत बड़ी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, कला और संस्कृति की धरोहर है, हमारी सरकार के लिए अफसोस तो इस बात का है कि अपने आपको प्रगतिशील कहलाने का दम्भ भरते हुए भी इतिहास की अमूल्य धरोहरों को अक्षुण्यरखने की कोशिश क्यों नहीं करतो। जब भी राजा महाराजाओं की बात आती है तो शायद अपने आपको प्रगतिशील कहलाने का दम्भ भरने वाले, अपने आपको प्रगतिशील कहलाने वाले बड़ी नाक भों सिकोड़ते हैं पर मैं उन सबसे पूछता हूं कि जार का जब राज चला गया, लेनिन का राज आया क्रांति के बाद, तो क्या किया, उन महलों में मिलने वाले चित्र, उन महलों में मिलने वाली कला, इन महलों में मिलने वाली पुस्तकें और उनके द्वारा मिलने वाली सांस्कृतिक धरोहर को क्या प्रगतिशील और क्रांतिकारी कहलाने वाले रूस ने पूरी ताकत लगा कर आज तक अक्षुण्ण नहीं रखा ? हमारे राजा महाराजाओं की धरोहर को ऐसा समझा जा रहा है जैसे वे गोदाम हों। अभी तक उनको संरक्षण नहीं दिया गया है ।

(व्यवधान)

माननीय श्योपतसिंह जी, मैं जानता हूं रूस के प्रति आपकी आस्था नहीं रही है परन्तु चीन की सांस्कृतिक बात भी मैं आपको बताऊंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : महल तो आज भी राजाओं के पास में ही हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय सभापति जी, पिछले 33 वर्षों में जो हमारे यहां के 22-21 रजवाड़े थे, उनकी जगह आज कहीं पर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, कहीं पर कलेक्टर पहुंचा है, कहीं पर एस. डी. ओ. पहुंचा है और कहीं पर डी वाई. एस. पी. पहुंचा है। वहां से कोई मूर्ति उठा लाये, वहां की जो खास धरोहर थी. उसको उठा लाये। शिक्षा मंत्रीजी, आप मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर लें कि इन विभिन्न अधिकारियों के घरों की तलाशी ली जाए तो इनके घरों से इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर आपके सामने आएगी कि आप आश्चर्य करेंगे। नवलगढ़ के समुद्रसिंह को चित्रों की चोरी के आरोप में सात वर्ष की सजा हुई थी तो इन सारे अधिकारियों को जन्म कैद की सजा न हो जाए निश्चित तौर से तो शिक्षा मंत्रीजी मुझसे आगे शिक्षा के बारे में न बोलने का वचन ले लीजिए। इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर की तरफ से आप आंख मूंद कर बैठे हैं।इसको सुरक्षित रखने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं।

सभापतिजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की भूमि पर ऐसी दो महान विभूतियां हुई हैं, शिक्षा, संस्कृति में जिनका कोई मुकाबला नहीं है। उनमें एक तो पंडित मधुसूदनजी ओझा हैं, जिनके लिए यह कहा जाता है कि वेद व्यास के बाद इतना बड़ा विद्वान, मनीषि और कोई नहीं हुआ है। उनकी सैकड़ों पाण्डुलिपियों को कीड़े, मकोड़े खा रहे हैं। आज हम आजाद हो गये हैं। भावनगर के नरेश ने

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

दो लाख रुपये एक पाण्डुलिपि के लिए आफर किए थे। आज हमारी सरकार है फिर भी उनके ग्रन्थों को सुरक्षित रखने, उनकी पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखने, उनको प्रकाशित कराने, उस ज्ञान की रोशनी फैलाने की कोई परवाह नहीं कर रही है। उनकी कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है। सभापति जी, इनके बाद दूसरा मोतीलाल शास्त्री का नाम आता है। हमारे प्रथम रास्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने उनको गुरु माना है। सारी दुनियां के हेड्स के सामने राष्ट्रपति भवन में इनके भाषण कराये गये और इनके भाषणों के बाद इनका लोहा माना गया है। जिस प्रकार से वेदों का मोतीलाल जी शास्त्री ने भाष्य किया है, ज्ञान बताया है, उससे ही सारे विश्व ने भारत को गुरू माना है। इस प्रकार 80,000 पृष्ठ इन्होंने लिखा है। इनमें से 10,000 पृष्ठ प्रकाशित हो गये हैं और 70,000 पृष्ठ आज भी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इनको सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डा० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्होंने राजस्थान सरकार, जिसके कि श्री खेत सिंह जी शिक्षा मन्त्री रहे हैं, श्री मथुरादास जी शिक्षा मंत्री रहे हैं, को भी यह लिख कर भेजा था कि यह एक राष्ट्रीय निधि है, इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है इसलिए इसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। परन्तु उस सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। ये सारे जो काम करने योग्य हैं, इन सब को करने का हमारा पवित्र कर्त्तव्य है, पवित्र संकल्प है, यह सारा हमारी संस्कृति, साहित्य और ज्ञान की धरोहर है। इसको सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है। इसको प्रकाशित कराने, इसको प्रसारित कराने के लिए शिक्षा मन्त्री महोदय प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही साथ, सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। इसलिए इस वर्ष शिक्षा के बजट में निश्चित तौर से, क्योंकि यह बालकों से ताल्लुक रखता है, विशेष प्रावधान रखना चाहिए। शिक्षा जगत में जो बालक शिक्षा पा रहे हैं, जो फिगर्स हमारे हमारे सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर हमारे प्राइमरी स्कूल्स के अन्दर आज भी सौ में से 60 बालक पढ़ने आ रहे हैं। मिडिल स्तर पर कक्षा 6 में आते आते ये 60 बालक 30 रह जाते हैं और नवीं, दसवीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते ये बालक 15 ही रह जाते हैं। इस प्रकार प्राइमरी तक 40 प्रतिशत बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, मिडिल तक पहुंचते पहुंचते 70 प्रतिशत बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और नवीं, दसवीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते 85 प्रतिशत बालक शिक्षा से वंचित रहते हैं। ये बालक शिक्षा आज भी नहीं पा रहे हैं। जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जिसको कार्यान्वित करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है, उस ओर मैं शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि शिक्षा जगत में यह जो ड्राप आउट हैं बच्चे, आगे नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी जानकारी की जाए और यह व्यवस्था की जाए कि किसी भी अवस्था

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

में, किसी भी कारणवश जो बालक एक बार स्कूल में पढ़ने के लिए आ गया है, भर्ती हो गया है, वह बीच में न रुके क्योंकि जब कि एक बार वह भर्ती हो गया है तो यह इस बात का परिचायक है वह शिक्षा प्राप्त करना चाहता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

ऐसे बालकों को शिक्षा देना हमारे शिक्षा मन्त्री का दायित्व है। इसके लिए सरकार की ओर से इस बाल वर्ष में जो भी सम्भव हो सके वे प्रयत्न किए जाने चाहिए। जो कन्सेशन स्टूडेन्ट्स को दिये गये हैं, सभापतिजी, मैं यह मानता हूं कि ये नाकाफी हैं। मेरा ऐसा मानना है, सभापतिजी, बालकों को शिक्षा के साथ साथ छोटी क्लासेज में पौष्टिक आहार दिया जाए ताकि ठीक तरह से उनका दिमाग विकसित हो सके। इसकी मुकम्मिल व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा। राजस्थान स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्षमतावान है। यहां की प्रत्येक जाति में वीर रत्न पैदा हुए हैं। इसलिए केवल युद्ध के मैदान में ही यहां के व्यक्ति वीर हैं और में नहीं, ऐसी बात नहीं है। खेल के मैदान में भी हमारे प्रदेश के बालक, नाम कमा सकते हैं और पंजाब, हरियाणा से आगे बढ सकते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा जो स्पोर्ट्स कौन्सिल को अनुदान दिया जाता है, उसकी गड़बड़ी की बात मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता हूं और न उसकी डिटेल्स में जाना चाहता हूं लेकिन इसके परे एक बात मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि स्पोर्ट्स का अलग से मन्त्रालय होना चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ियों की पूरी देख-रेख हो सके। हमारे खिलाड़ी चिन्ता से मुक्त होकर के खेल का अभ्यास कर सकें। उनको प्रोत्साहन दिया जाए जिसका परिणाम आशाजनक ही होगा। मैं इसकी डिटेल्स में निश्चित तौर से नहीं जाऊंगा लेकिन मन्त्री महोदय को यह निवेदन करूंगा वे इस बात को एग्जामिन करें। स्पोर्ट्स को रिआर्गेनाइज करना चाहिए ताकि प्रदेश के क्षमतावान खिलाड़ियों का विकास हो सके। हमारे यहां से एक खिलाड़ी दस ओलम्पिक अवार्ड लेकर आया है। मैंने यह बात हमारे शिक्षा मन्त्रीजी को बताई थी। ओलम्पिक अवार्ड जो खिलाड़ी लेकर आये, जो हमारे प्रदेश का हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और उसको पूरी पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। परन्तु जहां तक मुझे मालूम हुआ है उसको केवल 500/- रुपये का ही पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कोई इनाम उस गोपाल सैनी को नहीं दिया गया है। ऐसे खिलाड़ी, जिसने की वर्ल्ड रिकार्ड कायम किए हैं, जो हमारे प्रदेश का है, को हमारी राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक सुविधा, प्रोत्साहन और पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप 17 मिनट ले चुके हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : काफी टाइम तो ऐसे ही चला गया है।

(व्यवधान)

अन्त में केवल एक बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य घंटी इसलिए बजाई जाती है, वह इस बात का संकेत है कि आप अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त करें । मैं चार बार घण्टी बजा चुकी हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक बात अन्त में और निवेदन कर मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं ।

पिछले वर्ष लॉ, कामर्स और आर्टस का.......

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मास कापिंग का परिणाम यह हुआ कि बाद में जब सारा भंडाफोड़ हुआ तब कापियां जांची गई। गडबड़ियां पाई गई और तीन हजार स्टूडेन्ट्स की कापियों का रिवेल्यूएशन किया गया। 90 प्रतिशत का वेल्यूएशन किया गया। इस तरह से घोटाला किया जा रहा है । इस ओर मैं शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम शिक्षा जगत को घोटालों से मुक्त रखने की व्यवस्था करें । साथ ही साथ शिक्षा मन्त्री महोदय इस बात को भी मद्दे नजर रखें कि राजस्थान में जो रिसर्च होती है, उस पर हम काफी खर्चा करते हैं । हमारे यहां क्या क्या उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता है, कौन सी इन्डस्ट्रीज की सम्भावना है, क्या क्या कहां कहां पर कम्पोनेन्ट्स उपलब्ध हैं, राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से इनको किस तरह से बढ़ा सकते है, इन सब को रिसर्च से कनेक्ट किया जाए। इन सब्जेक्ट्स पर रिसर्च हो तो निश्चित तौर से यह जो रिसर्च होंगी उनके परिणाम फलदायी होंगे ।

मैं अन्त में, सभापतिजी, आपको पांचवी घंटी बजाने का अवसर नहीं दूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया आपके प्रति धन्यवाद अर्पित करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री नाथूराम ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदया, अभी जो सदस्य 20–30 मिनट बोले फिर भी ध्यान नहीं दिया गया.......

श्री सभापति : मेरा बिल्कुल ध्यान था लेकिन कई बार माननीय सदस्य इतने महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, इतने उपयोगी होते हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए आसन को देखना पड़ता है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो उनका मिली भगत का भाषण था ।

श्री नाथूराम : आज हमारे बजट में शिक्षा पर 1 अरब 20 करोड़ 21 लाख का प्रावधान सदन में विचाराधीन है लेकिन शिक्षा पद्धति में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है जिससे हमारी बेरोजगारी आज भी बढ़ती जा रही है । सभापति महो-

(156)

(श्री नाथूराम)

दया, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, न पहली सरकार ने और न जनता सरकार ने। वर्तमान सरकार ने बहुत काम किया इसके लिये तो धन्यवाद दूंगा लेकिन शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे कि गरीबों को फायदा मिले। आज शहरों में प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय भवनों तक भवन सरकार बनाती है और गांव में चन्दे पर बनाने के लिये कहा जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि पिछड़े क्षेत्रों में आज प्राइमरी, मिडिल और सैकन्डरी स्कूल भवन भी जनता पर छोड़े जाते हैं जहां 90 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। इसलिये, सभापति महोदया, मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि आपको इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह ही सुविधा मिलनी चाहिये। पिछली सरकार के समय, 1974 से, पिछड़े क्षेत्रों में जन जाति आयोग द्वारा करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। शिक्षा पर भी खर्चा होता रहा है लेकिन फिर भी गरीबों का भला नहीं हो रहा है। संख्या के आधार पर स्कूल खोले हैं। आदिवासी क्षेत्रों में लोग अलग अलग आबादियों में रहते हैं। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में एक सैकण्डरी स्कूल खुलवा दिया जाय इसके लिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं। उदयपुर डिवीजन को ट्राइबल सब एरिया घोषित किया हुआ है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। लड़कों की संख्या को देखते हुए बागीदोरा तहसील में, शेरगढ़ जैसे क्षेत्र में, 25 हजार की जनसंख्या शेरगढ़ में है जहाँ सैकण्डरी स्कूल की मांग की थी लेकिन सैकण्डरी स्कूल नहीं खुला इसलिये शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिये। इस साल आप बाल वर्ष मना रहे हैं लेकिन इसमें गरीबों के बच्चों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं जहां ट्राइबल सब प्लान लागू है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर वहां जो गरीब आदिवासियों के बच्चे हैं उनके पेट खाली रहते हैं, उनके लिये विशेष प्रावधान रख कर व्यवस्था करनी चाहिये। सभापति महोदया, जन जाति क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिये जैसा मैंने निवेदन किया जगह जगह छात्रावासों की मांग है। लड़कियों की शिक्षा के लिये भी निवेदन करता हूं। गांव वाले मांग करते हैं लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिये ध्यान नहीं दिया जाता है। ट्राइबल सब प्लान के लिये लाखों रुपये दिये जाते हैं वहां भी पक्षपात और अन्याय होता है। इसलिये आपके द्वारा निवेदन करता हूं सभापति महोदया, आज हमारे बी० ए०, एम० ए० पढ़े हुए आदिवासी लड़कों को सर्विस नहीं मिलती है। मेरे पास कल 4 लड़के आये जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जहां इन्टरव्यू में एक जगह है वहां भी अन्याय होता है। एम. ए. अर्थशास्त्र में पास लड़के को इन्टरव्यू में नहीं लिया जाता। ट्राइबल आरक्षण की पोस्ट है तो किसी ट्राइबल को लगाया जाय लेकिन शिक्षा विभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अनौपचारिक शिक्षा की पोस्ट पर आदिवासी लड़के को नहीं लगाया जाता, एल. डी. सी., यू.डी.सी. की पोस्ट पर भी नहीं लगाया जाता

(श्री नाथूराम)

है। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि यह पक्षपात, अन्याय नहीं होना चाहिये। पिछले दो साल में जितने अध्यापकों के तबादले हुए, अन्याय और पक्षपातपूर्ण तरीके से हुए, मैंने इस बारे में गवर्नमेंट को लिखा भी और प्रश्न भी पूछा था मगर कोई जवाब नहीं दिया, शिक्षा मन्त्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। आदिवासी और हरिजन, मुस्लिम अध्यापक थे उनको 150–200 मील दूर फेंका गया, मैंने जांच के लिये लिखा तो जवाब अपूर्ण आया। और जो गैर आदिवासी थे, मैं संघ की बुराई नहीं करता, शिक्षा में तो राजनीति नहीं आनी चाहिये। लेकिन बांसवाड़ा में राजनीति चली और आदिवासियों, हरिजनों के साथ सरासर पक्षपातपूर्ण अन्याय हुआ। शिक्षा मन्त्रीजी ने जांच भी करवाई लेकिन सन्तोषजनक जांच नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, गढ़ी पंचायत समिति के मुखिया, कुशलगढ़, पीपलखूंट में शिक्षाकारों के स्थानान्तरण कर गैर आदिवासियों को तो वापस घर के निकट रख कर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्थानान्तरण संशोधन किये उनको तो टी.ए., डी. ए., भी दिलाया और, आदिवासियों को दूर भेजा। सभापति महोदया, मैं दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति : आप बोलिये लेकिन आसन की व्यवस्था को देख कर।

श्री नाथूराम : पिछड़े क्षेत्रों की डिमाण्ड्स हैं। पिछली सरकार के वक्त 26 जिलों में डाइरेक्टर एम्लायमेंट एवं शिक्षा विभाग से आदेशार्थ भेजा था।

(व्यवधान)

मुझे बोलने दिया जाय। जो आदिवासी नवयुवक 10–20 रुपये में पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी पर काम कर रहे थे 2-2 साल से उनके साथ शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा ने सरासर अन्याय किया। आदेश होने पर भी उनको न रख कर 130) रु० पर दूसरे आदमियों को रखा गया प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में। सभापति महोदया, जब ऐसे आदेश हैं तो सरकार को उनका पालन भी कराना चाहिये। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि तबादलों एवं नियुक्तियों के मामलों में जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच करवाई जाय। आज कोई गरीब आदमी दो साल तक कम वेतन पर काम करता है तो जब जगह आती है तो उसको नहीं लिया जाता, उसको मौका मिलना चाहिये। इसी प्रकार, सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों मे भत्ते के लिए कई शिक्षकों ने आन्दोलन किया लेकिन शहर में जिला मुख्यालय के कर्मचारियों की घोषणा हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नहीं मिलते हैं। मिडिल स्कूल का मास्टर, या सैकण्डरी स्कूल में जाने वाला है, प्राइमरी स्कूल में जाने वाला है तो आदिवासी क्षेत्र, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर खुद आदिवासियों के रहने को मकान नहीं है तो इन शिक्षकों को मकान कहां मिलेगा ? गये साल शिक्षा मंत्रीजी बांसवाड़ा पधारे थे तो हम लोग उनको ऐसी जगह ले गये थे जहां झोंपड़ी के नीचे मास्टर

(158)

(श्री नाथूराम)

रह रहा था, जहां कि बरसात की ऋतु में सांप फिरते रहते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम उनको मकान भत्ता देना चाहिए। मैं आपके द्वारा निवेदन कर देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी को कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापकों के लिए विशेष भत्ता देने की इस बजट में घोषणा कर दें।

सभापति महोदया, इसी तरह से हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में 10+2+3 की स्कीम न मालूम कब लगायेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मिडिल स्कूल से साइन्स लेकर जो लड़का सैकण्डरी में जायेगा अगर वहां पर साइन्स नहीं है तो उसको दिक्कत होगी। इसलिए हमने मांग की थी कि समान विषय खोलें। जहां सैकण्डरी स्कूल हों, हायर सैकण्डरी स्कूल के समान विषय हों ताकि गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। आप 10+2+3 स्कीम को लागू करें या न करें, लेकिन समान विषय खोलने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, इसी तरह से हमारे उस क्षेत्र में बेरोजगारी भी फैल रही है। उस बेरोजगारी को मिटाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करनी चाहिए। वहां पर जन जाति आयोग का लाखों रुपया खर्च हो रहा है तो बेरोजगारी को मिटाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करनी चाहिए ताकि वहां की गरीबी मिटे और बेरोजगारी भी मिटे।

वर्षा ऋतु में कई जगहों पर ऐसी बिल्डिंग हैं कि कई छात्र बेमौत मरते हैं। गये साल इसी विधान सभा में सुना था आमेर में बिल्डिंग गिर गई तो छोटे-छोटे कई बच्चे मर गये। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गांवों में जो स्कूलों की बिल्डिंग बनी हुई हैं ऐसी बिल्डिंगों का अगर पी. डब्ल्यू० डी० से एस्टीमेट लगवाया जाय तो एक-एक लाख की बिल्डिंग है उनको शिक्षा विभाग अपने अण्डर में रखे और पी० डब्ल्यू० डी० से मरम्मत करवानी चाहिए, नहीं तो हर साल बरसात में छात्रों के बेमौत मरने की खबरें सुनेंगे। इसलिए, सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माध्यमिक विद्यालयों के भवनों को सरकार के सुपुर्द करने का निवेदन किया है और लिखा-पढ़ी हो रही है उन भवनों को सरकार को अपने अण्डर में लेना चाहिये,उनकी मरम्मत करानी चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के पहले से प्रौढ़ शिक्षा चली आ रही है। मैं भी अध्यापक था और मैंने भी प्रौढ़ शालाएं चलाई हैं, लेकिन, शिक्षा मन्त्री जी, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, आप प्रौढ़ शिक्षा का काम ऐसी संस्था को दे रहे हैं जिसके पास एक भी स्कूल नहीं है। उनको यह काम अगर दिया गया तो कैसे चलेगा ? वहां पर भ्रष्टाचार फैलेगा और कोई भी संघ या संस्था हो उसकी शिकायत करेंगे। आप प्रौढ़ शिक्षा अच्छा काम करने वालों को दें। शिक्षा विभाग को अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्राथमिक स्कूल हैं उनके अध्यापक इस

(श्री नाथूराम)

काम को करें। मैं भी अध्यापक था और उनमें रात्रि शालाएं प्रौढ़ों के लिए चलाते थे। अध्यापक बराबर चलायें, लेकिन संस्थाएं अगर होंगी तो भ्रष्टाचार चलेगा और पक्षपात होगा। इसलिए आपके द्वारा एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि एन. सी. सी. खोलें। आप एन. सी. सी. हर स्कूल में अनिवार्य कर दें तो छात्रों का भविष्य अच्छा बनेगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दुबारा इस मामले पर विचार करें। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राजनीति मत चलाइये। यह पवित्र विभाग है तो आदिवासियों में पवित्रता से काम करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल 5 मिनट में आप अपनी बात कह दें।

श्री नूरा : मैं और कन्सेशन कर दूंगा थोड़ा लेकिन मुझको जितना बोलना है उतना बोलकर रहूंगा, बाकी छोड़ दूंगा।

श्री पदमसिंह राठौड़ : आप चाहे घंटा भर बोलें, अब शिक्षा मंत्री जी तो चले गये।

एक माननीय सदस्य : राज्य मन्त्री शिक्षा है।

श्री नूरा : शिक्षा मन्त्री जी चले गये तो माननीय जनता पार्टी के विधायकों पर मुझे भरोसा है। मंत्री सभी चले जायं तो भी बोलूंगा।

सभापति महोदया हमारे राजस्थान में शिक्षा सबसे बड़ा धन है, उस शिक्षा को देने वाले शिक्षकों को अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए आन्दोलन करना पड़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो तनख्वाहों के बढ़ाने की बात उनके भी सामने आती है। जब उनके सामने अपनी सुविधाएं लेने और बढ़ने वाली मंहगाई के मुकाबले में बढ़ी हुई पे की मांग करने की बात आती है तो उनको इस सरकार को मौका नहीं देना चाहिए आन्दोलन करने का। लेकिन उसकी पूर्ति के लिए शिक्षक आन्दोलन पर उतर आता है, भूख हड़ताल पर उतर आता है। गिरफ्तारियां दें, तो इससे हमारे बच्चों के पढ़ने का अमूल्य समय चला जाय। शिक्षक के दिमाग में असन्तोष बना रहे तो पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होता है। जो बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, वह उनके आन्दोलन को देखते हैं, समय समय पर उठने वाले उनके संघर्ष को देखते हैं तो बच्चे भी अपनी सुविधाओं की मांग के लिए अपने संगठन बना कर अपने लिए सुविधाओं की मांग करते हैं। इन सुविधाओं को बिना आन्दोलन किये ही बच्चों की भावनाओं को समझ कर दें, उनकी समस्याओं को हल कर दिया जाय तो उनमें अनुशासन बना रहेगा और उनको आन्दोलन करने की गुन्जायश नहीं रहेगी। मांगों को पूरा करने में ढिलाई बरती जाती है तो उनमें असन्तोष बढ़ता है और उसके बाद आन्दोलन सामने आता है। आन्दोलन में जो समय जाता है उस समय बच्चों की पढ़ाई जाती है, और उनका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता है। इसलिए इससे हमारे बच्चों का शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान होता है।

(160)

(श्री नूरा)

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में यह शिक्षा वेची जाती है न कि शिक्षा पाई जाती है। आज जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, प्राइवेट स्कूल और कालेज जो चल रहे हैं उनमें शिक्षकों को ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशानी है। पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए इन प्राइवेट संस्थाओं और स्कूलों का राष्ट्रीय-करण कर देना चाहिए और राज्य को अपने स्तर पर ही इनको चलाना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर लोग पैसे वाले, पूंजीपति लोग अपने ढंग से इन स्कूलों को चलाते हैं और गरीबों को भी जो सुविधाएं मिलती हैं उन स्कूलों में बच्चों के पढ़ने की वह वहां पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिससे उन गरीबों को अपनी तरक्की का चान्स नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार को उनको अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। गरीब मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग का बच्चा इन स्कूलों में एडमिशन पाने में, पढ़ाई करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसके परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं है। वे कालेजेज में नहीं पढ़ सकते हैं और उच्च ट्रेनिंग नहीं दिला सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के बच्चों की पढ़ाई फ्री कर देनी चाहिए जब तक कि वह पढ़ना चाहे। उनकी पढ़ाई ही फ्री नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार वहन करे, यह मेरा मानना है और कहना है। प्राइमरी स्कूल जो गांवों में चलते हैं उनमें पांचवी क्लास तक पढ़ाई फ्री कर देनी चाहिए। बच्चा होशियार है और आगे पढ़ना चाहता है चाहे कहीं तक पढ़े उसको पढ़ाना चाहिए। ज्यादातर गांवों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाई के लिए सारी किताबें भी फ्री सप्लाई करनी चाहिए ताकि वह बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। उनकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टीचर, शिक्षक गांवों में पढ़ाने जाते हैं उनका शहर की ओर आने का ही मूड बना रहता है। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर रहने को मकान नहीं हैं, उनको ठहरने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। गांवों में गरीब परिवार बहुत ज्यादा हैं। वहां पर शहरों की तरह बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भवन बना कर नहीं रहते हैं ताकि वह किराया देकर मकान ले सकें। गांव में गरीब के पास खुद का मकान नहीं होता है इसलिए उनको मकान कैसे दे सकता है। इसलिए मेरे से पहले बोलने वाले साथी ने बताया कि झोंपड़ी के नीचे फर्श पर वह रात गुजारते हैं। हम शिक्षकों की कीमत नहीं करते हैं। शिक्षा हमारे देश का सबसे बड़ा धन है। इसलिए गांवों में शिक्षा बढ़ाने के लिए जो प्राइमरी स्कूल हैं एक टीचर वाले उनमें टीचर के लिए क्वार्टर बना कर यह प्रबन्ध करें। माध्यमिक और हायर सैकण्डरी स्कूलों के टीचर्स के लिए भी रहने की सुविधा होनी चाहिए, नहीं तो वह शिक्षक स्कूल से छूटने के बाद घर भागने के लिए बसों का इन्तजार करता है तो पढ़ाई खराब होती है बच्चों की। उनका

(श्री नूरा) :

ध्यान मकान की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमेशा शहर की तरफ आने का रहता है और उसके लिए कोशिश करते हैं। गांवों में रहने की व्यवस्था मुकम्मल रहेगी तो वे शहर....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की तरफ आने की बात नहीं करेंगे। गांवों में जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल चलते हैं तो वहां पर टीचर्स के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए और यह अविलम्ब पूरी की जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यह सारा जो पैसा है, वह नहीं मांगते हैं। सुविधाओं के लिए उनको लड़ना पड़ता है। पंचायत समितियों के स्कूल चलते हैं, वह तो डिमाण्ड करेंगे। उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, न उनको मेडिकल बिल मिलता है। यह हमको प्राइमरी स्कूलों को देना चाहिए। पंचायत समितियों को बजट देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके लिए फण्ड देना चाहिए। उनको पंचायत समितियों के पास ही रखना चाहिए। गांवों में लोग नजदीक बैठते हैं। अपनी सुख-सुविधा की बात कह सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों को जो दिया गया है, मिडिल स्कूलों को भी दिया गया है। उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको मेडिकल बिल भी नहीं मिले तनख्वाह भी नहीं मिले तो यह ठीक नहीं है। साथ ही मैं शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान ब्यावर कालेज की ओर भी दिलाना चाहता हूं। ब्यावर में हमने देखा है कि आपने पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की हैं। आपके डिपार्टमेण्ट के खिलाफ वकीलों के द्वारा हाई कोर्ट में केस दायर किया गया है। आज राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां करते हैं। उसके लिए आप नीति निर्धारित कर दें। उसका विरोध लोगों को लीगल ढंग से करना पड़ता है। लोगों में असन्तोष होता है। पक्षपात कहीं भी छुपा नहीं रहता है। आप सोचें कि उनको कोई फायदा दिया है यह गलत तरीका है। इसके बारे में आप नीति निर्धारित करें। जो लोग प्राइवेट स्कूल और कालेज चलाते हैं, उनको सरकार को ले लेना चाहिए। उनको लेकर सरकार चलायें। वहां पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उनकी जो असुविधायें हैं, उनको दूर करना चाहिए और आम लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए।

श्री सभानेत्री : श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो आप केबिनेट से इजाजत लेकर ब्रिटिश क्षेत्र में पधार जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहां ?

श्री मदनसिंह दांता : इंगलैण्ड अमेरिका।

सभापति महोदया, अंग्रेजों ने और जो कुछ भी किया था, उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत ऊंचा काम किया है। उन्हीं के पढ़ाये हुए लोग आज ऊंची ऊंची जगह पर काम करते हैं। हाई कोर्ट के जजेज हैं। ऐसी जगहों पर जो प्राइमरी स्कूल हैं, वह अंग्रेजों

(श्री मदनसिंह दांता)

की देन हैं। जो विश्व में कहीं नहीं हैं। आज हमारे यहां शिक्षा का क्या हो रहा है। चौड़े-चौड़े गरारा टाइप की पतलूनें लड़के पहनते हैं। आज इङ्गलैण्ड में आॅक्स-फोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जायं।

एक माननीय सदस्य : कैरों चले जायं।

श्री मदनसिंह दांता : आप शिक्षा में क्या चीज लाये। अगर आप वहां हो आयेंगे तो आप को पता चलेगा। उससे सरलीकरण होगा। यहां जो शिक्षा देते हैं, उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। वहां पर बड़े-बड़े इन्जीनियर कैम्पों में काम कर रहे हैं। उसकी व्यवस्था, उसका तरीका, वह वहां से आता है। आज आप जिस असेम्बली में बैठे हैं, यह भी विदेशों की देन है। आप टोप से बच रहे है अन्यथा आपके मोटे मोटे पगड़े होते, और बत्ती जलाकर विधान सभा चलाते। दीये की रोशनी होती। जैसा कि मथुरादास जी ने कहा कि तरक्की होनी चाहिए। अंग्रेजों का टाइम था तो नेहरू जैसे, गान्धी और विवेकानन्द जैसे लोग निकले हैं। आज रूस और विदेशों में ठीक शिक्षण है। मथुरादास माथुर के खुद के जीवन में चेंज आया है। वह विदेश में गये और वहां जाकर दुनियां के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों से मिले। उनसे सम्बन्ध स्थापित किया है। आप सेण्ट जेवियर देखिये। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने उसकी तीव्र आलोचना की थी। मैंने अपने तीन लड़कों को वहां से निकाल लिया था, क्योंकि वहां की शिक्षा से विदेशी संस्कृति आती है। आज कितने विधायक हैं, कितने मिनिस्टर है जो वहां जाकर कोशिश करते हैं कि हमारे लड़के को ले लो। इसलिए मैं चाहूंगा जिस प्रकार से विदेशों से बड़े लीडरों को बुलाते हैं, उसी तरह से बड़े-बड़े विद्वानों को बुलाना चाहिए। किसी एक अमेरिकन को बुलाते हैं तो आप देखेंगे कि सारे लड़के आ जायेंगे। इसका कारण है कि वहां के शिक्षण में नयी प्रेरणा है। लड़के भाग कर आयेंगे। वह आकर नयी दिशा देंगे। यहां के ही प्रोफेसर होते हैं वह लड़कों के साथ में सिगरेट पीते हैं। तो फिर लड़कों पर उनको कोई असर नहीं पड़ता है। मैं सही कहता हूं। आज गांवों में जो मास्टर रहते हैं, जिनके खुद के मुंह से बास आती है। दांतों को साफ नहीं करते हैं। गरारे को पहनने की तमीज नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : सही बात है।

श्री मदनसिंह दांता : यह जो शिक्षा का काम हाथ में लिया है उसके लिए अगर कोई पुराना मास्टर जायेगा तो वह उनको सही शिक्षा देगा। जल्दी सुबह उठो। उठ कर नीम की दांतुन करो। आज क्या हालत है। ऊंगलियां फंसी हुई हैं। मैला भरा हुआ है। अगर पुराना मास्टर जायेगा तो मैं समझता हूं कि अच्छी चीज मिलेगी। इसीलिए मैं यह चाहता हूं। रोज आज आये दिन झगड़े होते हैं। यूनिवर्सिटी के लड़कों का और रोडवेज वालों का हमेशा झगड़ा होता है। मैं यह सुझाव देता हूं कि जो रोडवेज की बसेज हैं, यूनिवर्सिटी को 10-5 बस दे दो। उनका अध्यक्ष है, प्रेसीडेण्ट है, उनको ही इन्चार्ज बना दो। इसी तरह से यूनिवर्सिटी की पुलिस भी अलग बना दो। पुलिस के आई० जी० हैं। वह एक अलग

(श्री मदनसिंह दांता)

पुलिस बना दें। यूनिवर्सिटी पुलिस को समझेगी कि यह हमारी पुलिस है। हमारी पुलिस के आदमी हैं। जिस समय झगड़ा हो तो विधायकों के भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी लड़कों के आन्दोलन होते हैं उनके लिए आप एक प्रस्ताव कर दो कि उनकी मांगों को उनके गार्जियन जाकर रखें आप उनको पुलिस से मत रुकवाओ। पुलिस के सिपाहियों ने एक्शन ले लिया तो लड़के बदला लेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि ठीक ढंग से व्यवस्था हो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : स्टूडेण्ट्स के लिए यह व्यवस्था कर दें। पढ़े लिखे लोग हैं।

एक माननीय सदस्य : बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं।

श्री सभापति : क्या बाकी सदस्यों के अच्छे सुझाव नहीं आते।

श्री मदनसिंह दांता : मेयो कालेज के गार्जियन के पास रहा हूं जहां उठना बैठना सिखाते हैं। पालिटिक्स में आकर तो गालियाँ सीखी हैं। मेयो कालेज में माननीय अध्यक्ष महोदय भी पढ़े हुए हैं। उनका तरीका देखिये आप उठने बैठने का।

एक माननीय सदस्य : आपके बच्चों ने कहां सीखा ?

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं मेरे बच्चों ने गांव में मां और दादी से सीखा है, मास्टर सेन हीं। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदया, जब मैं बालक को बस्ता लेकर स्कूल जाते देखती हूं तो मेरा मन उमंग और खुशी से भर जाता हैं। क्या ही अच्छा होता, बाल वर्ष में और महिला वर्ष में हमारे शिक्षा मन्त्रीजी, ग्रामीण एजूकेशन के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि रखने की बात करते। लेकिन, सभापति महोदया, दुःख का विषय है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और एजूकेशन में तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मेरा क्षेत्र हाडौती अचल आदिवासियों का क्षेत्र है और कोटा डिवीजन का शाहबाद भी बहुत ही पास है। शुरू में यह कहा गया था कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जायेगा। उस वक्त मुझे आशा बंधी थी कि मेरे क्षेत्र में भी शिक्षा के मामले में प्रगति आवेगी किन्तु मेरी आशा निराशा में ही परिणत हुई। वहां पर कोई भी कारगर कदम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं उठाये गए। सन् 77-78 में यह आशा की जाती थी कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और कम्पलसरी शिक्षा का प्रावधान किया जायगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ और कॉलेज ही खोले जाते रहे। 78 में भी ऐसा ही हुआ। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि राजनैतिक आधार पर कालेज खोले गए। शिक्षा मंत्री जी अगर प्राइमरी एजूकेशन की ओर ध्यान देते तो जो पिछड़े क्षेत्रों में बिना पढ़ी-लिखी जनता है उसको काफी फायदा हो सकता था। शिक्षा की नीति के बारे में मैं

(श्रीमती नारंगी देवी)

यह निवेदन करना चाहूंगी कि सीखने की पहल बालक के हाथ में न होकर, सिखाने की पहल शिक्षक के हाथ में होना शिक्षा का मूलभूल सिद्धांत है। बालक को अपने केलिबर से और ग्राह्य शक्ति से अपने पाठ्यक्रम को ग्रहण करना चाहिए लेकिन उसको इसमें असुविधा होती है क्योंकि बालक स्वयं प्रेरित नहीं होता। एक साथ क्लास में लेक्चर सुनकर भी उसके लिए पढ़ना कठिन होता है। बालकों की अपनी अपनी ग्रहण शक्ति का ध्यान न रख कर किसी कक्षा के समस्त बालकों के लिए पाठ्य विषय की एक ही मात्रा निर्धारित करना दूसरी भूल है। शिक्षा क्रम के स्थान पर पाठ्यक्रम का कई विषयों में डिस्ज्वाइन्टेड रूप में अनकोरिलेटेड निर्माण करना हमारी तीसरी भूल है। सारे राज्य में एक सा ही शिक्षा क्रम निर्धारित करना अर्थहीन ही नहीं गम्भीर रूप से हानिकारक है। शिक्षा में एक सा पाठ्यक्रम रखना हमारी चौथी भूल है। हमारी पांचवी भूल है, टाइम टेबल एण्ड पैटर्न्स ऑफ स्टेजेज में एजूकेशन को बन्दीकृत कर देना। इस प्रकार की एजूकेशन से हमारे आदिवासी अनएम्पलायड ही नहीं अनएम्प्लायेबल और अनएम्प्लायड्स रहेंगे, ऐसा मेरा मत है। शिक्षा समाज का क्षेत्र है, सरकार का नहीं। शिक्षा सामग्री का चयन बालकों के पालन का काम है। यह बालकों की पर्सनेलिटी को विकसित करने के लिए विशेष आवश्यक है। मैं महसूस करती हूं कि वे अध्यापक, जिनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं और एस० टी० सी० करके आ जाते हैं, गांवों में जाते हैं तो बच्चों को प्रेम से नहीं पढ़ा पाते। क्या ही अच्छा होता this kind of education must be amended.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या ही अच्छा हो कि वे अपने सर्व गुणों से पूर्ण हों। शिक्षा संचालन एक माता के सदृश्य स्वात्मानुशासन से प्रेरित शिक्षक है न कि वेतन भोगी मेहमान जो कुछ घण्टों के लिए अपनी औपचारिक ड्यूटी करने को ही अपने कर्त्तव्य को इति श्री मानता है। छात्र को स्कूल की ओर आकृष्ट करने के लिए मध्याह्न भोजन और मुक्त किताबों आदि की यथा सम्भव व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए। उनको अपना सम्पूर्ण समय समाज की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। सरकारी नौकरियों के लिए विशेष उपाधि की अनिवार्यता समाप्त करनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूं कि पब्लिक स्कूल समाप्त किए जाने चाहिए जिससे कि गरीबों और अमीरों की खाई पाटी जा सके। शिक्षा को सरकारी दखलन्दाजी से मुक्त करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

शिक्षा में चरित्र निर्माण, सत्य, साधना भारतीयता का ध्यान रखना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती नारंगी देवी : दो मिनट और।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, दो सैन्टेन्स बोलने की आज्ञा है।

श्रीमती नारंगी देवी : महिलाओं को रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे क्षेत्र में बंगाली शरणार्थियों को शिक्षा देने और ट्रेनिंग देने आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट की तरफ से कोई छात्रावास नहीं खोला गया है। आश्रम स्कूल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको कहते हैं तो कहते हैं कि पंचायतों का कार्यक्रम है शरणार्थियों के लिए, और पंचायत विभाग कहता है कि राज्य सरकार का कार्यक्रम है। गांवों में भी शहरों की तरह से विलेज अलाउन्स देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मन्त्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल जैन।

(अनुपस्थित)

श्री हनवन्तसिंह ।

श्री हनवन्त सिंह (बाली) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं जनता सरकार को बधाई दूंगा क्योंकि इन्होंने शिक्षा का जितना प्रचार और प्रसार किया, एक साल के अन्दर उतना पहले कभी नहीं हुआ। जनसंख्या के आधार पर जिस तरह से स्कूल खोले गये उसको किसी भी प्रकार से राजनीति से प्रेरित नहीं मान सकते। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा उपेक्षित क्षेत्र है, जहां पर जनजाति की आबादी ज्यादा है, उसकी सही स्थान पर पहुंचाने के लिए हमेशा उपेक्षा करते गये। मैं अपने क्षेत्र के भीवाणा ग्राम का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 3500 की जनसंख्या होते हुए भी पिछले वर्ष अधिकारियों ने शिक्षा विभाग और शिक्षा मन्त्रीजी को मिसगाइड किया। जहां पर सैकण्डरी स्कूल खोल देना चाहिए था जनसंख्या के आधार पर वहां नहीं खोला गया। यह जान-बूझकर इसलिए गलती हुई, सभापति महोदया, कि वह स्थान बस रूट और रेलमार्ग से 17 किलोमीटर अकेले में और पहाड़ पर आया हुआ है जहां पर सफेदपोश टीचर जा नहीं सकते। वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं उनका आप विकास करना नहीं चाहते। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पिछले वर्ष जान-बूझकर गलती हुई, मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार भीमाणा ग्राम, जिसकी जनसंख्या 3500 से अधिक है, में सैकण्डरी स्कूल खोलकर अनुगृहीत करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पिछले वर्ष उन्होंने जो हार्ड एण्ड फास्ट लाइन बनाई थी जनसंख्या की, उसमें इस वर्ष थोड़ा रिलेक्सेशन हो तो कुछ अधिक सुविधा रहेगी। जनसंख्या के साथ-साथ आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां 10-10 मील तक कोई स्कूल न हो, जहां की सारी आबादी मिल कर कोई 10-12 हजार हो जाती है वहां सैकण्डरी स्कूल खोला जाय या कम से कम मिडिल स्कूल खोला जाए जिससे आठवीं पास करने की बच्चों को सुविधा उपलब्ध हो सके। जहां-जहां 8-8 10-10 किलो मीटर के एरिया में मिडिल

(श्री हनवन्त सिंह)

स्कूल न हो वहां मिडिल स्कूल खोला जाए तो अच्छा होगा जन संख्या के आधार के बनिस्वत।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछले वर्ष एक लाट में काफी स्कूल खोले गये इसके लिए तो बधाई। मगर उनमें केवल एक-एक विषय खोला गया है – आर्टर्स या कामर्स। जो लड़के विज्ञान विषय पढ़ने के काबिल हैं, उन ग्रामीण लड़कों के लिए आर्थिक स्थिति के आधार पर जहां पर विज्ञान विषय खोला जाना चाहिए था वहां अब इस बात पर पुन: विचार करके विज्ञान का विषय खोल दिया जाए तो वास्तव में अच्छा होगा और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे ला सकेंगे, जिनकी वास्तव में उपेक्षा होती है।

मेरे क्षेत्र में एक महाविद्यालय है फालना में। वहां पर 10–12 साल तक विज्ञान का विषय चलता रहा और पिछले समय में कुछ राजनीति से प्रेरित होकर विज्ञान विषय बन्द कर दिया गया है जिसके लिए मैं रिप्रेजेंटेशन लेकर कई बार मंत्री से मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वहां पर विज्ञान की जरूरत है उसको पुन: खोल दिया जाएगा। 12 महीने बीतने के बाद भी आज तक विज्ञान विषय नहीं खोला गया है। तो पुन: उस कालेज में विज्ञान विषय खोला जाए जो राजनीति से प्रेरित होकर बन्द कर दिया गया था। वह प्राइवेट कालेज है।

श्री सभापति : राजनीति से प्रेरित होकर इस सरकार ने या पहले वाली सरकार ने बन्द किया ?

श्री हनवन्त सिंह : पहले की सरकार ने। मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन आपने....

श्री रघुनन्दन व्यास : प्राइवेट कालेज है। खोलना चाहें तो खोल सकते हैं।

श्री हनवन्त सिंह : प्राइवेट कालेज है और उसमें वही आदमी व्यवस्थापक के रूप में बैठे हुए हैं जो माननीय राम नारायण-जी के साथी हैं....

श्री सभापति : कौन है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मोहन राज देवली, एक्स एम० एल० ए०।

(6.14-सायं
(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री हनवन्त सिंह : दुर्भाग्य है कि हम अपने सदन में राजस्थानी भाषा नहीं बोल सकते। इस भाषा का कोई स्टेनो सदन में नहीं बैठा हुआ होता है। जिस भाषा को राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या बोलती हो उस भाषा का कोई महत्व हमारे सदन में नहीं है। यह वास्तव में शर्मनाक विषय है। तो मेरा निवेदन है कि सदन में राजस्थानी को मान्यता प्राप्त हो, यहां एक राजस्थानी स्टेनो हो। इसके अलावा उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा का अलग से कोई विभाग हो। जिस भाषा का इतना रिच लिट्रेचर हो उसकी उपेक्षा क्यों की जाए ? गुजरात स्टेट में गुजराती में बोलते हुए अपने आप में गर्व महसूस करते हैं लेकिन हम अपने सदन में

(श्री हनवन्त सिंह)

इस भाषा को नहीं बोल सकते। बोलते हैं तो रिकार्ड नहीं होता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यहां पर एक राजस्थानी में लिखने वाला स्टेनो होना चाहिए चाहे कोई सदस्य बोले या नहीं। कितने दिनो तक राजस्थानी बोलने वाले लोगों को रोक सकेंगे ?

कई माननीय सदस्य : अभी बोल लो।

श्री हनवन्त सिंह : जब राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त होगी तब बोलूंगा।

राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों में से केवल जोधपुर में इस भाषा को मान्यता है और वहां अलग विभाग की व्यवस्था है। मैं जयपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों के लिए भी मांग करता हूं कि वहां भी राजस्थानी भाषा के अलग से विभाग की कोई व्यवस्था हो। इसके लिट्रेचर के रख रखाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात और कह कर आपकी घंटी की आज्ञा मान कर स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव संक्षिप्त हो।

श्री हनवन्त सिंह : बिल्कुल। मैं पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ गया, वहां सैनिक स्कूल देखा। वास्तव में अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का एक मात्र केन्द्र राजस्थान में है तो वह सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है। उसके भवन की हालत देख कर शंका हुई कि कहीं वहां ऐसा न हो कि जैसे आमेर के पास में एक विद्यालय में बच्चे बच्चियों के साथ हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : वह स्कूल केन्द्रीय सरकार का है।

श्री हनवन्त सिंह : नहीं।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : वह राज्य सरकार का है, कल चर्चा हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री हनवन्त सिंह : सैनिक स्कूल के लिए विशेष ग्रांट देकर वहां के भवनों को ठीक किया जाए जिससे वहां जिन बच्चों को तैयार किया जाता है, उनको अधिक सुविधा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। इसलिए राष्ट्र का चरित्र नहीं बना, न जीवन में निखार आया। सौन्दर्य और शिक्षा का जो आकार बना है, मुबारक हो आपको। मैं शिक्षा के आकार को अच्छा नहीं मानता। शिक्षा सत्यम् शिवम् सुंदरम् का प्रतीक हो और शिक्षक अच्छा हो। मान्टेसरी स्कूल होने चाहिए ताकि बच्चों को भली प्रकार ढाला जा सके। शिक्षक ऐसा हो जो ज्ञान का भंडार हो, माली की तरह पौधों का विकास करके फूलों

(श्री मूलचन्द डागा)

को सजाए। अगर शिक्षक ज्ञानवान और चरित्रवान नहीं बना तो फिर शिक्षा बेकार है, वह हमारे जीवन में चार चांद नहीं लगा सकती। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा निष्प्रयोजन है और निरर्थक है। इसका डिग्री से संबंध छोड़ना चाहिए। जो अच्छी क्वालिटी का शिक्षक है जो गांव में रहता है उसको कम से कम 700 रु० वेतन मिलना चाहिए। उसके पास सारे साधन होने चाहिए। नई किताबें, नए ज्ञान प्राप्त करने के साधन। शिक्षा जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। चाहे सचिव हो, चाहे डाइरेक्टर हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, वह उच्चकोटि के विद्वान हों जिनके चरित्र से मालूम हो कि वह पढ़ा लिखा इन्सान धरती पर चल रहा है उससे धरती का सौन्दर्य बढ़ रहा है। अगर इस प्रकार के शिक्षक होंगे तो कोई कारण नहीं कि शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठे। सारी यूनिवर्सिटी में चाहे वाइस चान्सलर हाईकोर्ट के जजेज को बना दें जो कि शिक्षक नहीं होते, इससे शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं आ सकता। मैं आपको बताऊँ कि अभी समय बहुत कम है स्टेट्स में ओपन कालेज सिस्टम का एक नया एक्सपेरीमेन्ट हो रहा है। आदमी चाहे कोई भी धन्धा करता हो वह पढ़ सकता है उसको कालेज जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको क्लासेस में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल कुछ घंटों के लिए जाता है और पेपर्स दे देता है। अडल्ट एजूकेशन अनौपचारिक शिक्षा, फार्मल एजूकेशन और नान-फार्मल एजूकेशन – मैं नहीं समझ पाया कि जब आपके यहां 14 प्रतिशत मातायें और लड़कियां पढ़ती हैं, जिस देश की 14 प्रतिशत भी महिलायें पढ़ी लिखी नहीं हैं तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें तो अपनी गरदन झुका लेनी चाहिए। एजूकेशन कम्पलसरी होनी चाहिए लेकिन वह कब होगी ? हमारे संविधान में दिया हुआ है कि कम्पलसरी एजूकेशन होनी चाहिए। यह अनौपचारिक शिक्षा क्या है, यह प्रौढ़ शिक्षा क्या है ? जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं वह कहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो और जो हमारे लिए साधन जुटा रहे हो वह हमारे बच्चों के लिए जुटा दो। यह प्रौढ़ शिक्षा धोखा है। शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान से नहीं है।

मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूं। मैंने देखा कि वहां के वाइस चान्सलर ने खुद मार्क्स दे दिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी आपने इस संबंध में लिख कर दिया है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने इसके बारे में स्वीकृति नहीं दी है इसलिए कृपया इसे चर्चा में न उठायें।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छा।

मैं इस पर कहना चाहता था कि आज यूनीवर्सिटीज के अन्दर केवल अध्यापन ही नहीं होता है और बाकी सब कुछ होता है। वहां आन्दोलन होते हैं, उपद्रव होते हैं, हड़तालें होती हैं और सब कुछ होता है इसका दोष केवल विद्यार्थियों को शुरू में जो शिक्षा मिलती है उसके कारण है। आपने प्राथमिक पाठशालायें खोल दीं। मैंने कई

(श्री मूलचन्द डागा)

बार कहा है कि आप जब तक मान्टेसरी स्कूल नहीं खोलेंगे, बालवाड़ी नहीं खोलेंगे तब तक हमारे यहां शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। राजस्थान में जहां 56 पर्सेन्ट आदमी गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके पास अपने बच्चों का चरित्र बनाने के लिए समय नहीं है। तो आपको स्कूल वहां खोलने चाहिए जहां चार पांच वर्ष का बच्चा बैठ सके और तस्वीरों और दूसरी चीजों को देखकर अपना चरित्र बना सके। मेरा कहना है कि हमारे यहां मान्टेसरी स्कूल हों और नहीं होंगे तो लाभ नहीं है। लड़कों की एजूकेशन कम्पलसरी होनी चाहिए। जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, समाज में कहीं जिसकी जगह नहीं है वह बेचारा शिक्षक बनता है। यह तो शिक्षक की हालत है। जो समाज का ढांचा और चरित्र बनाना चाहता है, बालकों के जीवन को उज्जवल बनाना चाहता है उसका खुद का जीवन अन्धकार में है। वह खुद गिरा हुआ है। उसके पास पढ़ने के साधन नहीं हैं।

कुछ बड़े बड़े लोगों के लड़के कहां पढ़ते हैं? सेंट जेवियर में। राजस्थान में यह बात सही है कि कुछ अच्छे स्कूल हैं, जहां अधिकारियों के, मंत्रियों के, विधायकों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरों के लिए धर्मशालायें खुली हुई हैं। जहां गायें भी जाती है और बच्चे भी जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो जानता ही था कि पांच-पांच मिनट का ही समय है।

मैंने लाइब्रेरी की बात कही। हमारे देश में शिक्षा की डिग्रियां लेकर आदमी आ जाते हैं। जगह-जगह लाइब्रेरीज नहीं हैं। पुस्तकालयों का जगह-जगह खोलना आवश्यक है। रीडिंग रूम खुलना आवश्यक है। हमारे यहां पर पुस्तकालयों की बहुत कमी है। हमारे यहां मूविंग लाइब्रेरीज नहीं हैं। लोग अच्छी किताबें नहीं खरीद सकते। रिसर्च करने वाले नहीं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमने एजूकेशन को जाब ओरियेन्टेड नहीं बनाया तो फिर इस वर्तमान शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्या जरूरी है कि सब लड़के कालेज ही जायें। सवाल इतना ही है कि जो लड़के ज्यादा मेहनत करते हैं उनका कालेज में एडमिशन होना चाहिए। 34 पर्सेन्ट है उसकी जगह पर्सेन्टेज कम से कम 50 होना चाहिए। अगर देश में अनुशासन नहीं है तो फिर देश का भविष्य कहां है। यह सब शिक्षा पर निर्भर करता है। तो मेरा सुझाव यह है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षक उच्च कोटि के नहीं होंगे, आदर्शवान नहीं होंगे और ज्ञानवान नहीं होंगे तब तक बच्चे अच्छे नहीं बन सकते और बच्चों का भाग्य सुन्दर नहीं बन सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वर्तमान शिक्षा मंत्री का स्वागत करने में इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने राजस्थान में शिक्षा का खूब प्रसार किया। इस बात का मुझे दुःख होता है कि जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आया हूं उस क्षेत्र रतनगढ़ में कालेज की मांग आज दस वर्ष से लगा-

(170)

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

तार आन्दोलन के रूप में चली आ रही है। अनेक बार ऐसी विषम स्थिति आई कि कहीं बारां जैसा काण्ड वहां न हो जाये। गत वर्ष भी यह स्थिति आई थी लेकिन वहां मैंने और अनेक कार्यकर्त्ताओं ने प्रयास किया कि किसी प्रकार की घटना न हो जाये। राजस्थान सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि रतनगढ़ जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं सब डिवीजनल हैडक्वार्टर में जहां तीन-तीन तहसील हैं वहां कालेज नहीं खोला गया है। ऐसे क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र के प्रश्न को लेकर ही खोला जाना चाहिए। दूसरी बात मुझे कालेज के संबंध में यह भी कहनी है कि आप यह कह कर मना कर देते हैं कि केन्द्र सरकार ने नये कालेजेज खोलने के लिए रोक लगा रखी है लेकिन यह कह कर आप इस क्षेत्र को कालेज से वंचित नहीं रख सकेंगे। आने वाले सत्र में यदि आपने कालेज खोलने की घोषणा नहीं की तो निश्चित समझिये कि विकट आन्दोलन खड़ा होगा और उस आन्दोलन को मीट करना बहुत मुश्किल होगा। यदि इसके लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सब्जेक्टवाइज कालेज खोलने की व्यवस्था कीजिए। जोधपुर और बीकानेर आदि जगहों पर सब तरह के कालेज हैं। बड़ी जगह और दूर भेज कर पढ़ाने में कितना भारी खर्च करना पड़ता है। इन सब बातों के होते हुए भी यदि आप कालेज नहीं खोलेंगे तो जुलाई से आने वाले सत्र में अनेक जगह आन्दोलन खड़े होंगे और षडयन्त्रकारी लोग इसको पीछे से हवा देंगे। उसके जो परिणाम होंगे वह दुखदायी होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में पूरी गम्भीरता से आप विचार करें।

दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान साहित्य अकादमी है इस मामले में कितनी बड़ी उपेक्षा राजस्थान सरकार ने बरती है। राजस्थान में साहित्यकारों के साथ जितना निर्लज्जतापूर्वक व्यवहार इस साहित्य अकादमी ने किया उतना ही गंदा व्यवहार हमारी सरकार द्वारा किया गया है। यह बरदाश्त के बाहर है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर इस साहित्य अकादमी का अध्यक्ष दो साल में भी ढूंढ़ने से हमारी सरकार को नहीं मिला और वहां एक रिटायर्ड विष्णुदत्त जी को बैठा रखा है क्योंकि वह कांग्रेस के शासन में काफी दखलन्दाजी रखते थे। हमारी सरकार ने किसी साहित्यकार को इसलिए नहीं रखा कि आई ए. एस. अधिकारी प्रशासन करने में बहुत प्रवीण होते हैं, जो शासन चलाते हैं वे दमन करने में बड़े प्रवीण होते हैं, राजस्थानी भाषा का दमन किया गया है। मौजूदा सरकार पर मेरा आरोप है कि राजस्थानी भाषा के साहित्य एवं साहित्यकार का दमन करवाने के लिए ही एक रिटायर्ड आई. ए. एस. को लगा रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के स्वाभिमानी साहित्यकारों ने इस राजस्थान साहित्य अकादमी का बहिष्कार कर रखा है और इस लिये कर रखा है कि एक असाहित्यकार इसका अध्यक्ष है। क्या राजस्थान का कोई साहित्य नहीं है? राजस्थान की $3\frac{1}{2}$ करोड़ जनसंख्या है लेकिन कोई मातृभाषा नहीं। इसकी अपनी

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

कोई साहित्य अकादमी नहीं ? जिस प्रकार अंग्रेजों ने हिन्दी का दमन कर अंग्रेजी से शासन किया उसी प्रकार राजस्थानी भाषा की उपेक्षा करके केवल हिन्दी के बल पर शासन करना चाहते हैं । जब तक राजस्थानी भाषा को सम्पूर्ण सम्मान नहीं देंगे, राजस्थान के $3\frac{1}{2}$ करोड़ लोगों के मन में हम विश्वास पैदा नहीं कर सकेंगे ? भाषा प्रदेश के मन को जगाती है ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी भाषा केवल हिन्दी है । राजस्थानी एक बोली है । यह सवाल तय हो चुका है । राजस्थान में भरतपुर वाले हिन्दी बोलते हैं, सिरोही वाले गुजराती बोलते हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : पाली वाले क्या बोलते हैं ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपके संविधान ने नहीं माना है । यह केवल राजाओं की भाषा थी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप ।

श्री मूलचन्द डागा : यह संविधान का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : बैठ जाओ, आपको कुछ पता तो है नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : आपके संविधान की भाषा नहीं है ।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : आप कांग्रेस वालों ने दमन किया है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : अभी आखातीज पर आन्दोलन करने वाले हैं ।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : आज साहित्यकारों को राजस्थानी साहित्यकार की आवाज सुनाना चाहता हूं....

श्री मूलचन्द डागा : कोई पढ़ नहीं रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : राजस्थानी साहित्यकारों से अपील करता हूं इस अकादमी का बहिष्कार सम्पूर्ण रूप से करें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसको मान्यता दिलवाने के लिए आप आन्दोलन करें । मैं यह आशा करता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान के प्रति और राजस्थान के साहित्य के प्रति सम्मान है तो मैं कहूंगा आई० ए० एस० को हटाइये, साहित्यकारों की सभा बनाइये । राजस्थान साहित्य अकादमी भंग करें राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी स्थापित करें जिसके अन्तर्गत उर्दू अकादमी की स्थापना कीजिये ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनंदन व्यास ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जगदीश जी ने जो विषय छोड़ा है, उसी से मैं शुरू कर रहा हूं। हम राजस्थान के हैं, राजस्थानी हमारी मातृ-भाषा है, साहित्यिक भाषा है और राजस्थान के अन्दर राजस्थानी की अवहेलना हो, उसके साथ अन्याय हो तो सम्पूर्ण राजस्थान में, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिये एक जन आन्दोलन शुरू कर रहे हैं, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं और यह आन्दोलन गांव-गांव में फैलेगा। राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार को हम विवश करेंगे कि राजस्थानी को मान्यता दी जाये। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है राजस्थान साहित्य अकादमी ने जान-बूझकर राजस्थानी साहित्य राजस्थान के साहित्यकारों के साथ अत्याचार किया है। मैं दुःख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनता पार्टी के मंत्रियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जब क्षेत्र का, अपने साहित्य का विचार नहीं कर सकते तो राजस्थान के ग्रामीण जन जीवन में जीवन नहीं ला सकते। क्या मीरां को राजस्थान से निकाल दोगे ?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान के टुकड़े करना चाहते हैं यह राजस्थानी भाषा....

(व्यवधान)

श्री रघुनंदन व्यास : राजस्थानी भाषा की बालिका गुजराती भाषा है....

(व्यवधान)

आप अमृतलाल नागर को पढ़िये, कन्हैयालाल मुन्शी, राम चन्द्र शुक्ल को पढ़िये

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय डागा साहब को रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, इन्ट्रप्शन न करें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह डागा जी को उछाले का बीज लगा हुआ है....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : राजस्थानी, हिन्दी और भारतवर्ष की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। उस भाषा के लिये भी राजस्थान में संस्कृत की अकादमी नहीं है। संस्कृत के प्रति कोई मान नहीं। राजस्थान में जब राजाओं का राज था, मैं कहता हूं उदयपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ 1946 में, मैं सिंध से आया था, कन्हैयालाल मुन्शी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे लेकिन राजस्थानी की जो उपेक्षा हो रही थी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन राजाओं के समय में पनपाया गया लेकिन राजस्थान बनने के बाद हिन्दी की ओर ध्यान नहीं दिया गया। संस्कृत की ओर ध्यान नहीं दिया गया और संस्कृत के साथ राजस्थानी की भी उपेक्षा की है। मेरा निवेदन है कि संस्कृत

(श्री रघुनंदन व्यास)

स्कूल सिरोही और जालौर दोनों जिलों में खोले जाने चाहिये। राजस्थान सरकार इस प्रकार के एक बिल को मंजूर कर सकती है। हम चाहते हैं कम्पलसरी एजूकेशन लागू हो और पंचायत समितियों से स्कूल लिये जायें। वन क्लास, वन टीचर इस पद्धति को लागू किया जाय। हम यूनिवर्सिटियों को करोड़ों का बजट देते हैं लेकिन गांवों के अध्यापकों को कोई बजट देने को तैयार नहीं है, गांव में अध्यापकों के लिये कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं। एक-एक अध्यापक के पास गांवों में 150-150 स्टूडेन्ट्स हों इसलिये मेरा निवेदन है वन क्लास, वन टीचर की पद्धति को लागू करें। इतना ही नहीं पुरातत्व का जो विषय है, पुरातत्व का जो शोध है देलवाड़ा में, उसको भी नष्ट किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग को चाहिये कि जो हमारे जीवन के आदर्श हैं, जिनको जीवित रखना आवश्यक है उनको समुचित रूप से सुरक्षित रखें। नकोड़ा और बलां में जहां 18वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के शिलालेख हैं उनको ठीक प्रकार सुरक्षित रखें। यह हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार इन चीजों को उचित संरक्षण नहीं दे पा रही है। बजट कितना, ऊंट के मुंह में जीरा·······

(व्यवधान)

डागा साहब रोयेंगे भी लेकिन अपने लोगों की मदद भी करेंगे। राम नारायण जी आप भी इसकी चिन्ता मत कीजिये। संस्कृत साहित्य की दुर्गति हो रही है·······

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और, उपाध्यक्ष महोदय।

जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं राजस्थान का अच्छा कालेज है सिरोही में वहां एम० काम०, एम० एस० सी० और इकोनोमिक्स में नई कक्षाएं इसी सत्र से खोली जायें। सिरोही में गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल बग्गीखाने में चलता है, जहां पहले घोड़े बंधा करते थे तो वहां छात्राओं के लिये नया स्कूल भवन बनवाइये। इतना ही नहीं एक गर्ल्स छात्रावास भी बनाने की कोशिश करें यह भी राजस्थान सरकार करे तो बहुत है। राजस्थान में छात्रों के लिये हायर सैकन्डरी स्कूल खुल रहे हैं लेकिन छात्राओं के लिये कोई भी स्कूल की व्यवस्था नहीं की जा रही है। आज हालत यह है कि 99 पर्सेन्ट स्कूल एक तरफ और 1 पर्सेन्ट स्कूल छात्राओं के लिये एक तरफ हैं तो मेरा राज्य शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगले वर्ष अगर फाइनेन्स मिनिस्ट्री से झगड़ा भी करना पड़े, तो करें और हर जिले में दो गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल देने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं पुन: कहूंगा कि राजस्थानी साहित्य अकादमी और संस्कृत अकादमी की घोषणा करें और संस्कृत व राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिये आखा तीज से हम सब साहित्यकार मिल कर जन आन्दोलन करने वाले हैं। यदि राजस्थान सरकार ने न्याय नहीं किया तो यह संघर्ष गांव-गांव में और जन-जन में फैलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : कोई कट मोशन तो है नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं।

There is no cut motion on this subject.

(174)

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सीट के नीचे कोई स्प्रिंग लगी हुई है, वह निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी कुर्सी के नीचे भी कोई स्पेशल स्प्रिंग लगी हुई है।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक रिवाज की तरह हम यहां साल में एक बार बैठते हैं और किसी को पांच मिनट, किसी को सात मिनट बोलने के लिये देते हैं और फिर चाहते हैं कि शिक्षा में कुछ सुझाव दें, यह बड़ी विडम्बना है इस सरकार की और शिक्षा मंत्री जी की। आखिरकार 32 साल के अर्से के बाद राजस्थान के अन्दर कितने बच्चे स्कूलों में जाते हैं, 6 से 11 साल के बच्चे और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। 26 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और 27 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये नहीं जाते हैं। उन्होंने शायद स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा जो पढ़ने लायक हैं। फिर यहां बात करें तो यह केवल एक ढोंग सा लगता है। इस विषय में मुझे एक चौपाई याद आती है कि भूखे भजन न होई गोपाला। जिस देश में 60 प्रतिशत गरीब लोगों को एक टाइम रोटी नसीब नहीं हो वहां शिक्षा की बात एक भोंडी सी लगती है। दूसरी तरफ प्राइवेटस्कूल, सेन्ट जेवियर, जैसे पब्लिक स्कूल, किसी का नाम कुछ तो किसी का नाम कुछ, कोई अमेरिकन है तो कोई आस्ट्रेलियन, कोई इंगलैन्ड का है तो कोई कहां का, कैसे-कैसे वहां धन्धे होते हैं, कैसी-कैसी संस्कृति वहां पनपती है, उस ओर कोई ध्यान सरकार का नहीं जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा। ये प्राइवेट संस्थाएं हमारे समाज में कोढ़ की तरह हैं। अब इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यह तो ठीक है, लोग भोले भाले हैं और दूर-दराज में रहते है जिस तरह गौशाला में पशु रहते हैं, ढोर इकट्ठे करते हैं उसी तरह गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जो 80 प्रतिशत मेहनत करते हैं उनके बच्चों के लिये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। बाकी 15-20 प्रतिशत के लिये अलग तरीके के स्कूल, अलग तरह की नौकरियां हैं। उनके बच्चे कलक्टर बनेंगे, उनके बच्चे जज बनेंगे, उनके बच्चे मजिस्ट्रेट बनेंगे, कोई मिलिट्री में मेजर बनेगा, कोई कर्नल बनेगा, ब्रिगेडियर बनेगा और दूसरी तरफ देश का गरीब का बच्चा भर पेट रोटी के लिये भी तरसेगा। फिर हम यह लम्बी-चौड़ी बहस करें तो यह सब फिजूल लगता है। हमको देखना चाहिये कि किस तरह सब लोगों को समान अवसर मिले। शिक्षा में अभी आपने प्रौढ़ों के लिये 90 लाख का बजट रखा है। यह ढोंग क्यों है? इन सब बातों के लिये गंभीरता से बैठ कर विचार करना चाहिये। इस देश में आम अवाम के बच्चों में यह भेदभाव पूर्ण नीति जो शिक्षा की है इसको मिटा कर नहीं चलेंगे तब तक कोई हल नहीं होगा। यह बात ठीक है कि आपने बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीयां बना दीं, बड़े-बड़े भवन बना दिये, बड़े-बड़े अधिकारियों के बंगले बना दिये मगर ये सब फिजूल बातें हैं। अगर शिक्षा में तब्दीली नहीं की तो भयंकर नतीजा हमारे

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

समाज को भुगतना पड़ेगा। अब लोग इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि आपके बच्चे स्पेशल स्कूलों में पढाई करें और दूसरों के बच्चे स्कूल का मुंह तक न देखें। इस भेद-भाव की नीति को खतम करना चाहिये। यह करना चाहिये कि हायर सैकन्डरी स्कूल तक सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले, और उनको होस्टल मिले व खाना तथा किताबें मिलें।

अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा हमारे बच्चे खिलाड़ी बन सकते हैं। कैसे बनायेंगे ? इस ढोंग को छोड़ कर कुछ वास्तविकता में आकर और संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये। जो प्राइवेट संस्थाएं आज इस समाज में कोढ़ हैं उनको समाप्त कीजिये। जो 27 लाख बच्चे पढ़ने लायक हैं और जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोई व्यवस्था कीजिये।

पिछले साल, उसे साहसी कदम कहूंगा, शिक्षा मन्त्री जी ने साहसी कदम उठाया कि आबादी के लिहाज से स्कूल खोलें। इसके पहले राजनैतिक आधार पर स्कूल खोले जाते थे। मगर इसके साथ गलती की स्कूल खोलते समय हमको देखना चाहिये कि भवन है या नहीं, टीचर्स के रहने की कोई व्यवस्था है या नहीं। गांवों में कोई टीचर नहीं जाना चाहता है, गांवों में पार्टी बाजी होती है। इसलिये अभी इस सत्र में जो स्कूल खोलने जा रहे हैं उसमें शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा, जन संख्या के आधार पर तो रहने चाहिये, एक एरिया में जहां आबादी मिलती है, अच्छा है और वहां ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं मगर किसी गांव में भवन नहीं है और लोगों ने भवन बनवाया है, भवन है, भवन बनाने के बाद स्कूल नहीं खोला जाता है तो बड़ी निराशा होती है। ऐसी जगह में स्कूल खोल दिए जाते हैं जहां पर भवन नहीं है, जहां पर लोगों का सहयोग नहीं है। जहां लोग सहयोग दें, लोग अपनी जनता के ग्राम फण्ड से भवन बनायें, जब सारी कण्डीशन्स पूरी कर दें तो स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है, भवन तैयार है या नहीं, टीचर्स के रहने की व्यवस्था है या नहीं, क्या गारन्टी देते हैं, इस आधार पर इस व्यवस्था को चालू रखे यह भी बहुत आवश्यक है।

इसके साथ साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूंगा। आज हमारी यूनिवर्सिटीज की जो हालत है, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, यह ज्वालामुखी का रूप धारण करेगी। आप इसको टाल नहीं सकेंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी में जायं, अगर विद्यार्थियों से बात करेंगे तो उनमें भयंकर असंतोष है। अगर आप टीचर्स से बात करेंगे तो उनमें भयंकर असंतोष है। सब जगह असंतोष है चाहे हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी में चले जायं, चाहे हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में चले जायं और चाहे हमारी उदयपुर यूनिवर्सिटी में चले जायं। आप इस व्यवस्था को बदलिये। हमारे इतने अच्छे भवन हैं, अरबों, करोड़ों रुपयों के भवन हैं, हमने हमारा बहुत बड़ा बजट इन पर खर्च किया है। यह कोई जागीर नहीं है किसी की। आप इसको जागीर मत बनाइये। और जागीर भी किस की ? जो रिटायर्ड हैं, जिनमें काम करने की इनर्जी नहीं रही, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त

(176)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हैं, इन सब के जिम्मे छोड़कर आप गवर्निंग बाडी बनाइये। पाँच सात आदमियों की गवर्निंग बोडी बना दें, उन लोगों को बैठ कर सुनें, उन टीचर्स के बारे में सुनें। आप टीचर्स के ट्रांसफर के बारे बिल ला रहे हैं, आपने टीचर्स से पूछा ? जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारे युवकों को पढ़ाते हैं, अगर आप उनकी शिकायत दूर नहीं करेंगे, उनकी ग्रिवेंसेज मीट आउट नहीं करेंगे तो वे टीचर्स कालेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ायेंगे नहीं, आपके खिलाफ बगावत करेंगे वे आपके विरुद्ध बगावत के अड्डे होंगे। वे ही आपके विरुद्ध एक दिन ज्वालामुखी का रूप धारण करेंगे, इसके परिणाम सबसे भयंकर होंगे। तो महरबानी करके आप, शिक्षा मन्त्रीजी, उनकी बात सुनें। उन्होंने हमारे सामने एक मेमोरेंडम दिया है। शिक्षा मन्त्रीजी, यह मेमोरेंडम आपके पास भी आया है। आपने शायद पढ़ने की तकलीफ नहीं की।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक रिप्रेजें-टेशन हमारे पास आया है, उदयपुर यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेण्टेशन आया है, जोधपुर यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेन्टेशन आया है, विद्यार्थियों का रिप्रेजेण्टेशन है, टीचर्स का रिप्रेजें-टेशन है वहां के बारे में, वहां की अनियमितताओं के बारे में। वहां जो भी फाइनेंशियल बेईमानियां होती हैं, उनके बारे में रिप्रेजेन्टेशन दिए हैं। उनको गहराई के साथ सुना नहीं तो यही एक दिन ज्वाला-मुखी का रूप धारण करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप इन पर ध्यान दीजिए।

मेरा एक छोटा सा सुझाव और है। ये जितने भी हरिजन हैं, आपके आदिवासी बच्चे हैं, आप क्या देते हो उनको ? हरिजन विद्यार्थी अगर कालेज में पढ़ता है तो उसको चालीस रुपये ? यह क्या कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो। यह ढोंग बंद कर दीजिए। आप गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हो ? आप मजाक तो मत करो। आपका बच्चा गुजारा कर सकता है 40) रुपये में ? तो हरिजन का बच्चा कैसे गुजारा कर सकेगा।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : बंगाल में कितना देते हो ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : बंगाल में जाकर पूछो, क्या देते हैं। आपको वहां जाकर पूछनेमें शर्म क्यों आती है।

श्री नूरा : बंगाल में दोपहर का खाना मुफ्त में दिया जाता है बच्चों को।

श्री मदनसिंह दांता : हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी शिक्षा अगर कहीं है तो बंगाल में है।

(व्यवधान)

श्री श्योतपतसिंह मकासर : मुझे क्या पूछते हो, यह तो बंगाल में जाकर पूछो कि क्या देतेहो। फिर बंगाल की बात क्यों करते हैं, आप क्या देते हो।

श्री नूरा : केरल में जब सरकार बनी थी तो इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स पर कब्जा कर लिया था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं जानकारी देता हूं हमारे रतनगढ़ के विधायक सुनें, क्योंकि

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

उन्होंने पूछा है। सन् 31 में रवीन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा पद्धति के बारे में रूस में पढ़ने गए थे। आप छोड़ दीजिए बंगाल की। मैं मेरी पार्टी की बात नहीं कहता, आज नहीं बल्कि 1931 में रवीन्द्रनाथ टैगोर रूस गए थे। आप महरबानी करके पढ़ लीजिए। लागू करें या नहीं लेकिन कम से कम हिन्दुस्तान का जो बहुत बड़ा था, दुनियां का सबसे बड़ा विद्वान था उसने रूस में जाकर अध्ययन किया था। मुझे आज उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये कोढ़ वहां पर नहीं है। इस कोढ़ को हटाने की व्यवस्था आप भी करिये। सन् 57 के अन्दर जब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई थी केरल में तो प्राइवेट शिक्षा को समाप्त करने के नाम पर नम्बूद्रीपाद को जगह छोड़नी पड़ी थी, असेम्बली तोड़नी पड़ी थी। हमारे देश के उस वक्त प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस की प्रधान श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं। एक ही सवाल था कि यूनिवर्सिटी बिल के कारण वहां की सरकार को टोपल किया, बंगाल में भी हुआ। आप हिम्मत करें, छोड़िये बंगाल को। आपको शर्म नहीं आती हमारे बच्चे तो जायं जिस तरह से किसी गऊशाला में पशु जाते हैं और बड़े बड़े लोगों के बच्चे सेंट जेवियर में जाकर पढ़ें, क्या यह ठीक बात करते हैं। अच्छी पद्धति है आपकी। इसको खतम करिये महरबानी करके। आपकी पार्टी के लोगों की भी यही राय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी कह रहा था कि हरिजन विद्यार्थियों या जो जनजाति के लोग हैं, इन इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर जब तक आप इनको फ्री पढ़ाई नहीं करायेंगे, इनके लिए फ्री होस्टल की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक किसी गरीब आदमी का बच्चा क्या सेंट जेवियर के या दूसरे दूसरे पब्लिक स्कूल के बच्चों का मुकाबला कर सकता है? क्या बनाना चाहते हैं आप उनको? तो उन पर पूरा ध्यान दिया जावे।

इसके साथ साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी से खेल के बारे में कहता हूं कि राजस्थान हिन्दुस्तान में अपना नाम रोशन कर सकता है। आप महरबानी करके अगर इस ओर ध्यान देंगे, खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देंगे तो यह जो स्कूलों में, कालेजों में गुंडागर्दी होती है वह डाइवर्ट हो जाएगी। आप पैसा लगवाइये इसमें। यह बहुत बड़ा कारण बन सकता है गुंडागर्दी खतम करने में। इस तरह के जो उत्पात होते हैं यूनिवर्सिटी में उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को इस ओर डाइवर्ट किया जावे।

इसके साथ साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सिलेबस के बारे में कहूंगा। लास्ट बात कह रहा हूं। महान संस्कृति की बात करते हैं, शिक्षा मंत्रीजी, और करनी भी चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हमारे कोर्स में आपने किसी क्रांतिकारी का नाम लिखा है? यह दूसरी तीसरी क्लास से महात्माओं का नाम तो शुरू कर देते हैं मगर क्रांतिकारी, जो इस देश के लिए मरे, इस देश के लिए फांसियों पर चढ़े, नाम क्यों नहीं है? कहां है उनका नाम सिलेबस में? मैं सवाल पूछता हूं, देश

(AD)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

के अन्दर भगतसिंह मरा तो उसके पीछे एक आदर्श था, उसने किस आदर्श के लिए कार्य किया। हमारे कालेज के विद्यार्थी से पूछ लीजिए, नहीं बता सकेगा। यह हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की बात तो बता देगा कि कौनसा पात्र है, कौन कौन उसमें थे, पिक्चर में यह था वह था, यह सारी बात बता देगा विद्यार्थी लेकिन मैं सवाल पूछता हूं क्यों मरा भगतसिंह ? भगतसिंह ने उस अदालत में कौनसा बयान दिया ? वह पर्चा क्या था ? क्या लिखा था उसमें ? मैं जानता हूं वह नहीं बता पाएगा।

अगर आपने भगतसिंह को पढ़ाना शुरू कर दिया हमारे स्कूलों में तो हमारी हुक्मराना पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा उल्टा असर पड़ेगा। इनकी कुर्सियां रहेंगी या नहीं। इसलिए इन क्रांतिकारियों को भुलाया जाता है। कम से कम महरबानी करके आप संस्कृति की बात तो करते हैं, मेरी संस्कृति की बात तो करें, शायद रूस और चीन की बात करें लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इन शहीदों के बारे में और इन क्रांतिकारियों के बारे में जो लिखा है, जिसके लिए मरे हैं वे, उसका देश के बच्चों को ज्ञान दें। इस बात के साथ ही मैं अपनी बात खतम कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले वर्ष राजस्थान में जितने स्कूल खोले उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु जिस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोले गये, उसके साथ ही परिस्थिति विशेष को देख कर भी स्कूल खोले जावें तो जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के, शिड्युल्डट्राइब्स के या अन्य पिछड़े हुए गांव हैं जो बहुत दूर दूर तक बसे हुए हैं, जहां पर आबादी के आधार पर स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं, उन स्कूलों को भी लेना चाहिये। जैसे मेरे क्षेत्र में बूंदी में लावाखुरा, सूंथड़ा, बुधपुरा, लिखमपुरा, ये ऐसे गांव हैं जिनके आसपास लगभग डेढ सौ गांव हैं परन्तु उन गांवों की सख्या इस क्राइटेरिया के अन्दर नहीं आती थी इसलिये स्कूल नहीं खुले। इसी के साथ साथ एक हमारे यहां कोटा डैम, जो जवाहर सागर के नाम से जाना जाता है, कुछ वर्ष पूर्व बना था। वहां हजारों व्यक्ति रहते हैं। आज भी अधिकारीगण और कर्मचारी वहां पर रहते हैं। उनके बच्चे आठवीं से उपर पढते हैं, उनको कोटा आकर पढ़ना पड़ता है। मेरा निवेदन है ऐसे स्थान पर, जहां पर प्रबन्ध है या अन्य कर्मचारी और वहां के नागरिक भी इस बात को चाहते हैं, सैकन्डरी स्कूल हो दो हजार से अधिक विद्यार्थी हैं परन्तु वहां पर सैकन्डरी स्कूल नहीं है, अत: वहां पर सैकन्डरी स्कूल खोला जाना चाहिए था।

इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी ऐसे स्कूल हैं जहां पर विद्यार्थियों के बैठने को सुविधा नहीं है और स्कूल चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन करना यह है कि जहां पर गवर्नमेंन्ट की बिल्डिंग्स हैं और वहां पर प्राइवेट व्यक्तियों ने राजनीतिक कारणों से पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो स्कूल बिल्डिग्स सरकारी थी, अपने कब्जे में ले ली थी, और किराये

(श्री श्रोमप्रकाश शर्मा)

पर ले रखी है, उन गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को सरकार अपने अधीन लेले और इन बिल्डिंग्स के अन्दर, जहां पर विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा है, वहां पर स्कूल खोल दिए जायं तो सरकार के सामने जो समस्या है, स्कूल भवन की कमी है, वह पूरी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में लड़कियों का एक ही हायर सेकन्डरी स्कूल है। स्कूल पूरे बून्दी जिले को कवर करता है। वहां पर दो शिफ्ट चलती हैं। वहां कमरों की कमी है। विषय भी केवल चार हैं। बून्दी में केवल एक हायर सैकन्डरी और केवल चार विषय। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि वहां पर विषय बढ़ाये जाएं। इसी प्रकार से वहां पर एक संस्कृत पाठशाला है। उसकी भी दो शिफ्ट चलती हैं। मेरा निवेदन करना है कि वहां पर विद्यार्थियों के बैठने के लिए जगह नहीं है। इस कारण से विद्यार्थियों की भीड़ लगी रहती है और पढ़ाई में परेशानी रहती है। अगर वहां पर कमरे बढ़ा दिए जाएं तो समस्या का समाधान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बून्दी जिला पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है। मेरा निवेदन करना है कि एक हायर सैकन्डरी स्कूल लड़के और लड़कियों के लिये खोल दिया जाए तो स्कूल के अन्दर जो भीड़ है, वह दूर होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बून्दी जिला एक कृषि प्रधान जिला है इसलिए वहां पर कृषि का विषय खोला जाए क्योंकि वहां के विद्यार्थियों को कृषि विषय पढ़ने के लिये उदयपुर व अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। यह विषय वहां पर खोल देने से उनको सुविधा होगी क्योंकि वहां के विद्यार्थी कृषि पढना चाहते हैं। विषय के अभाव में उनको बाहर जाना पड़ता है और गरीब विद्यार्थी तो अपनी गरीबी के कारण बाहर नहीं जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बून्दी जिले के हायर सैकन्डरी स्कूल में कृषि विषय खोला जाना चाहिये। और कालेज के अन्दर भी कृषि का विषय होना चाहिये।

प्राइवेट स्कूलों के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल अगर बन्द कर दिये जाएं तो अच्छी बात है। वरना वहां पर अध्यापकों को जिस प्रकार से वेतन दिया जाता है, तीन सौ रुपयों पर हस्ताक्षर करा कर सौ रुपया प्रतिमाह उनको दिया जाता है। ऐसे बून्दी में जो स्कूल हैं उनके नाम आपकी मार्फत मैं मन्त्री महोदय को देना चाहूंगा। एक तो बाल विद्या मन्दिर है और दूसरा बाल निकेतन है। ये ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि तीन सौ रुपये पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं और अध्यापकों को सौ रुपया प्रतिमाह दिया जाता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। जब विद्यार्थी हायर सैकन्डरी पास कर के कालेज में जाता है तो उसको कितनी परेशानी उठानी पडती है। जाति प्रमाण पत्र, मार्क शीट्स की ट्रू कापी पर हस्ताक्षर कराने के लिए विद्यार्थी गांव से आता और कलेक्टरी और गजेटेड आफिसर के कमरों के बाहर उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। विद्यार्थी को

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

कह दिया जाता है कि समय नहीं है। समय के अभाव के कारण वह शहर में चार, पांच दिन घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। मेरा सुझाव है कि यदि उस विद्यार्थी से मार्क शीट्स के पैसे ले लिये जाएं और विश्वविद्यालय से उसको तीन, चार कोपी दे दी जाएं तो विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जाति प्रमाण पत्र के बारे में मेरा सुझाव है कि जो मैट्रिक पास करता है, उसकी जाति चेन्ज नहीं होती है। फिर भी जाति प्रमाण पत्र हर साल मांगा जाता है। वह बन्द किया जाना चाहिए।

बून्दी कालेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने हमारे साथ धोखा किया है। हम से वायदा कर के हम को विश्वास देकर, यह कहा गया था कि तुम्हारे बून्दी कालेज में दो विषय खोल दिये जायेंगे। ये विषय आज तक वहां पर नहीं खुले हैं। क्या पता ये विषय मन्त्री महोदय के पास में हैं या अधिकारियों के पास में हैं। अखबारों में तो यह घोषणा कर दी गई कि हिन्दी और इतिहास के विषय वहां पर खोले जा रहे हैं। परन्तु ये विषय आज तक नहीं खुले हैं मेरा निवेदन करना यह है कि हिन्दी, इतिहास, चित्रकला और संस्कृत ये विषय एम. ए. क्लासेज के लिये और खोले जाने चाहिये। ये नये चार विषय वहां पर खोले जाने चाहिए। चित्रकला में बून्दी की एक विशेष शैली है। यह पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान से अधिक चित्रकला के वहां पर विद्यार्थी हैं। वे चित्रकला पढने में अधिक रुचि रखते हैं।

इसी प्रकार से लॉ कालेज के बारे में भी पिछले दस वर्षों से वहां पर संघर्ष चल रहा है। हमारे रेवन्यू मिनिस्टर, सिचाई मंत्री महोदय इन सब ने इस बारे में पहले संघर्ष किया था। ये आज मन्त्री होकर भी इस बारे में चुप होकर बैठे हैं। मैं राजस्थान सरकार और खास कर के इन मन्त्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी में लॉ कालेज खोला जाना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार से पुस्तकालय भवन दस साल से अधूरा पड़ा है। लाखों रुपया खर्च किया जा चुका है? अब इस पुस्तकालय भवन पर एक लाख या पचास हजार रुपया और खर्च करके इसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।

इसके अलावा एक और बहुत ही अहम् मसला है उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : एक मिनट।

राजस्थान विश्व विद्यालय में लगभग 150 कालेज हैं। जोधपुर विश्व विद्यालय के अन्तर्गत केवल 3 कालेज हैं और उदयपुर विश्व विद्यालय के अन्तर्गत 8 कालेजेज हैं। आज राजस्थान विश्व विद्यालय की हालत ऐसी चरमरा रही है, वहां पर कार्यभार इतना अधिक हो गया है कि वह सम्पूर्ण कालेज की देखरेख नहीं कर सकता है। हाड़ौती के विद्यार्थी, अजमेर के विद्यार्थी, बीकानेर के विद्यार्थी जो यहां पर अपनी समस्या को

(श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा)

लेकर ग्राते हैं उनको 8 दिन लग जाते हैं। इसलिए हाड़ौती में, ग्रजमेर में, बीकानेर में भी विश्व विद्यालय खोले जाएं जिस प्रकार जोधपुर ग्रौर उदयपुर में विश्व विद्यालय हैं तो विद्यार्थियों की समस्या का समाधान होगा। हमारे जो ग्राज मन्त्री हैं, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, वे सरकार में हैं ग्रौर चुप बैठे हैं। वे सरकार में हैं। वे सरकार में ग्राने के बाद चुप बैठ जाएं तो यह विद्यार्थियों के साथ ग्रत्याचार है। मेरा निवेदन करना यह है कि इन तीनों स्थानों पर विश्व विद्यालय खोला जाना ग्रति ग्रावश्यक है। हाड़ौती इतने वर्षों से पिछड़ा हुग्रा है इसलिए हाड़ौती में विश्व विद्यालय खोला जाना ग्रति ग्रावश्यक है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक ग्रोर शिक्षा में ग्रामूल-चूल परिवर्तन....

श्री उपाध्यक्ष : कृपाय विराजें।

श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा : एक मिनट।

हमारे वर्तमान जो मन्त्री हैं वे पिछले कई वर्षों से यह मांग करते ग्राये हैं कि शिक्षा में ग्रामूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जो वे इस सरकार में बैठे हैं, वे क्या कर रहे हैं? हमारे नौजवान पढ़ लिखकर सड़क पर घूमते हैं। बेरोजगार हैं। इसके लिए क्या उपाय है? क्या तरीका है? विद्यार्थियों को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा धन्धा नहीं होता है। ग्रतः मैं यह निवेदन करूंगा क इस शिक्षा में ग्रामूल-चूल परिवर्तन कर के लड़कों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें....

श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा : एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप एक-एक मिनट करके पांच मिनट ज्यादा बोल चुके हैं। कृपया विराजें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर।

श्री ईश्वरचन्द्र : शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उसके साथ संस्कृति ग्रौर कला जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा से पहले, एक लेखक की एक कविता है। मैंने उसका रूपान्तर करके बनाया है कि एक ग्रादमी के........

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राप तो सार्थक बात कहिये। कल्पना........

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : एक ग्रादमी वह है जो शिक्षा देता है ग्रौर एक ग्रादमी वह जो शिक्षा लेता है लेकिन एक तीसरा ग्रादमी ग्रौर है जो न शिक्षा देता है ग्रौर न लेता है। वह शिक्षा से खेलता है, यह तीसरा ग्रादमी कौन है, मेरे देश की संसद् मौन है। ये तीसरे ग्रादमी हैं मोहनसिंह मेहता जैसे शिक्षा सामन्त, जो शिक्षा को एक रोजगार, धन्धे का साधन बना कर शिक्षा से खेल रहे हैं ग्रौर हमारे शिक्षा मंत्री जी देख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे मजबूर हैं, लेकिन जिन्दा रहने के लिये पालतू होना जरूरी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप भी तो देख रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी इस पर जवाब दें। रूरल इंस्टीट्यूट के मामले पर कोई निर्णय करें। वहां 15 जनवरी से आज 67 दिन हो गये, दो हजार छात्र सड़कों पर हैं। हालांकि दूसरे अध्यापक जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं वे परेशान हैं लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी से सलटारा नहीं होता। इस इंस्टीट्यूट को अपने कब्जे में ले लें और एडमिनिस्ट्रेटर बना दें। मंत्री महोदय, जानते हैं कि अगर आज इसको सरकारी नियंत्रण में ले लेते हैं तो कल से ऐसी सभी दूसरी स्कूलें जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके दल का संबंध है, कल को वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर कायम करने पड़े तो इनकी दुकानदारी छूट जायेगी। इसी भय से आज सारे शिक्षा जगत से खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं ? इन्होंने निर्णय किया लेकिन सारे निर्णय पर जगत मेहता और मोहनसिंह जैसे सामन्तों ने शिक्षा को उलझा कर रख दिया। जब तक मेहता, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, शिक्षा की दूकानों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जब तक मोहनसिंह मेहता जैसे व्यवसायी लोगों को कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं लेंगे, पूरे देश में एक जैसी नीति लागू नहीं करेंगे तब तक शिक्षा कारगर ढंग से चल पाये, यह मेरे समझके बाहर है। आप कहते हैं, हम एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं न एग्रीकल्चर बढ़ी है न कल्चर। विष्णुदत्त शर्मा जैसे आई. ए. एस. अधिकारी बैठे हैं, हिन्दी साहित्य एकेडेमी के लिये कहता हूं, बड़े परेशान हैं, हिन्दी ग्रन्थ इन्होंने छापे हैं, कोई खरीदता नहीं, बड़ी भारी लाइब्रेरी बन गई, दीमक चाट रहे हैं, तो इसे बन्द ही क्यों न कर दिया जाय ताकि विभाग ही कम हो। उसमें न कोई साहित्यकार है, न कोई उदीयमान लेखक, न कोई प्रतिभाशाली लेखक है, लेकिन तिकड़म करने वाले लोग हैं। यह जो अकादमी इस तरह बनाई हुई है। तो मैं निवेदन कर रहा था यह जो अकादमी है, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें साहित्यकार कौन है इसकी कोई परिभाषा नहीं इसका आधार क्या है, बेसिस क्या है ? कौन मेम्बर हो सकता है, साहित्यकार कौन है, लेखक कौन है, उपन्यासकार की परिभाषा में कौन आता है, कोई चिन्तन नहीं ? लाखों रुपयों का लेन देन कर रहे हैं लेकिन कोई चिन्तन नहीं, क्या शिक्षा मंत्री जी ने कभी सोचने की कोशिश की है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, साहित्यकार की परिभाषा की नहीं जाती।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ये तो मानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी का कोई ताल्लुक नहीं है तो खुद का कहां तक ताल्लुक है वह भी बता दें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है साहित्य के बारे में, मैं तो सिर्फ पढ़ता हूं। मैं बता रहा था, ललित कला अकादमी में आई. ए. एस. लोगों को बिठाया हुआ है। इसी तरह रवीन्द्र मंच जिसे संस्कृति का केन्द्र बना रखा है उसका ठेका जी. ए. डी. से पता नहीं कौन देता है पी. ए. या डिप्टी सेक्रेटरी जिनको पता नहीं नाटक के कौन अमेच्योर आर्टिस्ट हैं, कोई

(श्री ईश्वरचन्द्र)

जानकारी सरकार के पास नहीं है, सरकार को पता नहीं है, कितने साहित्यकार हैं और 75) रुपये मासिक वृत्ति ये देते हैं बूढ़े साहित्यकारों को। लेकिन मैं निवेदन करता हूं बुढ़ापा और पीलिया हो गया है पूरे शिक्षा जगत को....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो साहब, प्रौढ़ शिक्षा पर बोला ही नहीं हूं। दो शब्दों में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। यह जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बनाया है पहली बात तो मैं इसके कंसेप्ट से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र जगह-जगह खोले जा रहे हैं। उनके खोलने में निश्चित रूप से भेदभाव हो रहा है और यह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा षड़यन्त्र है। इसको उजागर करना पड़ेगा। यह किसी संस्था विशेष को बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है। आप पूरे राजस्थान का सर्वे करा लीजिये। मेरे क्षेत्र में कहीं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं खुले हैं क्योंकि मेरे क्षेत्र के सभी लोग साक्षर हैं। झालावाड़ में, मनोहर थाने में नहीं खुले और झालरापाटन में खोल दिये। यह शिक्षा के साथ क्या मजाक है। उदयपुर में एक विद्यापीठ है, 1939 से प्रौढ़ शिक्षा के लिये मिशनरी रूप में काम कर रहा है आदिवासियों के बीच में। मंत्री महोदय, आज आप मंत्री बने हैं, मैं जो भी कहता हूं तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ बोलता हूं, मुझे समय दिलावें तो मैं 50 आंकड़े दे सकता हूं इस विद्यापीठ को हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि अब नये लोगों को काम करने दीजिये। उस विद्यापीठ के लिये जहां से प्रौढ़ शिक्षा पर साहित्य और प्रॉस्पेक्टस निकला है जिसे आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें खरीद रही हैं।

वहां से आ रहा हूं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को चिन्ता है उस विचारधारा को प्रसारित करने की। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि जहां पर विचारों और चिन्तन पर इस तरह की पाबन्दी होगी तो शिक्षा में सड़ान्ध आ जायेगी, वह सड़ जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मदनसिंह दांता : He does not belong to Janta Party. वह समाजवादी है।

श्री ईश्वरचन्द्र : I am a member of Janta Party. जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। उसके अन्दर यह बात साफ तौर से लिखी हुई है। इसमें लिखा है राजस्थान जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है—

"शिक्षा संहिता लागू करके शिक्षकों के चयन, पदोन्नति, स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति निर्धारित की जावेगी जिससे कि अनिश्चितता समाप्त हो तथा अनियमितता को समाप्त किया जा सके।

शासकीय एवं अशासकीय शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जावेंगे।

184

(श्री ईश्वरचन्द्र)

शिक्षा सर्वसुलभ हो साथ ही प्रतिभाशाली एवं गरीब विद्यार्थियों को विकास के लिए समुचित अवसर एवं सहायता राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। हरिजनों एवं आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति, आवास एवं अन्य आवश्यक सहायता राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। पार्टी की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप आगामी दस वर्षों में प्रदेश में कोई निरक्षर नहीं रहेगा। इसका प्रबन्ध किया जायेगा।"

यह हमारा चुनाव घोषणा पत्र है। इसके प्रकाश में यह जो बुनियादी सवाल मैंने उठाया है शिक्षा मंत्री जी अपने संकुचित चिन्तन के दायरे से ऊपर उठकर यह घोषणा करें कि राजस्थान में शिक्षाविदों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। राजस्थान के एक कलाकार हैं स्वरूप व्यास। वह उदयपुर के हैं। वह उदयपुर के एक होटल में पड़े हुए हैं। उन्होंने दो हजार डाकूमेन्ट्री फिल्म्स को अपनी वाणी दी है। वे वाइस कल्चर नाम की संस्था की स्थापना करना चाहती हैं जिसके समान हिन्दुस्तान में आज कोई संस्था नहीं है। वह उसमें विभिन्न पेशे के लोगों को कैसे प्रभावी होना चाहिए, एक मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव किस तरह से प्रभावशाली हो, यह सिखाने के लिए स्कूल खोलना चाहती हैं। उनको जर्मनी का वाइस स्पेशियेलिस्ट का डिप्लोमा प्राप्त है........

श्री मदनसिंह दांता : हमारी जन जागरण पार्टी के पास भेज दें तो हम ले लेंगे। We would like her. वकील लोग कितने हैं जो गरीबों की बिना पैसे वकालत करना चाहते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इन सब मैटर्स पर मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करें।

और, माननीय उपाध्यक्ष, यह कल्चर और संस्कृति के समन्वय वाली बात करते हैं यह बहस बड़ी लम्बी हो सकती है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब आप विराजिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समन्वय की बात करते हैं लेकिन सबसे अधिक हत्याएं समन्वयवादियों ने की....

श्री उपाध्यक्ष : अब समन्वय को समाप्त करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हिन्दू राष्ट्र का गान गायेंगे वहां समन्वय नहीं आयेगा और एक संकुचित दायरे से प्रभावित होंगे।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समन्वय में कौन सा गान होगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : वह मैं बता देता हूं। इकबाल एक कवि हुए हैं उनको पढ़ियेगा आप।

श्री मदनसिंह दांता : गांधीजी को पढ़िये। वह थे समन्वयवादी।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा चल रही है, उसके बारे में चार लाइनें हैं वह बोलता हूं बहुत अच्छी कविता में लिखी हुई हैं····प्रेम में असफल छात्राएं अध्यापिकाएं बन गई हैं।

और रिटायर्ड बूढ़े
सर्वोदयी
आदमी की सबसे अच्छी नस्ल
युद्धों में नष्ट हो गई
देश का सबसे अच्छा स्वास्थ्य
विद्यालयों में
संक्रामक रोगों से ग्रस्त है।

यह शिक्षा विभाग की स्थिति है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, कृपा करके देश को अगर बीमारी और सड़ने और बिगड़ने से बचाना है तो इस शिक्षा नीति को कम से कम ठीक करने के उपायों पर नवीन चिन्तन किया जाय और साहित्य एकेडेमीज को मजबूत करें और साहित्यकारों को सम्मान देंगे तब जाकर कहीं सही शिक्षा-नीति लागू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

आप माननीय सदस्य उठे नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हुए हैं, और उनके सिलसिले में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं और कुछ नीति के सम्बन्ध में बात आपके द्वारा सरकार को हम पहुंचाना चाहते हैं। मान्यवर, 30 साल के शासन के बाद देश में एक परिवर्तन आया, और जो परिवर्तन चाहते थे शिक्षा और शासन की पद्धति के बारे में उनके भाषण और उनके विचार मुझे इस सदन में व इस सदन के बाहर सुनने को मिले हैं। दो वर्ष के बजट हमने पारित कर दिये और तीसरी बार पारित करवाने हम जा रहे हैं। आज शिक्षा के सम्बन्ध की मांग को हम देखते हैं तो कहीं कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। नीति सम्बन्धी कहीं भी मौलिक परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से जो स्कूलें, जो शिक्षा पद्धति, जिस प्रकार की शिक्षा का कालेजों में यूनिवर्सिटी में संचालन कांग्रेस के राज्य में 30 साल से था उसमें एक इंच भी अगर कुछ परिवर्तन हुआ हो तो आप मुझे बता दें। जैसा कांग्रेस ने दिये थे वैसे के वैसे चले जा रहे हैं। तो यह कहा जाय तो सदन में इधर बैठने वाले माननीय सदस्य सत्ता का संचालन करें वह अपने आपको धोखा दे रहे थे, और सदन को धोखा दे रहे थे और जहां से चुनकर आये हैं उनको धोखा दे रहे थे। मैंने कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री का एक स्टेटमेंट पढ़ा था। उनका कहना था कि चार साल के अन्दर हम सारे देश के लोगों को साक्षर बना देंगे, और इसके अन्दर हमें दो अरब रुपया खर्च करने जा रहे हैं। मान्यवर, यह समझ में नहीं आता है कि किन को साक्षर बनाना चाहते हैं? प्रौढ़ शिक्षा, फार्मल एजूकेशन के द्वारा तीसरा साक्षरता अभियान चलायेंगे उसके द्वारा किन को यह साक्षर बनाना चाहते हैं? यह पढ़े लिखो को नहीं उनको साक्षर बनाना चाहते हैं जो हल चलाते हैं,

(186)

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो मजदूरी कर रहा है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। उसको उससे क्या लाभ मिलेगा? अगर आप रामनारायण को पढ़ाते हैं तो उससे समाज को क्या मिलेगा और क्या उसको मिलेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन बकवासों को बन्द करो, और अगर वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो मौलिक परिवर्तन आपके क्रियाकलापों में और आपकी नीतियों में लाओ। यदि उनमें मौलिक परिवर्तन नहीं आता और शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया तो आप समाज, देश और प्रदेश को कुछ नहीं दे सकेंगे। मैं मान लूंगा कि पिछले वर्ष आपने स्कूल खोले हैं। लेकिन स्कूल खोलने व नहीं खोलने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है नीतियों से, मौलिक चिन्तन से और दिशा से। क्या दिशा देना चाहते हैं? जितना आपका बजट है सारा उसको आप उठाकर देख लें कि उसका 70 प्रतिशत उन लोगों के लिए है जो 17 प्रतिशत लोग हैं और शहरों के अन्दर रहते हैं और बजट का 30 प्रतिशत उन लोगों के लिए है जो 83 प्रतिशत देहातों के अन्दर रहते हैं। 30 प्रतिशत भी साल के अन्त में लैप्स होगा और लैप्स होकर सारा उन लोगों पर खर्च होगा जो कि 17 प्रतिशत हैं। तो इस तरह से 99·9 प्रतिशत बजट आपका उन लोगों के लिए है जो गरीबी की रेखा के ऊपर हैं और गरीबी की रेखा के नीचे वाले 0·1 प्रतिशत भी नहीं है। गरीबी की रेखा के नीचे 60 प्रतिशत आज राजस्थान की जनता है। उसके अन्दर कोई मौलिक चिन्तन, दिशा या गाइडेन्स इस बजट में नहीं दी गई है। तो, मान्यवर, माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये, बड़े सुन्दर थे। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कुछ मौलिक चिन्तन देना चाहिए था। यदि आप किसानों के प्रति बहुत बड़े वफादार हैं और आप पर लोग बराबर आरोप लगाते हैं कि 30 साल के अन्दर हमारी उपेक्षा की जा रही है तो क्यों नहीं डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल आपका कान्स्टीट्यूशन का है जिसके अन्दर स्पष्ट लिखा है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था आप करेंगे। कोई चिन्तन नहीं करेंगे। चिन्तन क्या है? 300 की जनसंख्या वाले गांव में स्कूल खोलेंगे। यह साक्षरता का अभियान है। उस लड़के को शिक्षित बनाना चाहते हैं जो अपने हाथों से मेहनत करता है। गांवों की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। डा० लोहिया के अनुयायी पहले यहां बैठा करते थे। हमने उनके भाषण सुने हैं। एक लोकसभा में बैठे हैं। जिन नीतियों के बारे में कहा करते थे, क्या उन्होंने एक लाइन भी बजट में लिखी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनका विभाग नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : केबिनेट में तो हैं।

एक लाइन नहीं लिखी है। इस सरकार ने गान्धीजी की समाधि पर जाकर शपथ ली थी। क्या उन्होंने एक भी ऐसी लाइन लिखी है जो उनकी भावना की द्योतक हो? तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इस बजट से जो करोड़ों रुपये खर्च करने जा रहे हैं, इसमें आप

(श्री रामनारायण चौधरी)

लिट्रेसी की संख्या घटाने के अलावा और राजस्थान के युवकों के लिए कुछ नहीं वढ़ा रहे हैं। युवकों के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। जो कांग्रेस के शासन में होता आया था, उसके अलावा कोई नयी दिशा नहीं दी है। कोई चेंज नहीं दिया है। कोई चिन्तन नहीं है। यह जो कुछ बात कहते हैं तो यही कहते हैं कि तुमने 30 सालों में क्या किया। हमने कुछ नहीं किया तो क्या तुम भी कुछ करना चाहते हो ? तो मान्यवर, मेरा निवेदन करना यह है कि जब तक शिक्षा के अन्दर भेदभाव की नीति रहेगी, कोई नीति सम्बन्धी कदम नहीं उठाया जायेगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता है। गांवों में रहने वालों ग्रामीणों के लिए अनिवार्य योजना नहीं होगी तब तक राजस्थान को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। साढ़े 3 करोड़ जनता को मालिक बनाकर रखना चाहते हैं। मान्यवर, चेतना आ रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। आज छात्रों के अन्दर एम्प्लायमेंट वढ़ाने से कोई बदल नहीं हो रहा है। ईरान में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन छात्रों ने वहां सत्ता में परिवर्तन कर दिया है। वहां कोई एम्प्लायमेंट की समस्या नहीं थी। हिन्दुस्तान से जाकर वहां पर नौकरियां करते थे। आज गरीबों के अन्दर जिनका अन्त्योदय में आपने नाम लिया है, उनको ऊपर लाने की, उनको शिक्षित करने की क्या योजना है ? उन लोगों के लिए नहीं जिनके बच्चे सेण्ट-जेवियर में पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा नहीं होगी। तो मेरा यह निवेदन है कि यह डाकूमेंट आपका है। इससे न कोई दिशा मिलती है, न कोई प्रेरणा मिलती है। इसमें यह मिलता है कि इतने स्कूल खोल दिये हैं। कोई फायदा नहीं है। एक अध्यापक है, 100 लड़के बैठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, कितने शिक्षित बना रहे हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि इतने स्कूल खोलें। लेकिन जो हैं, उनकी व्यवस्था करनी आवश्यक है। मौलिक चिन्तन करना चाहिए। इस प्रकार हमारे प्रदेश की जो 82% जनता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे तो आपको यह कह सकता हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोलकर आप उन्हें सन्तोष नहीं दे सकेंगे। यह आग भड़केगी। अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री जी उत्तर दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझे बोलना है। उदयपुर जिला इतना बड़ा है। कोई भी नहीं बोला है।

(व्यवधान)

यह हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने जो

(श्री उपाध्यक्ष)

चर्चा हुई थी, उसमें यह विचार हुआ था कि बजट की मांगों की चर्चा उसी दिन समाप्त कर दें जिस दिन हाउस में रखी गई हों। उनका जवाब दिया जाता है।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कटमोशन रखे जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जिन्होंने यहां प्रश्न उठाये हैं, कोई भी सदन में नहीं हैं। सबके सब अपनी फायलें लेकर चल दिये हैं। जिन्होंने कस-कस कर भाषण दिये हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम बैठे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : एक आप बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुझे बोलने का मौका दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय यह अन्याय होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जो कल बोल चुके हैं। और सूची में ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं बोले हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नाम दे रखा है। मेरी 3 डिमांड हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी का मसला है। जब स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाते हैं तो आप कहते हैं कि कट मोशन के जरिये से बोल सकते हैं। जब कट मोशन रखें तो बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। यह नियम नहीं है। उदयपुर जिले से किसी का नाम नहीं आया है।

श्री रतनलाल वर्मा : विरोधी दल के सबसे अधिक बोले हैं। जनता पार्टी के....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कितने समय तक चलाई जायेगी ?

एक माननीय सदस्य : कम से कम 9 बजे तक और बढ़ा दें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिसका नाम नहीं आया है क्या वह वाक आउट कर जाये ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिसका नाम नहीं आया है, वह सभी वाक आउट कर जायें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी....

श्री मदनसिंह दांता : यह शिक्षा का विषय है, माननीय सदस्य की सही मांग है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, कोई जिले के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जिले से कोई एक व्यक्ति बोल सके।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जहां तक मेरा प्रश्न है मैं तो रात 12 बजे तक बैठ सकता हूं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही एक घन्टा और बढ़ा दी जाय।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक घन्टा बढ़ाने का क्या सवाल है, अगर आप बढ़ायेंगे तो सदस्य बोलेंगे, पचास लोगों के नाम थे आप किस किस का नाम काटेंगे। जब आपने तय कर लिया तीन-तीन एम. एल. ए. बोलेंगे, तो बाकी को हम सबको भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री कौशलकिशोर जैन : जिन्होंने कट मोशन दिये हैं वे सब बोलेंगे-

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अबकी बार बजट अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में किस प्रकार से विचार हो और माननीय सदस्य किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करें, इसके लिए पुरानी और नई परम्पराओं को देखते हुये कोई नया रास्ता निकाला जा सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सत्ता पक्ष के प्रस्ताव पर विरोधी पक्ष ने सहमति दी थी, वरना हम भी चाहते थे....

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय रामनारायणजी, सत्ता पक्ष के प्रस्ताव पर नहीं, चेयर की रूलिंग के आधार पर हमारी सबकी सहमति हुई।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं विरोधी पक्ष के केवल माननीय रामनारायणजी और अजीज साहब हैं और कोई नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री नूरा : हम नहीं आते हैं क्या, विरोधी पक्ष में ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : एक एक जिले से दो आदमी बोलें और····

(व्यवधान)

(190)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : भले ही कार्यवाही 12 बजे तक चले। कर्मचारीगण 8 बजे के बाद काम करने में असमर्थ हैं। आप चाहते हैं कि रिपोर्टिंग नहीं हो तो चाहे आप कार्यवाही अधिक समय तक चलाओ।

श्री रतनलाल वर्मा : आप क्यों बोले ? अपना समय दूसरों को देते हैं, आप 15 मिनट बोल गये।

(व्यवधान)

तीन बजे तक जीरो ग्रावर चलता है, जबकि डेढ बजे खतम होना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : कहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय हुआ है उसकी पालना करना सत्ता पक्ष का दायित्व है और हमारा दायित्व नम्बर दो पर है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उपस्थित थे, वहां जो निर्णय हुआ उसका मखौल करेंगे ? उसका निरादर करके संसदीय परम्परा और व्यवस्था को उलट देना चाहते हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ग्रावर एक बजे समाप्त हो जाना चाहिए जो 4 बजे तक चला है, उस समय माननीय सदस्य को संसदीय परम्परा याद नहीं आई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का यह भी निर्णय है कि जीरो ग्रावर एक बजे समाप्त हो जाना चाहिए।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जीरो ग्रावर आपका नहीं है, यहां मुद्दे उठाये जाते हैं, उस पर चर्चा होती है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जीरो ग्रावर एक बजे तक चलना चाहिए, क्यों तीन बजे तक चलाया।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री रघुनन्दन व्यास : विरोधी पक्ष के आधार पर सदन नहीं चलेगा, सबकी सहमति से चलेगा। सारे लोग गूंगे नहीं हैं, वे अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यदि आपकी अनुमति हो तो इस बहस का समय एक घण्टे तक लिए बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तीन डिमाण्ड पर अपने नाम दिए, उसके बावजूद भी नामों की कटौती की जाय, यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। 40 नम्बर पर हमारा नाम रखा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गया, उदयपुर जिले का एक भी आदमी नहीं बोल पाया, हम कैसे उदयपुर यूनिवर्सिटी की चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय मन्त्री महोदय ने एक घण्टे के लिए प्रस्ताव का दिया, लेकिन लिस्ट बहुत लम्बी है, इसमें दो चार आदमियों से अधिक नहीं बोल पायेंगे, या तो समय नहीं बढ़ाया जाय या फिर बढ़ाया जाता है तो सभी सदस्य बोलेंगे।

श्री नवनीत पालीवाल : मेरा प्रस्ताव है कि....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : हमारे कोटा जिले से एक भी विधायक को बोलने का मौका नहीं मिला है, हमको भी समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंहजी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर जब सवाल तय हुआ कि किस किस दल के कौन कौन सदस्य बोलेंगे और कितना समय दिया जायेगा, यह उस वक्त भी सोचा गया था कि क्या हमें 8 बजे से ज्यादा देर तक सदन की कार्यवाही चलानी चाहिए? उस समय यह सवाल आया कि यह माननीय सदस्यों का नहीं, दूसरे साथी जो लगे हुए हैं उनकी भी मजबूरियां हैं, दूसरे लोगों का भी प्रश्न है और यह कहा गया है कि सत्ता पक्ष का काम है कि अपने सदस्यों में से किन किन लोगों को बोलने का अवसर दिया जायगा और 8 बजे के बाद ज्यादा टाइम नहीं बढ़ाया जाय और फिर अब यह बात कहें कि समय बढ़ाया जाय और शिकायत भी रहे कि इनको नहीं बोलने दिया गया।

श्री रघुनन्दन व्यास : जीरो आवर तो चार बजे तक चलाया जाय और माननीय सदस्य अपनी बात कहने से रह जायं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये, मैंने सबके विचार सुन लिये।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : हमको कटौती प्रस्तावों की सूचना आपके सचिवालय द्वारा मिली और उसके अन्दर जवाब आते हैं, जब स्वीकृति ली जाती है, ये स्वीकृत कर लिये गये तो उनको क्रम संख्या के अनुसार बोलने का अवसर देना चाहिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : इस पर रूलिंग दी जा चुकी है अध्यक्ष महोदय की।

श्री गुल मोहम्मद : शनिवार को इसी बात पर मैंने वाकआउट किया था। यह गंभीर मसला है। अगर ध्यान नहीं दिया तो कई माननीय सदस्य वाक आउट कर जायेंगे। अगर ढंग से नहीं देखा गया....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए। माननीय सदस्यगण विराजिए।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जो सूची आपके सामने है, जो सचेतक महोदय ने दी है और जो सदस्य बाकी रह गए हैं, वही बोलें कोई नया सदस्य नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिए । कृपया मुझे भी कुछ कहने देंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय की सीमा के बारे में जो सभी दलों के नेताओं ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आम सहमति व्यक्त की थी और अगर आप पूछना चाहते हैं कि आज की सूची में कितने माननीय सदस्यों के नाम सचेतक महोदय ने दिए तो मैं बताना चाहूंगा कि 4 घन्टे और भी समय बढ़ाए जाए तो सूची खतम नहीं हो सकेगी और अगर इसी तरह से आप समय के बारे में बराबर बढ़ाते रहे तो आखिर हमें सहमति के आधार पर कुछ सीमा निश्चित करनी पड़ेगी । माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं लेकिन रिपोर्टर्स की कुछ कठिनाइयां हैं । और दूसरा स्टाफ जो कार्य करता है उनकी भी कठिनाइयां हैं । इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की आम सहमति व्यक्त की गई थी कि 8 बजे तक सदन की कार्यवाही चलायी जाएगी । माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, अध्यक्ष महोदय से कल मिलें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर इस पर चर्चा कर लें, लेकिन जैसी व्यवस्था अब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय की है, उसके आधार पर मैं उचित नहीं समझता कि इस चर्चा को और बढ़ाया जाए ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आप बजट पास करवा दें, बाकी 15 दिन और सैशन बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिए । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो बिजनेस ट्रांजेक्ट करने का प्रस्ताव दिया है उसका अनुमोदन सदन ने किया है । आप चाहते हैं कि बजट सैशन और लम्बा बढ़ाया जाए तो विधायकों की मीटिंग बुलाकर आप मुख्य मंत्री और मुख्य सचेतक को एग्री करवा लें, मुझे एतराज नहीं ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यदि वास्तव में हमारे सचेतक यह प्रयत्न करते हैं कि इस मांग पर कम से कम उस जिले का एक-एक व्यक्ति किसी तरह से एडजस्ट हो जाए तो शायद हम सब लोग इकट्ठे होकर उसको मसाला देते । हमारे जिले के 14 विधायक हैं राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा जिला है, वहां विश्वविद्यालय है, वहां अगर उसके लिए किसी भी व्यक्ति को बोलने का अवसर नहीं मिले तो गुस्सा नहीं आएगा ? यह कौन सा हमारे साथ न्याय है, क्या हम समझते नहीं हैं या हमें अक्ल नहीं है या बोल नहीं सकते, किस कारण से ? जब जब भी आसन ने व्यवस्था दी हमने पालन किया, हमने आज तक आसन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया लेकिन आज्ञा के पालन का मतलब यह तो नहीं है कि आप हमारे क्षेत्र के सदस्यों को बोलने नहीं दें । मुझे तो उदयपुर विश्वविद्यालय पर बोलना है । अवसर देंगे तो बोलूंगा....

श्री राम नारायण चौधरी : आसन की व्यवस्था के बाद बहस नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, समय बढ़ाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): मैं आज की कार्यवाही 9 बजे तक, जिसमें मंत्री का उत्तर भी हो सके, बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कटारियाजी ने जो बात कही है, दलील दी है. उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। मैं फिर भी चाहूंगा कि मुख्य सचेतक महोदय ऐसे क्षेत्र से जहां से कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सके हैं उनको अवसर दे दें।

(व्यवधान)

विराजिए।

क्या सदन की सहमति है कि आज की कार्यवाही का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के अनुसार आज की कार्यवाही का समय 9 बजे तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गुल मोहम्मद : सवाल भीलवाड़ा या जयपुर का नहीं है। सवाल यह है कि आपने सूची पेश की है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

श्री गुल मोहम्मद : हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : जिस समय माननीय श्री गुल मोहम्मद का नाम पुकारा गया, वह सदन में नहीं थे....

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : आपका नाम पुकारा गया था आप नहीं थे।

श्री माणक लाल ठाकोर : उपाध्यक्ष महोदय, जो नाराज होकर, गुस्से में आकर बात करें उसको आप भी इजाजत देते हैं, सचेतक महोदय भी इजाजत देते हैं, यह कौन सा न्याय है ?

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माणक लाल ठाकोर : नाराज होना हम भी जानते हैं, आप प्रोत्साहन देते हैं कि नाराज होने वालों को चान्स दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंग लाल।

श्री बजरंग लाल शर्मा : जब बिजनेस

(९६)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

एडवाइजरी कमेटी में एक बात तय हो जाए, दलों के नेता मिलकर तय करते हैं, उसके बाद दलों के नेता सूची देते हैं तो क्या ग्रासन के लिये उचित होगा कि वह दलीय व्यवस्था के भीतर इन्टरफियर करके यह कहे कि ग्रमुक को समय दिया जाए या नहीं। यह तो दलों का ग्रपना दृष्टिकोण है। जो बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाए उसके खिलाफ किसी को एजीटेट करना होता है तो दलीय मीटिंग में कर सकते हैं। ग्रापके सामने सवाल रखकर ग्रौर ग्रापके द्वारा व्यवस्था देना कहां तक उचित होगा, इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था नहीं दी है, केवल मुख्य सचेतक को सुझाव दिया है। जो माननीय सदस्य सोचते हैं कि उनके जिले या डिवीजन के बारे में उनको इजाजत नहीं दी है तो सहानुभूति से सोच सकते हैं। ग्रब इस पर कोई चर्चा नहीं की जाए।

श्री विजय सिंह नदेरा।

(ग्रनुपस्थित)

श्री ग्रजीत सिंह।

श्री ग्रजीत सिंह : क्योंकि कम समय है मैं नहीं बोलना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हर लाल सिंह।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : 1952 से जो परम्परा ग्राज तक चल रही है उसी के हिसाब से नाम पुकारने चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष : 1952 में न ग्राप थे न मैं था। ग्राप ग्रथॉरिटी बनकर न कहें।

श्री गुल मोहम्मद : सचिवालय से मालूम करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मालूम कर लिया है, मैं ग्रापकी बात को सही नहीं मानता।

श्री हर लाल सिंह।

श्री हर लाल सिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा के बारे में ग्रपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार ग्राने के बाद सरकार ने जो शिक्षा का प्रसार किया मैं हृदय से उसका स्वागत करता हूं ग्रौर सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन ग्रापने जो ग्राबादी का क्राइटेरिया फिक्स किया है उसका मैं स्वागत तो करता हूं लेकिन लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नही दी गई। ग्रापने 3 हजार की ग्राबादी के लिए हाई स्कूल ग्रौर नौ हजार की ग्राबादी के लिए मिडिल स्कूल व 400 की ग्राबादी पर प्राइमरी के स्कूल का क्राइटेरिया तय किया है जो सही है। लेकिन मैं क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पांच हजार से ऊपर की ग्राबादी के पांच छः गांव हैं जहां छात्राग्रों के प्राइमरी स्कूल चलते हैं। गांवों में ग्राज भी ऐसी प्रथा है कि वे को-एजुकेशन पसन्द नहीं करते ग्रौर बड़ी-बड़ी लड़कियों को लड़कों के स्कूल में भेजना पसन्द नहीं करते। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसको ग्राबादी के ग्राधार पर प्राथमिकत दें कि वहां पर

(श्री हरलाल सिंह)

लड़कियों के भी स्कूल खोले जायें। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में दो हायर सैकेन्डरी स्कूल श्री माधोपुर व रींगस हैं और उन दोनों स्कूलों में 9वीं, 11वीं कक्षा में करीब 3 हजार छात्रों की संख्या है। उसके बाद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के जयपुर या अन्य जगह जाते हैं और उस पर इतना खर्चा आता है कि गरीब लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस साल यदि सरकार कालेज खोलने का विचार रखे तो मेरे क्षेत्र में श्री माधोपुर (सीकर) का भी जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको 70 पर्सेंट या अधिक एड मिलती है और यह प्राइवेट स्कूल एक तरह से बिजनेस की संस्था बन गये हैं। मेरी मान्यता है कि इन स्कूलों को तुरन्त बन्द करके सरकार उनको अपने हाथ में ले ले और सरकार उन स्कूलों को चलाये। वहां जो अध्यापक काम करते हैं उनकी ग्रेड की तनख्वाह चार-चार सौ रुपया है लेकिन उनको सौ या डेढ़ सौ रुपये देकर ही हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं। फेसिलिटिज देने का तो सवाल ही नहीं है बल्कि पूरी तनख्वाह ही नहीं देते हैं।

इसके अलावा खास तौर से आज इस साल शिक्षा विभाग ने स्थानान्तरण की नीति तय की। मैं सीकर जिले के बारे में निवेदन करूंगा कि हमारे सीकर जिले के जो शिक्षा अधिकारी थे उसने स्थानान्तरण करने में इतनी भ्रष्ट नीति अपनाई और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और इसके बारे में मैंने शिकायत की, इसने एक साथ ही तीन सौ ट्रान्सफर किये। उसका शिक्षक संघ ने एतराज किया और हमने भी एतराज किया तो सारे के सारे ट्रान्सफर्स स्टे हुए। और फिर महीने, डेढ़ महीने बाद फिर 150, 200 ट्रान्सफर्स हुए वह फिर स्टे हुए। सीकर जिले के शिक्षा अधिकारी का सारा समय, सारा साल ट्रान्सफर में ही गया। किसी ने भी आदेश की पालना नहीं की, अभी तक कई अध्यापक ऐसे हैं कि जिन्होंने ड्यूटी ही जोइन नहीं की। वह अध्यापक जो कि दो साल में ही रिटायर होने वाले थे उनका ट्रान्सफर किया गया। सरप्लस करके ट्रान्सफर किये गये और मनमाने ढंग से पैसे वसूल किये गये। जो पैसे देकर एप्रोच कर सका वह तो अपनी इच्छानुसार ट्रान्सफर करा सका और जो पैसे देकर एप्रोच नहीं कर सका उसका ट्रान्सफर मर्जी की जगह नहीं हो सका। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रान्सफर नीति वह बनायें मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन उसके एग्जीक्यूशन का अधिकार आफिसर के ऊपर ही नहीं छोड़ें और यदि वह आफिसर के ऊपर छोड़ दिया तो वह पक्षपात करेंगे और भ्रष्ट तरीके अपनायेंगे। मैं कहता हूं कि आप इसकी जांच करायें और यदि वह दोषी पाया जाये तो उसके साथ सख्ती से निपटें। मेरा निवेदन है कि इस जिला शिक्षा अधिकारी ने बहुत स्थानान्तरण किये और उनमें भ्रष्टता की आप इसकी किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी से जांच करायें। जांच होकर यह अधिकारी दण्डित होंगे तो यह आपकी ट्रान्सफर नीति सफल होगी नहीं तो वह मनमानी करते रहेंगे।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्राथमिक स्कूल

(९)

(श्री हरलाल सिंह)

खोलने जा रहे हैं। मेरे जिले में आबादी के बड़े-बड़े गांव हैं जिनकी आबादी पाँच हजार की 1971 की जन गणना के आधार पर है, वहां प्राइमरी स्कूल भी हैं और हाई स्कूल भी हैं लेकिन उनमें ऐसे भी गांव हैं कि रेवेन्यू रिकार्ड में एक है व वहाँ आबाद तीन-तीन चार-चार गांव हैं और उसके अलावा ढाणियों और बसी हुई हैं। उन ग्रामों व ढाणियों की आबादी 1000 के करीब है व उनकी दूरी तीन-तीन मील की है अतः जो प्राथमिक शालायें खोलें तो आप इन ग्रामों व ढाणियों को भी प्राथमिकता दें।

मैं पुनः सीकर के जिला शिक्षा अधिकारी के बारे मे कहूंगा कि उसने इस साल ट्रान्सफर के मामले में काफी भ्रष्ट तरीके अपनाये व पैसे कमाए हैं, आप इसकी खुली और निष्पक्ष जांच करायें और वह दोषी है तो उसको सख्त दण्ड देने का कष्ट करें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा नाम बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं कि एक घंटे में ही सारी चर्चा पूरी हो जाये तो जो आपके मुख्य सचेतक महोदय हैं उनसे सम्पर्क कर लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल दो मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा क्योंकि मेरा नाम पहले बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप दो मिनट में ही जो कुछ बोलना है बोल लीजिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुख है कि शिक्षा जैसी डिमाण्ड के ऊपर समय नहीं मिला है। मैं केवल मेरे कटौती प्रस्तावों पर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाऊंगा। उनका लिखित से जवाब दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना एक कटौती प्रस्ताव पढ़ दें उसी में दो मिनट लग जायेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज हमारे देश का युवक दिशाहीन हो रहा है और आज विद्यार्थी को पता नहीं है कि उसे किस तरफ बढ़ना चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो भी शिक्षा दी जाये वह राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत होनी चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति समपर्ण की भावना होगी। राष्ट्रीय समपर्ण की भावना लेकर खड़े हो जायेंगे। और हम यह कर लेंगे तो फिर देश को बनाने के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि भारत एक खेती प्रधान देश है। श्रम का ही एक मात्र महत्व खेती में होता है पर हमारी शिक्षा के अन्दर श्रम का कोई महत्व नहीं रखा गया है। श्रम का समावेश जब तक हमारी शिक्षा में नहीं होगा तो पढ़े लिखे आदमी खेतों में जाकर काम नहीं कर सकेंगे। मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करूंगा कि हमारी शिक्षा राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हो और हमारी शिक्षा में श्रम को महत्व दिया जाये जिससे बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायेगी और जो अनुशासनहीनता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आ रही है वह भी न आयेगी। इस समस्या के लिए सुझाव है कि श्रमयुक्त शिक्षा हो और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हो।

श्री हरचन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो यहां माननीय सदस्य बोलेंगे उनके क्षेत्र में तो स्कूल नहीं खोलें और जो नहीं बोले हैं उनके यहां खोले जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री भंवरलाल गिरन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आपने बोलने की अनुमति नहीं दी। हमारे जो कटमोशन्स हैं उनके लिखित उत्तर तो मंत्री महोदय दें।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में परम्परा रही है, जितने कटौती प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किये जाते हैं उन सबके मंत्री महोदय लिखित उत्तर भिजवायेंगे। माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कटौती प्रस्ताव के लिखित उत्तर हर सदस्य के पास भिजवायेंगे।

श्री राम नारायण चौधरी : बजट पास होने के बाद, समय निर्धारित किया जाये, कितने समय में भिजवा देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय गरीब आदमी उदयपुर विश्वविद्यालय की चार दीवारी में मानो अपना दम घोट रहा है। इस कारण नहीं कि उसने कोई चोरी की है, वास्तविकता यह है कि उस गरीब आदमी ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को विश्वविद्यालय में इसलिये भेजा है, यह सोचकर भेजा है कि दो साल में मेरा बच्चा एम० ए० कर लेगा। लेकिन दो वर्षों में एक सेमेस्टर हुआ है। चार वर्ष में एम० ए० होगा। एक गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी? पिछली बार भी मैंने यह प्रश्न पूछा था कि समय पर सेमेस्टर क्यों नहीं होते, कोई हड़ताल नहीं हुई। एक गलती हुई वह भी वाइस चांसलर की गलती से हुई। श्रीमान्, आपने समय बहुत कम दिया है। यह सारा पुलिन्दा, मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है। जहां सारी यूनिवर्सिटी एडहाक हो, वाइस चांसलर का पैनल में नाम न हो। उस व्यक्ति को तुरन्त हटाया जाये। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को बन्द कर दो।

दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान्, वह यह है कि रूरल इन्स्टीट्यूट के बारे में बोलना तो बहुत चाहता हूं, समय की पाबन्दी है। कल उत्तर दिया है। 65 दिन से वहां हड़ताल चल रही है। मैं कोई भीख नहीं मांगता लेकिन आप कोई ऐसा रास्ता निकाले, वह संस्था खुले, उसमें बच्चे पढ़ें। कोई कमेटी बनाकर भेजना हो तो भेज दीजिये। उनकी सारी शिकायतों को पढ़ना नहीं चाहता। आप जांच करा लें लेकिन रूरल इन्स्टीट्यूट को खोलिये।

इसके साथ ही यह जो राजस्थान महिला परिषद् के मेम्बर के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी यह बात कहता हूं, शिक्षा मन्त्रीजी से हम मिले, 6,7 प्रश्न

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किये । सन् 71 में इसका ग्राडिट हुग्रा,ग्राडिट रिपोर्ट मेरे पास है । ग्रगर मंत्री महोदय को फुरसत हो, इसको देखें,26 हजार का घोटाला है । इस संस्था का ग्राप ग्राडिट करवाइये । ग्रगर कोई दोषी है तो सजा दीजिये, ग्रगर नहीं है तो हमको सजा दीजिए । किसी से नाराज होकर नहीं कह रहा हूं । ग्राज दिन तक हमारे जीवन में ऐसा व्यवहार नहीं रहा । इसमें हजारों रुपयों का घोटाला है । जो 500 रुपये का वजीफा कांग्रेस सरकार ने बन्द कर रखा था उसको ग्रापने वापिस चालू कर दिया । वजीफा क्यों दिया ? पहले तहकीकात करते ग्रगर ग्रापको विश्वास हो जाता सही है, ग्राप सौ बार देते, हमें क्या एतराज है । हमारे मन पर लगी है हमको विचार करना पड़ेगा, हमें यहां रहना है या यहां से निकलकर वापिस घर जाना पड़ेगा ।

यही नहीं, श्रीमान, पिछली बार मैंने स्कूल के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था । उदयपुर में सरकारी स्कूल की ग्राप दशा देखें ग्रापकी ग्रांखें ग्रांसुग्रों से भर ग्रायेंगी । एक कमरे में 200 बच्चों को ठूस रखा है । चार-चार ग्रध्यापक कुर्सी लगाकर एक साथ बैठते हैं । कलेक्टर का बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ेगा, बड़े-बड़े पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे । गरीब का बच्चा वहां पढ़ेगा । ग्राखिर यह क्यों ? क्या वास्तव में इसका कारण ग्रापको यह नहीं लगता है कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बनेगा, सिपाही का बच्चा सिपाही बनने के लिए है ? ग्राप क्यों नहीं कामन व्यवस्था बनाते ? ग्राप 120 पर्सेंट एड दो, हम को एतराज नहीं है किन्तु उस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़े । ग्रापके दिल में उस गरीब के लिए जगह होनी चाहिए । प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनका भारी शोषण होता है । ऐसी बात नहीं है ग्रापकी जानकारी में नहीं है । 100 रुपया पकड़ाये जाते हैं ग्रौर पूरी तनख्वाह पर दस्तखत कराये जाते हैं । उसको मजबूरन करना पड़ता है । ग्रगर ग्रापको लगता है प्राइवेट स्कूलों में ग्रनियमिततायें हैं, कहां-कहां हैं ग्राप देखें, ग्रगर ग्रच्छा काम करते हैं तो शत–प्रतिशत एड दें । ग्रापने ग्रभी तोहफा दिया है जिला केन्द्रों पर भत्ता । मैं ग्रापसे पूछना चाहता हूं क्या सोचकर कर दिया ? बड़े-बड़े ग्रधिकारियों की मन्शा थी इसलिए कर दिया ? बड़े-बड़े लोगों की पत्नियां सर्विस करती हैं इसलिए कर दिया ? ग्राराम से स्कूल ग्रौर कालेज मिल जाये, ग्रौषधालय की सुविधा मिल जाये । उनको तो ग्राप भत्ता देना चाहते हैं । जो लोग ग्रामों में पड़े हुए हैं उनको भत्ता इसलिए नहीं देना चाहते कि करोड़ों रुपया खर्च होगा । जिसको सारी सुविधायें हों, उसका बच्चा कालेज में पढ़ सकता है, उसको ग्राप भत्ता देना चाहते हैं । गांव में पड़े हुए लोगों को ग्राप भत्ता क्यों नहीं देना चाहते हैं । ग्राप पूरा नहीं देना चाहते, 10 रुपये दो, 15 रुपये दो तो उसके मन में यह होगा कि यह सरकार उस गरीब ग्रध्यापक के बारे में भी कुछ विचार रखती है । ग्रापके जो वरिष्ठ ग्रध्यापक के वेतन मान हैं, वे चिल्लाकर मर जायेंगे । उन्होंने कौन सा पाप किया है । वे भी फर्स्ट क्लास हैं । लेक्चरर बन सकता था । उनका दोष इतना है वे साधारण परिवार में पैदा हुए । एम० ए० किया । ग्रधिक क्वालिफिकेशन होने के बाद भी 225 रुपये देंगे । ग्राखिर ग्रापके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मन में क्या विचार है? आप एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं। आप क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटिटिव रखिये। थर्ड ग्रेड वालों को पदोन्नति के 11 प्रतिशत चांस हैं, सैकिण्ड ग्रेड वालों को केवल 6 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। चार-चार जोइंट डाइरेक्टर हैं जो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। फाइलों में निरीक्षण रिपोर्ट पड़ी हैं, किसने फाइल को देखा, किसने एक्शन लिया? केवल टी. ए., डी. ए कमाने के लिए करते रहते हैं। प्रधानाध्यापक के 26 प्रतिशत चांस हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के 42 प्रतिशत अवसर हैं, डिप्टी डाइरेक्टर को 75 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर हैं। बड़े-बड़े लोगों की फौज बढ़ाकर लाखों रुपयों का वेस्टेज करना चाहते हैं। लेकिन जो अध्यापक गांव में रहता है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उसके प्रति आपके मन में जरा रहम होगा? शिक्षा के प्रति दुख और दर्द होगा? एक सड़क कम बन जायेगी, विकास का काम कम होगा। देश का निर्माण शिक्षा के आधार पर होता है। गरीब अध्यापक का गला मत दबाइये और आप हम सब बैठकर इसके बारे में सोचें। आखिर हमारा देश कहां खड़ा होगा? अगर आप चाहते हैं शिक्षा के अन्दर अच्छे वैल क्वालिफाइड आदमी आयें तो आपको शिक्षा पद्धति बदलनी होगी। आपको उन लोगों को आई.ए.एस. आफिसरों का गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहिए। जो बच्चों को योग्य बनाते हैं वे जाकर उनको सुबह सलाम करें और छोटी छोटी बातों के लिए भीख मांगें। पंच और सरपंचों का हुक्म करते हैं जिसको आप कहते हैं भाग्य का निर्माण करता है। पंचायती राज ने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया, इससे तो अच्छा है आप उनसे वापिस ले लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, जो समय दिया है आज आपने मुझे बोलने का, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

केवल पांच मिनट में अपनी चर्चा समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो शिक्षा की बात की जा रही है उसमें मैं अर्ज करूंगा इस देश की कल्चर को अगर जिन्दा रखना है तो सबसे पहले हमें अच्छी तालीम की ओर ही जाना होगा। जिस माहौल की तरफ मैं पूरे सदन को ले जाना चाहता हूं क्या आज के दिन का इन्सान ज्यादा माडर्नाईज है या कल का वह बड़ के नीचे तालीम लेने वाला बच्चा? उपाध्यक्ष महोदय, उस बड़ के नीचे तालीम लेने वाले का करेक्टर ज्यादा अच्छा है, इस बात को मैं यहां रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, तालीम हमारे देश के लिए बहुत बड़ी तरक्की की जड़ है। अगर हमने तालीम को अपने आने वाले बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं दी तो मैं समझता हूं देश में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा। रुपया खर्च करने से, बहुत पाठशालायें खोलने से

(श्री अब्दुल अजीज)

इस देश का नैतिक निर्माण नहीं हो सकता है। एक कालेज अच्छा इन्जीनियर पैदा कर सकता है, एक कालेज अच्छा डाक्टर पैदा कर सकता है लेकिन वह देश भक्त हो या ईमानदार हो, या अपनी सरकारी ड्यूटी में कितना कर्त्तव्य पालन करने वाला हो ये तमाम बातें हमारी शिक्षा में गौण होती जा जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये तब पैदा हो सकती है जब हमारी तालीम का बेसिस बदले। मुझे इकबाल साहब का एक शेर याद आता है—

मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं, हम वतन हैं
हिन्दुस्तान हमारा।

इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय तालीम की जिस सतह पर हम रहते हैं, ऊंचे-ऊंचे जो मजहबी सन्त हैं उनकी किताबों को हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए देना चाहिए। आज हमारी यह भी एक स्थिति है कि पूरी की पूरी वेस्टर्नाइज तालीम को हम हिन्दुस्तान के बच्चे अडाप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो तालीम है हमारी बुजुर्गों की उसे ही बच्चों को देना चाहिए जिससे वे आसानी से उसे अडाप्ट कर सकें। किन्तु आज हमारे यहां जो तालीम दी जा रही है वह न तो पूरी वेस्टर्नाइज है और न हमारी हिन्दुस्तानी ही है। इसलिए जो तालीम चल रही है उसमें मुझे अफसोस है वह देश के निर्माण के लिए और खास तौर से हमारे राजस्थान के लिए जिसमें राजा लोग रहते थे, जिसमें भक्त मीरां रहती थी, जिसमें ख्वाजा मोईनुद्दीन हुए और भी कई बड़े बड़े संत महात्मा हुए उनकी जिन्दगी में क्या था जो इतने लोग उनके जीवन से आकर्षित होते थे, लेकिन आज के टीचर का क्या स्टेण्डर्ड है, उसके उठने और बैठने के तरीकों को देखिए, उसके चाल-चलन को देखिए क्या वह बच्चों को ईमानदारी सिखा सकता है? हरगिज नहीं। आज इस पूरे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए मेरा सुझाव है जो नीचे की तालीम हमारे मासूम बच्चों को दी जाती है, जिनका मिट्टी की तरह का जहन होता है, अगर बहुत ही तजुर्बेकार टीचर उनको नहीं पढ़ाये तो उन छोटे-छोटे मासूम बच्चों में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जिनका स्टेण्डर्ड क्या है प्राइमेरी लेबल के स्कूलों के लिए ग्यारहवीं पास टीचर को लगा देते हैं जिनको वास्तविक पढ़ाने का ज्ञान नहीं होता है। मैं कहता हूं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम ग्रेजूएट अध्यापकों को लगाना चाहिए। जब तक प्राइमेरी शिक्षा देने वाला इतना योग्य नहीं होगा तब तक वह बच्चों को कैसे ढाल सकेगा? उनके लिविंग स्टेण्डर्ड को कैसे रखे, इतना जब तक उसके दिल में जजबा नहीं होगा तब तक वह कोई अच्छी तालीम नहीं दे सकता है। एक करोड़ 20 लाख की शिक्षा की तालीम को आप चाहते हैं यों ही पास कर दें। हम जब तक अच्छी तरह से विचार नहीं करेंगे तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जब जनता सरकार आई तो मुझे कुछ यकीन हुआ कि 30 साल की चल रही शिक्षा में कुछ न कुछ परिवर्तन या कोई न कोई दूसरा सिस्टम अडाप्ट किया जायेगा लेकिन अफसोस है कोई परिवर्तन आप नहीं ला सके।

(श्री अब्दुल अजीज)

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं और इस सदन को बताऊं कि मुझे एजुकेशन सलाहकार समिति में एक सदस्य बनाया गया था लेकिन अफसोस है साल भर में उसकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। सदस्य बना लिए जाते हैं सलाहकार समितियों के और सरकार एक भी मीटिंग नहीं करे तो फिर सदस्य बनाने का क्या औचित्य है? अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती और माननीय सदस्य गण बैठते तो निश्चित रूप से विचार होता और कोई ठोस सुझाव सरकार के पास आते लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार का इस ओर कोई इरादा ही नहीं लगता है। राजस्थान के भविष्य के बारे में सोचा जा सकता था लेकिन यह सरकार चाहती ही नहीं है, इनका तो अधिकांश समय ट्रान्सफर और छोटे–मोटे उतार-चढ़ाव में निकल जाता है।

मैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी की इज्जत करता हूं, क्योंकि वे एक ईमानदार मंत्री हैं लेकिन उनके नीचे जो डिपार्टमेंट हैं, वे उनकी चलने नहीं देते हैं। मैंने उनसे कहा था सांगानेर में कोआपरेटिव सोसायटी है जो कागज का काम करती है और आप उस संस्था से अच्छे तादाद में कागज खरीद सकते हैं लेकिन आपके कागज खरीदने का जो तरीका है वह भी अमीर लोगों से है। जो हाथ से बनाने वाले हैं और अच्छा कागज बनाते हैं, उनके ओरिजिनल डाकूमेन्ट्स मैंने स्वयं ने देखे हैं और 200 साल से आज भी महफूज हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इस हिन्दुस्तान की कल्चर में जिसमें उर्दू की भी एक अहमियत है और आज कई पंजाबी, उर्दू, सिन्धी के भी ऐडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनको यदि आप फराख दिल से हमदर्दी देना चाहते हैं तो उनको दीजिए। आज माली हालत कमजोर होने से उन संस्थाओं की हालत बड़ी खस्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है ये ऐडेड इन्स्टीट्यूशन्स चलते रहने चाहियें। उनमें हड़तालें कम होती हैं, यूनियनें कम होती हैं और समाज के दुखी लोग और अनुभवी लोग उनका संचालन करते हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ऐडेड इन्स्टीट्यूशंस चलती रहनी चाहियें और सरकारी स्कूलों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि तमाम ऐडेड इन्स्टीट्यूशन्स चलती रहनी चाहियें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे मैं स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। मकराना में जिलाधीश महोदय ने सिफारिश की है फुटबाल का बड़ा अच्छा ग्राउन्ड है. मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कुछ न कुछ राशि फुटबाल ग्राउन्ड के लिए रखें और भी गांवों की जो डिमान्ड्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री जी कृपया उत्तर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं और जिन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भावनाओं से ये विचार व्यक्त किये गये हैं कुछ लोगों को छोड़कर, मैं समझता हूं....

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर आक्षेप नहीं है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय उपाध्यक्ष जी यहां पर जो कुछ भी कहा गया उसमें शालीनता नहीं थी तो क्या अन-पार्लियामेंटरी भाषा थी और यदि कोई अन-पार्लियामेंटरी भाषा होती है तो आप उसको एक्सपंज करवाते हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कुछ लोगों ने शालीनता से कहा, अपने आप में यह हमको प्रवोक कर रहे हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप भी बिराजें, आप पर भी लागू होती है यह बात।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री द्वारा यह कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा, यह 'कुछ लोगों' इटसैल्फ आपत्तिजनक है। यहां कोई लोग नहीं हैं, सभी माननीय सदस्य हैं। इनको यह कहना चाहिए था कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने शालीनता से, अशालीनता से बात कही। यहां पर न कोई लोग है न कोई लुगाई है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : यही आपकी शालीनता का प्रमाण है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा के सम्बन्ध में विचार सब लोगों ने दिए, जहां तक....

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : फिर लोग कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : बार-बार लोग-लोग क्यों कहा जा रहा है यहां पर सभी माननीय सदस्य हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर भूल से कहीं लोग निकल जाय तो उसको माननीय सदस्य ही समझें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : यह जयपुर की छोटी चौपड़ नहीं है कि यहां पर आप कुछ भी कह दें।

श्री भंवर लाल शर्मा : तो सभी माननीय सदस्यों ने, सम्माननीय सदस्यों ने, आदरणीय सदस्यों ने....

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मांगें तो मंजूर होनी हैं लेकिन इज्जत के साथ बोलें।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप पूर्वाग्रह निकाल दीजिए, फिर सुनिए। प्रिजुडिसेज निकाल कर फिर सुनिए।

(व्यवधान)

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी जिस गम्भीरता से सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि आप भी उतनी ही गम्भीरता से मेरी बात को सुनें। शिक्षा के इस विषय पर निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी और अनुकरणीय ऐसे सुझाव आए हैं। हमारे राज्य के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री या प्रारम्भिक शिक्षा मंत्री, आदि शिक्षा मंत्री श्री मथुरादासजी माथुर ने वास्तव में बड़ी गम्भीरता से, सहृदयता से ऐसे सुझाव दिए जो अनुकरणीय हैं और वे यहां पर इस समय उपस्थित नहीं हैं, मैं इनके लिए अपना धन्यवाद देता हूं। शिक्षा कई भागों में विभक्त है। शुरू की प्राथमिक शिक्षा फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक और फिर कालेज। सवाल यह है कि हम आखिर अपने देश को अपने प्रदेश को शिक्षित करना चाहते हैं और वह हम काम कर रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा यही बुनियादी शिक्षा है। यदि हमारी नींव ठीक है, यही हमारी राष्ट्रीय नींव है और यदि हमने प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने देश की प्रगति नहीं कर सकते और इसलिए जनता सरकार ने राज्य में अनेक बातों की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया है और सबसे अधिक अगर किसी की ओर ध्यान दिया है तो वह प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है और इसलिए राज्य में हमने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक शालाएं खोली और अगले बजट में इस ओर अधिक जोर दे रहे हैं। केवल स्कूल खोलने से काम नहीं चलता, यह बात सही है। उसमें अध्ययन करने के लिए छात्रों का आना भी आवश्यक है। उनकी समुचित व्यवस्था हो यह भी आवश्यक है। उनके बैठने के लिए भवन हों यह भी आवश्यक है। वहां उपकरण भी उपलब्ध हों यह भी आवश्यक है। हम जानते हैं कि हमारा देश गरीब देश है। और राजस्थान भी उससे मुक्त नहीं है और हर परिवार में एक बालक प्रायः एक आर्थिक इकाई है। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए चाहे वह उम्र उसकी छोटी हो अब भी कुछ न कुछ योगदान उसका रहता है। ऐसी स्थिति में हम उसको स्कूल में लायें वह विद्यार्थी शालाओं में आवे इसके लिए कुछ प्रेरणादायक काम करने होंगे और उसके साथ साथ जो समय उसके पास उपलब्ध है, स्कूल के समय के अनुसार नहीं, खुद के अनुसार समय उपलब्ध है, उस समय में उसके अध्ययन की व्यवस्था करनी होगी, यह जब हम करेंगे तभी हम अपने बालक-बालिकाओं को पाठशालाओं में ला सकते हैं। आज हमारे प्रदेश में 6 से 14 वर्ष की आयु के करीब 34 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको हमें स्कूल में लाना है जिनमें स्कूल में आने वाली बच्चियों का प्रतिशत केवल 25 प्रतिशत ही है। हम स्कूल में भी ले आते हैं तो उसके बाद सौ विद्यार्थियों में से पांचवीं कक्षा तक जाते जाते साठ प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्राप आउट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको अपने प्रदेश की शिक्षा को क्षेत्र में आगे ले जाना होगा ....

श्री खंगार सिंह : मंत्री महोदय यह

(श्री खंगारसिंह)

बतायें कि 60 पर्सेन्ट लड़के स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, कारण क्या है इसका ?

श्री भंवर लाल शर्मा : अगर आप इसी प्रकार से व्यवधान करते जायेंगे तो कैसे चलेगा । आप सुन लीजिए मेरी बात को । यह बात सही है, इसको आप दूसरी तरह से मत लें । आपने बेशकीमती सुझाव दिये हैं, मैं भी राज्य सरकार की तरफ से सरकार की स्थिति सामने रख रहा हूं And I am open to correction । आपकी कोई बात सुझाव के रूप में आयेगी तो इसमें न कोई राज-नीति है, न भेद भाव है, यह तो हमारे प्रदेश के विकास की योजना है उसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए । राज्य सरकार ने कुछ व्यवस्थायें की हैं, अभी आपने पिछले दिनों में पत्रों में पढ़ा होगा कि चौथी कक्षा तक बालक को फेल नहीं किया जायेगा उसका कारण यही है कि गांवों में पहले तो बच्चे कक्षा में आते ही नहीं और यदि आते हैं तो उनके माता पिता की रुचि नहीं होती । और इस स्थिति में दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में वह बच्चा यदि फेल होता है तो एक उनके मन में कुण्ठा पैदा होती है । माता-पिता यह कहते हैं कि तू तो दूसरी क्लास में ही फेल हो गया तो आगे क्या करेगा पढ़ कर । इसलिए वह कक्षा छोड़ देता है । इसलिए राज्य सरकार ने यह विचार किया है कि चौथी कक्षा तक बच्चे की परीक्षा तो हो, और परीक्षा में जो भी उसकी स्थिति हो, यदि वह कमजोर है तो यह अध्यापक का कर्तव्य है कि अगले साल या अगले दिनों में उस कमी को पूरा करे और उसकी ओर ध्यान दे ।

श्री भंवर लाल ऐरन : अध्यापक पढ़ाना छोड़ देंगे ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अरे बोलने तो दो ।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : अगर चौथी कक्षा के बाद वह पांचवीं कक्षा में आता है, फर्ज कीजिए कि उसको चौथी क्लास का प्रमाण पत्र मिल गया तो आज की स्थिति में उसका कोई उपयोग हो सकता है क्या ? न उससे कोई नौकरी मिल सकती है, न उसको कोई आर्थिक लाभ ही हो सकता है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : He can be Sarpanch ।

श्री हरसन्तसिंह : He can be M L.A. ।

श्री भंवर लाल शर्मा : सरपंच होने के लिए तो उसका चुनाव होगा । वह पांचवीं कक्षा में आने से सरपंच नहीं हो जाएगा । पंच सरपंच तो लोगों के मतदान से होगा । वह अलग से व्यवस्था है । इसलिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ड्राप आउट नहीं होंगे और फिर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी पड़े । इसी स्तर पर वह अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें । यह एक प्रयास सरकार का है । इसके साथ दूसरा यह है, जैसा मैंने निवेदन किया, यह जरूरी नहीं है कि दस से पांच बजे तक ही स्कूल चलेगा । यह आवश्यक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं है। यह समय उस छात्र की, उस गांव की इकाई के हिसाब से उनकी सुविधानुसार होगा। इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा ताकि बच्चे परिवार के काम से मुक्त होकर स्कूल में जाकर बैठ सकें। इस प्रकार हमने समय की पाबन्दी की छूट दी है। इसके साथ साथ कई बार घरों में बच्चों को अपने छोटे भाई बहिनों की देख-रेख करनी पड़ती है और इस कारण से वे स्कूल में नहीं आ पाते हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है, हम यह पहला प्रारम्भिक एक्सपेरिमेन्ट करेंगे। इसके लिए हमने यह व्यवस्था की है कि 500 शिशु क्रीडा केन्द्रों की स्थापना की जाए। यह शिशु क्रीड़ा केन्द्र वह होगा जिस किसी बच्चे या बच्चों को उसके छोटे भाई, बहिन संभालने के कारण पढ़ने में, स्कूल में जाने में कठिनाई होती है तो वह साथ में वह अपने छोटे भाई बहिन को ले आयेगा और उन्हें ऐसे केन्द्र में रखने की व्यवस्था होगी ताकि बच्चे पढ़ाई में लगे रहें और उन्हें कोई कठिनाई न हो।

(व्यवधान)

यह मैंने निवेदन किया। यह हमारा पहला प्रयास है। यह हम कर रहे हैं। यदि इसमें सफलता मिलती है तो इन्हीं इकाइयों पर हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारा पहला प्रयास है। इसके अलावा जो ऐसे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बनाये जाएंगे, वे छात्र, छात्राओं की सुविधा के अनुसार चलाये जाएंगे तथा ऐसे केन्द्र राजस्थान में एक हजार खोले जाएंगे। ये वे बातें हैं, ये वे प्रयास हैं, जिनके द्वारा हम हमारे ग्रामीण बच्चों को जिनके सामने पढ़ने की कल्पना नहीं है, पढ़ने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है, असुविधाएं हैं, इन असुविधाओं से मुक्ति पाकर अपनी शिक्षा ले सकेंगे।

माननीय सदस्यों ने यहां पर भी चिन्ता व्यक्त की है कि बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन गरीब होते हैं, कुछ अन्त्योदय परिवार के लोग हैं जो कुछ भी खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने तय किया है हम ऐसे दो लाख बच्चों को मुफ्त में किताबें देंगे और केवल इतना ही नहीं इतनी ही बड़ी संख्या में पोशाकें देंगे ताकि....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Half pants ? And of khaki colour ?

श्री भंवर लाल शर्मा : Yes.

श्री माननीय सदस्य : इसमें भी माननीय सदस्य को आर० एस० एस० दिखाई दे रहा है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री महोदय हां कर रहे हैं। खाकी हाफ पेन्ट देंगे। यह आर. एस. एस. का प्रचार करने की तरकीब है।

श्री गुरु शरण छाबड़ा : समाजवादी नेता को इस बात की दिक्कत हो रही है कि दो लाख बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उनके बाप को यह कहा जायेगा कि पहले बच्चों को

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

आर. एस. एस. की शाखा में भेजो तब यह ठूंस दी जाएगी ।

(व्यवधान)

हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ही श्रूढ हैं किन्तु पहली बार उन्होंने हां कहा है । इस प्रकार यह जहर वे गांव गांव में ले जा रहे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्ताजी पहले संतान की व्यवस्था करें ।

श्री कौशल किशोर जैन : तभी इनको नपुंसक कहा गया....

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि छात्राएं अधिक संख्या में शाला में आवें और लगातार आवें इसके लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है । पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो छात्राएं होंगी उनमें जिसकी सर्वाधिक उपस्थिति होगी उनको हम छात्रवृत्ति देंगे ।

अभी यह चिन्ता व्यक्त की गई, सुझाव भी दिया गया कि स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है खास कर के छोटे स्कूल में में कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि हमने स्कूलों में पुस्तकालय के लिए इस बार प्रोविजन किया है । करीब 76–77 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं थी, आने वाले वर्षों के लिए सरकार करीब 15 लाख रुपया व्यय करेगी ।

स्कूलों में कई बार वातावरण ठीक नहीं होता है । छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होती है । उपकरण नहीं होते हैं । यह स्थिति आज स्कूलों की है । इन समस्याओं से जूझने के लिए, इनके समाधान के लिए राज्य सरकार ने इस बार 48 लाख रुपयों की व्यवस्था की है जिससे इन स्कूलों की चाक, टाट पट्टी आदि की आवश्यकता को पूरा किया जावेगा ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रयास है हमारा ....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ऊंट के मुंह में जीरे का सवाल है इसके लिए निवेदन करूंगा 76–77 में यह धनराशि केवल 9 लाख थी । अब 48 लाख कर रहे हैं ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : शेम शेम ।

श्री भंवर लाल शर्मा : उधर मुंह करके कहिये । अब 48 लाख कर रहे हैं ।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि जब तक मांग पारित नहीं हो जाती तब तक सदन का कार्य समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के अनुसार सदन का समय तब तक बढ़ाया गया जब तक मांग पारित नहीं हो जाती है।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिन से माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता बहस के दौरान प्रकट की उनको यह सुन कर बहुत संतुष्टि मिलेगी। मेरा यह निवेदन है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा के बारे में सरकार की जो नीति है, वही रखी है। अब मेरा निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए भी....

श्री रतन लाल वर्मा : माध्यमिक शिक्षा पढ़ाने वाले अध्यापकों की रहने की व्यवस्था करें। आप श्रीमान् गांवों में रहते नहीं, हम रहते हैं, गांवों में, हमें मालूम है अध्यापकों के रहने के लिए क्या समस्या है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : यह जनता पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : ग्रामीण अध्यापकों के लिए यह सवाल वर्षों से चला आ रहा है। मकान किराया दीजिये, चाहे रहने के लिये भत्ता दीजिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी चर्चा के दौरान यह कहा गया....

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर यह विचार करें तो दोपहर का भोजन, ड्रेस की बनिस्पत, क्योंकि भूखे भजन न होत गोपाला।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि भोजन दिया जाता है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : शिक्षा मंत्री जी ने जब शिक्षा राज्य मंत्री जी को भी अधिकार नहीं दिये तो आप कैसे बोल रहे हैं?

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा यह बात उठाई गई और यह भी कहा गया कि हम स्कूलें अधिकाधिक खोलें, कालेज खोलें, गांव-गांव में स्कूलें हों, भवन बना दें, इतना बड़ा खर्चा करें कि राज्य सरकार का बहुत सारा बजट है वह इसमें लगे, यह एक शुभलक्षण है लेकिन राज्य कोष की भी सीमा होती है, टैक्स लगा नहीं सकते, टैक्स लगाते हैं तो विरोध....

श्री रतनलाल वर्मा : आप बड़े लोगों पर लगाइये।

208

श्री श्योपतसिंह मकासर : महल खाली पड़े हैं, किले पड़े हैं, आप में हिम्मत होनी चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : राज्य सरकार ने विचार किया है कि अपने कर्मचारियों को जितनी इसकी क्षमता है उसके अनुसार सुविधाएं दें, पिछले दिनों में मांग उठी थी वेतन आयोग बिठाया जाय इन सब पर विचार करने के लिये, आपको ज्ञात होगा दो दिन पूर्व ही माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है कि हम वेतन आयोग गठित कर रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मन्त्री जी घोषणा करते हैं, आप करिये घोषणा, आप किस मर्ज की दवा हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोई कहने का लाभ नहीं लगता लेकिन फिर भी....

श्री मदनसिंह दांता : यूनिवर्सिटीज में व्यवस्था के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मैं इस विषय पर विचार रखूंगा। माननीय सदस्यों ने बड़ी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है छात्र असन्तोष के बारे में विश्वविद्यालयों में। वास्तव में छात्रों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी है। उनके क्रियाकलापों से हमारा सम्पूर्ण देश विचलित है, चिन्तित है। मेरा यह मानना है कि शिक्षा केवल सरकार का विषय नहीं है, सरकार और समाज का विषय है जो जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार निभायेगी लेकिन समाज यह नहीं कह सकता, हमारे माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि जो कुछ शिक्षा है उसका दायित्व अकेले सरकार पर है, समाज पर नहीं है। मेरी मान्यता है कि सरकार और समाज के समन्वित प्रयास के बिना शिक्षा में सुधार नहीं होगा। इसलिए छात्र असन्तोष के समाधान के बारे में सरकार ने विचार किया है....

श्री मदनसिंह दांता : होस्टल एक हो जाने चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर एक कमेटी बना दी जावेगी जो छात्रों से बातचीत करे, अभिभावकों से बात करे और जो भी समस्यायें होंगी उनका समाधान करे। अभी एक सुझाव आया था कि विश्वविद्यालयों में सुधार के लिये कमेटी बननी चाहिये, माथुर साहब ने भी कहा था, मैं भी सहमत हूं। ऐसे विद्वानों की निश्चित रूप से कमेटी बनाई जावेगी जो यह भी राय दें कि और क्या–क्या सुधार लाये जा सकते हैं जिससे हम छात्र समस्याओं का समाधान कर सकें। ऐसी कमेटी का हम गठन करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह दूसरा सिंडीकेट और होगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में जो भी राय इस सरकार को देंगे, वह कमेटी क्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन है, कई सुझाव आये हैं आज।

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा, वह कमेटी पोलिटिशियन्स की होगी या एजूकेशनिस्ट्स की ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उन समस्याओं के समाधान के लिये जो सक्षम होंगे, उपयोगी होंगे, उन्हीं की कमेटी होगी। उसमें न कोई राजनीति का सवाल होगा और न किसी और का सवाल है। जो इन समस्याओं के समाधान में सक्षम होंगे उन्हीं लोगों की वह होगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सवाल यह है कि....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय भाटी साहब का क्वेश्चन बहुत वेलिड है।

श्री किशनसिंह भाटी : शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए आपने सलाह देने के लिए एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार मंडल जो शिक्षा मंत्रालय में बन गया वही होगा या उसमें शिक्षा शास्त्री होंगे ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह फुल पेंट वालों का होगा या हाफ पेंट वालों का।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो समस्याएं सामने हैं उनके समाधान के लिए जो भी व्यक्ति उपयोगी हैं उनकी समिति बनाई जायेगी, और माननीय माथुर साहब....

श्री किशनसिंह भाटी : He is not एजूकेशनिस्ट। माथुर साहब ने ओवर पावर कर रखा है सारी केबिनेट को। This is wrong. वह एजूकेशनिस्ट की होगी या पोलिटिशियन्स की ?

श्री रघुनन्दन व्यास : माथुर साहब क्या केबिनेट के धर्मगुरू हैं ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि 15 दिन पहले जो विश्वविद्यालय पुनर्गठन आयोग बनाया गया है, वह अलग होगा और यह कमेटी अलग ?

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने साइकोलाजिकल एजूकेशन के बारे में पूछा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, मन्त्री महोदय विचार कर रहे हैं। फाइनल नहीं हुआ है। सब अण्डर कन्सीडरेशन है।

श्री किशनसिंह भाटी : 80 में सुझाव देगी और नेक्स्ट चुनाव के पहले फाइनल होगा।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उसके बारे में विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मन्त्री महोदय का एक एक शब्द सदन में जो कहा जाता है वह मान्य होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसके गठन के बारे में, उसके कान्स्टीट्यूशन के बारे में, उसके कम्पोजिशन के बारे में पूरा विचार करेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : इस सारे सदन में से केवल मात्र माथुर साहब ही माने गये हैं केबिनेट को सलाह देने के लिए उपयुक्त।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व विद्यालय पुनर्गठन आयोग जो बनाया जायेगा ...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अगर माथुर साहब ही सलाह देंगे तो आपकी रीति-नीति पर विश्वास नहीं है। 30 साल तक कांग्रेस में जिस व्यक्ति ने शासन चलाया आप आज उन्हीं की सलाह ले रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आपको विश्वास नहीं है गुप्ताजी और तसल्ली नहीं है इसीलिए कुआरें रह गये।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल उठाया है कि आप हाउस की कमेटी नहीं बना सकते हैं और बोर्ड के सदस्यों की राय लेकर उनके सारे सुझाव लेकर हाउस को आउट करें तो इन 181 सदस्यों में से वही विद्वान हैं और बाकी कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मन्त्री महोदय को पूरा उत्तर देने दें।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा यह निवेदन है कि मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले विश्वविद्यालय पुनर्गठन आयोग के लिए समिति बनाई गई है वह श्रीमान् माथुर साहब की अध्यक्षता में बनाई गई है। उस समिति का और इस समिति का क्या सम्बन्ध रहेगा ? क्या दोनों ही समितियां विचार करेंगी कालेज शिक्षा के बारे में, विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में ? यदि दोनों ही समितियां विचार करेंगी तो क्या दोनों में संघर्ष नहीं होगा ?

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो साइकोलोजिकल एजूकेशन के बारे में, एक गांवों में फेडरेशन बनाकर एजूकेशन देने के बारे में और राजस्थानी भाषा और राजस्थान में रूरल ओरियेन्टेड एजूकेशन देने के बारे में जवाब आ जाता तो अच्छा रहता।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोलने दें तो।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं सुनना चाहता हूं और आपकी हैल्प कर रहा हूं। यह चेपाचेपी की वकीलों वाली बात मैं इसके ऊपर नहीं कहता हूं। मैंने जो कुछ कहा है सिन्सियेरिटी से कहा है। I want replies of my questions, if you want to reply, otherwise I don't want to press.

श्री जगदीशसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो प्रश्न उठाया था कि छोटे अध्यापकों का जो सरकार ने आश्वासन दिया था वह वह पूरा होगा क्या ? उसका स्पष्टीकरण करें।

श्री भंवरलाल ऐरन : यह जो समिति बनाई जा रही है उस समिति का भी वही हश्र होगा जो कि पिछले साल सलाहकार समिति बनाई गई थी और उसकी आज तक मीटिंग नहीं हुई।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, जिला पुस्तकालयों के बारे में और राजस्थानी के बारे में क्या नीति है ?

श्री किशन सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष, इम्पार्टेन्ट सवाल किये जाते हैं उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है और केवल माथुर साहब की ही बात कर रहे हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे माथुर साहब का लोहा सरकार मान चुकी है तो मेरी यह मांग है कि क्या सरकार उनको वाइस चान्सलर और डाइरेक्टर साफ एजूकेशन आई० एस० एस० लोगों को बैठाकर यूनिवर्सिटीज का पुनर्गठन कर दें।

एक माननीय सदस्य : उत्तर आने दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके प्रति आदर रखते हुए यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य हाउस से उपस्थित हैं उनकी ही बातों का यह उत्तर देंगे और जो हाउस में माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उनका उत्तर नहीं देंगे ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मथुरादासजी के भरोसे ही यह गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है। केवल मथुरादासजी ही विद्वान हैं और जनता पार्टी के और उधर के अन्य बाकी के माननीय सदस्यों के विचारों की अवहेलना कर रहे हैं। हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो कुछ उन्होंने सुझाव दिये हैं उनको लेकर वह उनका उत्तर दे रहे हैं। क्या यह उनका अधिकार नहीं है ? जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हो उनके प्रश्नों के बारे में किसी प्रकार का उत्तर न देना और जो सदन में है उनका उत्तर देना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय टाइम बहुत जा रहा है जल्दी उत्तर दें।

श्री रतनलाल वर्मा : आप मांग प्रस्तुत कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी आप विराज जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने केवल यह कहा है कि माननीय माथुर साहब ने जो सुझाव दिये हैं वे ठीक हैं। इससे अधिक नहीं कहा है।

श्री किशनसिंह भाटी : We agree.

श्री श्योपतसिंह मकासर : माथुर साहब की ही अक्ल लेकर कहीं कुछ करके दिखा दें।

श्री किशनसिंह भाटी : We dont take otherwise. जो अच्छे सुझाव हैं उनको लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बाकी सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनका कोई महत्व नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है। पूरी बात कहने दें।

श्री किशनसिंह भाटी : We should be open minded. What is the harm in it ?

(व्यवधान)

(2/12)

(श्री किशनसिंह भाटी)

मैं एक एक्स्प्लेनेशन दे रहा हूं। हम नहीं बोलते हाउस में लेकिन 19 महीनों में ही आप बेंक में क्यों चले गये इसका जवाब दें। शिक्षा मंत्रीजी का मैं स्वागत करता हूं कि ओपन माइन्डेड होकर जो अच्छे सुझाव आये हैं उनको स्वीकार किया है, और ओपन वे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनको लाइटली लिया जाय इससे असन्तोष होता है इसलिए हमारी श्योपत सिंह जी बनने की बारी आगई। इसलिए यह कहना चाहता हूं।

श्री बालकृष्ण थानवी : फलौदी में इस साल भी डिग्री कालेज खोला जायगा या नहीं ? यह स्पष्ट बताया जाय। कारण कि हमें पिछले साल कहा गया था कि चालू साल में शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले-पहले निश्चित तौर से फलौदी में डिग्री कॉलेज खोल दिया जायगा पर बाद में नहीं खोलकर धोखा किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो बीच-बीच में इन्ट्रप्शन न करें। बाद में प्रश्न पूछ लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष खेल परिषद द्वारा, जयपुर, अजमेर, कोटा, गंगानगर, बीकानेर, और उदयपुर में 6 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : और जिलों ने क्या बुरा किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का विकास करने के हेतु केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिससे छात्रों को सहूलियत हो। इसलिए यह किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के बारे में क्या है ?

श्री किशन सिंह भाटी : I have put a question.

श्री रतनलाल वर्मा : रात के 12 बजेंगे तो भी हम सुनेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : He should say 'Yes' or 'No.'

इतना आसान सवाल नहीं है। इतना मामूली सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सैनिक स्कूल चित्तौड़ में इस समय 67 नए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। जो मैरिट में आते हैं। उन 67 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसलिए कि हम इतने ही विद्यार्थियों की व्यवस्था करते थे।

(व्यवधान)

राज्य सरकार ने अब इस पाबन्दी को हटा दिया है। जितने भी विद्यार्थी मैरिट में आयेंगे, सभी को आय के अनुसार छात्र वृति देंगे।

(व्यवधान)

हर एक विद्यार्थी जो मैरिट में आयेगा उसको छात्रवृत्ति मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : छात्रों की चुनाव पद्धति में कोई परिवर्तन करेंगे या नहीं ? क्या करें ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सम्बन्ध में कि विश्वविद्यालयों में छात्रों के चुनाव हों या नहीं हों। हों तो किस पद्धति से हों ? इस बारे में विचार करना है। मेरा विश्वास है कि आने वाले सत्र से पूर्व ही निर्णय ले लिया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वरिष्ठ अध्यापकों के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह स्वाभाविक है। कई वर्षों से आर्थिक दृष्टि से इनके वेतन में असगति थी। आज उनकी वेतन श्रृंखला 550/– रु० है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे 550 से बढ़ाकर 620 कर दी जाये।

एक माननीय सदस्य : कब से ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अप्रेल से दे रहे हैं।

साथ ही शिक्षा विभाग में जो तृतीय श्रेणी के एस. टी. सी. पास अध्यापक हैं और जिन्होंने बी० एड० किया है, उनको सन् 68 से पहले एडवांस इन्क्रीमेन्ट दिया जा रहा था। उसके बाद फिर जिनको मिला, वह राज्य सरकार के आदेश से यह कहा गया कि यह पेमेन्ट गलत हुआ है, उनको देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब जिन लोगों ने बी० एड० किया है और जिनको वेतन वृद्धि मिल चुकी है और अब आगे जो बी० एड० करेगा सर्विस में रहते हुए, उसको दो इन्क्रीमेन्ट दिये जायेंगे। इस प्रकार से यह व्यवस्था होगी। जो है आपके सामने रखी है। अब एक बड़ा अहम प्रश्न रखा गया है, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का। यह बात सही है कि आज जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, एक तो वह हैं, जिनके बारे में वास्तव में जैसा कहा गया है कि उन्होंने व्यापार बना लिया है। कुछ ऐसी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जहां की व्यवस्था अच्छी है। ऐसे जो स्कूल चलते हैं, उनमें अनुशासन भी अधिक है। पढ़ाई भी अधिक होती है। हड़तालें नहीं होती हैं। जैसा कि मैं ने कहा है, मेरी मान्यता है कि यह शिक्षा केवल सरकार का ही विषय नहीं है। यह समाज और सरकार दोनों का है। यदि कोई समाज सेवा की भावना से चलाना चाहता है............

श्री श्योपतसिंह मकासर : गरीब और अमीर बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवी लोग भी सेवा कर सकें। जो केवल रोजगार करने के लिए स्कूल चलाते हैं, उनको रोका जाना चाहिए या नहीं। इसके लिए माननीय सदस्यों को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि शिक्षा विधेयक, एजूकेशन बिल, मन्त्रिमंडल के विचाराधीन है। वहां से स्वीकृति मिलते ही विधान सभा में लाने का प्रयत्न किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहां पर आम लोगों के बच्चे

(214)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

नहीं पढ़ सकते हैं। उन स्कूलों के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री किशनसिंह भाटी : My question has not been replied.

श्री भंवरलाल शर्मा : वह विचार के लिए सदन के सामने आयेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मन्त्री जी........

श्री भंवरलाल एरन : यह आसन की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपके नजरिया से स्कूलों का क्राइटेरिया क्या है?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बिल सदन के सामने आयेगा। तो मैं समझता हूं कि, और मेरा विश्वास है कि आपके जो सुझाव हैं, उन पर एक लम्बा डिस्कशन होगा।

एक माननीय सदस्य : कितने दिन में आयेगा?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए उस समय इस बात पर विचार करना उपयुक्त होगा। हम राजस्थान में किस प्रकार की शिक्षा संस्थाएं चलने दें। किस प्रकार की नहीं चलने दें। उस पर विचार और संशोधन भी होगा।

अभी माननीय रामनारायण जी ने कहा है, गांव के लिए बजट बहुत कम दिया है। शहरों में ज्यादा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सरकार ने 78–79 में 13 लाख, 13.34 लाख........

एक माननीय सदस्य : करोड़ कहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : 16.34 लाख खर्चा शहरों में और 185.77 लाख ग्रामीण है।

कई माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, ये फिगर्स आप बोल रहे हैं।

श्री एक माननीय सदस्य : ये गलत हो सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हो सकता है, गलत हो सकते हैं। जो फिगर्स मेरे पास उपलब्ध हैं।

श्री गुलमोहम्मद : आपके पास आंकड़े गलत आ गये तो मेरा क्या होगा?

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर भी आप चैलेंज करते हैं तो........

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : यह तो मन्त्री जी ही बता सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बजट का अधिकांश भाग गांवों के लिए है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार विचार विमर्श सदन में हुआ और राज्य सरकार की जो योजना है अगले वर्ष की, वह मैंने माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए रखी है। मैं विश्वास करता हूं कि इन सब बातों पर गौर किया जायगा और मांगें स्वीकार की जावेंगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हरिजन छात्रों और आदिवासी छात्रों के लिए आपने 40/-- रखे हैं, जो कॉलिज में पढ़ते हैं. स्कूल वालों को तो आप देते ही नहीं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय कटारियाजी ने जो मुद्दे उठाये उनका जवाब दीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : साहित्य अकादमी की योजना और भारतीय अकादमी ने जिन लेखकों को पुरस्कार दिये हैं उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, बीकानेर में जो डूंगर कॉलेज है उसके प्लेग्राउंड का क्या हो रहा है? राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय हैं, इसके अलावा अन्य विद्यालय खोलने की आपकी क्या योजना है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आर. एस. एस. के शिक्षकों को अपने अच्छे स्थानों पर लगाया है. इसका स्पष्टीकरण दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रूरल इन्स्टीट्यूट विद्याभवन की हड़ताल के बारे में आपका क्या स्पष्ट मत है? उसके बारे में फैसला दें कि क्या हड़ताल चलती रहेगी? यदि चलती रहेगी तो कितने अर्से तक? दो साल, तीन साल तक? नम्बर दो–उदयपुर विश्वविद्यालय में दो साल में दो सेमेस्टर भी पूरे नहीं हुए, वे कब तक पूरे करायेंगे, चार साल में या 6 साल में? आपकी क्या योजना है?

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, गेम्स मिनिस्ट्री के बारे में........

श्री उपाध्यक्ष : जो भी प्रश्न किए हैं माननीय सदस्यों ने........

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

क्या आन्दोलन करना पड़ेगा?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से प्रश्न माननीय सदस्य पूछ चुके हैं और सुझाव भी दिए गए हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने जिनका उत्तर देना उचित समझा है उनके उत्तर भी दे दिये गये हैं और जिनके नहीं दिये गये हैं उनके लिए....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब क्या मैं यह समझूं कि

(श्री किशनसिंह भाटी)

गेम्स मिनिस्ट्री के क्वेश्चन को एजूकेशन मिनिस्टर रेलेवेन्ट नहीं समझते और इम्पार्टेन्स नहीं देते, क्या मैं यही इन्फरेन्स ड्रा करूं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान की साहित्य अकादमी के बारे में.......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है, विचाराधीन भी रख सकते हैं, कृपया विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : What the Minister feels ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, भाटीजी आप पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : क्या मैं यह इन्फरेन्स ड्रा करूं........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कैसा भी इन्फरेन्स ड्रा करें आपको लिबर्टी है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इन्होंने सदन की परम्परा को तोड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, कृपया विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । लेकिन पिछले बीस वर्षों में और आने वाले वर्षों में, कई वर्षों में पूरे इण्डिया में यह क्वेश्चन चल रहा है इसको यह इस प्रकार से लेते हैं । देश के कई विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भी तथा राजनेताओं द्वारा भी खेल मन्त्रालय स्थापित करने की मांग की गई है ।

(व्यवधान)

फालतू की बातें मत कीजिये........

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री पदमसिंह राठौड़ : जिज्ञासाओं का अन्त नहीं होने वाला है उपाध्यक्ष महोदय, सुनने वालों की भी धैर्य की सीमा है, बाहर सुरक्षा कर्मचारी, और यहां पर रिपोर्टर वगैरह सब बैठे हुए हैं, जिज्ञासाओं का तो कोई अन्त नहीं होगा, किसी चीज की सीमा तो होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपकी बात से सन्तुष्ट हूं ।

श्री गुल मोहम्मद : मैं एक बात मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जैसा आपने

(श्री गुलमोहम्मद)

अभी बताया, चौथी कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जायेगा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब किसी मकान की नींव बनाते है, अगर वह कमजोर होगी तो उस पर महल किस प्रकार से खड़ा कर पायेंगे ? यह मेरी समझ में नहीं आता, आगे क्या होगा उसका ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं, मन्त्री महोदय यह साबित करने की कृपा करें कि महिला शिक्षा के बारे में उनकी क्या चिन्ता है.........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री गुलमोहम्मद : क्या जयपुर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यहां गर्ल्स कालेज खोला जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये, अब कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : छात्राओं के लिये यहां एक भी कालेज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये, इस प्रकार की चर्चा आप कब तक करते रहेंगे ?

श्री गुलमोहम्मद : जयपुर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए गर्ल्स कालेज की स्थापना होगी या नहीं.........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलमोहम्मद जी, आप इस तरह से चर्चा करके अखबारों में नाम छपा लेंगे इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा।

श्री गुलमोहम्मद : मुझे आवश्यकता नहीं है अखबारों में नाम छपाने की, शनिवार को वाकआउट कर दिया तो अखबारों में नाम नहीं आया.........

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : अगर राम नारायणजी बार-बार इनट्रप्ट करेंगे तो हम तो भूखे मर रहे हैं, हम धरना देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है।

व्यवस्था का प्रश्न कटौती प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति तथा शेष कटौती प्रस्तावों पर मतदान

श्री राम नारायण चौधरी : अनुदान की मांगों को पास किया जा रहा है, उससे पहले मैं आपका ध्यान संकलन के पृष्ठ 123 की ओर दिलाता हूं। 24-3-70 को माननीय भैरोंसिहजी ने एक व्यवस्था का प्रश्न पेश किया था कि पहले जिन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनमें से जो वापस लेना चाहें उन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाये और शेष कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत लिया जाएगा। तो मान्यवर....

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने क्या व्यवस्था दी ? क्या उन्होंने आपत्ति स्वीकार की थी ?

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : कर ली थी। माननीय सदस्य ने कहा था कि जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहें उन्हें वापस लेने की अनुमति दें और जो वापस नहीं लेना चाहें उन पर सदन का मत लिया जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : कोई जरूरत नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : पूर्व में भी इस सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई गई और अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है मैंने वह स्वयं देखी है और उस व्यवस्था के अनुसार आवश्यक नहीं है कि कटौती प्रस्तावों पर मतदान कराया जाए।

श्री राम नारायण चौधरी : जो कहें कि हम वापस लेना चाहते हैं तो उनको ऐसा करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहें तो भले ही करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने एक सवाल हरिजनों, विद्यार्थियों और जनजाति के विद्यार्थियों के बारे में पूछा था कि 40) रु०....

श्री उपाध्यक्ष : अपनी चर्चा में मन्त्री महोदय उत्तर नही देना चाहते हैं, आप उनकी भावना हमसे भी ज्यादा समझना चाहते हैं क्या ? कृपया विराजिए। मैंने उनको नहीं रोका है। प्रश्न यह है कि....

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मन्त्री महोदय ने गलत आंकड़े दिए हैं सदन को।

श्री राम नारायण चौधरी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

(1) गांवों में शिक्षा पर उचित धन-राशि खर्च नहीं कर शहरों में अधिक धन खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

(2) शिक्षा विभाग में आर. एस. एस. के लोगों द्वारा सीधा हस्तक्षेप कर गैर आर. एस. एस. लोगों पर को जाने वाली कार्यवाही के बारे में।

(3) प्रदेश में दोहरी प्रकार की शिक्षा बन्द कर एक प्रकार की ही शिक्षा की आवश्यकता।

(4) पब्लिक स्कूलों को राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने पर चर्चा।

(5) अराजकीय स्कूलों को नीति के बतौर सरकारी अधिकार में देकर एक शिक्षा नीति निर्धारण करना। मैं इन कटौती प्रस्तावों पर मतदान कराना चाहता हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : एक एक करके पेश करते हुए मूव करते। पांचों इकट्ठे नहीं कर सकते।

श्री हरचन्दसिंह : इनको तो व्यवधान पैदा करना है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि मेरे कटौती प्रस्तावों को जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, सदन के सामने मतदान के लिये रखे जायं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : गांवों में शिक्षा पर उचित धनराशि खर्च नहीं कर शहरों में अधिक धन खर्च किया गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न था। हड़ताल को तुड़वाने की मन्शा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं, समस्यायें बताई हैं. दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बताई हैं। मन्त्री महोदय उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप अनुमान लगा सकते है कि उनकी क्या राय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि कटौती प्रस्तावों पर आप मतदान करवाना चाहते हैं। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सदन में कोई मतदान करवाया जाता है और मांग पूरी की पूरी अगर सदन सर्वसम्मति से या बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसका मतलब यह है कि आपके कटौती प्रस्ताव सदन में मतदान द्वारा नामंजूर किए गए।

श्री रामनारायण चौधरी : No Sir. मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय भैरोंसिंह द्वारा पाइन्ट आफ आर्डर रखे जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि जो माननीय सदस्य प्रेस करना चाहते हैं उन पर मतदान कराया जा सकता है और सबके लिए वह विथड्रान समझे जायेंगे। माननीय सदस्य जो यह चाहें कि उनके कटौती प्रस्ताव पर मतदान होना चाहिए, उस पर मत लेंगे शेष वापस लिए हुए समझे जायेंगे। यह पृष्ठ 123 पर है। यह संकलन मई 1967 से अगस्त 1975 तक का है। जिन कटौती प्रस्तावों पर मतदान की मांग न की जाए उन्हें वापस लिया हुआ समझा जाए। मैंने एक मांग रखी है, 4 मांगें बाद में रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जिस व्यवस्था को पढ़ा है उसमें अध्यक्ष महोदय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि मतदान कराया जा सकता है। उसमें आवश्यक नहीं रखा है कि मतदान कराया जाएगा। मैंने पढ़ लिया है कि मतदान कराया जा सकता है, ओबलीगेटरी नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था देना चाहूंगा, जो पेज 114 पर है, उसमें दिया हुआ है कि कटौती प्रस्तावों पर मतदान के बिना ही मांग सदन द्वारा स्वीकार कर ली गई तो श्री मुरलीधर व्यास ने आपत्ति प्रस्तुत की कि कटौती प्रस्तावों को वापस लिए बिना मांग पास नहीं की जानी चाहिए थी। उस पर श्री सभापति ने कहा कि "जब डिमाण्ड स्वीकार कर ली जाती है तो कट-मोशन्स निगेटिव हो जाते हैं।"

श्री रामनारायण चौधरी : I differ here. श्री मुरलीधर व्यास ने मांगें पास होने के बाद आपत्ति उठाई थी। मैंने पहले ही उठाई है। माननीय भैरोंसिह ने भी जब

(श्री रामनारायण चौधरी)

उपाध्यक्ष सदन का मत प्राप्त करने जा रहे थे तब प्रश्न उठाया था। जब आप प्रश्न रखने जा रहे थे तभी मैंने आपत्ति उठाई है। जब तक मेरी कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत नहीं जान लें तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। श्री मुरलीधर व्यास ने जब मांगें पास कर दी गई थी, सदन का मत आ गया था उसके बाद अपनी आपत्ति रखी थी।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में संवैधानिक रूप से व्यवस्था दें, जो कुछ आप करें लीगली करें।

(व्यवधान)

कटौती प्रस्तावों के उत्तर

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पार्टी के डिसिप्लिन में बंधा हूं और मैं कोई भी बात बेवकूफी की नहीं कहूंगा लेकिन सदन में कोई बात होती है तो कोई भी क्वेश्चन को लीगल मेरिट पर तय कीजिए। इसलिए श्री रामनारायणजी के पाइन्ट को सैट असाइड कीजिए लेकिन लीगल तरीके से। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। If there is hooligagism in the House, I am the last man to support it. I don't appreciate this type of debate from our side also. This is august house & supreme legislative body of our state. यह कोई स्कूल की डिबेट नही है। जहां तू बैठ जा वह बैठ जायें आदि छिछली फबतियां कसी जावें।

श्री मदनसिंह दांता : प्रिन्सिपली ठीक कह रहे हैं। कायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रस्ताव कटौती के वापस नहीं लेना चाहता है तो मतदान होता है। वह कब था जब इधर 150 नहीं थे और दो दो का डिफरेन्स था।

श्री किशनसिंह भाटी : हाउस में अगर कोई इम्पार्टेन्ट सवाल है तो 6 नहीं 4 भी बज सकते हैं और अगर बिजनेस ठीक है तो एक मिनट में भी पास कर दीजिए। कोई जल्दी भागने की बात नहीं हो रही है।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस रूलिंग के बारे में यहां चर्चा की है उसके बाद इसी हाउस में यह परम्परा थी कि जितने कट मोशन पेश किये जायें चाहे उन पर बोलें या नहीं बोलें उस दिन वह सारे मूव्ड समझे जायेंगे और सारी डिबेट का रिप्लाई कन्सर्न्ड मन्त्री देंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : हमारे कट मोशन का फिर जवाब आ जाये। ट्रेजरी बेन्चेज से जवाब आ जाये और सारे कट मोशन का जवाब आ जाये। I will concede.

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मन्त्री महोदय को हर कट मोशन का जवाब देना चाहिए और जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में श्री रामनारायणजी ने........

श्री किशनसिंह भाटी : हाउस में अपोजीशन और रूलिंग पार्टी के कुछ लोग मिल-

(श्री किशनसिंह भाटी)

कर हाउस को दूसरी तरह का फोरम बनाना चाहते है.......

श्री केदारनाथ : मैं एक शब्द और कहना भूल गया। जितने कट मोशन हैं वे मूव्ड समझे जायेंगे और जो माननीय सदस्य अपने कट मोशन पर बोले वह तो बोले और जो नहीं बोले उनको भी रिप्लाई राइटिंग में दिया जायेगा। इसलिए आप के कट मोशन के बारे में जवाब दिया जायेगा यहां हाउस में या फिर राइटिंग में दिया जायेगा।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था से हमें कनविन्स कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : शान्ति से सुनिये मेरी व्यवस्था को।

माननीय......

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंहजी के पाइन्ट आफ आर्डर पर......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, आपने कई बार चर्चा की और आपने उसके बारे में कह दिया। उसके बाद आप बैठ गये और फिर दुवारा चर्चा करना चाहते हैं। व्यवस्था का प्रश्न एक बार उठा दिया और आपने जब विचार प्रकट कर दिये तो कृपया शान्त रहिये और मुझे व्यवस्था के बारे में उत्तर देने दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय की आपने दूसरी व्यवस्था साइट की और आपने कहा कि उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन के विवेक से रूलिंग दी थी। माननीय सदस्य ने उपाध्यक्ष महोदय उस समय कहा कि मतदान होगा ही। माननीय सदस्य जो यह चाहें कि उनके कटौती प्रस्ताव पर मतदान होना चाहिए तो उन पर मतदान लेंगे। शेष कटौती प्रस्ताव वापस लिए हुए समझे जायेंगे। उनके ऊपर तो मतदान और शेष के ऊपर व्यवस्था दे दी। जो पेश नहीं किये उनके ऊपर भी व्यवस्था देनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : दो व्यवस्थाओं के प्रश्न यहां उठाये गये हैं। एक तो माननीय राम नारायणजी ने उठाया कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन मूव कर दिये थे और उनको विथड्रा नहीं करना चाहते और रेसिस्ट करना चाहते हैं तो मतदान करा लिया जाये। उनके बारे में क्या व्यवस्था की जाये।

दूसरा व्यवस्था का प्रश्न श्री किशनसिंह भाटी ने उठाया। जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं उनका मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है उसके बारे में दो दृष्टिकोण सुझाये हैं। एक तो मन्त्री महोदय के लिए आवश्यक है कि उत्तर दें और दूसरे केदारजी ने उत्तर दिया है कि उनका उत्तर लिखित दिया जा सकता है। मैंने दोनों व्यवस्थाओं के प्रश्न पर विचार किया है। हर माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि बजट के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव दिये जायें उस पर वह हाउस की राय क्या है, क्या प्रक्रिया है हाउस की उसके बारे में अधिकार लेकिन कुछ बातें कन्वेन्शन के रूप में हैं और प्रेक्टिकेबिलिटी के रूप में है

(श्री उपाध्यक्ष)

जिसके लिए अगर वह इनसिस्ट करता है तो व्यवस्था की जा सकती है। मैं यह नहीं मानता कि इस स्थिति में कट मोशन पर मतदान कराया जाये लेकिन कोई माननीय सदस्य बिलकुल निश्चित है कि वह मांग पर प्रस्तुत कट मोशन पर वोट कराना चाहता है तो जब तक अन्य आपत्ति नहीं हो आसन की ओर से मतदान करवाने पर तो सदन की राय जानने की व्यवस्था की जा सकती है। अगर विशेष परिस्थिति ऐसी है कि जिसके ऊपर सदन का मतदान कराया जाना सम्भव नहीं है तो शायद यह आसन और अध्यक्ष के विवेक पर है कि वह स्वीकृति दे सकते हैं। प्रस्तुत मामले में माननीय रामनारायणजी कट मोशन पर मतदान कराना चाहते हैं, ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं है कि मैं उसको अस्वीकार करूं। अगर सदन में कट मोशन वोट के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कर दें।

दूसरा व्यवस्था का प्रश्न माननीय श्री किशनसिंहजी भाटी ने उठाया। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी भी डिबेट पर कोई चर्चा माननीय सदस्य आरंभ करते हैं और जब उसका उत्तर मन्त्री महोदय दे देते हैं तो एक तरह से डिबेट का क्लोज-अप होता है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहें तो इजाजद दे दी जाती है लेकिन रिप्लाइ का मतलब यही होता है कि डिबेट का क्लोजर है और ऐसा नियमों में प्रावधान भी है। कोई महत्वपूर्ण समस्या है, जो कि माननीय सदस्य ने कही है तो उस पर तो उत्तर दे सकते हैं लेकिन उत्तर नहीं देना चाहें और मौन रहना चाहते हैं तो आसन की ओर से मजबूर नहीं किया जा सकता लेकिन जो कटौती प्रस्ताव लिखित में दिये हैं उनका उत्तर भी लिखित में माननीय सदस्यों को शीघ्रातिशीघ्र पहुंचा दिया जाना चाहिए। इस तरह की पहले भी व्यवस्था रही है और यह व्यवस्था इन प्रस्तावों पर भी रहेगी।

श्री किशनसिंह भाटी : May I ask ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी प्रश्न पूछ लिए है।

श्री किशनसिंह भाटी : एक अनुकूल सवाल और पूछना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अनुकूल उत्तर नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने समुचित उत्तर नहीं दिया तो सदन अपने विवेक के आधार पर उनकी मांग अस्वीकार कर सकता है। बाकी कम्पलसरी नहीं है।

क्या माननीय रामनारायणजी अपने कटमोशन को मतदान के लिए प्रेस करते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे प्रेस करने की इजाजत दी जाये।

मांग संख्या 24 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामनारायणजी ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24–

(श्री उपाध्यक्ष)

शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,21,22,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.50 बजे बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

२२५

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 389 की सूची)

बाल विकास योजना गढ़ी द्वारा वर्ष 77–78 में क्रय किये गये सामान की सूची

क्र. सं.	नाम सामग्री	दर	वजन	मूल्य
1	2	3	4	5
1.	चना	210 रु० प्रति क्विन्टल	75 क्विन्टल	15,750 रु०
2.	मूंग	300 ,,	30 ,,	9,000 ,,
3.	मूंग की दाल	325 ,,	25 ,,	8,125 ,,
4.	बेसन	275 ,,	50 ,,	13,750 ,,
5.	दलिया	160 ,,	80 ,,	12,800 ,,
6.	मूंगफली	325 ,,	100 ,,	32,500 ,,
7.	तेल मूंगफली	875 ,,	20 ,,	17,500 ,,
8.	गु	140 ,,	120 ,,	16,800 ,,
9.	नमक	19.50 ,,	12 ,,	234 ,,
10.	लकड़ी	24.00 ,,	240 ,,	5,760 ,,
11.	माचिस	1.15 प्रति दर्जन	120 दर्जन	138 ,,
12.	बाला श्रमूल	3 रु० प्रति किलो	69972 किलो	2,09,916 ,,
13.	खिलौने	—	—	59.60 पैसे
14.	लायफबॉय साबुन	—	—	2,144 रु०

1	2	3	4	5
15.	डोल	—	—	6,944.99 पैसे
16.	तौलिये	—	125 नग	2,629.35 पैसे
17.	नेपकिन	—	500 ,,	
18.	पावदान	—	4 ,,	
19.	झाड़ू	—	3 ,,	
20.	पंखे	—	2 नग	693 रु०
21.	ट्यूब लाइट व राड	—	—	275 ,,
22.	स्लेट व स्लेट पेन्सिल	—	—	6601.60 पैसे

22

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न सं० 39 की सूची)

उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागवार सूचना जिनको अपने गृह जिले में लगाये जाने पर पाबन्दी है ।

1	विभाग का नाम 2	सेवा का नाम 3
1.	कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग	**सामान्य प्रशासनिक सेवायें** 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा 2. राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2.	पुलिस विभाग	1. भारतीय पुलिस सेवा 2. राजस्थान पुलिस सेवा 3. सहायक जन अभियोजक
3.	वित्त विभाग	कोषाधिकारी
4.	कृषि विभाग	जिला कृषि अधिकारी
5.	सहकारिता विभाग	सहायक रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज
6.	उद्योग विभाग	जिला उद्योग अधिकारी
7.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) एवं सिंचाई	अधिशासी अभियन्ता

नोट :—सहायक अभियन्ता अपने गृह जिले में तो पदस्थापित किये जा सकते हैं परन्तु उनको उप खण्ड में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध है ।

8.	वन विभाग	1. वन संरक्षक 2. उपवन संरक्षक 3. सहायक संरक्षक 4. जिला वन अधिकारी

227

1	2	3
9.	खनिज विभाग	1. खनिज अभियन्ता 2. सहायक खनिज अभियन्ता
10.	पंचायत विभाग	1. खण्ड विकास अधिकारी 2. जिला पंचायत अधिकारी
11.	शिक्षा विभाग	विद्यालय निरीक्षक
12.	राजस्व विभाग	1. तहसीलदार 2. नायब तहसीलदार
13.	भू प्रबन्ध विभाग	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्रुप सचिव की सरपंचों के साथ तालमेल न रखने संबंधी शिकायतें

392. **श्री राम किशोर मीणा (सिकराय)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को प्रत्येक जिले से पंचायत के ग्रुप सचिवों की सरपंचों के साथ तालमेल से कार्य न करने बावत शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ग्रुप सचिव योजना को न्याय संगत मानती है ? यदि हां, तो उन्हें स्थाई किये जाने बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो इस योजना को अंतिम तौर से कब तक खतम कर दिया जावेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार के प्रत्येक पंचायत में एक सचिव वाली योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह योजना प्रयोगात्मक लागू की गई थी पर उस में जो कठिनाईयां आई उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें वर्तमान ग्रुप सचिव योजना में सुधार का मामला विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(3) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

सरकारी सेवाओं में विकलांगों को प्राथमिकता

393. **श्री सुखलाल सेंगवा (रायपुर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

(2) क्या इस संबंध में कोई कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) किस–किस विभाग में कितने कितने व्यक्तियों को उक्त कोटे के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

(4) क्या पदोन्नति में भी इस विषयक कोई कोटा निर्धारित है ? यदि नहीं ? तो क्यों ? यदि हां, तो कितना ? क्या इस संबंध में सेवा नियमों में और सुधार करने की राज्य सरकार की इच्छा है ?

229

उत्तर

(1) राज्य सरकार की सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अलबत्ता आरक्षण का प्रावधान अवश्य है।

(2) जी हां। "ग" व "घ" श्रेणी की सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार पदोन्नतियों में विकलांगों को आरक्षण देना आवश्यक नहीं समझती तथा सेवा नियमों में और सुधार करने की भी आवश्यकता नहीं समझती।

सिरोही में सरकारी अधिकारियों हेतु आवासीय भवन

394, **श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिला कार्यालय में बैठने के लिए स्थान नहीं है तथा कलेक्टरेट भवन के कई कमरों पर छतें भी नहीं हैं और चार दीवारी भी नहीं है ? कई विभाग तो स्थानाभाव के कारण अपने कार्यालय और निवास किराये के मकानों में रख रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी कर्मचारियों की आवासीय समस्या तो बिल्कुल खराब है और इसलिए सभी श्रेणियों के बंगलों एवं क्वार्टरों का निर्माण आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार कलेक्टर, एस. पी., उपजिलाधीश तथा कर्मचारियों के आवास हेतु पचास मकान बनवायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं हैं। जिला कार्यालय में बैठने के लिये स्थान पर्याप्त है एवं जिला कार्यालय के कमरों पर पक्की छतें बनी हुई हैं। यह सही है कि जिला कार्यालय भवन के चारों ओर चार दीवारी बनी हुई नहीं है। जिला मुख्यालय पर 13 राजकीय कार्यालय स्थानाभाव के कारण किराये के भवनों में चल रहे हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979–80 में करीब एक करोड़ के 210 आवासीय मकान निम्नलिखित श्रेणियों के बनवाने की योजना है।

टाइप I	3
टाइप II	25
टाइप III	30
टाइप IV	76
टाइप V	76
योग	210

उपरोक्त आवासीय मकान राजस्थान के 26 जिलों में बनवाने की योजना है अतः यह कहना कठिन है कि सिरोही में आवास हेतु 50 मकान बनवाये जावेंगे।

पाटोदी जिला बाड़मेर में चोरी का मामला

395. **श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मई, जून, 1978 में श्री गोरखा पुत्र श्री भारता मेघवाल निवासी पाटोदी जिला बाड़मेर के घर चोरी हुई जिसमें लगभग चार सौ रुपये नकदी और 3000 रुपये के चांदी के जेवर आदि चोरी गये ?

(2) उस चोरी की तत्काल पुलिस में सूचना कर मामला दर्ज करवाने के बाद संबंधित पुलिस की ओर से क्या कार्यवाही की गई ? क्या चोरी को पकड़ने और माल बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली ?

(3) क्या यह सही है कि उस चोरी से संबंधित चोरों के पागियों द्वारा पांव के निशान पहचाने गये और "पहिचान परेड" में भी उन्हें पहिचान लिया गया ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) अभियोग पंजिबद्ध पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्तियों से तथा मुश्तवाह व्यक्तियों से पूछताछ की गई । मगर चोरों का अथवा माल का कोई पता नहीं लगा ।

(3) दो खोजियों में से एक खोजी ने तो खोज नहीं पहचाने । दूसरे खोजी ने एक मुश्तवाह व्यक्ति के खोज प्रथम बार पहचाने थे मगर बाद में वह भी अन्य खोजों के साथ मिलाने पर नहीं पहचान सका । मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई पहचान परेड नहीं हुई है । अभी अनुसंधान जारी है ।

राज्य में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय

396. **श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय कहां कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले के विशाल क्षेत्र को देखते हुए सिवांना, बालोतरा, धोरीमनी और सिणधरी पंचायत समितियों में जहां जहां रबी की फसल होती है की काश्तकारों को सफल अभियान में प्रोत्साहन देकर पैदावार बढ़ाने के लिए जिले में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में कृषि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये और जिले में खरीफ की फसल को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने के लिए बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलना आवश्यक और वाजिब समझती है ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री सम्पत राम ने 25 जुलाई, 1977 को इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आश्वासन की इसी वर्ष में क्रियान्विति कर दी जायेगी ?

231

उत्तर

(1) राज्य में जिला कृषि अधिकारियों के कार्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बाड़मेर जिले में कृषि कार्यालय खोलने का निर्णय ले लिया गया है।

(3) जी, हाँ। यह अप्रैल, 79 से खोल दिया जावेगा।

राजस्थान राज्य के जिला कृषि कार्यालयों की सूची

1. जयपुर
2. दौसा
3. अलवर
4. भरतपुर
5. अजमेर
6. सीकर व झुंझुनूं जिले, मुख्यालय, सीकर
7. सवाई माधोपुर
8. टोंक
9. बूंदी
10. कोटा
11. बारां
12. झालावाड़
13. भीलवाड़ा
14. बांसवाड़ा
15. डूंगरपुर
16. चितौड़गढ़ जिला मुख्यालय कपासन
17. उदयपुर
18. कांकरोली
19. श्री गंगानगर
20. हनुमानगढ़
21. चूरू बीकानेर जिला मुख्यालय, चूरू
22. जोधपुर जैसलमेर जिला, मुख्यालय, जोधपुर
23. नागौर
24. पाली
25. सिरोही
26. जालौर-बाड़मेर जिले, मुख्यालय, जालौर

जयपुर नगर की यातायात पुलिस

397. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर नगर में यातायात पुलिस जवानों की संख्या कम होने से यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं है? यदि हां तो क्या जयपुर नगर की जनसंख्या के अनुपात में और पुलिस जवानों को यातायात व्यवस्था में लगाने का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) गत तीन वर्षों में जयपुर शहर में यातायात की कितनी दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितने लोग मारे गये? सूची मय नाम पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जयपुर नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिये राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? इस सम्बन्ध में अब तक किये गये प्रयासों तथा विचाराधीन प्रयासों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, ट्रैफिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के

232

(गृह मंत्री)

विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

(2) वर्ष 1976, 1977 व 1978 में क्रमशः 313, 421 व 414 दुर्घटनायें हुई जिनमें क्रमशः 56, 55, 77 आदमी मरे। मरने वालों के नाम व पते की सूची संलग्न है।

(3) जयपुर नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 2 कमेटियों का गठन जिला स्तर व राज्य स्तर पर किया गया है, जिनमें मुख्यतया निम्न व्यवस्थायें विचाराधीन हैं :—

1) नगर की सड़कों की विद्युत व्यवस्था

2) अपूर्ण बाईपास का पूर्ण होना

3) चौराहों पर नये ट्रैफिक सिगनलों की व्यवस्था

4) सड़कों का नव निर्माण

5) चौराहों का नवीनीकरण

6) फुटपाथों को खाली कराना

7) चौराहों पर रेलिंग लगा कर सड़क पार करने के लिए, रास्तों के स्थान नियुक्त करना।

8) नगर की समस्त ट्रांसपोर्ट कम्पनियों का नगर से ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानान्तरित होना।

9) सब्जी मंडियों व अनाज मंडियों का नगर के बाहर स्थानान्तरण करना।

10) सी. टी. एस. बसों को सरकने के लिए बाजारों में बस वे बनाना।

11) यातायात स्टाफ में बढ़ोतरी करना

12) चौमू रोड व संसार चन्द्र रोड व खेतड़ी हाउस रोड पर स्थित बस स्टेण्ड को टी. बी. सेनटोरियम के पास स्थानांतरण करना।

13) चांदी की टकसाल से रोडवेज के स्टेण्ड को जनता बाजार में स्थानांतरित करना।

14) नगर में वाहनों के लिये पार्किंग के स्थान नियुक्त करना।

15) बापू बाजार या नेहरू बाजार में वन वे की व्यवस्था।

16) नगर के मुख्य बाजारों में प्रातः 9 बजे से 12 बजे व सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक मेटाडोर, हाफ बोडी ट्रक्स, निशान आदि माल ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाना।

17) मिर्जा इस्माइल रोड पर हर समय भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाना।

18) धीमें वाहनों जैसे ठेला, बैलगाड़ी ऊंट लढ्ढे आदि का चलन नगर के मुख्य बाजारों में प्रातः व सायंकाल पीक आवर्स वर्जितकरण।

19) सड़कों पर रोड मार्किंग करना।

20) सड़कों से आवारा पशुओं को हटाना।

21) गनगोरी बाजार से सब्जी वालों को चौगान में स्थानातकरण।

(233)

जयपुर नगर में यातायात दुर्घटना से मारे गये व्यक्तियों की सूची
वर्ष 1976, 77 एवं 78

क्र.सं०	तारीख रजू	नाम थाना	मरने वाले व्यक्ति का नाम व पता
1	2	3	4
1.	9-1-76	कोतवाली	श्री अब्दुल सलीम, सा० मोरजी का बाग, जयपुर।
2.	7-3-76	,,	श्री रमाकांत नि० रमा मिष्ठान भंडार, किशनपोल बाजार, जयपुर।
3.	8-7-76	कोतवाली	श्रीमती रामकिशोर माहेश्वरी सा० चौड़ा रास्ता. जयपुर।
4.	2-12-76	शास्त्री नगर	श्री सलीम पुत्र बुन्दू, मुसलमान, चांदपोल बाजार, जयपुर।
5.	28-3-76	मानक चौक	श्री अब्दुल रफीक, सा० खंडार का रास्ता, जयपुर।
6.	21-5-76	,,	श्री नरेन्द्रसिंह, विधायक की मोरी, जयपुर।
7.	27-6-76	,,	श्री बधूसिंह राजपूत सिपाही, सेलटैक्स विभाग, जयपुर।
8.	26-11-76	,,	श्री जयन्ती (इसकी तसदीक सकूनत नहीं हो सकी)।
9.	14-1-76	रामगंज	श्री रामकुमारसिंह कानि० थाना आदर्श नगर, जयपुर।
10.	13-2-76	,,	श्री रघुनाथ पुत्र नानगराम, पालड़ी खुर्द, सांगानेर।
11.	12-5-76	,,	बेबी पुत्री महबूब अली, सा० तोपखाना हजूरी, जयपुर।
12.	21-5-76	,,	श्री भगवान पुत्र नामालूम।
13.	21-7-76	,,	सईदा पुत्री मो० रफीक, सा० बाबू का टीबा, जयपुर।
14.	21-7-76	,,	श्रीमती मली स्त्री बालावक्ष, कांवटियों का खुर्रा, जयपुर।

1	2	5	4
15.	2–11–76	रामगंज	श्री गणपतसिंह, सावडिया थाना दूदू ।
16.	1–2–76	,,	एक बूढ़ी पागल औरत, सा० नाम पता मालूम नहीं ।
17.	1–3–76	गांधीनगर	मुस० बिंदू पत्नि प्रेमनारायण मिश्रा, ओ० टी० एस०, जयपुर ।
18.	10–9–76	,,	मुस० शांती पत्नि किशनलाल बलाई, जगतपुरा, सांगानेर ।
19.	11–11–76	,,	श्री अजय अग्रवाल पता नामालूम ।
20.	11–12–76	,,	श्री राजकुमार, उम्र 22 साल ।
21.	5–10–76	मोतीडूंगरी	श्री लखूमल पुत्र सावतमल, कुंदीगर भैरू का रास्ता, जयपुर ।
22.	8–11–76	,,	कु० मंजू पुत्री किशनलाल शर्मा, डिग्गी हाऊस, जयपुर ।
23.	23–11–76	,,	श्री राजेश महरवाल 14 साल ।
24.	23–11–76	,,	श्री रुपनारायण पुत्र रुडाराम माली 36 साल, सा० चार दरवाजा, जयपुर ।
25.	28–4–76	अशोक नगर	मुतबफी प्रकाशचन्द पुत्र रामनारायण माली, जमना डेरी, जयपुर ।
26,	15–10–76	,,	श्री प्रेमसिंह, आदर्श नगर, जयपुर ।
27.	1–2–76	आदर्श नगर	श्री भवानी, शमशान रोड, आदर्श नगर, जयपुर ।
28.	7–3–76	,,	श्री चांदमल, सा० सेठी कालोनी, जयपुर ।
29.	15–3–76	,,	श्री रामसिंह, थाना बस्सी, जयपुर ।
30.	15–3–76	,,	श्री रमेश, सिकारी मोहला, जयपुर ।
31.	28–7–76	,,	श्रीमती दरोपति पत्नी गुला, बी–12 आनन्दपुरी, जयपुर ।
32.	15–8–76	,,	लावारिश लाश ।
33.	15–8–76	,,	नाम पता नामालूम (औरत) ।

238

1	2	3	4
34.	23-11-76	आदर्शनगर	पप्पू पुत्र लक्ष्मीनारायण, प्लाट 2ख 14, जवाहर नगर, जयपुर।
35.	9-12-76	,,	श्री दामोदर, कानोता, जयपुर।
36.	17-9-76	विधायकपुरी	श्री महेशकुमार, उप निरीक्षक पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर।
37.	27-9-76	,,	रिक्शा चालक (अज्ञात)
38.	9-12-76	,,	श्री अमित शर्मा, एफ 411, जयपुर।
39.	30-2-76	झोटवाड़ा	श्री रावतसिंह, मुवाना एवं गोपीराम, यादव ढाणी नीमडी, जयपुर।
40.	15-2-76	वनीपार्क	श्री बिहारीलाल, काला डेरा, जयपुर।
41.	28-2-79	,,	श्री गिरधारी राजपूत, जिला सीकर।
42.	3-3-76	,,	सकुन्तला पुत्री मानसिंह चौधरी, महापुरा खेड़ा, झोटवाड़ा।
43.	8-4-76	,,	श्री केदार, गंगा माता का मन्दिर, जयपुर।
44.	2-5-76	,,	श्री गजेन्द्र नारायण गुप्ता, शिल्प कालोनी, झोटवाड़ा।
45.	22-5-76	,,	श्री राज केयर आफ श्री सुलेमान, हाथी बाबू का बाग, जयपुर।
46.	9-7-76	,,	श्री प्रभू बैरवा, बावड़ी, थाना बस्सी।
47.	28-7-76	,,	नामालुम।
48.	13-10-76	,,	श्री लक्ष्मण, बस्सी सीतारामपुरा, कच्ची बस्ती, जयपुर।
49.	7-11-76	,,	श्री रतना बैरवा, जगन्नाथपुरा, थाना फागी, जयपुर।
50.	10-12-76	,,	श्री राजू पुत्र भूदेव, सावन इन्द्र कालोनी, जयपुर।
51.	28-1-76	सदर	श्री रामसहाय नाम पता नामालूम।
52.	28-2-76	,,	श्री नसूरीदीन मुसलमान।

1	2	3	4
53.	6-5-76	सदर	श्री फतेहलाल, बाईस गोदाम, जयपुर।
54.	20-6-76	,,	श्री बन्सीलाल।
55.	15-12-76	,,	एक अज्ञात औरत।
56.	28-11-76	कोतवाली	श्री जयनारायण शर्मा, प्रिंसिपल, आई० टी० आई० जयपुर।
57.	7-9-77	शास्त्री नगर	श्री राजेन्द्रप्रसाद खण्डेलवाल, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर।
58.	23-4-77	माणकचौक	श्री चन्दालाल खण्डेलवाल, मोतीसिंह भौमिया का रास्ता, जयपुर।
59.	24-5-77	,,	श्री गिर्राज अग्रवाल, ठठेरों का रास्ता, जयपुर।
60.	8-7-77	,,	श्री सिकतराम, भैंसवालों का मोहल्ला, गंगावास, जयपुर।
61.	25-9-77	,,	एक लड़की निशा।
62.	4-11-77	,,	श्री रामचरन, सुभाष चौक मकान नं० 1105, जयपुर।
63.	20-1-77	रामगंज	श्री सुखदेव माली, बागले की ढाणी, आमेर।
64.	2-3-77	,,	श्री रामस्वरूप, पुरानी बस्ती, जयपुर।
65.	4-7-77	,,	श्री कपूरचन्द, कालाडेरा थाना चौमू, जयपुर।
66.	7-8-77	,,	श्री पप्पू, नाथमल जी का चौक, जयपुर।
67.	10-11-77	,,	श्री अनवर खां, बास बदन पुरा, जयपुर।
68.	13-12-77	,,	श्री कालूराम, आमेर कस्बा, ढाणी तेलयान।
69.	17-12-77	,,	श्री मगनलाल, सुभाष चौक, कच्चा बंधा, जयपुर।
70.	12-5-77	गांधीनगर	श्री मदनलाल खुराना गली नं. 389 राजा-पार्क जयपुर।

1	2	3	4
71.	18–6–77	गांधीनगर	श्रीमती रजनी स्त्री अशोक कुमार गली नं. 343, जयपुर।
72.	1–7–77	,,	श्री भगतराम नासडी (2) श्री धर्मपाल सिंह (3) सीताराम।
73.	21–9–77	,,	श्री भंवरलाल मीना, पीपला थाना चाकसु, जयपुर।
74.	18–1–77	मोती डूंगरी	श्रीमती कौशल्या पत्नी रामबक्ष चौहान, डिग्गी हाउस, जयपुर।
75.	9–4–77	,,	श्रीमती प्रभा मिश्रा स्त्री दिनेश कुमार कामरा जवाहर नगर (2) कुमारी ललतेस पुत्री लोकनाथ आहुजा, जवाहर नगर, जयपुर।
76.	3–7–77	,,	श्री ईश्वर चंद लुहार, आर. एस. ई. बी. जयपुर।
77.	1–11–77	,,	एक बच्चा।
78.	22–11–77	,,	श्री प्रेमलाल माथुर, गांधीनगर, जयपुर।
79.	2–12–77	,,	श्री भौरीलाल, बापू बाजार, जयपुर।
80.	8–12–77	,,	श्री जयराज सिंह।
81.	1–11–77	अशोकनगर	श्री प्रहलाद कुमावत, लाल कोठी कच्ची बस्ती, जयपुर।
82.	28–12–77	,,	श्री बाबूलाल मीना, ड्योढी थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
83.	1–1–77	आदर्शनगर	श्री रमेश, कच्ची बस्ती, जयपुर।
84.	11–1–77	,,	श्री गणेश, सांगानेरी गेट, जयपुर।
85.	28–2–77	,,	श्री बिहारी, घाट की गूनी, जयपुर।
86.	6–3–77	,,	श्री हरीसिंह, 7–क–14. नं०, जवाहरनगर जयपुर।

1	2	3	4
87.	19–3–77	आदर्शनगर	कुमारी बबली, बी–71 जवाहर कालोनी, जयपुर ।
88.	17–6–77	,,	कु. सुनीता, सी–2 अमृतपुरी, जयपुर ।
89.	26–3–77	,,	श्री सूरजमल, नेहरू बाजार, जयपुर ।
90.	3–7–77	,,	श्री रामदेव, 702 सिंधी कालोनी, जयपुर ।
91.	1–3–77	विधायकपुरी	श्री प्रीतम सिंह सिख, राजापार्क, जयपुर ।
92.	30–5–77	,,	श्रीमती मूलीदेवी औरत मोदीलाल, तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर ।
93.	2–12–77	,,	कुमारी विन्दु, आनका, हथरोई बावडी, जयपुर ।
94.	15–1–77	बनीपार्क	श्री प्रहलाद पुत्र किशन गुप्ता, जयपुर ।
95.	26–1–77	,,	श्री बिजेन्द्र सिपाही, मिलकपुर ।
96.	2–6–77	,,	श्री दौलतराम, नाहरी का नाका, सिन्हा कालोनी, जयपुर ।
97.	1–8–77	,,	श्री राजेन्द्रपालसिंह, आर० एस० आई०, पुलिस लाइन्स, जयपुर ।
98.	30–11–77	,,	अज्ञात व्यक्ति ।
99.	21–12–77	,,	श्री हीस अहमद, बाबू का टीबा, जयपुर ।
100.	28–12–77	बनीपार्क	श्री निसार अहमद, प्लाट नं० 503 नया जालूपुरा, जयपुर ।
101.	24–2–77	सदर	अज्ञात व्यक्ति ।
102.	6–7–77	,,	,, ,,
103.	11–7–77	,,	,, ,,
104.	13–8–77	,,	एक अज्ञात बच्चा ।
105.	27–9–77	,,	मुसम्मात नारायणीदेवी (2) बाबूलाल (3) कल्याण पुत्र लादू ।

239

1	2	3	4
106.	4-1-78	कोतवाली	रामलाल सिंह कानि. नं. 2104, यादगार, जयपुर ।
107.	1-7 78	,,	छीतर पुत्र गोर्धा कुम्हार, कल्याण जी का रास्ता, जयपुर ।
108.	14-8-78	,,	नारायण दास पुत्र परसराम सिंधी, किशनपोल बाजार, जयपुर ।
109.	6-11-78	,,	श्रीमती छुटन बाई स्त्री जगदीश स्वरूप माथुर, भिण्डों का रास्ता, जयपुर ।
110.	23-11-78	,,	शिवप्रसाद पुत्र शिवकुमार चौडा रास्ता, (2) कन्हैयालाल पुत्र गोपीराम गूजर, मनिहारों का रास्ता, जयपुर ।
111.	21-1-78	शास्त्रीनगर	कुमारी आबिदा, खेतड़ी हाउस, जयपुर ।
112.	4-3-78	माणकचौक	श्री रामप्रसाद, दरीबा पान मकान नं. 696, जयपुर ।
113.	2-9-78	,,	श्री किस्तूर चन्द, मयुर सिनेमा के पीछे, जयपुर ।
114	20-9-78	,,	श्री भगवती प्रसाद, बांदरी का नासिक, जयपुर ।
115.	5-12-78	,,	श्रीमती किशनी पत्नि राधाकिशन, रेगरों की कोठी, जयपुर ।
116.	27-2-78	रामगंज	श्री भूरा पुत्र नामालुम
117.	11-4-78	,,	राजू उर्फ भोले, निवासी कसेवाबाद (यू. पी.)
118.	3-6-78	,,	श्री लालू पुत्र पोखर मल खटीक, मंडी खटीकान गंगापोल, जयपुर ।
119.	29-6-78	,,	श्री सीताराम जाट, मुस्लिम स्कूल के पीछे, जयपुर ।

240

1	2	3	4
120.	5-6-78	रामगंज	श्रीमती चण्डी पत्नि किसना खाती, ग्रान्टीवली ।
121.	14-7-78	,,	श्री भूरे खां साकिन टोंक फाटक, जयपुर ।
122.	24-7-78	,,	श्री मोहम्मद हमीद, बिसायतियों का मोहल्ला, जयपुर ।
123.	21-8-78	,,	श्री गोपाल, जयसिंहपुरा खेड़ा, जयपुर ।
124.	12-9-78	,,	श्री सलीम, मोरी ब्रह्मपुरी, जयपुर ।
125.	26-10-78	,,	श्री गोपी, थाना बगरू, जयपुर ।
126.	18-11-78	,,	श्री मजिद खां, हांडीपुरा, ग्रामेर ।
127.	2-12-78	,,	श्री हरकत हुसैन, मुसलमान, जयपुर ।
128.	19-9-78	,,	श्री भूरा पुत्र नामालुम ।
129.	17-1-78	गांधीनगर	श्री रामगोपाल, तेली हिण्डोन, जिला सवाई-माधोपुर ।
130.	21-7-78	,,	श्री राधेश्याम, हरिशचन्द्र मार्ग, जयपुर ।
131,	27-8-78	,,	श्रीमती लाडा पत्नि रामनारायण बैरवा, कच्ची बस्ती, जयपुर ।
132.	27-10-78	,,	श्री जमीलबक्स, किशनपोल बाजार, जयपुर ।
133.	2-12-78	,,	श्री जमीलबक्स, किशनपोल बाजार, जयपुर ।
134.	5-12-78	,,	श्री भैरू पुत्र केसरलाल, माधोराजपुरा. फागी ।
135.	1-3-78	मोतीडूंगरी	श्री स. एच. ग्रो. भाटिया, जीवनबीमा ।
136.	27-3-78	,,	मुस. जन्नत स्त्री नाथू खां, दर्जियों का चौराहा, जयपुर ।

1	2	3	4
137.	23–4–78	मोतीडूंगरी	सुनील डांगी।
138.	8–5–78	,,	श्री मदनलाल, प्रिटीयर कालोनी, आदर्शनगर, जयपुर।
139.	18–5–78	,,	श्री बिरदाराम (2) श्रीमती नाथी।
140.	15–5–78	,,	श्री लालचन्द सिंधी।
141.	5–9–78	,,	श्री लतीफ मुसलमान।
142.	16–11–78	,,	श्री गणेश, कल्याणजी का रास्ता, जयपुर। (गढवाली)
143.	14–12–78	,,	श्री जगदीश।
144.	23–4–78	अशोकनगर	श्री सीतलाप्रसाद मातादीन, बी. 2. ए, पृथ्वीराज रोड़।
145.	24–4–78	,,	श्री नवरतन उर्फ बाबूलाल, सचिवालय, जयपुर।
146.	6–6–78	,,	श्री रफीक मुसलमान, जालूपुरा, जयपुर।
147.	16–7–78	,,	श्री गिर्राज प्रसाद, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जयपुर।
148.	11–11–78	,,	श्री जगदीश नारायण कुमावत, कुमावत स्कूल के पीछे, जयपुर ,
149.	31–1–78	आदर्शनगर	श्री महादेव पुत्र हाबूराम, हीरापुरा, थाना बस्सी, जयपुर।
150.	30–5–78	,,	नाम पता मालूम नहीं।
151.	8–7–78	,,	श्री गोविन्दराम, थाना बस्सी, जयपुर।
152.	30–7–78	,,	श्री इब्राहीम बठा वस्ती, जयपुर।

1	2	3	4
153.	22–8–78	आदर्शनगर	नाम पता मालूम नहीं ।
154.	8–9–78	,,	श्री गुड्डू, सी. 13 सेठी कालोनी, जयपुर ।
155.	4–11–78	,,	श्री रामबिहारी, 236 आदर्श नगर, जयपुर ।
156.	21–6–78	विधायकपुरी	श्री नन्दकिशोर, लालकोठी, जयपुर ।
157.	18–8–78	,,	श्री नन्दू पुत्र लादूराम, आमेर रोड़, जयपुर ।
158.	17–10–78	,,	श्री गिरधारी लाल सोलंकी, करनाल हाउस जयपुर ।
159.	6–12–78	,,	श्री संतराम अलवर ।
160.	18–5–78	,,	श्री धन्नालाल कुमावत, नांगल जेसा बोरा ।
161.	11–7–78	,,	श्री मांगीलाल जाट, जाट के कुए का रास्ता, जयपुर ।
162.	23–7–78	,,	श्री रामदास, सी–5 वनस्पती फैक्ट्री, झोटवाड़ा ।
163.	17–7–78	,,	श्री ईश्वरलाल सिंधी, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर ।
164.	17–10–78	,,	श्री सिजाडिगया बलाई, ढाणी कुन्जुपुरा ।
165.	30–12–78	,,	श्री गंगाराम मीना, नांगल आमेर ।
166.	9–1–78	बनीपार्क	श्री रामचरन शर्मा, जोगियों का मोहल्ला, झोटवाड़ा ।
167.	28–5–78	,,	श्री गोपीराम जाट, ढाणी जामुन वाली. बगरू, जयपुर ।

(243)

1	2	3	4
168.	16-6-78	बनीपार्क	श्री माला मुलाजिम आर. एस.ई.बी., बी–जोन फर्स्ट।
169.	18-6-78	,,	छोटी बच्ची पुत्री ग्यारसीलाल माली, चांदपोल बाजार, जयपुर।
170.	2-11-78	,,	श्री मखुदीन पुत्र कासम खां, लुहारों का खुर्रा, जयपुर।
171.	28-11-78	,,	श्री उत्तम, जौहरी बाजार, जयपुर।
172.	23-12-78	,,	श्री चन्द्र प्रकाश, अजमेर रोड़, जयपुर।
173.	8-5-78	सदर	श्री फतेहचन्द सिंधी, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जयपुर।
174.	25-5-78	,,	रेणु पुत्री कन्हैयालाल (2) गोविंदी।
175.	6-9-78	,,	श्री इन्द्रपाल सिंह, सांभर।
176.	27-8-78	,,	श्री देवराज, पंचायती धर्मशाला के पास, जयपुर।
177.	5-9-78	,,	श्री भंवर सिंह, डेगाना, नागौर।
178.	20-10-78	,,	श्री विजयसिंह राजपूत, सिविल लाइन, जयपुर।
179.	27-8-78	,,	श्री लेखराज।

ब्यावर में सीमेंट कारखाना लगाने की योजना

398. **श्री नूरा (मसूदा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या ब्यावर तहसील, जिला अजमेर में कोई सीमेंट फैक्ट्री लगाने की राज्य सरकार की योजना है ? यदि हां, तो यह फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस किसको दिया गया है ?

(2) इस फैक्ट्री की क्षमता कितनी सीमेंट की होगी ? उत्पादन चालू करने के लिए लाइसेंस की कितनी अवधि दी गई है ?

(3) क्या इस सीमेंट फैक्ट्री योजना के अन्तर्गत कोई कार्य आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो अभी तक क्या क्या काम हो चुके हैं तथा क्या क्या कार्य निर्माणाधीन हैं तथा क्या क्या कार्य होने हैं ?

(4) इस फैक्ट्री में उत्पादन कब से चालू होने की आशा है ?

उत्तर

(1) ब्यावर में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा कोइ सीमेंट प्लान्ट लगाए जाने की योजना नहीं है किन्तु भारत सरकार द्वारा एक निजी कम्पनी श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लि. (दिग्विजयग्राम) गुजरात की ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए आशय पत्र (सं. एल. आई/79/78, दिनांक 26-4-1978) जारी किया गया है।

(2) इस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता 4 लाख टन वार्षिक होगी। अभी निर्माण को आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) ही दिया गया है। आशय पत्र की अवधि 12 माह होती हैं। उक्त अवधि में पार्टी को प्रभावी कार्यवाही करनी होगी। इस आवश्यक अवधि को एक वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उसके पश्चात् ही भारत सरकार द्वारा लाईसेन्स स्वीकृत किया जाता है जिसकी अवधि दो वर्ष होती है। उस अवधि में पार्टी द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करना अपेक्षित है।

(3) सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हेतु की गई कार्यवाही के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सामान्यतः सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना में आशय पत्र एवं वित्तिय संस्थाओं की स्वीकृतियों की तिथि से कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है। अतः निश्चित तिथि अभी बताना संभव नहीं है।

सूची

(1) **भूमि** :—प्लान्ट हेतु 564–54 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इस हेतु प्रस्तावित भूमि में 373–94 एकड़ राजकीय भूमि है। तथा 190–60 एकड़ निजी भूमि है। राजकीय भूमि आवंटन हेतु निर्णय लिया जाकर पार्टी को निर्धारित प्रपत्र में सत्यकार राशि 500 रु. सहित आवेदन करने हेतु सूचित कर दिया है। निजी भूमि की अवाप्ति हेतु राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 4 के

श्री नूरा

अन्तर्गत अवाप्ति की प्रारम्भिक कार्यवाही हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(2) **कानून लीज** :—कम्पनी ने 10 वर्ग मील क्षेत्र के लिए आवेदन पेश किया है जो अधिकतम सीमा की परिमाप से अधिक है। साथ ही लीज में एक विशिष्ट शर्त लगाने हेतु इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा गया है। कम्पनी को वर्षिय परमीशन जारी की जा चुकी है।

(3) **मशीनरी**:—कम्पनी सीमेंट प्लान्ट हेतु आवश्यक मशीनरी के आदेश वित्तिय संस्थानों में वित्तिय स्वीकृति प्राप्त होने पर देगी।

(4) **विद्युत** :—राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत सप्लाई का आश्वासन दिया जा चुका है।

(5) बनास या मकरेड़ा, जालिया व सन्देरा से पानी लाकर फैक्ट्री को तथा ब्यावर शहर को पानी उपलब्ध कराने हेतु जल प्रदाय योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के विचाराधीन है।

ग्राम कटराथल जिला सीकर में जमाबन्दी में गलत इन्द्राज का मामला

399. **श्री रणमल सिंह (सीकर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 767 तादादी रकबा 12।।।) बारह बीघा सोलह बिस्वा भूमि ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर का खतोनी पर्चा (मिसल–हकियत) सम्वत् 2012 में श्री छोटूराम पुत्र मंगलाराम चमार साकिन देह के नाम से जारी हुआ था ?

(2) क्या सम्वत् 2021 तक की जमाबन्दी में उक्त छोटूराम चमार का नाम दर्ज है ?

(3) क्या सं. 2022 की जमाबन्दी में उक्त खसरा नंबर 36711 भूमि का इन्द्राज अकारण ही श्री पेमाराम पुत्र श्री हनुमान राम जाट निवासी कटराथल के नाम से कर दिया गया है और अब भी बदस्तूर है ?

(4) क्या लगभग सात वर्ष पूर्व उक्त भूमि में से 9 बीघा पुख्ता भूमि पर श्री पेमाराम जाट ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और शेष तीन बीघा सोलह बीस्वा भूमि जो मृतक छोटूराम चमार के पुत्र फूलाराम के कब्जे में है पर वह जबरदस्ती कब्जा करने जा रहा है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त हरिजन को संरक्षण देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, सम्वत् 2011–14 की खतोनी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 367। रकबा 12 बीघा 16 बीस्वा भूमि का खाता छोटू वल्द मंगला चमार के नाम दर्ज था।

(2) जी हां।

(3) जी हां, इसकी अपील अति. जिला-

(राजस्व मंत्री)

धीश जी के यहां हुई थी। निर्णय में यह नामान्तरकरण रद्द कर दिया। परन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने इस फैसले को रद्द कर दिया। अब मामला राजस्व मण्डल में पुर्नविचार हेतु जेर तजबीज हैं।

(4) ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(5) चूंकि मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन है अतः इसके बाबत समुचित निर्णय उस न्यायालय के निर्णय द्वारा ही हो जावेगा।

दौसा-गंगापुर सड़क व पुलों का निर्माण कार्य

400. **श्री कुंजीलाल (बामनवास)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अधूरी सड़कों को सरकार पूर्ण करवा रही है? यदि हां, तो दौसा-गंगापुर रोड़ से जो सड़क वाया बिनोरी बालाजी, रिवाली, सुकार, अभरख बांध मोरा सागर तक जा रही है उसमें अवशेष तीन किलोमीटर के टुकड़े एवं पुल निर्माण कार्य को क्यों पूर्ण नहीं करवाया गया एवं अब कब तक पूर्ण किया जावेगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

इस सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति 3 लाख जयपुर जिले में आने वाली लम्बाई व 7 लाख रुपये सवाईमाधोपुर जिले में आने वाली लम्बाई के अन्तर्गत की गई। अभी तक इस पर 11..9 लाख खर्च हो चुका हैं। वर्ष 77–78 व वर्ष 78–79 में कार्य चालू रहा हैं और क्रमशः 2.79 लाख 81.000 रु. खर्च हुआ। बचें हुये काम के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव हैं।

सवाई माधोपुर का भगवतगढ़ बांध

401. श्री मन्जूरअली(**सवाईमाधोपुर**) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांध भगवतगढ़ तहसील व जिला सवाई माधोपुर किस साल बनना शुरू हुआ और इसमें जितनी जमीन डूब में आई है उनके खातेदारों को अब तक मुआवजा दिया गया है या नहीं?

(2) उक्त बन्ध की डूब में आई हुई आराजियात का कुल रकबा कितने बीघा हैं?

(3) उक्त डूबे हुए रकबे में अनुमानित कुल कितनी पैदावार साल में हो सकती है?

(4) अब तक मुआवजा ना दिये जाने के लिये कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

(5) अब जनता सरकार बन जाने के बाद मुआवजे की अदायगी में देरी होने के क्या कारण हैं?

(श्री मन्जूर अली)

(6) राज्य सरकार कब तक इस मुआवजे की अदायगी का यकीन दिलाती है ?

(7) क्या राज्य सरकार इस दरमियानी मुद्दत का सूद इन खातेदारों को देना उचित नहीं समझती ?

उत्तर

(1) बांध भगवंतगढ़ का निर्माण कार्य सन् 1950 में शुरू हुआ था जिनकी जमीन डूब में आई है उनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया हैं ।

(2) उक्त बांध की डूब में आई हुई आराजियात का कुल रकबा 478 हेक्टेयर है जिसमें से 224 हेक्टेयर निजी (प्राइवेट) है ।

(3) औसतन एक हेक्टर में करीब 10 क्विन्टल अनाज पैदा हो सकता है । निजी भूमि में करीब 2240 क्विन्टल अनाज पैदा हो सकेगा ।

(4) क्योंकि अवार्ड अवाप्ति अधिकारी द्वारा अप्रैल, 1978 में जारी किया गया है, व उनमें कुछ कमियां हैं, जिनके कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका ।

(5) अवार्ड में कुछ कमियां होने के कारण जिलाधीश को विभाग द्वारा लिखा गया है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र अवार्ड दुरुस्त करें ।

(6) जैसे ही संशोधित अवार्ड विभाग को प्राप्त होगा , मुआवजे की अदायगी कर दी जावेगी ।

(7) यह नियमानुसार ही किया जावेगा ।

बांसवाड़ा क्षेत्र में अकाल से मुक्ति हेतु स्थाई हल

402. **श्री जीथिग भाई (कुशलगढ़) :** क्या जन जातीय क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा का अधिकांश भाग पहाड़ी पथरीला इलाका है और यह हर वर्ष अकाल या अभाव से प्रभावित रहता है । क्या राज्य सरकार इन क्षेत्रों में अकाल की समस्या का स्थाई हल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र तीस वर्षीय कांग्रेस राज्य में राजनैतिक दृष्टि से अविकसित रहा है ?

(3) क्या वर्तमान सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां ,तो कौन कौन सी योजना को प्राथमिकता दी जा रही है ? कृपया लागत योजना की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं पथरीला है । इस जिले में अभाव की स्थिति वर्ष 1974-75 व

248

(जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

1977-78 में सम्पूर्ण जिला अकालग्रस्त रहा, वर्ष 1975-76 व 1976-77 में अकाल की स्थिति नहीं रही।

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में अकाल की समस्या का स्थाई हल करने के लिये सूखा सम्भावित कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, इसके अलावा जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत भी विभिन्न विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है।

(2) जी हां

(3) वर्तमान सरकार इस क्षेत्र का विकास करने का विचार रखती है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर योजना बद्ध भू-संरक्षण एवं भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम, लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण, भू-जल सर्वेक्षण, नल कूप अन्न कार्यक्रम, वनारोपण, आश्रम स्कूलों की स्थापना, ग्रामीण विद्युतिकरण, सहकारिता विकास, दुग्ध विकास इत्यादि कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। एस. एफ. डी. ऐ. पैटर्न पर आदिवासी व्यक्तियों के लिए अनुदान को मात्रा 50 प्रतिशत कर दी गई है।

कुछ विशेष कार्यक्रमों की लागत इस प्रकार है :—

1. लघु सिंचाई कार्य तीन 15.96 लाख
2. सघन ग्रामीण विकास के अन्तर्गत पम्प सेट व भेड़/बकरी कार्य पर अनुदान 1.00 ,,
3. आश्रम स्कूल की स्थापना 4.00 ,,
4. भू-संरक्षण कार्यक्रम 3.74 ,,

लसाड़िया बांध पर पुल के निर्माण हेतु खरीदा गया सामान

403. **श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर, पूर्व)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लसाड़िया बांध पर पैदल चलने के लिए पुल बनने वाला है, उसके लिए लोहा 1967–68 में कितने का खरीदा गया तथा किस फर्म से खरीदा गया ?

(2) क्या यह सही है कि जिस फर्म से माल खरीदा गया उस समय के तात्कालिक मुख्य अभियन्ता के रिश्तेदार की यह फर्म है ?

उत्तर

(1) लसाडिया बांध पर पैदल चलने के लिए पुल के अंग (कम्पोनेन्ट) वर्ष 1977–78 में रुपये 2,72,995/- की लागत के मैसर्स रामेश्वर नारायण सौभाग नारायण, अजमेर से खरीदे गये।

(2) इस विषय में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

जयपुर में मुंसिफ एवं ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स एवं उनमें विचाराधीन मामले

404. **श्री आर. डी. यादव (चौमूं)** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्री आर. डी. यादव (चौमूं) :

(1) जयपुर जिले में मुंसिफ एवं ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के कुल कितने न्यायालय हैं तथा उनमें कितने कितने दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि जयपुर जिला अन्तर्गत एडीशनल ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट नं. 2 जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में केवल चौमूं व गोविन्दगढ़ थानों के मुकदमात हैं ? अगर हां, तो किस किस थाने के कितने-कितने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या चौमूं में मुंसिफ एवं ज्यूडीशियल न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? अगर हाँ, तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 10 मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं 2 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट नं०-2 के क्षेत्राधिकारी में चौमूं व गोबिन्दगढ़ थानों के मुकदमे आते हैं। मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	फौजदारी	दीवानी
1. थाना चौमूं	398	160
2. थाना गोविन्दगढ़	141	40

(3) हां विचाराधीन है। नये वर्ष में सप्तम वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्च न्यायालय से परामर्श कर क्रियान्विति की संभावना है।

1—जयपुर जिले में निम्नलिखित मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं तथा उनमें नाम के सम्मुख अंकित दीवानी व फौजदारी मुकदमात विचाराधीन हैं :—

नाम न्यायालय	दीवानी मुकदमे	फौजदारी मुकदमे
1	2	3
1. मुन्सिफ एव न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर।	1519	91
2. मुन्सिफ एव न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।	769	1001
3. मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा।	945	958
4. मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक।	610	509

1	2	3
5. मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा।	596	1012
6. मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाँदीकुई।	899	1129
7. अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर।	303	665
8. अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर।	6	1243
9. अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा	94	800
10. अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभर लेक जिला जयपुर।	57	619
11. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–1, जयपुर जिला।	—	507
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2 जयपुर जिला।	—	1611

ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

405. **श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1978–79 में जितने नये ग्रामों का विद्युतीकरण करना तय किया था, वह पूरा हो गया ?

(2) जिस माप दण्ड के आधार पर नवीन ग्राम स्वीकृत किये जाते हैं, उस आधार से क्षेत्र जमवा रामगढ़ के कौन-कौन से ग्राम आते हैं ?

(3) क्या अगले वर्ष भी नये ग्राम स्वीकृत किये जायेंगे ?

(4) यदि हां, तो उनके स्वीकृत करने का क्या आधार (मापदण्ड) बनाया गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978–79 के ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है तथा सही स्थिति का पता 31.3.79 के पश्चात् लग सकेगा।

(2) जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के चार ग्राम मकसूदनपुरा, धलेर, बाढ़ धामसिया एवं त्यौरी निर्धारित मापदण्ड के आधार पर विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जी हां, मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि की उपलब्धि पर विद्युतीकरण के लिये नये ग्रामों की स्वीकृति निर्भर करेगी।

(4) नये ग्रामों का स्वीकृति के लिये चयन मूलतः निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है :—

(विद्युत मंत्री)

1. भूजल की उपलब्धि, पर्याप्तता एवं उपयुक्तता।

2. विद्युत लाइनों से दूरी एवं उपलब्ध विद्युत प्रसारण प्रणाली की क्षमता।

3. क्षेत्रीय असमानता।

4. विचाराधीन अथवा चालू लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युतिकरण।

5. 11 के० वी० की विद्युत लाइनों के नीचे पड़ने वाले तथा विद्युतिकृत गांवों के बीच में छूटे हुए गांव तथा ऐसे गांव जिनमें समीप के विद्युतिकृत गांव से कोई बिजली का कनेक्शन दिया गया है, आदि।

डग क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की वन विभाग में आई जमीन

406. **श्री बाल चन्द्र आर्य (डग)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ ज़िले के डग विधान सभा क्षेत्र में कितने अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें वन विभाग में आ चुकी हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इन गरीबों की जमीनें वापस दिलाने की व्यवस्था करेगी?

(3) झालावाड़ ज़िले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की कितनी कितनी जमीनें कौन-कौन से गांवों में वन विभाग ने अपने कब्जे में कर ली है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें वन विभाग में नहीं आई हैं।

(2) क्यों कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि वन विभाग के अधिनस्थ नहीं आई है इसलिये जमीनें वापिस दिलाने की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) झालावाड़ जिले के किसी ग्राम में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्ति की जमीनें वन विभाग के कब्जे में नहीं है।

शहरों में रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट

408. **श्री अब्दुल अजीज (मकराना)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

शहरों में रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू करने के क्या आधार होते हैं तथा परबतसर उपखण्ड क्षेत्र में यह कब तक लागू किया जायेगा?

उत्तर

रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट बढ़ती हुई जनसंख्या एवं आवासीय समस्या के बारे में जिलाधीश की सिफारिश पर विचार करके लागू किया जाता है। परबतसर उपखण्ड क्षेत्र पर लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तिजारा क्षेत्र का विद्युतीकरण

409. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तिजारा विधान सभा क्षेत्र में 1977–78 व 78–79 में किसी भी नये ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ? उक्त क्षेत्र के कितने गांवों का, किस स्कीम के अन्तर्गत 1979–80 में विद्युतीकरण किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

तिजारा विधान सभा क्षेत्र में 1977–78 में किसी भी नये ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। वर्ष 1978–79 में ग्राम खुशकडा एवं अनाका का विद्युतिकरण प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र के ग्रामों का वर्ष 1979–80 के सामान्य विद्युतिकरण कार्यक्रम में चयन क्षेत्रीय असमानता एवं वित्तीय प्रावधान की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अतः अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

बेरी आयोग की रिपोर्ट पर कानसिंह आयोग के सुझाव

411, श्री बंसीलाल सारस्वत (नागौर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967 में गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत बेरी आयोग की रिपोर्ट पर न्यायमूर्ति श्री कानसिंह जी के सुझाव मांगे गये थे? यदि हां, तो क्या वे सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं?

(2) क्या राज्य सरकार ने इन सिफारिशों पर गौर कर लिया है? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या शीघ्र पालन करने जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति श्री कानसिंह जी के सुझाव राज्य सरकार को दिनांक 29-1-79 को प्राप्त हो गये हैं।

(2) उक्त सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

बूंदी में सीमेंट का कारखाना लगाने की योजना

412. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी में सीमेंट के कारखाने के लिए लगभग 8 माह पूर्व दरख्वास्त लगाई गई थी? यदि हां, तो अब तक क्या हुआ?

(2) क्या यह सही है कि बून्दी में उद्योग लगाने वाले लोगों को सरकारी आदेश के बाद भी जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर अपितु दिक्कतें पैदा करता है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या किया?

(3) क्या बून्दी में राज्य सरकार कोई कारखाना लगाना चाहती है? यदि हां, तो किसका और कब तक?

253

उत्तर

(1) बून्दी में सीमेंट के कारखाने लगाने हेतु राज्य सरकार को कोई प्रार्थना पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) बून्दी में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों से जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमियों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा मदद नहीं दिये जाने अथवा उनके द्वारा दिक्कतें पैदा करने की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) फिलहाल बून्दी में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कोई कारखाना स्थापित करने की योजना नहीं है।

कृषि भूमि रूपान्तरण विभाग जयपुर का कार्यालय

413. **श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि भूमि रूपान्तरण विभाग कार्यालय किस समय से जयपुर में प्रारम्भ किया गया ? इस विभाग ने किस-किस वर्ष में कितनी कितनी भूमि रूपांतरण एवं नियमित की ?

(2) इस विभाग पर प्रतिवर्ष कितना कितना खर्चा कार्यालय, कर्मचारी, गाड़ियां, टेलीफोन व अन्य पर किया गया ? आज तक कुल कितना खर्च किया गया ?

(3) इस विभाग के द्वारा अब तक रूपान्तरण की कितनी राशि वसूल की व प्रति वर्ष कितनी कितनी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) इस आय में से नगर विकास न्यास को कितनी धन राशि विकास खर्चे के लिए देनी थी व कितनी दी गई व शेष कितनी देनी बाकी है ?

(5) कृषि रूपान्तरण भूमि नियम, 1978 के तहत कितनी भूमि नियमित की गई और कितनी आमदनी हुई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) कृषि भूमि रूपान्तरण कार्यालय जयपुर में माह जनवरी, 1972 में स्थापित किया गया था। सन् 1972 से 1979 की फरवरी तक जितनी कृषि भूमि वर्षवार रूपान्तरित की गई उसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कृषि भूमि रूपान्तरण कार्यालय, जयपुर द्वारा माह फरवरी, 1979 तक 87.52 लाख रुपयों की वसूली की गई है। वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7 [83] राज/ग्रुप–2/74 दिनांक

254

(श्री गुल मोहम्मद)

13-9-76 द्वारा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने के लिए वसूल किया गया रूपान्तरण शुल्क का 2/3 भाग नगर विकास न्यास को दिया जाता है। अब तक नगर विकास न्यास, जयपुर को दिनांक 30-3-77 तक 9 लाख रुपया दिया जा चुका है। चूंकि रूपान्तरण की दरों में संशोधन करना सरकार के विचाराधीन था, अतः नगर विकास न्यास जयपुर को उक्त आज्ञा के अनुसार दी जाने वाली राशि को निश्चित रूप से निर्धारण सम्भव नहीं था, अतः एडहाक रूप से उन्हें 9 लाख रु० दिया गया। अब रूपान्तरण से संबंधित नियमों में सन् 1978 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

संशोधित नियमों के अनुसार नगर विकास न्यास जयपुर को दी जाने वाली राशि तय की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(5) कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1978 के तहत कोई भी नियमन नहीं किया गया है एवं कोई आमदनी नहीं हुई है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि नये नियमन दिनांक 21-10-78 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे एव दिनांक 1-11-78 से 19-2-79 तक विशेषाधिकारी के पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी।

रूपान्तरित की गई भूमि का वर्षवार विवरण

वर्ष	वर्गगज
1972	93,601.08 वर्गगज
1973	1,69,826 78 वर्गगज
1974	8,13,707.36 वर्गगज
1975	2159215.24 वर्गगज
1976	230470.75 वर्गगज
1977	120324.54 वर्गगज
1978	4381.23 वर्गगज
1979 से फरवरी, 79 तक	———
	3591526.98 वर्गगज

कृषि भूमि रूपान्तरण कार्यालय, जयपुर पर हुए खर्च का वर्षवार विवरण

वर्ष	अधिकारी/कर्मचारियों पर व्यय	डाकतार टेलीफोन	वाहन व्यय	अन्य व्यय	कुल
1	2	3	4	5	6
71-72	4248.40	6378.00	23989.20	6768.74	41384.34

1	2	3	4	5	6
72-73	95110.09	2092.45	6509.10	9958.29	113669.93
73-74	98839.69	2241.20	356.23	9874.33	111311.45
74-75	181770.56	4940.09	2483.38	18122.67	207316.70
75-76	207811.06	4402.68	11729.79	13122.67	237066.20
76-77	232459.18	5850.25	14941.21	13850.90	267101.54
77-78	246670.99	4885.50	7728.30	19655.12	178939.91
78-79 से फरवरी 79 तक	144071.63	3327.80	4084.72	2876.33	154360.48

फरवरी, 79 तक 87.52 लाख रु० की की गई वसूली का विवरण

वर्ष	राशि (लाखों में)
1972-73	1.06
1973-74	7.55
1974-75	25.61
1975-76	25.04
1976-77	22.54
1977-78	4.13
1978-79 फरवरी, 79 तक	1.59
	87.52 लाख रु०

राज्य में सिरेमिक्स कम्पलेक्स की स्थापना

414. **श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का या आर. आई. एम. डी. सी. का राज्य में सिरेमिक्स कम्पलेक्स की स्थापना करने का विचार है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के सिरेमिक्स कम्पलेक्स के लिए बीकानेर जिले की कोलायत तहसील क्षेत्र का विचार किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, निगम राज्य में सिरेमिक्स कम्पलेक्स की स्थापना हेतु प्रयत्नशील है ।

(2) सिरेमिक्स कम्पलेक्स लगाने हेतु

(उद्योग मंत्री)

एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर में सिरेमिक्स कम्पलेक्स एस्टेट भविष्य में बनाने का प्रावधान है। कोलायत तहसील क्षेत्र में कुछ सिरेमिक्स रॉ मेटेरीयल (Raw Material) उपलब्ध है। इन सिरेमिक्स रॉ मेटेरीयल के खनन एवं शोधक कार्य हेतु संयन्त्र लगाने की सम्भावना पर भी कार्य किये जाने का प्रावधान है।

दानपुर क्षेत्र की निर्माणाधीन सड़कें

415. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दानपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन अधूरी सड़कें कितनी हैं ? जिस पर राज्य सरकार द्वारा धन खर्च किया गया है ?

(2) इन सड़कों को पूरा करने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) दानपुर क्षेत्र में निम्नलिखित अधूरी सड़कें हैं जिनमें वर्ष 1978–79 में राहत कार्य चलाये गये। उनके सामने जो धन खर्च हुआ अंकित है—

सड़क का नाम	व्यय लाखों में
1. दानपुर घन्टाली	2.38
2. बांसवाड़ा प्रतापगढ़	6.36
3. माहीडेम भूगड़ा खमेरा	3.53
4. माहीडेम केला–मेला घन्टाला	2.15

इसके अलावा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सड़क प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है और काम किया जा रहा है।

(2) सड़क बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने बांसवाड़ा जिले में पड़ने वाली लम्बाई के लिये 7 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति की है जिसमें 78–79 में 3.64 लाख रु० माह जनवरी, 79 तक व्यय किये जा चुके हैं। निम्नलिखित सड़कें छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं :—

सड़क का नाम	व्यय लाखों में
1. दानपुर घन्टाली सड़क	10.00
2. माहीडेम भूगड़ा सड़क	7.00
3. पीपलखूट से डूगलवरनी	57.00

अलाटमेन्ट कमेटी कोटपुतली द्वारा गोचर भूमि की स्वीकृति

416. **श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तहसील कोटपूतली को गोचर-भूमि की स्वीकृति हेतु अलाटमेन्ट कमेटी के प्रस्ताव 1961–62 में तहसील से किस-किस ग्राम से कब-कब भेजे गये तथा इनको स्वीकृत व अस्वीकृत करके तहसील को वापिस सूचना कब-कब किस-किस ग्राम को भेजी गई ?

(श्री रामकरणसिंह)

(2) क्या कुछ ग्रामों को आज 18 वर्ष बाद भी कोई सूचना नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1961–62 में गोचर भूमि की स्वीकृति हेतु उप-जिलाधिकारी कोटपूतली कार्यालय से 88 ग्रामों के 94 प्रस्ताव जिलाधीश कार्यालय को प्राप्त हुए थे। जिनमें 70 ग्रामों के 76 प्रस्तावों की पत्रावलियां वहां उपलब्ध हैं जिनकी प्राप्ति एवं स्वीकृति की सूची परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है। शेष 18 ग्रामों की पत्रावलियां तलफ हो चुकी है, इस कारण उनकी प्राप्ती एवं स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। उक्त 18 ग्रामों की सूची परिशिष्ठ 'ख' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सूचना सभी प्रस्तावों की समय समय पर भिजवाई जा चुकी है। परन्तु जिन 18 प्रस्तावों की पत्रावलियां तलफ हो चुकी हैं उनके बाबत सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

222

परिशिष्ट "क"

तहसील कोटपूतली से सन् 1961–62 में चरागाह स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों के ग्रामों की सूची

	नाम ग्राम	उप जिलाधीश कोटपूतली से प्रस्ताव भेजने का क्रमांक व दिनांक	जिलाधीश कार्यालय में प्राप्ति की तिथि	जिलाधीश कार्यालय से उप जिलाधीश कोटपूतली को स्वीकृति की सूचना भेजने का क्रमांक व दिनांक
	1	2	3	4
1.	हासियावास	93 दि. 27–1–61	31–1–61	ग्रार–1 (11) (8) 61/3390 दिनांक 18–4–61
2.	पानेडा	92 दि. 27–1–61	31–1–61	ग्रार–1 (11) (9) 61/3396 दिनांक 18–4–61
3.	नारहेडा	96 दि. 27–1–61	31–1–61	ग्रार–1 (11) (10) 61/3394 दिनांक 18–4–61
4.	टमोरीवास	97 दि. 27–1–61	31–1–61	ग्रार–1 (11) (11) 61/3302 दिनांक 18–4–61
5.	सांगठेड़ा	91 दि. 27–1–61	31–1–61	ग्रार–1 (11) (12) 61/3405 दिनांक 18–4–61
6.	बनार	97 दि. 27–1–61	31–1–61	ग्रार–1 (11) (13) 61/3403 दिनांक 18–4–61
7.	शेखपुरा	396 दि 27–3–61	6–4–61	ग्रार–1–11 (14) 61/3713 दिनांक 29–4–61
8.	फतेहपुराकलां	1302 दि. 29–4–61	6–5–61	ग्रार–1–11 (17) 61/5882 दिनांक 17–6–61

1	2	3	4
9.	चातवक्की 1306 दि. 29-4-61	6-5-61	ग्रार-1-11 (20) 61/5884 दिनांक 14-6-61
10.	मोलाहेड़ा 476 दि. 9-4-61	15-5-61	ग्रार-1-11 (22) 61/6004 दिनांक 15-6-61
11.	कालूहेड़ा 1244 दि. 27-4-61	3-5-61	ग्रार-1-11 (27) 61/6962 दिनांक 21-6-61
12.	गोपीपुरा 497 दि. 9-5-61	15-5-61	ग्रार-1-11 (28) 61/6963 दिनांक 21-6-61
13.	गोपालपुरा 1303 दि. 29-4-61	6-5-61	ग्रार-1-11 (32) 61/7383 दिनांक 1-7-61
14.	रामकरणपुरा 1106 दि. 31-10-61	2-11-61	ग्रार-11 (84) 61/14208 दिनांक 28-12-61
15.	घवाली 1111 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (85) 14209 दिनांक 28-12-61
16.	महरमपुरनवाब 1108 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (86) 61/14210 दिनांक 28-12-61
17.	खेडानिहालपुरा 1122 दि. 30-12-61	2-11-61	ग्रार-11 (87) 61/14211 दिनांक 28-12-61
18.	खेडा निहालपुरा 1122 दि. 31-10-61	4-11-61	ग्रार-1-11 (87) 61/14211 दिनांक 28-12-61
19.	मुक्लावास 1107 दि. 31-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (88) 61/14212 दिनांक 29-12-61
20.	रघुनाथपुरा 1189 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (89) 61/14907 दिनांक 28-12-61

260

1	2	3	4
21.	अमरपुरा 1088 दि. 20–10–61	2–11–61	आर–11 (90) 61/14206 दिनांक 28–12–61
22.	द्वारिकापुरा 1087 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–1–11 (91) 61/14205 दिनांक 28–12–61
23.	गोवर्धनपुरा 1110 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–11 (92) 61/14204 दिनांक 28–12–61
24.	पानेड़ा 1092 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–11 (93) 61/14020 दिनांक 28–12–61
25.	बिठलोदा 1085 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–1–11 (95) 61/14201 दिनांक 28–12–61
26.	काजूखेड़ा 1101 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–1–11 (96) 61/14200 दिनांक 28–12–61
27.	पुरुषोत्तमपुरा 10951 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–1–11 (97) 61/14199 दिनांक 28–12–61
28,	कंवरपुरा 1109 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–1–11 (2) 61/150 दिनांक 24–[illegible]–62
29.	दांतिल 1086 दि. 30–10–61	2–11–61	आर–1–11 (3) 61/134 दिनांक 4–1–62
30.	नवरंगपुरा 1304 दि. 29–4–61	6–5–61	दिनांक 6–5"1 आर–1–11 (23) 61/6003 दिनांक 15–6–61
31.	सरेड़ 1305 दि. 29–4–61	6–5–61	आर–1–11 (24) 61/5999 दिनांक 15–6–61

(261)

1	2	3	4
32.	बामनवास 491 दि. 9-5-61	15-5-61	आर-1-11 (25) 61/5989 दिनांक 15-6-61
33.	खेड़लीमुकड़ 327 दि. 11-3-61	17-3-61	आर-11 (26) 61/6005 दिनांक 15-6-61
34.	नांगलवाला 1103 दि. 30-10-61	2-11-61	आर-1-11 (12) 62/393 दिनांक 11-1-62
35.	अजीतपुराकलां 1029 दि. 11-10-61	24-10-61	आर-1-11 (3) 62/392 दिनांक 11-1-62
36.	भण्डाजमूरि 1026 दि. 11-10-61	24-10-61	आर-1-11 (14) 62/390 दिनांक 11-1-62
37.	पूतली 1005 दि. 11-10-61	24-10-61	आर-1-11 (15) 62/391 दिनांक 11-1-62
38.	खरखड़ी 1003 दि. 11-10-61	11-10-61	आर-1-11 (16) 62/288 दिनांक 11-1-62
39.	जयसिंहपुरा 997 दि. 11-10-61	16-10-61	आर-1-11 (17) 62/387 दिनांक 11-1-62
40.	चूरी 1007 दि. 11-10-61	16-10-61	आर-1-11 (18) 62/398 दिनांक 11-1-62
41.	सुजातनगर 1004 दि. 11-10-61	16-10-61	आर-1-11 (19) 62/399 दिनांक 11-1-62
42.	ललाना 1008 दि. 11-10-61	16-10-61	आर-1-11 (20) 62/400 दिनांक 11-8-62
43.	पिचानी 1104 दि. 30-10-61	2-11-61	आर-1-11 (21) 62/488 दिनांक 10-1-62

(262)

1	2	3	4
44.	भोपतपुरा 1100 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (22) 62/407 दिनांक 12-1-62
45.	वेरी 1006 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (2) 62/379 दिनांक 11-1-60
46.	कुहाडा 1024 दि. 30-10-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (39) 62/474 दिनांक 13-1-62
47.	टापरी 1030 दि. 30-10-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (40) 62/472 दिनांक 13-1-62
48.	कासली 1033 दि. 30-10-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (23) 62/412 दिनांक 12-1-62
49.	बडावास 1031 दि. 30-10-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (41) 62/471 दिनांक 13-1-62
50.	कल्याणपुराकलां 1105 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (1) 62/151 दिनांक 4-1-62
51.	देवता 140 दि. 28-10-61	9-3-62	ग्रार-1-11 (100) 62/2272 दिनांक 4-4-62
52.	भालोजी 1098 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (6) 72/409 दिनांक 12-1-62
53.	गोनेडा 1010 दि. 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (7) 62/395 दिनांक 11-1-62
54.	फतेहपुरा 1028 दि. 11-10-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (8) 62/401 दिनांक 24-10-61

263

1	2	3	4
55.	बांदोली 1043 दि. 20-10-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (9) 62/397397 दिनांक 11-1-62
56.	चंतरभुज 1137 दि. 4-11-61	15-11-61	ग्रार-1-11 (11) 62/394 दिनांक 11-1-61
57.	टोरडाकलां 1099 दि. 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (24) 62/413 दिनांक 12-1-62
58.	हसनपुरा 1195 दि. 16-11-61	20-11-61	ग्रार-1-11 (25) 62/416 दिनांक 12-1-62
59.	महरपुर राजपूत 1027 दि 16-11-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (26) 62/418 दिनांक 12-1-62
60.	शेखपुरा 1001 दि. 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (27) 62/414 दिनांक 13-1-62
61.	सागडेडा 1016 दि. 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (28) 62/410 दिनांक 12-1-62
62.	चानचक्की 1002 दि. 11-10-61	16-10-80	ग्रार-1-11 (29) 62/405 दिनांक 12-1-62
63.	राहेडा 1016 दि. 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (30) 62/406 दिनांक 12-1-62
64.	सुन्दरपुरा 1014 दि. 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (31) 62/419 दिनांक 12-1-62
65.	राजनोता 1006 दि. 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (32) 22/417 दिनांक 12-1-62
66.	खडब 1009 दि. 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (36) 62/473 दिनांक 13-1-62

1	2	3	4
67.	बडनगर — दि. 16–11–61	15–11–61	आर–1–11 (34) 62/4131 दिनांक 29–5–62
68.	बासड़ी 1013 दि. 11–10–61	16–10–61	आर–1–11 (37) 62/475 दिनांक 13–1–62
69.	कीरतपुरा 299 दि. 11–10–61	16–10–61	आर–1–11 (38) 62/478 दिनांक 13–1–62
70.	मोरधा 1079 दि. 13–12–61	30–12–61	आर–1–11 (46) 62/870 दिनांक 22–1–62
71.	ठिकरिया 1081 दि. 13–12–61	30–12–61	आर–1–11 (47) 62/869 दिनांक 22–1–62
72.	खेडर्कामुक्ड 1296 दि. 19–12–61	3–1–62	आर–1–11 (48) 62/868 दिनांक 22–1–62
73.	किराडोद 1078 दि. 13–12–61	30–12–61	आर–1–11 (49) 62/867 दिनांक 22–1–62
74.	जाहिर्जदपुरा 1082 दि. 13–12–61	30–12–61	आर–1–11 (50) 62/938 दिनांक 24–1–62
75.	मलपुरा 1097 दि. 19–12–61	3–1–62	आर–1–11 (59) 62/9036 दिनांक 1–2–62
76.	मोहनपुरा 1032 दि. 19–12–61	24–10–62	आर–1–11 (10) 62/396 दिनांक 11–1–62
77.	कायमपुरावास 1201 दि. 16–11–61	20–11–61	आर–1–11 (4) 62/388 दिनांक 11–1–62

265

परिशिष्ट "ख"

सूची जिन ग्रामों की पत्रावलियां तलफ हो गई हैं।

क्रम संख्या	नाम ग्राम
1.	बूचाहेडा
2.	बादशाहपुरा
3.	सुन्दरपुरा डाढा
4.	मंसलाना
5.	टसकोला
6.	पवानाअहीर
7.	जगदीशपुरा
8.	जीनगौर
9.	नवलकिशोरपुरा
10.	पांच पहाड़ी
11.	कोटपूतली
12.	टोरडा वामनवाला
13.	कूंजोता
14.	पण्डितपुरा
15.	पवालाराहपूत
16.	पाछूडोला
17.	पाथरेडी
18.	केशवानाराजपूत

झालावाड़ क्षेत्र में काली सिन्ध नदी पर पुल

417. **श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरा पाटन)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालरा पाटन विधान सभा क्षेत्र में कालीसिन्ध नदी पर पुलिया बनाने की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि काली सिन्ध नदी पर पुल नहीं होने से बरसात के दिनों में जिला मुख्यालय का सम्बन्ध अन्य स्थानों से सात-सात दिन के लिए कट जाता है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या इस पुलिया का निर्माण आवश्यक नहीं है ?

(3) काली सिन्ध नदी पर अब पुलिया का काम राज्य सरकार द्वारा कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) झालरापाटन क्षेत्र में काली सिन्ध नदी पर पुल बनाने की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(2) जी हां, काली सिन्ध नदी पर वर्षा में अधिक पानी से बरसात के मौसम में कुछ दिनों के लिये समय समय पर यातायात बन्द हो जाता है। इस स्थिति में इस पुलिया का निर्माण करना आवश्यक हैं।

(3) इस पुल को बनाने की अनुमानित लागत रु. 1.70 करोड़ आती हैं। छठी पंच वर्षीय योजना में विचाराधीन हैं।

प्रतापगढ़ क्षेत्र में 132 के० वी० लाइन

418. **श्री कारु भाई (प्रतापगढ़)** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 132 के. वी. लाइन प्रतापगढ़ क्षेत्र में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहुंचाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो अभी तक नहीं पहुंचाने के क्या कारण हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में अभी तक कितने आदिवासी गांवों में विद्युत कनेक्शन हैं तथा 1 कि. मी. वाले गांवों का विद्युतिकरण कब तक करवा दिया जाने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) पांचवी पंचवर्षीय योजना में 132 के. वी. लाइन प्रतापगढ़ पहुंचाने का प्रस्ताव था परन्तु आशातीत विद्युत भार न आने के कारण इसको प्राथमिकता नहीं दी जा सकी। अब इस लाइन को दिसम्बर 1979 के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(2) समस्त प्रतापगढ़ क्षेत्र आदिवासी है तथा इसके 46 ग्राम विद्युतिकृत हैं जिनमें 6600 विद्युत कनेक्शन हैं। वर्ष 1978-80 में विद्युतिकरण के लिये एक किलोमीटर एवं मार्ग में पड़ने वाले 4 ग्राम मोखमपुरा, दिवाला, ऊंचवानिया एवं रामपुरिया अभी स्वीकृत किये गये हैं।

काम के बदले अनाज योजना

419. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),**

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) : क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने काम के बदले अनाज योजना की अच्छी प्रगति व कार्य को देखते हुए इस योजना को 31 मार्च, 1979 से आगे भी चलाने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है ? यदि हां, तो कब तथा केन्द्र सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ ? यदि निवेदन नहीं किया, तो क्यों ?

उत्तर

भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना वर्ष 1979-80 में भी चालू रहेगी ।

जिला सत्र न्यायालय सिरोही व पाली में सुने जाने वाले मुकदमात

420. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाली और देसूरी तहसीलें पाली जिले का अङ्ग होते हुए भी इन तहसीलों के दीवानी, फौजदारी मुकदमात जिला सत्र न्यायालय पाली की जगह जिला सत्र न्यायालय सिरोही द्वारा सुनवाई किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बाली और देसूरी तहसीलों की जनता व प्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर यह मांग की जा रही है कि ऐसे मुकदमात की सुनवाई पाली जिला सत्र न्यायालय द्वारा की जाये और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस आशय की सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी है ? यदि हां, तो सिफारिश राज्य सरकार को कब मिली ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आदेश जारी कर बाली व देसूरी तहसीलों के मुकदमात की जो सुनवाई सिरोही की जाती हैं उनकी सुनवाई पाली सत्र न्यायालय द्वारा कराने की जन सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि बाली और देसूरी तहसीलों पाली जिले का अङ्ग हैं और इन तहसीलों के दीवानी, फौजदारी व सैशन्स मुकदमों की सुनवाई काफी वर्षों से अतिरिक्त जिला व सैशन न्यायाधीश के न्यायालय में हो रही है ।

(2) जी हां । यह सही है कि बाली व देसूरी की जनता व प्रतिनिधियों की यह मांग रही है कि इस उपखण्ड के मुकदमों की सुनवाई पाली सत्र न्यायालय द्वारा की जाय, और इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी पूर्व में सिफारिश की थी, किन्तु तत्कालीन सरकार ने वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं समझा ।

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से परामर्श कर प्रस्तावित परिवर्तन करने की उपयोगिता पर विचार करेगी ।

सर्दियों में जालोर जिले के पशुओं की चराई सम्बन्धी मामला

421. **श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में पशुओं को जाड़ों में समय पर चरने की इजाजत नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम तावीदर के चराई के जोड सीसण भाखर में अभी तक पशु चरने की इजाजत नहीं दी गई है ? अगर हां, तो कब तक पशु चरने की इजाजत दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जालोर जिले के वन विभाग के अधीन जोड़ों में पशुओं को चराने की स्वीकृति जैसे जैसे प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं दे, दी जाती है।

(2) ग्राम तावीरदार के जोड़ सीसण पारकर में 1970-71 का 250 हैक्टर में बलौजर है जिसमें वर्ष 1977-79 में नर पौधे लगाये गये है, इस वजह से इस क्षेत्र में चराई की इजाजत नहीं दी गई है।

जब पौधे मवेशियों की चराई सीमा से ऊंचे हो जायेंगे तो इस क्षेत्र को चराई के लिये खोल दिया जायेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-3-79)

ग्राम पंचायत मोहनपुरा के भूतपूर्व सरपंच द्वारा अनुदान के रूप में ली गई राशि

78. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत मोहनपुरा पंचायत समिति इटावा के भूतपूर्व सरपंच श्री तेजमल गुप्ता के कार्यकाल में उन्होंने किन किन कार्यों हेतु पंचायत समिति इटावा से कितनी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त की तथा खर्च की ? ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पंचायत समिति इटावा से विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राशि का उपयोग क्या उन्हीं कार्यों पर सही रूप से हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या उक्त कार्यों में कहीं गबन तथा घोटाला नजर आया ? यदि हां, तो क्या तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायत मोहनपुरा के भूतपूर्व सरपंच श्री तेजमल गुप्ता के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच करायेगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

269

(पंचायत मन्त्री)

(2) सरसरी तौर पर जांच के आधार पर यह पाया गया है कि कुछ कार्यो पर अनुदान राशि का सही उपयोग नहीं हुआ हैं।

(3) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब पूर्ण जांच कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके है।

(4) जी हां। जांच के आदेश दे दिए गए है।

पंचायत समिति इटावा जिला कोटा के ग्राम पंचायत मोहनपुरा को विकास कार्यो के लिये प्राप्त अनुदान राशि का विवरण।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुदान की प्राप्त राशि	हिसाब जो उपलब्ध है	राशि जिसका प्रमाण पत्र जारी किया गया
1	2	3	4	5
1.	**कुवां मोहनपुरा**			
1.	कुवा मोहनपुरा एवं टंकी निर्माण व गहरा करना	6,750–00	5,153–60	5,815–95
2.	कुवां भीडा	4,250–00	5,047–15	5,023–75
3.	कुवां शिवदानपुरा	4,500–00	4,367–25	4,450–00
4.	खरंजा मोहनपुरा	1,500–00	1,500–00	—
5.	कुवां आजाद नगर	1,000–00	—	—
6.	कुवां जयनगर	2,000–00	—	—
7.	स्कूल मोहनपुरा	2,250–00	2,250–00	500–00
8.	कुवां बालापुरा	4,500–00	3,000–00	4,354–55
9.	कुवां रैंगरान	200–00	201–00	—
10.	कुवां चमारान	200–00	201–00	—

22

1	2	3	4	5
11.	तालाब मोहनपुरा	19,421–00	20,421–00	20,421–00
12.	ग्राम सेवक क्वाटर	2,000–00	—	—
13.	बावडी पीडा	1,000–00	1,000–00	1,000–00
14.	रास्ता दुरुस्ती बालापुरा	1,845–31	1,845–31	1,845–31
15.	कुवां दारा	2,000–00	2,000–00	—
16.	कुवा मैला	2,000–00	2,000–00	3,112–70
17.	तलाई मोहनपुरा	1,229–00	1,240–00	1,332–10
18.	तलाई शिवदानपुरा	1,500–00	1,500–00	1,500–00
19.	तलाई बालापुरा	1,500–00	1.500–00	1,500–00
20.	कुवां छत्रपुरा	500–00	501–00	557–00
21.	विद्युत विकास	1,750–00	—	—

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न सं० 405 की सूची

राजस्थान के विभिन्न जिलों में 22–6–77 के पश्चात दी गई पेन्शन राशि।

क्र. सं.	नाम जिला	संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	अजमेर	2403	9.82
2.	बूंदी	572	2.75
3.	स० माधोपुर	3278	9.71
4.	चूरू	1079	3.35
5.	टोंक	1397	5.24
6.	भरतपुर	3154	19.39
7.	नागौर	1745	9.59
8.	जोधपुर	6758	21.01
9.	सीकर	734	2.42
10.	डूंगरपुर	770	4.35
11.	बाड़मेर	685	4.41
12.	बांसवाड़ा	616	3.13
13.	जालौर	289	—
14.	जैसलमेर	593	3.95
15.	सिरोही	978	2.38
16.	कोटा	—	—

1	2	3	4
17.	भीलवाड़ा	574	3.51
18.	बीकानेर	739	8.16
19.	चित्तौड़गढ़	737	—
20.	अलवर	1663	8.01
21.	झालावाड़	942	2.83
22.	गंगानगर	2398	13.37
23.	पाली	1601	5.32
24.	उदयपुर	1344	11.21
25.	झुन्झनू	570	3.29
26.	जयपुर	—	—

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की सूची

क्र. सं.	वर्ष	आय	व्यय	लाभ	हानि
1.	1967–68	–	–	–	–
2.	1968–69	162–00	–	162–00	–
3.	1969–70	3800–24	5700–63	–	1900–36
4.	1970–71	5370–03	8971–09	–	3601–06
5.	1971–72	7836–93	8682–97	–	846–04
6.	1972–73	7300–00	6795–02	513–17	–
7.	1973–74	9452–80	6780–67	2672–13	–
8.	1974–75	2852–62	5670–52	–	2817–00
9.	1975–76	3865–70	8437–83	–	4572–12
10.	1976–77	11652–12	1889–64	9725–48	–
11.	1977–78	–	368–30	–	368–30
योग		52263–63	53295–63	13072–78	14105–78

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ–951 (6) ऋण वसूली । लेखा । 14054 दिनांक 30-7-74 और से– विशिष्ट शासन सचिव, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राज०,

जयपुर वास्ते समस्त जिलाधीश

विषय :— पंचायत समितियों के कृषि फार्मों को वापस राजस्व विभाग को लौटाने कें सम्बन्ध में ।

विषयान्तर्गत कथित प्रसंग में राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से उन पंचायत समितियों के कृषि फार्म का जो राजस्व (ख) गिभाग के परिपत्र एफ–6 (94) ख । वी । 1 । 60 । पार्ट –2 दिनांक 10-1-67 से तहत आवंटन किये गये थे परन्तु जो परिपत्रों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है तथा लगातार हानि में चल रहे है उनको वापिस

राजस्व विभाग को लौटाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। कृषि फार्म पर जो स्थाई निर्माण कार्य (भवन इत्यादि) पंचायत समिति द्वारा कराया गया है उसका भी स्थानांतरण राजस्व विभाग को दिया जावेगा। इन स्थायी निर्माण कार्यों के प्रति यदि कोई मुआवजा सम्बन्धित पंचायत समितियों को देय है तो इस सम्बन्ध में बाद में विचार किया जावेगा। इन कृषि फार्मों के स्थानान्तरण की सभी कार्यवाही सम्बंधित जिलाधीश करेंगे। अस्थाई निर्माण कार्य एवं अन्य सामान जो कृषि फार्मों पर है उनको पंचायत समिति वहां से हटा लेगी या उनका डिस्पोजल कर देगी, राज्य सरकार इसके लिए कोई क्षति पूर्ति नहीं करेगी। इस सम्बन्ध में विकास अधिकारियों को चाहिए कि वह तुरन्त जिलाधीश से सम्बन्ध स्थापित कर इह संबंध में कार्यवाही करें। आदेश राजस्व एवं वित्त विभाग की सहमति से प्रसारित किये जाते हैं।

———

275

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न सं० 411 की सूची

पंचायत समिति द्वारा एनीकट पर कराए गये कार्य के विवरण की सूची

क्र. सं.	नाम एनीकट	पंचायत का नाम	राशि अब तक जो खर्च की गई।
1	2	3	4
1.	भसानिया एनीकट	नठारा	45000–00
2.	चावण्ड एनीकट	चावण्ड	20000–00
3.	झरनाटो का दर्रा एनीकट	पालसराडा	14000–00
4.	झालर देवी एनीकट	नठारा	153–93
5.	ढेलाई एनीकट	परसाद	41500–00
6.	परसाद एनीकट	परसाद	36300–00
7.	पाराई पिकअपपियर एनीकट	खरवड़	14000–00
8.	नाठारा मन्डास एनीकट	नठारा	30000–00
9.	बुजो का नाका एनीकट	देवपुरा	12508–18
10.	लवाकर काना का एनीकट	घन का वाडा	66000–00
11.	बामणीया एनीकट	नठारा	18519–87
13.	आकली ओटला एनीकट	पालसराडा	12633–84
13.	हेरनीया काना का एनीकट	घोडासर	32189–20
14.	चन्दोडा एनीकट	राठोडा	36612–47
15.	साक्डा नला एनीकट	मोराई	11027–00
	योग		390444–49

परिशिष्ट– 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची

आवासी भूखण्ड आवंटन की सूची आराजी नं० 1646 मीन ग्राम पंचायन देबारी, पंचायत समिति गिर्वा

क्र. सं.	भूखण्ड आवंटित व्यक्ति का नाम मय वल्दियत	निवासी	आवंटन प्लाट नं एवं साइज प्लाट नं	साइज फीट में	प्लाट की वर्तमान स्थिति	अधिकारी जिसके द्वारा आवंटन किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री भैरूलाल पिता दलीचन्द ब्राह्मण	देबारी	1	20 40	दुकान किराये पर 80 रु० माहवार में 5 फीट जगह छुटी हुई है।	ग्राम पंचायत	
2,	श्री उदयलाल पिता डालचन्द तम्बोली	,,	2क	20 40	दुकान व मकान बना हुआ है।	,,	
3.	श्री मांगीलाल पिता डालचन्द तम्बोली	,,	2ख	20 40	दुकान व मकान बना हुआ है।	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	श्री बंशीलाल पिता नारायण नाई	देबारी	3	20	40 हेयर कटिंग की दुकान व मकान	ग्राम पंचायत	
5.	श्री दौलतराम पिता कल्लाजी माली	,,	4	15	40 पान की दुकान	,,	
6.	श्री ख्यालीलाल पिता दौलतराम मावली	,,	5	15	40 पान की दुकान खाली 1 व होटल	,,	
7.	इन्द्रसिंह पिता वृद्धिचन्दजी जैन	,,	6	20	40 दो दुकान एक नाई की व एक साईकिल की किराये 70/ रु० प्रति दुकान	,,	
8.	श्री भगवतसिंह पिता अर्जुनसिंह देवडा	,,	7	20	40 सरपंच साहब के सुपुत्र दो दुकान बनवाई एक दर्जी को 60/ रु० प्रतिमाह व दूसरी किराना की 70/ रु० प्रति माह से किराये	,,	
9.	लोनर पिता नानालाल जी नाई	,,	8	15	40 दुकान नाई की स्वयं की	,,	
10.	श्री अम्बालालजी पिता शंकरलाल ब्राह्मण	,,	9	20	40 दो दुकान एक खाली दूसरी 70/ रु० माह में होटल के लिए किराए दी	,,	

277

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्री चतुर्भुज पिता कालूजी नाई	देवारी	10	20	40 नाई की दुकान एक व दूसरी खाली	ग्राम पंचायत	
12.	श्री चमनलालजी पिता रूपजी सालवी	,,	11	20	40 दो दुकान एक साईकिल की एक अधूरी	,,	
13.	श्री कन्हैयालाल जी पिता मांगीलाल मेहता	,,	12	30	40 दो दुकान किराना व एक खाली	,,	
14.	श्री मोहनलाल जी पिता दौलतराम ब्राह्मण	,,	13	20	40 दो दुकान व एक मकान बनाया	,,	
15.	श्री धर्मचन्द पिता देवीलाल सालवी	,,	14	20	40 दो दुकान एक नाई की व एक किराना की किराया 51/- रु० प्रतिमाह	,,	
16.	श्री प्रताप पिता जालमजी तेली	,,	15	15	40 एक मकान व एक दुकान बनाया मकान में स्वयं के रहने के उपयोग लिया जा रहा है तथा	,,	

1	2	3	4	5		6	7	8
						दुकान 80/- रु. प्रतिमाह पर किराये है ।		
17.	श्री मिठ्ठूलाल पिता खेमराज धोबी	देवारी	16	20	40	दो दुकान बनाई एक में रहना व दूसरी में धोबी की दुकान मकान नहीं बनाया	ग्राम पंचायत	
18.	श्री सद्दीक मोहम्मद पिता रकम बख्शजी	,,	17	20	40	दो दुकान बनाई एक किराये दे रखी है तथा दूसरी खाली है	,,	
19.	श्री भंवरलाल पिता मोडीलाल गर्ग	,,	18	20	40	एक दर्जी को दुकान व एक बरामदा तथा मकान अधुरा बना हुआ है ।	,,	
20.	श्री मांगीलाल पिता गमेर जी खटीक	,,	19	15	40	एक दुकान तथा मकान रहने के उपयोग में आ रहा है ।	,,	
21.	श्री देवकिशन पिता गणेशजी खटीक	,,	20	15	40	एक दुकान एवं अन्दर मकान स्वयं के रहने के कार्य में आ रहा है ।	,,	

280

1	2	3	4	5		6	7	8
22.	श्री मोडसिंह पिता रुघनाथजी	देबारी	21	15	40	एक दुकान व एक मकान	ग्राम पंचायत	
23.	श्री वालूराम पिताओंकारजी ब्राह्मण	„	22	15	40	दुकान व मकान किराये दे रखा है	„	
24.	श्री शंकरलाल पिता मगनीराम ब्राह्मण	„	23	15	40	दुकान बना रहा है।	„	
25.	श्री गणेशनाथ पिता तारुनाथ	„	24	15	40	दुकान व बरामदा बना हुआ है	„	
26.	श्री पन्नालाल पिता विजयशंकर व्यास	„	25	15	40	दुकान खाली किराये देना है	„	
27.	श्री भंवरलाल पिता भैरूलाल जैन	गोवला	26	15	40	एक दुकान किराये देना है मकान नहीं बनाया	„	
28.	श्री देवकिशन पिता भैरूशंकरजी	देवारी	27	20	40	दो दुकान किराये प्रत्येक का 70/– रु० प्रति माह दी गई।	„	
29.	श्री ओंकारसिंह पिता केसरसिंह	„	28	20	40	दो दुकान होटल के लिए श्री उदयलाल को 140/- रु. प्रति माह किराये दी	पंचायत द्वारा	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	श्री सादिक खां पिता मोहम्मद खां	देवारी	1	20	42 खाली तलिया हिन्दुस्तान जिक नौकरी	पंचायत द्वारा	
31.	श्री विजयराम पिता भंवरलाल शर्मा	रकमपुरा	2	20	40 दुकान व मकान बना रखा है स्वयं रहते है जिक स्मेल्टर में ठेकेदार है	,,	
32.	श्री हरिशचन्द्र पिता बालकृष्ण शर्मा	देवारी	3	20	40 खाली तलिया राजकीय विभाग में चपरासी	,,	
33.	श्री घनेश्वर पिता अम्बालालजी	,,	4	20	40 खाली तलिया पूर्व में पटवारी देबारी था	,,	
34.	श्री पुरुषोत्तम पिता देवीलाल शर्मा	,,	5	20	40 एक दुकान व पीछे का मकान किराये दिया हुआ है तथा ग्राम-सेवक कालेज यूनिवर्सिटी है	,, ,,	
35.	श्री रतनलाल पिता भैरूलाल जैन	,,	5	20	40 प्लाट खाली है।	,,	
36.	श्री कालूलाल पिता घनराज जैन	,,	7	20	40 प्लाट खाली है।	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	श्री शान्तीलाल पिता भंवरलाल जैन	देवारी	8	20	40	प्लाट खाली है।	पंचायत द्वारा
38.	श्री प्रकाशचन्द पिता भैरूलाल मेहता	,,	9	20	40	प्लाट पर कोट बना हुआ है हिन्दुस्तान जिंक के ठेकेदार के पास नौकरी करता है।	,,
39.	श्री भगवानलाल पिता चुन्नीलाल मेहता	,,	11	20	40	प्लाट खाली पड़ा हुआ है	,,
40.	श्री रतनलाल पिता चुन्नीलाल मेहता	,,	10	20	40	नीचे मकान बना हुआ किराये पर 60/– प्रतिमाह से	,,
41.	श्री चन्द्रसिंह पिता मनोहरसिंह	,,	12	20	40	आधा मकान बना हुआ है। ठेकेदार के पास काम करता है।	,,
42.	श्री जाफर खां पिता अलीमोहम्मदजी	,,	13	20	40	आधा मकान किराये पर 30/ रु० प्रतिमाह से	,,
43.	श्री मांगीलाल पिता मोतीलालजी	,,	14	20	40	आधा मकान खुदा हुआ है	,,
44.	श्री बागाराम पिता दानाजी	,,	15	20	40	कच्चा मकान बना हुआ है रह रहे है	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	श्री गुलशीराम पिता किशना गाछा	देवारी	16	20 40	आधा बना हुआ है स्वयं रह रहे है	पंचायत द्वारा	
46.	श्री माणकलाल पिता देवा खटीक	,,	1	20 40	मकान बना हुआ है 20 40 के अन्य प्लाट पर अतिक्रमण तथा पंचायत सड़क पर भी अतिक्रमण किया हुआ है।	,,	
47.	श्री विनोदकुमार पिता श्यामसुन्दरजी	,,	2	20 40	हिन्दुस्तान जिंक में नौकरी, प्लाट खाली पड़ा हुआ है।	,,	
48.	श्री वंशीलाल पिता भगवान जी	,,	3	21 40	खाली पड़ा हुआ है रिटायर थानेदार	,,	
49.	श्री राजमलजी पिता धनराज तमोबी	,,	4	20 40	खाली पड़ा हुआ है।	,,	
50.	श्री छोगालाल पिता मोडीलालजी	,,	5	20 40	खाली पड़ा हुआ है।	,,	
51.	श्री दौलतसिंह पिता उदयसिंह	,,	6	20 40	अध्यापक था वापस समर्पित होने से निरस्त किया गया।	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	श्री गुलाबसिंह पिता पृथ्वीसिंहजी	देबारी	7	20	40 खाली पड़ा हुआ है।	पंचायत द्वारा	
53.	श्री हीरालाल पिता उदा गूजर	,,	8	20	40 अधूरा स्वयं रहते है।	,,	
54.	श्री हुकमी चन्द पिता गुलाबचन्दजी शर्मा	,,	9	20	42 मकान किराये पर दिया है	,,	
55.	श्री कैलाशचन्द्र पिता नाथूलाल माली	,,	10	20	40 अधूरा बना हुआ है पावर हाउस में नौकरी है।	,,	
56.	श्री सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राह्मण	,,	11	20	40 अधूरा पन्नालाल किराये रहता है।	,,	
57.	श्री मन्नालाल पिता मोतीलाल तम्बोली	,,	12	20	40 अधूरा बना हुआ है।		
58.	श्री किशनलाल पिता बेणीराम खटीक	,,	1	20	42 खाली पड़ा हुआ है।	,,	
59.	श्री नारायण पिता विरमा तालवी	,,	2	20	40 स्वयं रह रहे है।		
60.	श्री मदनलाल पिता माणक खटीक	,,	3	20	40 स्वयं रह रहे है।	,,	

1	2	3	4	5		6	7	8
61.	श्री छोटूलाल पिता रामगोपालजी	देबारी	4	20	40	किराये पर दिया हुआ है	पंचायत द्वारा	
62.	श्री भगवानलाल पिता नन्दराम मेघवाल	,,	5	20	40	अधूरा मकान ठेकेदार है।	,,	
63.	श्री भीमसिंह पिता खुमानसिंह	,,	6	20	40	मकान बन रहा है।	,,	
64.	श्री नाथूसिंह पिता हरीसिंह	,,	7	20	40	मकान बन रहा है।	,,	
65.	श्री मांगीलाल पिता हेमराज	,,	8	20	40	खाली पड़ा हुआ है केवल खडा बना हुआ है।	,,	
66.	श्री मंगललाल पिता शिवलाल हरिजन	,,	1	20	40	मकान बना हुआ है स्वयं रहते हैं।	,,	
67.	श्री मोहनलाल पिता चैना हरिजन	,,	2	20	40	मकान बना हुआ है स्वयं रहते हैं।	,,	
68.	श्री भंवरलाल पिता चैना हरिजन	,,	3	20	40	मकान बना हुआ है स्वयं रहते हैं।	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	श्री आदिवासी खान श्रमिक सहकारी समिति	देबारी	–	20	40 दुकान स्वयं का आफिस	पंचायत द्वारा	
70.	श्री अकबर अली	,,	–	20	40 अधूरा पड़ा हुआ है हिन्दुस्तान जिंक में नौकर है।	,,	

287

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न सं. 415 की सूची

क्र. सं:	नाम जिला	अब तक आवंटित गेहूं (मेट्रिक टन में)	श्रमिकों की संख्या माह जनवरी, 1979
1	2	3	4
1.	बीकानेर	3,880	8,400
2.	चूरू	3,870	3,720
3.	गंगानगर	1,500	360
4.	अलवर	5,590	4,840
5.	भरतपुर	5,502	9,600
6.	झुन्झुनू	15,210	39,600
7.	सवाईमाधोपुर	8,780	12,840
8.	सीकर	10,730	15,720
9.	जयपुर	24,740	3,240
10	टोंक	3,260	7,440
11.	अजमेर	20,690	85,320
12	बाडमेर	1,790	28,240
13.	जैसलमेर	740	440
14.	जालौर	1,970	400
15.	जोधपुर	8,460	20,000
16.	नागौर	5,420	1,560
17.	पाली	12,230	17,880
18.	सिरोही	3,780	11,160
19.	बून्दी	6,310	27,040
20.	झालावाड़	5,088	18,000

(288)

1	2		3	4
21.	कोटा		12,680	13,440
22.	बांसवाड़ा		5,570	1,440
23.	भीलवाड़ा		9,850	23,800
24.	चित्तौड़गढ़		5,910	5,240
25.	डूंगरपुर		2,130	2,640
26.	उदयपुर		14,770	30,000
		योग	1,99,950	3,92,360

289

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न सं. 417 की सूची

पंचायत समिति सांचोर की ग्राम पंचायतों की सूची, जहां पर काम के बदले अनाज योजना के तहत कार्य पूरे हो चुके हैं

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	
1	2	3	
1.	दूठवा	तालाब खुदाई	एक
2.	डूंगरी	,,	एक
3.	झाब	,,	एक
4.	खेंजडियाली	,,	छः
5.	बिजरोल	,,	एक
6.	अचलपुर	,,	दो
7.	गुन्दाऊ	,,	एक
8.	रणोदर	,,	तीन
9.	सरवाना	,,	आठ
10.	ईटादा	,,	एक
11.	कारोला	,,	एक
12.	हरियाली	,,	दो
13.	बिछावाड़ी	,,	तीन
14.	सूथडी	,,	सात
15.	मीमगुडा	,,	एक
16.	सुराचन्द	,,	दो
		कच्ची सड़क (सुराचन्द से दूठवा तक)	एक
17.	चितलवाना	तालाब खुदाई	एक
18.	खारा	,,	दो
19.	जाणवी	,,	तीन

1	2	3	
20.	सरनाऊ	तालाब खुदाई	दो
21.	सांकड़	,,	दो
22.	सुरावा	,,	दो
23.	कंरिया	,,	एक
24.	जाखल	,,	एक
24 ग्राम		पूर्ण कार्य	55

(291)

परिशिष्ट-10

सूची (क)

अतारांकित प्रश्न संख्या 418 की सूची

जोधपुर जिले के डामर एवम् ग्रेवल सड़कें जो 25 फरवरी सन् 1979 तक इस विभाग के रख-रखाव सूची में सम्मिलित हैं

क्र.सं.	नाम तहसील	बी. टी. रोड़ कि.मी.	ग्रेवल रोड़ कि.मी.	कुल लंबाई कि.मी.
1.	फलौदी	372–2	397–0	769–2
2.	ओसियां	320–5	449–0	769–5
3.	बिलाड़ा	282–0	226–0	508–0
4.	जोधपुर	672–0	248–0	920–0
5.	शेरगढ़	230–0	327–0	557–0
		1876–7	1647–0	3523–7

सूची (ख)

सन् 1971 से 25 फरवरी, 1979 तक फलौदी तहसील में बनी सड़कों का विवरण

क्र सं.	नाम सड़क	बी.टी.रोड़ कि.मी.	ग्रेवल रोड़ कि.मी.	कुल लम्बाई कि.मी.
1.	फलौदी–चांडी	39	–	39
2.	जोधपुर–फलौदी	39	–	39
3.	फलौदी–जाम्बा	11	–	11
4.	देचू लोहावट	23	–	23
5.	रिन तड़के (नमक क्षेत्र)	25–2	–	25–2
6.	बाप रामदेवरा	–	45	45
7.	ग्राडू दासोडी वाया चिमाना	–	20	20
8.	कानासर लूना	–	40	40
9.	लोहावट–जाम्बा वाया शैतान सिंह नगर	4	25	29
10.	माडलाइ–नेवा वाया बेगटी–टेकड़ा	–	105	105
11.	रिडमलसर-छाया वाया चिमाना, चाकू-मोटाई जाम्बा बाप	–	119	119
	टोटल कि.मी. लम्बाई	141–2	354	495–2

293

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न सं. 423 की सूची

फहरिस्त अलोटियान नाम कालवाडा तहसील, राजगढ़, जिला अलवर जिनके इन्तकाल श्री शिवलहरी साविक पटवारी द्वारा किये गये ।

क्र. सं.	नाम आवंटी जिन्हें विनियमन हुआ	ख. न.	तारीख व नम्बर आवंटन मुताबिक इन्तकाल	नम्बर इन्तकाल	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गिर्राज पुत्र श्री मामराज श्रीमती ननगो बेवा रामजीलाल गुलाबचन्द पुत्र गोरीसहाय बनवारीलाल पुत्र गोरीसहाय लल्लूराम पुत्र भूराराम कौम ब्रा. सा. देह गैर खातेदार	2 मि. रक्वा 20 बीघा 3 मि. रक्वा 20 बीघा 8 मि. रक्वा 10 बीघा	विनियमन द्वारा एस डी ओ राजगढ़ मु. अलवर कैम्प राजगढ़ 30–9–74 की पट्टा स. 68 दि. 3–1–75	13	

(294)

फहरिस्त अलोटियान ग्राम टोडा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर जिनके इन्तकाल भूतपूर्व पटवारी श्री शिवलहरी द्वारा किये गये।

क्र. सं.	नाम अलोटियन जिन्हें विनियमन हुआ	ख. न.	तारीख व नम्बर आवंटन मुताबिक इन्तकाल	नम्बर इन्तकाल
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती गुलाब जोजे गिर्राज कौम ब्रा. सा. देह	805, 10 बीघा	मुताबिक पट्टा द्वारा तहसील दि. 29-7-68	46
2.	हीरालाल पुत्र पन्नालाल ब्रा. 1/2 कमल पुत्र गिर्राज ब्रा. 1/2 सा. देह गैरखातेदार	786 मि. 15 बीघा	विनियमन मुताबिक आदेश एसडीओ सा. राजगढ़ न. एफ 15-/98/आवं/73-74 13-6-74	47
3.	सतीश पुत्र मनोहरलाल ब्रा. सा. देह गैरखातेदार	796 मि. 3-10 787 6-9 785 6-0 कुल 15-19	विनियमन मु. आ. पट्टा द्वारा एसडीओ सा. 15-1/66 आ. 73-74 दि. 13-6-74	48
4.	महेश पुत्र बद्री कौम ब्रा. सा. देह गैरखातेदार	787 मि. 10 बीघा	मुता.आ.एसडीओसा. 15-1/23/ता.23-6-74	49
5.	रुक्मणी पुत्री नत्थूराम ब्रा.सा.देह गैरखातेदार	785 12-0	मुता.आ.एसडीओ.सा.15-1 95/ता. 13-6-74	51
6.	रामधन पुत्र रामकंवार ब्रा. सा. देह गैरखातेदार	795 11-18 730 3-15	विनियमन मुता.आ.एस.डी. ओ. सा. 15-1/67/ ता. 3-6-74, 13-6-74	52
7.	दिनेश पुत्र मुन्शीलाल ब्रा. सा. देह गैरखातेदार	795 7-10	विनियमन मुता.आ.एसडीओ सा. 15-1/66 ता. 7-3-74, 13-6-74	53
8.	राधेश्याम पुत्र मुन्शीलाल ब्रा. सा. देह गैरखातेदार	795 7-10	विनियमन मुता.आ.एसडीओ सा.क्र15-1/95/7-3-74	54/2
9.	हीरालाल पुत्र पन्नालाल ब्रा.	785	विनियमन मुता.आ.एसडीओ	54/1

1	2	3	4	5
	सा. देह गैरखातेदार	3-11	सा.15-1/98/73-74 दिनांक 13-6-74	
10.	राजेश पुत्र गिर्राज ब्रा. सा. देह गैरखातेदार	784 मि. 10-0	विनियमन मुता.श्रा.एसडीश्रो सा.15-1/95/श्रावं/ 73-74 ता. 13-6-74	59
11.	राजेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल ब्रा. सा. देह गैरखातेदार	784 मि. 10-0	विनियमन मुता.श्रा.एसडीश्रो सा.15-1/95/ ता. 7-3-74 व 13-6-74	60
12.	कमल पुत्र गिर्राज ब्रा. राजेश पुत्र गिर्राज ब्रा. सा. देह समान भाग	780 मि. 5-0 730 मि. 11-10	विनियमन मुता.श्रा.एसडी/ श्रो/सा.15-1/श्रावं/ 73-74/ ता. 13-6-74	50

श्रा. ख. नं. 695 कल्याण वगैरा जांगडा ब्रा. की खातेदारी का नम्बर से सहुवन से श्रा गया है।

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 428 की सूची

अपराध सं./26/73 अन्तर्गत धारा 147/307/332/440/ भा. द. स.
वाया बंगू, जिला चित्तौड़गढ़ के अभियुक्तों की सूची

1—गोपालसिंह आहर	2—जमनाशंकर
3—गोपाललाल खंटर	4—अब्दुल मजीद
5—रतनलाल	6—सुन्दरलाल
7—विरेन्द्रकुमार	8—अब्दुल करीम
9—अब्दुलगफूर	10—रघुवीरसिंह
11—मदनलाल नाई	12—इसरार अहमद
13—प्रकाशचन्द्र सिन्धी	14—नजीर बेग
15—भागचन्द	16—राजेन्द्रकुमार पगारिया
17—कन्हैयालाल	18—बसन्तीलाल
19—बाबूलाल	20—ताराचन्द
21—बोलिया	22—नाथूलाल
23—कन्हैयालाल	24—सुरेन्द्रकुमार
25—हीरालाल	26—दौलतसिंह
27—मांगेलाल	28—कन्हैयालाल
29—प्रभूलाल	30—बालकृष्ण

31—धन्नालाल

32—चन्दालाल

33—मुबारक वहीद

34—चांद बेग

35—देवालाल

36—अब्दुल गफ्फार

37—सिकन्दर खां

38—अब्दुल गनी

39—अब्दुल रजाक

40—चन्दा तेली

41—देवालाल

(298)

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न सख्या 430 की सूची

वर्ष 78–79 में शिक्षित बेरोजगार को दी गई मार्जिन मनी ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक 24–2–79 तक की सूचना

क्र.सं.	नाम उद्योग मय स्थान	मार्जिन मनी ऋण स्थायी विनियोजन	स्वीकृत, कार्य शील 'पूंजी'	योग
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स टैक्सटाइमेट प्रोसेसिंग सैन्टर, जोधपुर	20,500)–	—	20,500)–
2.	,, ए. के. ब्रादर्स, जोधपुर	6,300)–	—	6,300)–
3.	,, जयश्री इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	15,220)–	—	15,220)–
4.	,, अजय प्रिन्टर्स, जोधपुर	20,120)–	—	20,120)–
5.	,, लक्ष्मण इण्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट कं. डूंगरपुर	10,020)–	12,000)–	22,020)–
6.	,, दिनेश एन्टरप्राइजेज, जयपुर	1,678)–	—	1,678)–
7.	,, इन्दर सीमेन्ट पाइप प्रोड. झुंझुनू	8,000)–	—	8,000)–
8.	,, सत्यनारायण इन्डस्ट्रीज, चित्तौड़गढ़	14,974)–	—	149,74)–
9.	,, भारत बियर्स, अजमेर	5,775)–	—	5,775)–
10.	,, विनोद पुलराईजिंग, जयपुर	27,775)–	10,440)–	32,215)–
11.	,, जैन टैक्सटाइल इण्डस्ट्री, बांसवाडा	5,957)–	—	5,957)–
12.	,, दीपक आफसेट, जोधपुर	10,500)–	—	10,500)–
13.	,, आशा टैक्सटाईल प्रोसेसर्स, जोधपुर	17,700)–	—	17,700)–
14.	,, धूत एग्रो इण्डस्ट्रीज, ब्यावर	22,900)–	—	22,900)–

2099

1	2	3	4	5
15.	श्री क्वालिटी मिनरल, पेमरिया-माता, पाली	7,600)-	—	7,600)-
16.	,, भल्ला इन्डस्ट्रीज, जयपुर	25,700)-	—	25,700)-
17.	,, जैमिनी प्रिन्टर्स, जयपुर	6,900)-	—	6,900)-
18.	,, योजना केमिकल इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	23,550)-	—	23,550)-
19.	,, लोढा टॅक्सटाईल्स, जोधपुर	28,700)-	—	28,700)-
20.	,, अमर विजय कापी उद्योग, अजमेर	4,000)-	—	4,000)-
21.	,, एक्स सर्विसेस एग्रोमैन इन्डस्ट्रीज, अलवर	2,500)-	—	2,500)-
22.	,, अरुण विविंग एण्ड डाइंग फैक्ट्री, सीकर	1,650)-	—	1,650)-
23.	,, मौलीमी ऊलम टॅक्सटाईल, बीकानेर	21,150)-	—	21,150)-
24.	,, गुलाब प्रिन्टिग प्रेस, चित्तौड़गढ़	18,735)-	—	18,735)-
25.	,, लक्ष्मी एण्ड. कारपो. मारवाड़, जं. पाली	7,685)-	—	7,685)-
26.	,, गुप्ता फैब्रीक्स, चित्तौड़गढ़	24,450)-	—	24,450)-
27.	,, प्रिमियर ट्रेडिंग कारपो., भीलवाडा	25,300)-	14,600)-	39,900)-
28.	,, मुकेश आफसेट, जयपुर	19,500)-	—	19,500)-
29.	,, एलाईड मैन्यूफैक्चरर्स, जयपुर	9,500)-	—	9,500)-
30.	,, महेश कारपेट इन्ड. पावटा, जयपुर	6,200)-	—	6,200)-
31.	,, हिन्दुस्तान हाईकार्बन, अजमेर	10,950)-	28,350)-	39,300)-
32.	,, एस. ए. लेबोरेटरीज, (इण्डिया) जयपुर	22,950)-	—	22,950)-

1	2	3	4	5
33.	श्री अजय केमिकल्स, जयपुर	19,800)–	11,400)–	31,200)–
34.	,, मनिशा ट्रेडिंग कारपो., जयपुर	21,700)–	—	21,700)–
35.	,, दोषी इन्डस्ट्रीज, चित्तौड़गढ़	13,700)–	—	13,700)–
36.	,, टॉप ट्रेडिंग कारपो. जयपुर	14,950)–	—	14,950)–
37.	,, मिरनल ग्लोब्स, अलवर	3,300)–	—	3,300)–
38.	,, शेखावाटी सीमेन्ट पाईप इन्ड. पिलानी	13,950)–	—	13,950)–
39.	,, नारुका मिनरल ग्राइंडिंग सीमेन्ट, जयपुर	18,300)–	—	18,300)–
40.	,, भंडारी पेपर बैग इन्ड., ब्यावर	10,500)–	13,100)–	23,600)–
	कुल योग	5,62,637)–	89890)–	6,52,527)–

(301)

मार्जिन मनी ऋण के विचाराधीन मामलों की सूची

क्र. सं.	नाम उद्योग	रकम
1.	मैसर्स पाईप एक्सपर्ट एन्टरप्राइजेज, जयपुर	12,439)—
2.	,, लीगल केमिकल, बून्दी	25,800)—
3.	,, भारत इन्जिनियरिंग, भरतपुर	30,500)—
4.	,, जय आर्ट एण्ड रेन्ट, जयपुर	1,51,500)—
5.	,, पारसमल सोहनलाल, पाली	39,600)—
6.	,, कमल उद्योग, अजमेर	5,790)—
7.	,, मान राइस मिल, बून्दी	38,000)—
8.	,, महाराजा टैक्सटाईल, जयपुर	52,000)—
9.	,, ओम इण्डस्ट्रीज, बून्दी	16,400)—
10.	,, शक्ति आरा मशीन, ब्यावर	1,700)—
	योग	3,77,639)—

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची

इन क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो रियायतें दी जाती हैं उनसे उद्योगों के प्रवर्तन में काफी मदद मिली है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग नियम लघु उद्योग मझोले उद्योगों को जिनमें कि विनियोग कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये से अधिक न हो उदार शर्तों पर ऋण सुविधायें प्रदान करते हैं :–

1) ब्याज की रियायती दर-सामान्य ब्याज दर से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम।

2) किश्तों की वापसी के लिये प्रारम्भिक अनुग्रह अवधि जो कि सामान्य रूप से 2–3 वर्ष होती है। वह इनके लिये 5 वर्ष होगी।

3) ऋण वापसी की अवधि जो सामान्यत: 10–12 वर्ष होती है वह 15–20 वर्ष तक हो सकती है।

4) सामान्य सेवा प्रभारी में 50 प्रतिशत की कटौती।

5) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग के प्रकरण में प्रतिभूति सीमान्त में छूट सामान्य 50% से कम की जाकर 30–35%

6) पुनर्वित्त पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों को ऋण के लिये ब्याज में रियायत।

7) (अ) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछड़े जिले में ब्याज की दर में रियायत निम्न प्रकार से दी जाती है। (यदि राज्य सरकार 1/2 प्रतिशत ब्याज का अनुदान प्राप्त होता है या पुनर्वित्त औद्योगिक विकास बैंक से न मिलने पर 3 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध है :–

1) सुगम ऋण परियोजना के अन्तर्गत ऋण

पिछड़े जिलो में	अन्य जिलों में
8।। प्रतिशत	9 प्रतिशत

2) लघु उद्योगों को ऋण

पिछड़े जिले	अन्य जिलों में
11 प्रतिशत	9।। प्रतिशत

(ब) पिछड़े जिलों में ऋण वापसी की सामान्य अवधि में वृद्धि की जाती है।

(स) पिछड़े जिले में साम्यमूलतः बंधक की सुविधा भी दी जाती है।

8) **लघु उद्योगों के पंजीयन शुल्क में रियायत:**
पिछड़े जिलों में 2 लाख रुपये से अधिक कीमत की मशीन होने पर उद्योग विभाग द्वारा पंजीयन शुल्क 25) रु. लिये जाते हैं जबकि अन्य जिलों में 50 रुपये शुल्क है।

9) **आयात लाईसेन्स देने में उदारता:—**
अलवर, जोधपुर, चूरू, नागौर, उदयपुर, भीलवाड़ा छः जिलों में 5 लाख रुपये तक कच्चे माल के आयात करने के लिये आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। जबकि अन्य जिलों में यह सीमा 3 लाख रुपये तक है।

10) **तकनीकी सलाह शुल्क में रियायत :—**
पिछड़े जिलों में उद्योगों के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह देने के लिये सलाहकार के आने जाने का प्रथम श्रेणी का किराया, व ठहरने की व्यवस्था का खर्च तथा 50 रुपये से 100 रुपये तक प्रतिदिन का शुल्क लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा शत प्रतिशत वहन किया जाता है। जबकि अन्य जिलों में किराये का 75 प्रतिशत व प्रतिदिन के शुल्क का 27 प्रतिशत ही देय है।

11) **मशीनों की किराया खरीद प्रणाली में धरोहर राशि व ब्याज दर में रियायत :—**
पिछड़े जिलों में किराया खरीद प्रणाली पर दो लाख रुपयों की मशीन क्रय करने पर 5 व 2½ प्रतिशत की निम्न प्रकार से रियायत दी जाती है

पिछड़े जिलों में	**अन्य जिलों में**
धरोहर राशि 20 प्रति.	15 प्रतिशत
ब्याज दर 11 प्रति.	13½ प्रतिशत

12) पिछड़े जिले में लगे नये उद्योगों को अपने प्रथम 20 प्रतिशत लाभांश पर आयकर देने की छूट है। जबकि अन्य जिलों में यह सुविधा नहीं है।

———